खण्ड-473, अंक-1
बुधवार, 21 माघ, शक संवत् 1931
(10 फरवरी, 2010 ई0)

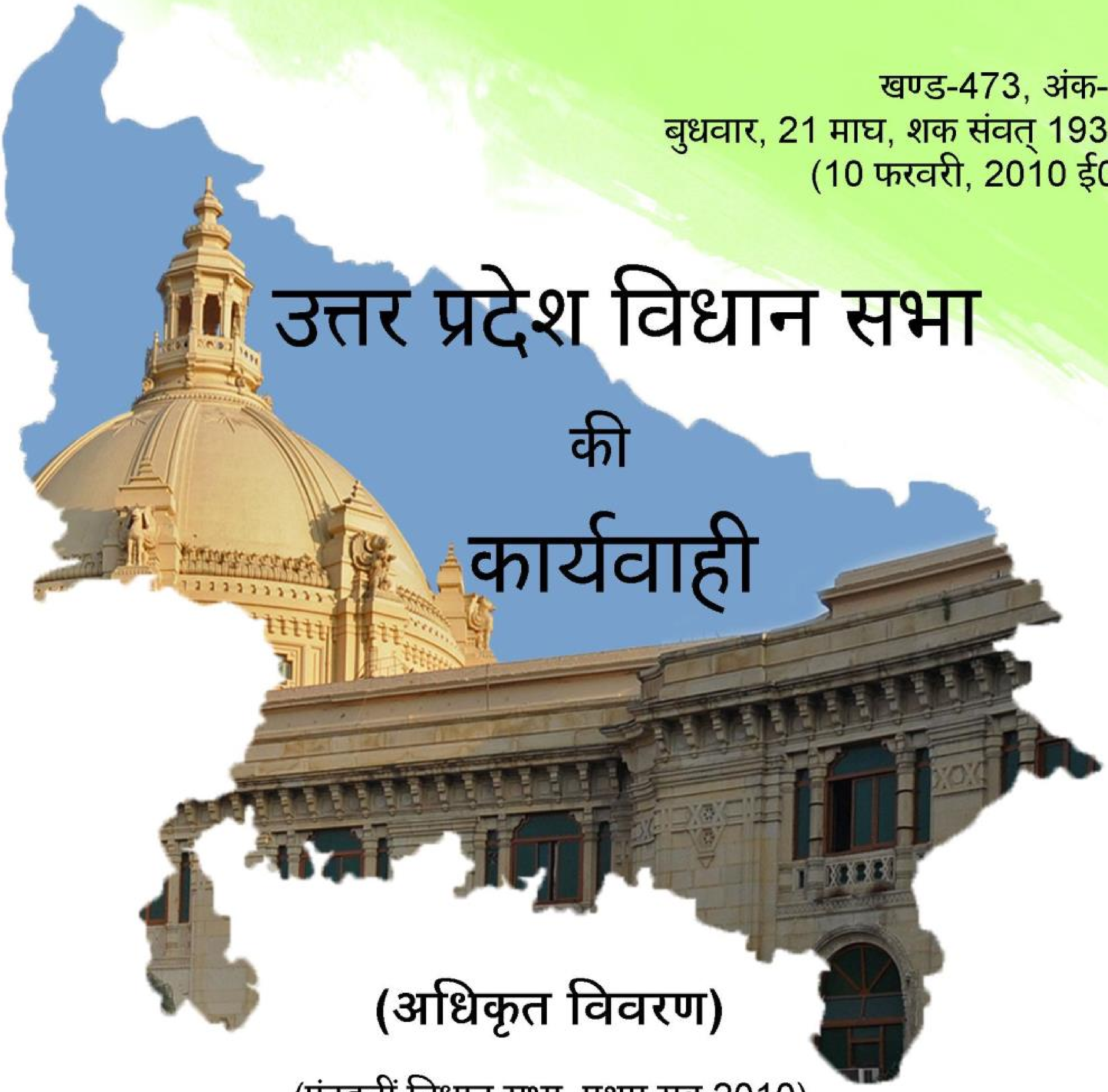

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 473 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	1–12
उपस्थित सदस्य	13–18
प्रदेश में दुधारू पशुओं के हो रहे अवैध कटान के कारण प्रदेश में दूध की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग... ...	19
प्रश्नोत्तर	19–115
डा0 राम सिंह, सदस्य विधान सभा की सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी	116
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	116–117
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई में लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी, 2009 में निर्मित बनापुर से सिमरा तिराहा तक की सड़क की खराब गुणवत्ता के कारण अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	117–118
जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों किनारों पर पुनः ड्योले बनाने में लाखों रुपये हड़पने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिलिंग मशीन अवैध तरीके के बिना परमिट जंगल कटान से पर्यावरण के कुप्रभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कम्भरपुर राजभर बस्ती मार्ग बेसों नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	118–119
बदायूं विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की हालत खराब एवं जर्जर सड़कों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद गोण्डा के सादुल्लानगर विधान सभा क्षेत्र में विसुही नदी पर गौरा चौकी मसकनवा मार्ग पर राजकीय सेतु निगम का अधूरा पुल निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110–120
जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत राजकीय कृषि एवं बीज संवर्धन प्रक्षेत्र जमुनाबाद फार्म में कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
निगम की चीनी मिल खड्डा के क्रय केन्द्रों को पुनः पूर्ववत की भांति खड्डा यूनिट को वापस करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120–121

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा की किताबों की बिकी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कें मानक के विपरीत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	121–122
जनपद वाराणसी नगर निगम द्वारा मानदेय पर या वेतन पर नियुक्त सफाई कर्मियों पर निगम के नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... • ...	122
जनपद एटा के विधान सभा एटा शहर के बीचों बीच से निकलने वाले भारी वाहनों से सैकड़ों दुर्घटनाओं को देखते हुए बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत प्रमुख सम्पर्क मार्गों की अत्यन्त दयनीय एवं जर्जर स्थिति को देखते हुए, शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज के पंचायत भट्ठी बरकत नगर में इन्दिरा आवास, महामाया आवास के शौचालय निर्माण तथा नरेगा की मजदूरी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा रामपुर आदि में अग्निशमन केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	124–125
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	125
डा0 राम सिंह द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु पीठ से अनुरोध ...	125–127
जिला योजना के अन्तर्गत गन्ना समिति द्वारा मांगे गये प्रस्ताव पर बनी सड़कों पर प्रस्ताव के बोर्ड को विभाग द्वारा उखाड़ दिये जाने विषयक प्रकरण	127–130
श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' द्वारा स्वंय की सुरक्षा की मांग ...	130
आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के भ्रामक उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न... ...	130
दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को श्री कुबेर सिंह का अकस्मात् स्वास्थ्य खराब होने पर सरकारी अस्पताल से दवाएं उपलब्ध न हो पाने विषयक प्रकरण	130–131
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	131
लोक सभा सचिवालय की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	131–134

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	134
उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 5/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	134
उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) ...	134
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	135
महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	135
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (स्थगित)	135
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	135
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 (पुरः स्थापित) ...	135–136
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	136–139
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	139–169
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा ...	169–226
जनपद आगरा में चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने और गरीब कारीगरों की जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु रुपये 300.00 अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) तक के जूते के मूल्य संवर्धित कर वैट से मुक्त किये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (वापस लिया गया) ...	226
जनपद आगरा के विकास के लिये प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू नेशनल रेन्युवल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य आगरा में भी अविलम्ब आरम्भ कराये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (वापस लिया गया)	227
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	227–233
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	234–238
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	238–239
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाए	239–240

विषय	पृष्ठ–संख्या
वाराणसी के थाना जसा के ग्राम सिहोरवां (उत्तरी) में दलितों के लिये कृषि हेतु आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध मे श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	241
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को समायोजित/विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) ...	242
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंखा, बल्ब कम्प्यूटर चलाये जाने की व्यवस्था के अनुरूप बिजली के खम्भे न होने से उक्त योजना चालू न किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	242
प्रदेश में खरवार ज़ाति को तहसील से जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	243
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को आरोग्य निधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार गौतम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	244–245
नत्थियां	246–280

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय राय, श्री — वाराणसी
10. अजय सिंह, श्री — जालौन
11. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
15. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
16. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
17. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
18. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
19. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
20. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
21. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
22. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
23. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
24. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
25. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
26. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
27. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
28. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
29. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
30. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
31. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
32. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
33. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
34. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
36. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
38. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
39. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
40. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
42. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
43. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
44. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
45. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
46. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
47. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
48. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
49. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
50. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
51. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
52. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
53. अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
54. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
55. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
56. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
57. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
58. आर0 ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी
59. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
60. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
61. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
62. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
63. आसिफ, श्री — हरदोई
64. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
65. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
66. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
67. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
68. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
69. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
70. उदयराज, श्री — उन्नाव
71. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी

72. उमलेश यादव, श्रीमती, बदायूं
73. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
74. उस्मानुल हक, श्री मुरादाबाद
75. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
76. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
77. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
78. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
79. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
80. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
81. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
82. काशीराम, श्री रामपुर
83. कुवेर सिंह, श्री एटा
84. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रुखाबाद
85. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
86. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
87. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
88. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
89. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
90. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
91. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
92. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
93. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
94. कैलाश साहू, श्री झांसी
95. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
96. कौकब हमीद खां, श्री बागपत
97. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
98. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
99. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
100. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
101. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
102. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
103. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
104. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
105. घूराराम, श्री बलिया
106. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
107. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
108. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
109. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
110. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
111. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
112. छोटे सिंह, श्री जालौन
113. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
114. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
115. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
116. जगपाल, श्री सहारनपुर
117. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
118. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
119. जमुना निषाद, श्री गोरखपुर
120. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
121. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
122. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
123. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
124. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
125. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
126. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
127. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
128. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
129. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
130. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
131. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
132. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
133. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
134 दयाराम, श्री कौशाम्बी
135. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री संतकबीरनगर
136. दाउद अहमद, श्री हरदोई
137. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
138. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
139. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
140. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
141. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झांसी
142. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
143. दूधराम, श्री बस्ती
144. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
145. धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव, श्री बदायूं
146. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
147. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर

148. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
149. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
150. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
151. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
152. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
153. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
154. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
155. नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी", श्री इलाहाबाद
156. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
157. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
158. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
159. नारायण सिंह, श्री आगरा
160. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
161. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
162. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
163. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
164. पशुपति, श्री गाजीपुर
165. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
166. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बांदा
167. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
168. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
169. प्रजापालन, श्री एटा
170. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
171. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
172. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
173. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
174. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
175. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
176. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
177. प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
178. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
179. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
180. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
181. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती देवरिया
182. फागू, श्री मऊ
183. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
184. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
185. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
186. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
187. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
188. बिरजू राम, श्री जौनपुर
189. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
190. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
191. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
192. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
193. भगवती प्रसाद सागर, श्री झांसी
194. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
195. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
196. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
197. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
198. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
199. मंजू, श्रीमती बलिया
200. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
201. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
202. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
203. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
204. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
205. ममतेश शाक्य, श्री एटा
206. मार्कण्डेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
207. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
208. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
209. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
210. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
211. महेन्द्र सिंह, राजपूत, श्री इटावा
212. महेश चन्द्र, श्री औरैया
213. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
214. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
215. मांता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
216. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
217. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
218. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
219. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
220. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
221. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
222. मुस्लिम खां, श्री बदायूं
223. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
224. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
225. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
226. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
227. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
228. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
229. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीर नगर

230. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
231. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
232. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
233. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
234. यशपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
235. याकूब हाजी, श्री मेरठ
236. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
237. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूं
238. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
239. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
240. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
241. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0 प्रतापगढ़
242. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
243. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
244. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
245. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
246. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
247. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
248. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
249. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
250. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
251. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
252. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
253. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
254. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
255. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
256. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
257. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
258. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
259. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
260. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
261. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
262. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
263. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
264. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
265. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
266. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
267. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
268. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
269. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
270. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
271. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
272. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
273. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
274. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
275. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
276. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
277. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
278. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
279. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
280. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
281. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
282. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
283. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
284. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
285. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
286. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
287. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
288. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
289. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
290. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
291. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूं
292. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
293. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
294. रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
295. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
296. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
297. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
298. लखीराम नागर, श्री मेरठ
299. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
300. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
301. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
302. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
303. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
304. वारिस अली, श्री बहराइच
305. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री बुलन्दशहर
306. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
307. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद

308. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
309. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
310. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
311. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
312. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
313. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ
314. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
315. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
316. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
317. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
318. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
319. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
320. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
321. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
322. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
323. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
324. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
325. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
326. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
327. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
328. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
329. शहनवाज, श्री बिजनौर
330. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
331. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
332. शिव गणेश "लोधी", श्री रायबरेली
333. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
334. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
335. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
336. शिवशंकर, श्री बलिया
337. शीशराम, श्री बिजनौर
338. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
339. शेखर तिवारी, श्री औरैया
340. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
341. शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
342. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
343. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
344. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
345. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
346. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
347. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
348. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
349. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
350. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
351. संजय कपूर, श्री रामपुर
352. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
353. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री कानपुर नगर
354. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
355. संध्या, कुमारी मैनपुरी
356. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
357. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
358. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
359. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
360. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
361. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
362. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
363. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
364. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
365. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
366. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
367. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूं
368. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
369. सी0एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
370. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
371. सी0 वी0 इन्निस, श्री नाम-निर्देशित
372. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
373. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
374. सुखलाल, श्री पीलीभीत
375. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
376. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
377. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
378. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
379. सुभाष, श्री बलिया
380. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
381. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
382. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
383. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
384. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
385. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
386. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
387. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
388. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
389. सुल्तान बेग, श्री बरेली

390. सुशील कुमार, श्री	चन्दौली	398. हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
391. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा	399. हरिओम, श्री	जालौन
392. सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	400. हसरत उल्ला, श्री	एटा
393. सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर	401. हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
394. सैय्यद शादाब फातिमा, श्री	मतीगाजीपुर	402. होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
395. सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी	403. *रिक्त	चन्दौली
396. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	404. *रिक्त	सिद्धार्थनगर
397. हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर		

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या 224 मुगलसराय जिला चन्दौली से निर्वाचित सदस्य श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 26 मई, 2009 के पूर्वाह्न से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप।

**निर्वाचन क्षेत्र संख्या 154 डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर से निर्वाचित सदस्य श्री तौफीक अहमद की दिनांक 24 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्रि–परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियों)	विभाग या विषय
1	2	3	4
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, विकलांग कल्याण, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सैनिक कल्याण तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।	1–सामान्य प्रशासन 2–सचिवालय प्रशासन 3–गृह 4–गोपन 5–सतर्कता 6–नियुक्ति 7–कार्मिक 8–न्याय 9–विधायी 10–नियोजन 11–अर्थ एवं संख्या 12–प्रोटोकाल 13–नागरिक उड्डयन 14–राज्य सम्पत्ति 15–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय 16–राजनैतिक पेंशन 17–भाषा 18–सूचना 19–वाह्य सहायतित परियोजना 20–नागरिक सुरक्षा 21–औद्योगिक विकास 22–प्रशासनिक सुधार 23–कार्यक्रम कार्यान्वयन 24–राष्ट्रीय एकीकरण 25–खाद्य प्रसंस्करण 26–विकलांग कल्याण 27–धर्मार्थ कार्य 28–मुस्लिम वक्फ 29–इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 30–समन्वय 31–सार्वजनिक उद्यम 32–अवस्थापना विकास 33–महिला कल्याण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			34–कारागार प्रशासन एवं सुधार 35–सैनिक कल्याण 36–खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई [सिंचाई (यांत्रिक) को छोड़कर], आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	1–आबकारी 2–मद्य निषेध 3–लोक निर्माण 4–[सिंचाई (यांत्रिक) को छोड़कर], 5–आवास एवं शहरी नियोजन 6–नगर भूमि 7–गन्ना विकास 8–चीनी मिलें
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा	1–संसदीय कार्य 2–वित्त 3–चिकित्सा शिक्षा
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन	1–समाज कल्याण 2–अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण 3–बाल विकास एवं पुष्टाहार 4–कृषि विपणन
6	ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात	1–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 2–कृषि विदेश व्यापार 3–कृषि निर्यात
7	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल	1–होमगार्ड्स 2–प्रान्तीय रक्षा दल
8	लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)
9	डा0 राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा
10	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण	1–भूतत्व एव खनिकर्म 2–सहकारिता 3–परिवार कल्याण 4–मातृ एवं शिशु कल्याण

1	2	3	4
11	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग	1–वस्त्रोद्योग 2–रेशम उद्योग
12	श्री फागू चौहान	राजस्व	1–राजस्व 2–अभाव 3–सहायता एवं पुनर्वासन
13	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर)	1–नगर विकास 2–जल सम्पूर्ति 3–पर्यावरण 4–शहरी समग्र विकास 5–कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर) 6–मनोरंजन कर
14	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास
15	श्री नरायन सिंह	उद्यान	उद्यान
16	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर)	1–खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर) 2–नागरिक आपूर्ति 3–किराया नियंत्रण
17	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा	बेसिक शिक्षा
18	श्री राम अचल राजभर	परिवहन	परिवहन
19	श्री बादशाह सिंह	श्रम	श्रम
20	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा
21	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
22	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
23	श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"	संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क	1–संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क 2–पंजीयन
24	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग	लघु उद्योग
25	श्री अशोक कुमार दोहरे	भूमि विकास एवं जल संसाधन	भूमि विकास एवं जल संसाधन

1	2	3	4
26	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान	1–वन 2–जन्तु उद्यान
27	श्री रामहेत	निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप	1–निर्वाचन 2–उपभोक्ता सरंक्षण बांट माप
28	श्री राजपाल त्यागी	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	1–कृषि शिक्षा 2–कृषि अनुसंधान
29	श्री सुभाष पाण्डेय	संस्कृति	संस्कृति
30	श्री धर्मराज निषाद	मत्स्य	मत्स्य
31	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	पंचायती राज	पंचायती राज

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्री अनीस अहमद खां	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज	1–अल्पसंख्यक कल्याण 2–हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1–खेलकूद 2–युवा कल्याण
3	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग	खादी एवं ग्रामोद्योग
4	श्री विनोद सिंह	पर्यटन	पर्यटन
5	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई	लघु सिंचाई
6	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पिछड़ा वर्ग कल्याण
7	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास	परती भूमि विकास
8	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास	1–पशुधन 2–दुग्ध विकास
9	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
10	श्री सदल प्रसाद	व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा	व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा
11	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
12	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
13	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन (व्यवसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)	सेवायोजन (व्यवसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)
14.	श्री जयवीर सिंह	सिंचाई (यांत्रिक)	सिंचाई (यांत्रिक)

राज्य मंत्री

क्र0	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	सम्बद्धता
1	2	3	4
1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री
3	श्री राजेश त्रिपाठी	होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य	चिकित्सा शिक्षा एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री
4	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ	मुस्लिम वक्फ मंत्री
5	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री
6	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री
7	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

नेता विरोधी दल

श्री शिवपाल सिंह यादव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष
श्री सुखदेव राजभर

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव
श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),
2–श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी),
3–श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),
4–श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),
5–श्री सी0 एम0 प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (सोनभद्र),
6–श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा),
7–श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),
8–डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),
9–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),
10–श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–324

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय यादव, श्री — एटा
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
अनिल कुमार गौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ मियां, श्री — फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आसिफ, श्री — हरदोई
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
उदयराज, श्री — उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
कमलेश चन्द दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
काजिम अली खां नवेद मियां नवाब — रामपुर
कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
काशीराम, श्री — रामपुर

कुबेर सिंह, श्री — एटा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
कैलाश साहू, श्री — झांसी
कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री — बलिया
चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
जगपाल, श्री — सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री — जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
ददन मिश्रा, श्री — श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दयाराम, श्री — कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री — हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
दीप नारायण सिंह यादव, श्री — दीपक झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
दूधराम, श्री — बस्ती
धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
धीरेन्द्र प्रसाद, श्री — शाहजहांपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी", श्री — इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
नारायण सिंह, श्री — आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहांपुर
पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री — गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बांदा
प्रजापालन, श्री — एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया

प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
फागू, श्री मऊ
बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
बिरजू राम, श्री जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
भगवती प्रसाद सागर, श्री झांसी
भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
भोला पासवान, श्री आजमगढ़
मंजू, श्रीमती बलिया
मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
मदन भैया उर्फ
मदन गोपाल, श्री बागपत
मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह
उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
महेन्द्र सिंह, राजपूत, श्री इटावा
महेश चन्द्र, श्री औरैया
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
माधव पासवान, श्री गोरखपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
मुरलीधर, श्री फतेहपुर
मुस्लिम खां, श्री बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री बदायूं
योगेश वर्मा, श्री मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह
"राजा भइया", कुं0 प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ
धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
राजकुमार रावत, श्री मथुरा
राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ
मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती

राजेन्द्र सिंह उर्फ
पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
राजेश यादव, श्री — शाहजहांपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
राम कुमार तिवारी, पण्डित — ललितपुर
रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा,
पी0एच0डी0, डा0 — कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूं
रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
लखीराम नागर, श्री — मेरठ
लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
लालजी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
वारिस अली, श्री — बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ
विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
बृज सिंह उर्फ
बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
शहनवाज, श्री — बिजनौर
शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
शीशराम, श्री — बिजनौर
शेख नसीरुद्दीन
सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
श्यामदेव राय चौधरी
(दादा), श्री — वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
संजय कपूर, श्री — रामपुर
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
संध्या, कुमारी — मैनपुरी
सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर

सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सिद्धार्थ शंकर, डा0	लखनऊ
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती	ललितपुर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :—आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में दुधारु पशुओं के हो रहे अवैध कटान के कारण प्रदेश में दूध की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश में गोवध की घटनायें बढ़ती जा रही हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन गोवंश का वध हो रहा है, बहुत तेजी से वह घट रहा है और एक तरफ चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि दूध का उत्पादन घट रहा है, दूध महंगा होता जा रहा है और दूसरी तरफ पशुओं को खुलेआम काटा जा रहा है, कोई नियंत्रण उन पर है नहीं। हम लोगों ने नियम 311 में सूचना दी है। यह प्रश्न प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न उन लोगों से जुड़ा हुआ है, जो मांस नहीं खाते और दूध से गुजारा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी, मैंने आपकी नियम 311 की सूचना देखी है और उसकी महत्ता को देखते हुये नियम 56 में सुनने के लिये प्रथम स्थान पर चयनित किया हूं, मैं उसको सुन लूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

धन्यवाद, मान्यवर।

प्रश्नोत्तर

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न मिट्टी का तेल आदि सामग्री उपलब्ध कराने की जानकारी

1–श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न मिट्टी का तेल आदि सामग्री नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाभार्थियों/पात्रों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कोई नई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्नकर्ता श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे)

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0 1 तारांकित प्रश्न सं0 8 के उपरान्त डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की रुचि पर लिया गया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी जिज्ञासा है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, प्रश्न सं0 1 के बारे में डा0 अग्रवाल साहब की रुचि रही है, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के प्रश्न के सन्दर्भ में आपकी रुचि रही है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का प्रश्न था कि क्या खाद्य और रसद मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न, मिट्टी का तेल इत्यादि सामग्री नहीं मिल पाती है ? माननीय मंत्री जी ने अपनी अज्ञानता को यहां स्वीकार किया और कहा कि इन्हें जानकारी नहीं है, इस साफगोई के लिये ईमानदारी के साथ अपनी गैरजानकारी को स्वीकार करने के लिये मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं, साथ ही आभार प्रकट करता हूं कि सत्य बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, अगर आपने स्वीकार किया क्योंकि पूरा देश प्रदेश तो जानता है, बच्चे–बच्चे को पता है कि मिट्टी का तेल कहीं नहीं मिलता है। इसके बावजूद अगर आप नहीं जा रहे हैं, आपने स्वीकार किया, आपको बधाई। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न हैं कि क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह है कि जो तेल आप राशन कार्ड पर बांटने के लिये भेजते हैं, वह खुले बाजार में 35 से 40 रुपये लीटर खुलेआम बिक रहा है ? यदि आप जानते हैं तो आपने क्या कार्यवाही की है ? और क्या बिक रहा है आप जानते हैं कि नहीं ? जानते हैं तो क्या कार्यवाही की है ? और क्या आप महसूस करते हैं कि यदि कहीं भूख से मौत हो तो जिलाधिकारी जिम्मेदार, ठण्डक से मौत हो तो जिलाधिकारी जिम्मेदार, अगर सरकारी तेल कालाबाजारी से बिके तो जिला आपूर्ति अधिकारी इसके लिये सीधे जिम्मेदार ठहराये जायेंगे, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं ? यह एक प्रश्न है, एक प्रश्न और पूछूंगा मैं।

संसदीय, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी ने जो प्रश्न किया है, यह अनुमान के आधार पर किया है, स्पैसिफिक नहीं है मान्यवर, कही का स्पैसिफिक लिखकर दे देंगे, तो माननीय मंत्री जी पता करके उसके हिसाब से कार्यवाही कर देंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, अब तो और सिद्ध हो गया कि माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी को जानकारी नहीं है क्योंकि जवाब देने के लिये उनके रहते हुये माननीय संसदीय कार्यमंत्री खड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय मंत्री दे सकता है, उनकी भी जिम्मेदारी समाहित है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने विधिवत दे दिया है, उसमें कही कोई शंका नहीं है मान्यवर। यदि इस विषय में अब कोई अलग से जानकारी चाहते हैं कि स्पैसिफिक इस क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो उसको अलग से माननीय मंत्री जी को दे देंगे, उसकी जानकारी मंत्री जी दे देंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि खुले आम 30 से 35 रुपये लीटर तेल पूरे प्रदेश में बिक रहा है, यदि हां, तो क्या उन्होंने कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष–

डा0 अग्रवाल साहब, आप पूछ रहे हैं कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पूरे प्रदेश 30 से 35 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, यह तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, वैसे माननीय मंत्री जी, ये यह पूछ रहे है कि क्या इस तरह की जानकारी है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

जी नहीं, के बाद हां कहां से आ गये ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इस कालाबाजारी को रोकने के लिये, जो हम लोग सील्ड पैकेट में, हर चीज सील्ड पैकेट में मिलती है, पानी, दूध, मट्ठा, चावल, दही। क्या माननीय मंत्री जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बंटने वाले मिट्टी के तेल को कम से कम सील्ड पैकेट में बंटवाने की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

विस्फोट हो जायेगा, रिऐक्ट कर जायेगा।

(हंसी)

श्री राम प्रसाद चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सील्ड वस्तुऐं हैं, बहुद्देश्यीय कंपनियों के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग करते हैं, यह गरीबों के लिये तेल है, इसको सील करने में बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

उनकी रुचि थी, उन्होंने अनुपूरक कर लिया है, अब और लोग नहीं। अब कुछ नहीं करवरिया साहब, एक रुचि थी, उन्होंने पूछ लिया और स्पष्ट उत्तर आ चुका है, अब उसमें अनुपूरक अलग से आप बनायें अपनी इच्छा अनुसार, यह उचित नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष, जी, मैं यह मानता हूं कि मैं जो अनुपूरक करना चाहता हूं, वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

तब क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

लेकिन फिर भी मैं अनुपूरक कर रहा हूं यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो उसका उत्तर दें अथवा न दें। मेरा अनुपूरक यह है कि यह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जबकि मेरा प्रश्न शहरी क्षेत्रों के लिए है, इसलिए मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मेरा बहुत छोटा सा एक अनुपूरक है यदि आप चाहें तो कृपा पूर्वक उत्तर दे दें कि यह शिकायत शहरी क्षेत्रों की दुकानों में पाई जाती है कि वहां दुकानें निश्चित समय से निश्चित अवधि तक नहीं खुली पाई जातीं और दूसरा यह कि वहां पहले यह प्रथा थी, सिस्टम था कि जो वितरण के लिए खाद्य सामग्री आती है, उसका एक सैम्पिल भी शील्ड वहां रखा जाता था। तो क्या अब भी यह प्रथा है और यदि है तो यह रखा जाना सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे आप ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

श्रीमन्, पहले से ही सैम्पिल रखने की प्रथा है, उस पर कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष–

बस एक प्रश्न कर लीजिए माननीय हुकुम सिंह जी। नहीं करवरिया साहब, अग्रवाल साहब की इच्छा थी, उनकी रुचि थी, इसलिए उनसे एक अनुपूरक पुछवा लिया, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि उसमें अनुपूरक चलते ही रहें। इसी बीच में मैं एक निवेदन कर लूं।

हम यह सोच रहे थे कि इसमें थोड़ा सा समय की धीरे–धीरे नियम 56 में और बोलने में कटौती हो जाती है, तो हम पहले आज चर्चा करा देते, तो सभी माननीय सदस्य उसमें बोल लेते। तो यही करा देते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक तरीका हो गया, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न तो उठ गया, अब आप यह क्यों कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता। क्या अनुभव है आपका इस विषय में। जब हमने यह कहा तो प्रश्न तो उठ गया और मा0 अध्यक्ष जी, यह उत्तर आना वास्तव में बंद होना चाहिए कि प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न तो उठा हुआ है। दूसरी बात आपने कार्ययोजना के बारे में बड़ा चल रहा है कि नई कार्य योजना, जैसे कोई पुरानी कार्ययोजना चल रही हो यहां पर सवाल कार्य योजना का नहीं है। शिकायत इस बात की है कि ग्रामीण अंचलों में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं यह वास्तविकता है। अभी आपके पास में जानकारी होगी, पूछना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि इतनी एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई, इतने मुकदमें कायम हुए, 3/7 में मुकदमें कायम हुए, इसलिए कायम हुए कि गलती चल रही थी। इन तमाम गलतियों को सुधारने के लिए क्या मा0 मंत्री जी, आश्वस्त करेंगे कि हर जनपद में खाद्य रसद विभाग के इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखने के लिए इसकी समीक्षा करने के लिए जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, वितरण प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए 13 मई, 2007 में जब यह नई सरकार बनी है, तभी अगस्त के महीने में एक शासनादेश जारी कर के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये और भी विभागों के अधिकारी लगा कर के पर्वेक्षकीय दृष्टि से पर्वेक्षकीय देख-रेख में वितरण प्रणाली, यह पहली सरकार ने दूसरे विभाग के अधिकारियों को लगा कर के शुरू किया है, इसलिए इस तरह का कोई औचित्य नहीं बनता है।

जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के निराकरण हेतु कार्य योजना

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या आबकारी मंत्री की जानकारी में है कि वर्ष 2009 में सहारनपुर जिला सहित अन्य कई जिलों में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गयी ? इस प्रकार की दुःखद मौतों के निराकरण हेतु सरकार प्रदेश के सभी जिलों में आबकारी अधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जहरीली शराब बनाने व बेचने वालों पर और सख्ती करने हेतु वर्तमान प्रयासों के अतिरिक्त कोई कार्य योजना बनाने व लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

जी हां। जहरीली शराब के सेवन से वर्ष 2009 में दिनांक 16/17 फरवरी, 2009 को जनपद लखनऊ के अन्तर्गत निगोहां, क्षेत्र मोहन लाल गंज में 03, जनपद आजमगढ़ के लालगंज एवं निजामाबाद क्षेत्र में दिनांक 30/31-01-2009 को 13 एवं सहारनपुर के देवबन्द क्षेत्र में दिनांक 09-09-2009 से 14-09-2009 के मध्य कुल 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

इस प्रकार की दुःखद मौतों के निराकरण हेतु जनपद के सम्बन्धित आबकारी अधिकारियों/कर्मचारियों सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जहरीली शराब बनाने व बेचने वालों पर और सख्ती करने हेतु सम्बन्धित के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं वर्तमान कार्ययोजना के अतिरिक्त और किसी कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान कार्ययोजना, जो वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रदेश के समस्त जनपदों के लिये बना ली गयी थी, पर्याप्त है, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(1) विशेष प्रवर्तन अभियान तथा पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से समय समय पर संयुक्त अभियान चलाया जाना।

(2) चिन्हित अवैध अड्डों/अवैध मद्य निष्कर्षण के क्षेत्रों में तथा प्रदेश के अन्य प्रान्तों से लगी सीमाओं पर नियमित चेकिंग की कार्यवाही करना।

(3) अवैध मद्यनिष्कर्षण द्वारा निर्मित कच्ची शराब के उत्पादन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं, आई0 पी0 सी0

की धारा-272/273, गुण्डा अधिनियम तथा गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करना।

(4) आबकारी से सम्बन्धित विभिन्न अनुज्ञापनों की आकस्मिक एवं नियमित चेकिंग करना तथा मुखबिरों एवं अन्य स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन इकाईयों द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जनजीवन से जुड़ा हुआ है और अत्यन्त लोक महत्व का है। मैनें इस प्रश्न को इसलिये उपस्थित किया था कि इस प्रकार की दुःखद घटनायें घटित होती हैं जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है और वह दुनिया से उठ जाते हैं और बहुत से ऐसे भी परिवार होते हैं जो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं और उनका शायद ऐसा भी होता होगा कि जो आय करने वाला मुख्य व्यक्ति है, वही उठ जाता है। इसलिये मैनें इस प्रश्न में यह भी जानना चाहा था कि घटना घटित होने के बाद पुलिस पहुंचती है, आबकारी अधिकारी पहुंचते हैं, कार्यवाही करते है। यह तो मौत के बाद की बात है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, इस अनुपूरक के माध्यम से, कि यह जो जवाबदेही है, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जवाबदेही से मेरा आशय यह है कि जिस भी क्षेत्र में इस प्रकार की दुःखद घटना घटित हो या होगी, उसके लिये जो संबंधित थाने हैं, संबंधित आबकारी इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं, क्या उनकी कोई जवाबदेही है कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की दुःखद घटना हुयी तो उसके लिये आप जवाबदेह माने जायेंगे और आपके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जायेगी। एक तो मेरा यह अनुपूरक है। दूसरा यह है माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय मंत्री जी ने आगे अपने उत्तर को विस्तृत करते हुये बताया है, मैनें कार्य योजना की मांग की थी, जो मैनें अभी बताया उसके संबंध में, लेकिन उन्होनें कहा कि पहले से ही कार्य योजना तैयार है और कोई नई कार्य योजना बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मेरी समझ से यह, कार्य योजना बनाने की आवश्यकता इसलिये है कि घटना घटित न हो, इस पर रोक लगे। इसलिये पहले से कोई जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिये। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि सुसंगत धाराओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में आई0पी0सी0 की धारा 272/273, गुण्डा अधिनियम तथा गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करना, तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर कितने लोग संलिप्त पाये गये या चिन्हित किये गये, वह कौन से स्थान चिन्हित किये गये और प्रदेश के अन्दर कितनों के विरुद्ध गैंगेस्टर और गुण्डा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो तीन स्थानों पर घटना का जिक्र किया गया है तो तीनों स्थानों पर आबकारी विभाग से सम्बन्धित जो भी अधिकारी/कर्मचारी थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। मान्यवर, लखनऊ के निगोहां क्षेत्र मोहनलालगंज की जो मैंने

बात कही, इसमें प्रथम दृष्टया दोषी श्री अरविन्द मौर्या, आबकारी निरीक्षक श्री जवाहर राम, प्रधान आबकारी सिपाही तथा श्री राम शरण राम, आबकारी सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुये इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। जनपद आजमगढ़ निजामा[illegible] में श्री राम चन्द्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, श्री लाल बहादुर सिंह, आबकारी निरीक्षक तथा दो प्रधान आबकारी सिपाही श्री जटाशंकर और श्री इन्द्रदेव व दो आबकारी सिपाही श्री विक्रमादित्य सिंह एवं श्री रमेश सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुये तत्काल प्रभाव से उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। तीसरे, सहारनपुर की बात है सहारनपुर के बारे में जो प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री एस0 पी0 सिंह, जिला आबकारी सिपाही, श्री जे0 के0 कुलश्रेष्ठ, आबकारी निरीक्षक, श्री कुंवर पाल सिंह, आबकारी सिपाही एवं श्री दिनेश कुमार, आबकारी सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुये इन्हें निलम्बित कर दिया गया है। मान्यवर, आपने जो पूछा है कि कितने अभियोग पकड़े गये तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2009–2010 में दिसम्बर, 2009 तक का मेरे पास आंकड़ा है इसमें जो अभियोग पकड़े गये हैं वह 77,999 हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में मैंने पूछा कि जो आपने यह कहा कि गुण्डा अधिनियम और गैंगेस्टर अधिनियम में भी निरुद्ध किये जाते हैं तो अब तक कितने लोग इन धाराओं के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये हैं या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, मैंने बता दिया कि 77,999, अब कोई बात रह ही नहीं गयी, इसमें गुण्डा ऐक्ट भी शामिल है और अन्य कार्रवाइयां भी शामिल हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मैं अपना अनुपूरक स्पष्ट कर दूं, प्रशासन में एक चीज और स्पष्ट है कि किसी भी कर्तव्य के विरुद्ध किसी की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है इसलिये कोई भी अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं होता। आपने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित है, यह तो अलग प्रश्न है। शायद मैं अपनी भावना आपको समझा नहीं पाया या आप जान करके भी समझना नहीं चाहते लेकिन जो आपने कहा कि गुण्डा ऐक्ट . . . .

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। डा0 पी0 के0 राय जी, आप अनुपूरक करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाये, आप इसे इतने हल्के में न लें। जो तमाम कार्रवाई की जाती है वह आपने संख्या बता दी। मैंने पूछा कि जो इसमें सबसे गम्भीर धारा है गुण्डा ऐक्ट और गैंगेस्टर अधिनियम, जिसमें सबसे ज्यादा

पनिशमेंट मिलती है और एक अलग मैसेज जाता है, इस अधिनियम के तहत आपने कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की ? आपने तमाम हजारों कार्रवाई गिना दिया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि समझाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैं तो इतना कहूंगा कि समझ–समझ के, समझ को समझो, जो न समझे वो नासमझ है। अब मैं अपने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको नासमझ नहीं कह रहा हूं, जो न समझे वह नासमझ है। मान्यवर, जो पूछा है, गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत 63 मामलों में कार्रवाई की गयी है और भारतीय दण्ड संहिता के सेक्शन 272 व 273 के अन्तर्गत जो तस्करी से संबंधित है उसमें 233 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।

डा0 पी0 के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक छोटा सा अनुपूरक मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अक्सर यह समाचार मिलता है कि जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में समाचार और आया था, सम्भवतः मा0 मंत्री जी और सरकार के संज्ञान में होगा कि कुशीनगर जनपद में जब छोटी गंडक के किनारे छापा डाला गया तो उसमें कोई व्यक्ति भागा, कहानी दो तरह की बनी की साहब मारकर फेंक दिया गया या नदी में डूबकर मृत्यु हो गयी।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब भूमिका कम बनाइये, सीधा अनुपूरक पूछिये।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, मैं अनुपूरक ही पूछ रहा हूं। केवल यह बता दें कि जो अवैध शराब बनती है यह सबकी जानकारी में है कि ज्यादातर अवैध शराब ईंट भट्ठों पर बनती है और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कम से कम कह सकता हूं कि ईंट भट्ठों पर काम करने वाले जो लोग हैं वे आदिवासी लोग होते हैं, रांची की तरफ से आकर मजदूरी का काम करते हैं, वही लोग वहां पर शराब बनाते हैं और वहां पर शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री भी होती है। मा0 मंत्री जी ने कार्यवाही की, ठीक है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मा0 अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है तो मंत्री जी पुलिस विभाग की कुछ जिम्मेदारी व जवाबदेही निर्धारित करने का काम करेंगे और अब तक इसके लिये जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि की है तो माननीय मंत्री जी हम लोगों के संज्ञान में ला दें ?

श्री अध्यक्ष–

अभी मा0 चौधरी साहब ने भी यही पूछा कि जिन क्षेत्रों में अगर इस तरह के अवैध शराब का निर्माण कोई करता है तो वहां के थानाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी आप निर्धारित करेंगे, उन्होंने उस आधार पर जवाब दिया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, दोनों की संयुक्त टीम बनाकर के जहां जरूरत होती है, छापे मारे जाते हैं। अगर मा0 सदस्य को यह कहीं पता है, जानकारी में है कि फलां जगह ऐसा–ऐसा हुआ, हमारे संज्ञान में ला दें तो हम उसको दिखवा लेते हैं। अगर मा0 सदस्य की सूचना सही होगी तो संबंधित अधिकारी चाहे वह पुलिस का हो या चाहे जो हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

डा0 पी0 के0 राय–

जितना भी जवाब मा0 मंत्री जी ने दिया है, सारी कार्यवाही आबकारी विभाग के अधिकारियों के ऊपर, उनके चाहे छोटे या बड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर की गयी है। एक भी पुलिसकर्मी का नाम इसमें नहीं आया है जिसके विरुद्ध इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये कोई कार्रवाई की गयी है, इसलिये मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार समझती है कि इसके लिये केवल आबकारी विभाग जिम्मेदार है और पुलिस विभाग के संज्ञान में यह धंधा नहीं चल रहा है और अगर चल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो भी इसमें संलिप्त होंगे जिसकी भी लापरवाही होगी, चाहे पुलिस विभाग हो या आबकारी विभाग हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री राजाराम त्यागी–

मान्यवर, हमारी विधान सभा बछरावां में 16 लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु थी। 13.8 को 4, 14.8 को 5 और 7 लोगों की 15.8 को मृत्यु हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कुछ छुटभैय्ये जो दारू बेचते हैं मोटर साइकिल या साइकिलों से, उनके खिलाफ सम्भवतः कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आबकारी विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरीके से इस दारू बेचने में अनभिज्ञ रहता है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों या पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बछरावां में कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है ? हमारी जानकारी में है कि नहीं हुई है। यदि हुई है तो मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष–

त्यागी जी, जानकारी के लिये ही पूछ रहे हैं तो आपने कह ही दिया कि नहीं हुई है। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य स्पैसिफिक रूप से बछरावां के बारे में कह रहे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

पढ़ लेते हैं, क्या है वास्तविकता माननीय सदस्य लिखकर दे दें, हम जांच करा लेंगे, जो सच्चाई होगी उस पर कार्यवाही करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हां, उसको दिखवा लें। सूचना पर कार्यवाही करा दें।

श्री राघव लखन पाल शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण शायद हो सकता है कि जो ये अवैध शराब का धंधा चल रहा है कि जो सरकारी ठेके हैं उन पर एम0आर0पी0 से ज्यादा करके शराब बेची जा रही है, तो शायद जो गरीब तबका है, वह यह सोचता है कि भई यह सस्ती शराब मिल रही है, इसे खरीद कर इसका सेवन कर लें। मैं स्वयं इन सभी क्षेत्रों में गया भी था, जहां ये मौतें हुई हैं। सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र में और अधिकतम दलित वर्ग के लोग थे जिनकी मौत हुई थी, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि सरकारी ठेकों में एम0आर0पी0 से ज्यादा रेट पर शराब बेची जा रही है और क्या इसकी रोकथाम के लिये भी कुछ करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, इसका मूल प्रश्न से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं सदस्य को बता दूं कि सूची मेरे पास यहां नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न ही नहीं है, तो कई जगह शिकायतें विगत दिनों, विगत वर्ष प्राप्त हुई, तो जहां भी शिकायत प्राप्त हुई उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि सर्वविदित है कि हर थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देशी शराब अवैध तरीके से नदी, नालों और जंगल के करीब बनायी जाती है और उसका दायित्व पुलिस पर और आबकारी विभाग पर दोनों पर फिक्स है। मा0 मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया है उसमें आबकारी विभाग द्वारा कितने मुकदमें पंजीकृत कराये गये और पुलिस विभाग द्वारा कितने मुकदमें पंजीकृत कराये गये ? क्या जिन क्षेत्रों में अवैध शराब बनायी जा रही है सरकार ऐसे थानाध्यक्षों की जांच करा करके पदोन्नति करेगी और मान्यवर, यह अवैध धंधा बंद करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अभी मा0 मंत्री जी से दूसरे प्रश्न के बारे में पूछा मा0 चौधरी साहब, मा0 पी0 के0 राय जी उन्होंने कहा कि जो भी चाहे वह आबकारी हो, चाहे पुलिस हो, जिनके क्षेत्रों में या जिस तरफ पाया जायेगा मैं दोनों को दंडित करूंगा। दूसरा अनुपूरक आपने पूछा उसको कहिये।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मैंने जो अनुपूरक किया है मंत्री जी से यह किया है कि हम लोग भी देहाती क्षेत्रों से चुनकर के आते हैं और जगह–जगह अवैध शराब बनती है, जिसमें भारी पैमाने पर सेट रहता है कि इतना रुपया देंगे एक भट्ठी चलायेंगे, तो मैं यह संज्ञान में लाना चाहता हूं और मा0 मंत्री जी से पूछता हूं कि यह शराब जो अवैध व्यापार भी हो रहा है और समाज की सुरक्षा दृष्टि से हो रहा है मान्यवर।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जहां भी सेटिंग होगी, हमें बता दें हमें सेटिंग है, हम उसको दिखवा देंगे और सेटिंग कहीं चल नहीं रही है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मैंने एक सवाल किया मान्यवर, कि थानाध्यक्षों द्वारा अवैध नकली शराब जो बानायी जा रही है उसके विरुद्ध थानाध्यक्षों द्वारा कितनी कार्यवाही की गयी और आबकारी विभाग द्वारा कितने अभियोग पंजीकृत किये गये। क्या उनकी लाइबिलिटी ठीक से नहीं होगी कि उनके थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनायी जा रही है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

बता दिया मंत्री जी ने, उनकी भी लाइबिलिटी फिक्स कर दी है। यह तो स्पष्ट कर दिया मंत्री जी ने दो बातों का कि चाहे पुलिस विभाग हो चाहे आबकारी हो दोनों की लाइबेलिटी फिक्स होगी। मा0 ओझा जी, आप अनुपूरक करिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह तीन जगह तीन प्रकरण है आपके उत्तर में, क्या यह जानने की कोशिश की गयी, छानबीन की गयी कि अवैध शराब बनती कहां है, और बनाने वाले कौन लोग हैं क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई, उनको पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, यह कितनी जगह बनती है, यह तो सूची नहीं है, लेकिन कितने लोग पकड़े गये मैंने आपको पहले बता दिया कि 77 हजार 999 पकड़े गये और इनमें 7785 जेल भेजे गये।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब आपका अंतिम प्रश्न, मूल प्रश्न।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से, यह बताना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी बहुत योग्य हैं, बहुत अनुभवी हैं और शायद इसीलिये बहन जी ने उनको कई विभागों की जिम्मेदारी दे रखी है और इसलिये उनकी अपेक्षा है। जो कुछ वह कह दें वह मान लिया जाय, वह समझ लिया जाय जो न समझे वह अनाड़ी है इस भावना को आप अपने मन से निकाल दें। मैं पुनः अपना अनुपूरक करना चाहता हूं एक तो आप विषय की गम्भीरता को लें। सदन की भावना और सदस्य की भावना को समझें और लोक हित को देखते हुये उसकी गम्भीरता को देखते हुये अनुपूरक का सही उत्तर देने की कृपा करें तो अच्छा होगा। मैं पुनः आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह कहा अध्यक्ष महोदय टु द प्वाइंट बात करने से समझ में नहीं आती है इसलिये यह सब बताना पड़ता है नहीं तो मंत्री जी कहेंगे कि न समझे तो अनाड़ी है क्योंकि मंत्री जी तो खिलाड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष–

एक अनाड़ी सौ खिलाड़ी के बराबर होता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

शराब जहां बनती है वहां पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होती है और उसके कारण इस कार्य में जो लोग लिप्त हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। जब जानें चली जाती हैं घटनाएं हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

सीधे अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

उस समय कार्यवाही होती है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में कुछ जिलों में कुछ स्थानों में इस काम में जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है क्या वहां के जो सम्बन्धित थाने हैं वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई है और दूसरी बात यह है कि मैं यह भी जानना चाहता हूं मैंने दो चीजें पूछी थीं उसमें मंत्री जी ने धारा 272/273 बता दी 77 हजार के विरुद्ध कार्यवाही की यह बता दिया। आपने जो गुण्डा एक्ट अधिनियम और गैंगेस्टर की बात कही है तो मै। यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने गैंगेस्टर अधिनियम के तहत भी किसी को निरुद्ध किया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

63 लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत तस्करी से संबंधित 63 मामलों पर कार्यवाही की गई है। यह पहले भी मैं बता चुका हूं।

खाद्य पदार्थों के दामों को नियंत्रित करने हेतु योजना

*3–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–,

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेजी से बढ़ रहे खाद्य पदार्थों के दामों को नियंत्रित करने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

पूर्व से ही योजना निम्नवत् बनी हुई है–

(1) आदेश दिनांक 25-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्वाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

(2) अधिसूचना दिनांक 01-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं–गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर तथा अधिसूचना दिनांक 25-09-09 द्वारा प्रदेश में चीनी की स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट निर्धारित की गयी है।

(3) शासनादेश दिनांक 01-01-09, 14-07-09, 21-07-09, 11-11-09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से थोक व्यापारियों के साथ वार्ता करने एवं आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव को रोके जाने के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) शासन के पत्र दिनांक 18-07-09 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(5) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही की जाती है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-12-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि मण्डलायुक्त अपने मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने जनपदों एवं एस0 डी0 एम0 अपनी तहसीलों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर भावों का विश्लेषण एवं समीक्षा करेंगे तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण से निरन्तर वार्ता कर आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।

शासन के आदेश दिनांक 01-02-2010 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु जिला स्तर के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी आकस्मिक निरीक्षण करके खाद्य पदार्थों की कीमतों को आंकलन कर जमाखोरी में लिप्त पाये गये लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से योजना बनी हुई है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मेरे प्रश्न संबंधी उत्तर को पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मैंने प्रश्न किया था क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेजी से बढ़ रहे खाद्य पदार्थों के दामों को नियंत्रित करने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है ? इस संबंध में जो उत्तर आया है कि आदेश दिनांक

25-6-08 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। दूसरे पार्ट में बताया कि 1-6-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर तथा अधिसूचना दिनांक 25-9-09 द्वारा प्रदेश में चीनी की स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट निर्धारित की गई है।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा कि उत्तर पढ़ा हुआ माना जाय आप खुद ही उत्तर पढ़ रहे हैं। आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह सारी कार्यवाही की गई है। जो आदेश आपने अभी तक किये हैं शासनादेश किये हैं डी0एम0 और कमिश्नर की जितनी बैठकें हुई हैं यह सारी कार्यवाही करने के बाद भी महंगाई तेजी से बढ़ी है जितने सारे के सारे आपने आदेश दिये हैं, पत्र लिखे, शासनादेश निर्गत किये उसके बावजूद महंगाई में कोई कमी नहीं आई। मैं इस संबंध में एक अनुपूरक करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या पहला अनुपूरक नहीं था ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इस सबको देखते हुये क्या सरकार नई नीति बनायेगी ? क्योंकि इन आदेशों के बाद भी जिसमें 1-2-10 का लेटेस्ट आदेश है। उसके बाद से अब तक कितने छापे मारे गये हैं नम्बर एक और नम्बर दो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में कितनी एफ0आई0आर0 अब तक दर्ज हुई हैं और कितने जमाखोर उसके बाद अब तक जेल भेजे गये हैं, तीन और चौथा 25-6-08 में जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसमें चीनी के स्टाक की कितनी लिमिट रखी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के 1-1-10 के बाद कितने छापे मारे गये। 3/7 में कितनी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? मुख्य सचिव की बैठक में कितना चीनी का कोटा निर्धारित किया गया, यह तीन प्रश्न का उत्तर बता दें।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर 1-1-10 को नया शासनादेश जारी किया गया उसमें 133 मामलों में कार्यवाही की गई जिसमें 66 के खिलाफ 3/7 के मामले दर्ज किये गये पूरे उत्तर प्रदेश में। चीनी की जो लिमिट माननीय सदस्य ने जाननी चाही है, 2000 बोरा प्रति महीने की लिमिट है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर नहीं आ पाया है। क्योंकि यह आपके सारे के सारे जितनी भी अब तक योजना बनाई, आपने जो शासनादेश जारी किये।

श्री अध्यक्ष–

सिरोही जी, एक मिनट, आपने तीन अनुपूरक किये थे कि 1-1-10 के बाद कितने छापे मारे गये ? धारा 3/7 में कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें कितना कोटा चीनी का निर्धारित किया गया ? इन तीनों प्रश्नों के स्पैसिफिक उत्तर दे दिये गये हैं कि 1-1-10 के बाद इतने छापे मारे गये, इतनों के विरुद्ध कार्यवाही हुई, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें कितना कोटा चीनी का निर्धारित है, तो अब क्या प्रश्न रह गया है आपका ? आप क्यों कह रहे हैं कि उत्तर नहीं आया ?

(मा0 हुकुम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कोई कार्य योजना बनायेंगे, यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

फिर पूछ लीजियेगा। आप मूल प्रश्नकर्ता है, तीन का उत्तर आ गया है, फिर पूछ लीजियेगा। चलिये बैठ जायं।

श्री हुकुम सिंह–

अभी मंत्री जी ने स्टाक सीमा बताई चीनी की 2000 बोरी प्रतिमाह। तो 2000 बोरी प्रतिमाह स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर कहने का आशय यह हो कि 'एट न टाइम' 2000 बोरी एक समय में रखी जा सकती है। प्रतिमाह का मतलब यह होगा कि अगर उसने आज 2000 बोरी नहीं बेची और कल को बेच दी तो आगे बोरी नहीं खरीद पायेगा वो। क्या एक महीने में कोई व्यापारी केवल 2000 बोरियों का ही टर्न ओवर कर पायेगा या एक समय में 2000 बोरी होनी चाहिये, इसको स्पष्ट कर दें ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, एक समय में 2000 बोरी होनी चाहिये। तीस दिन के अन्दर दो हजार बोरी ले सकता है और 2000 बोरी बेच सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

तो मान्यवर, यह तो टर्न ओवर हो गया कि कोई व्यापारी 2 हजार बोरी से ज्यादा व्यापार कर ही नहीं पायेगा एक महीने में। यह तो संभव ही नहीं है। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये मान्यवर।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

दो हजार बोरी से ज्यादा एक साथ रख नहीं सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बात में अन्तर आ गया। बात स्पष्ट कर दी तो इसको भी स्पष्ट कर दें कि जो महीने वाली बात कही थी वह निष्प्रभावी है। महीने का कोई मतलब नहीं ना ? बता दें खड़े हो करके।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मैंने बताया तो कि दो हजार बोरी एक साथ रख सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

महीने वाली बात तो कुछ नहीं है ना। अभी आपने कहा था कि एक महीने में दो हजार बोरी से ज्यादा वो व्यापार नहीं कर सकता, वो बात तो नहीं है ना।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

एक साथ दो हजार बोरी रख सकता है। दो हजार से ज्यादा बोरी नहीं रख सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

क्योंकि आपने यहां सदन में कह दिया कि दो हजार बोरी से ज्यादा का व्यापार एक महीने में वो नहीं कर सकता, तो यह वाली बात तो नहीं है ना।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

नहीं।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है, खत्म हो गई वह बात।

डा0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, मेरा सीधे-सीधे अनुपूरक है कि जो महंगाई बढ़ रही है इसका कारण बिचौलियों द्वारा लिया जाने वाला अतिशय मुनाफा है। इसका कोई लाभ उत्पादक को नहीं मिलता। मेरा सीधा प्रश्न है क्या शासन ऐसी नीति निर्धारित करने पर विचार करेगा कि उत्पादक को जो मूल्य मिल रहा है और उपभोक्ता को जो मूल्य चुकाना पड़ रहा है उसके बीच 15 प्रतिशत से ज्यादा का फासला न हो और शासन इसको सुनिश्चित कराने पर विचार करेगा ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, पहले से ही तमाम इस तरह के मूल्य नियंत्रण के शासनादेश जारी किये गये हैं और सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है।

श्री अशोक कंसल–

मान्यवर, दो छोट-छोटे अनुपूरक मैं करना चाहता हूं। एक तो जैसा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर में आया है कि 66 लोगों पर 3/7 की कार्यवाही की गई तो उसमें 66 लोगों के खिलाफ जो मुकदमें थे उसमें से कितने सत्यापित हुये और कितने झूठे पाये गये ? एक तो जानकारी यह चाहता हूं दूसरे यह जो खाद्य पदार्थ है उनकी स्टाक सीमा है या नहीं है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं उसमें बता दूं कि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है यह जांच का विषय है कार्यवाही हुई है या नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अब तक जो भी आपने योजनायें बनाई हैं महंगाई कम करने के लिये खाद्य पदार्थों की, उसमें जब से आपने कार्यवाही शुरू की है, तब से लेकर आज तक, वह आपकी सब योजनायें असफल हो गई हैं, जैसे कि दाल 25 रुपये से 80 रुपये 100 रुपये हो गई है। चीनी 25 रुपये से 45 रुपये और 50 रुपये हो गई है, आटा डेढ़ गुना बढ़ गया, सब्जी चार गुना बढ़ गई, फल तीन से चार गुना बढ़ गया। आपने योजनायें बना लीं अपने आंकड़े दे दिये . . . .

श्री अध्यक्ष–

पूछना क्या चाहते हैं पूछें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैं जानना चाहता हूं कि महंगाई रोकने के लिये कोई और कार्य योजना तैयार करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, पहले से ही शासनादेश जारी कर दिये गये हैं और माननीय सदस्य का जो कहना है कि 3/7 सीधे जिलाधिकारियों को लागू करने को कहा गया है तब से अरहर की दाल में 30 रुपये की कमी आई है। चना में चार रुपये की कमी आई है। चीनी में 5 रुपये की कमी आई है। आलू में सात रुपये की कमी आई है और प्याज में सात रुपये की कमी आई है।

जनपद बागपत में ग्राम तमेलागढ़ी से नगवा कुटी (मेरठ शामली रोड) के सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण

*4–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में ग्राम तमेलागढ़ी से नगवा कुटी (मेरठ शामली रोड) का जनसम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जन सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नगत मार्ग लम्बाई 3.70 किमी0 का पुनः निर्माण वर्ष 2008-09 में पूर्ण कराया जा चुका है। अब क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को बधाई, कि इन्होंने सड़क का दुबारा पुनर्निर्माण करा दिया। मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उसमें मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है तो उसको दिखवा लें। जो सड़क बन गई है उसके लिये बधाई।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही

*5–डा0 राजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या इसका मुख्य कारण जमाखोरी है ? यदि हां, तो सरकार ने जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु निम्न उपाय किये गये हैं–

(1) आदेश दिनांक 25-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्वाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

(2) अधिसूचना दिनांक 01-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं–गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर तथा अधिसूचना दिनांक 25–09–09 द्वारा प्रदेश में चीनी की स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट निर्धारित की गयी है।

(3) शासनादेश दिनांक 01-01-09, 14-07-09, 21-07-09, 11-11-09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से थोक व्यापारियों के साथ वार्ता करने एवं आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव को रोके जाने के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) शासन के पत्र दिनांक 18-07-09 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(5) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही की जाती है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-12-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि मण्डलायुक्त अपने मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने जनपदों एवं एस0 डी0 एम0 अपनी तहसीलों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर भावों का विश्लेषण एवं समीक्षा करेंगे तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण से निरन्तर वार्ताकर आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।

शासन के आदेश दिनांक 01-02-2010 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु जिला स्तर के साथ-साथ तहसील स्तर पर

भी आकस्मिक निरीक्षण करके खाद्य पदार्थों की कीमतों का आंकलन कर जमाखोरी में लिप्त पाये गये लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त माह अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक की अवधि में की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही में 28,875 छापे डाले गये, 1363 एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी, 550 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 7954 दुकानों के लाइसेंस निलम्बित एवं 2,788 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा रु0 498.57 लाख की प्रतिभूति की राशि शासन के पक्ष में जब्त की गयी।

जी नहीं। फिर भी जमाखोरी के विरुद्ध सरकार सजग है। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 20-01-2010 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी को निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस क्रम में जनपद गाजियाबाद में दिनांक 19-01-2010 को छापे के दौरान 1,20,000 कु0 तथा हरदोई में दिनांक 21-01-2010 को छापे के दौरान 4,195 कु0 चीनी बरामद की गयी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की बकाया धनराशि के भुगतान की मांग

*6–श्री मदन चौहान–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि बकाया है ? उक्त भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

दिनांक 03-02-2010 तक रु0 1357.39 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है।

पेराई सत्र 2006-07 व 2007-08 का गन्ना मूल्य निर्धारण का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्चतम न्यायालय से अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त यथा निर्णय भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। इससे पूर्व के वर्षों का जो गन्ना मूल्य अवशेष है उनमें अधिकतर चीनी मिलों द्वारा मा0 बी0 आई0 एफ0 आर0 अथवा मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि 'क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है ?' उसका उत्तर आया है रु0 1357.39 करोड़, मैं

जानना चाहता हूं कि वर्तमान सत्र में राज्य चीनी निगम व सहकारी चीनी मिल का और निजी चीनी मिल का कितना-कितना भुगतान बकाया है और यह भुगतान कब तक पूरा होगा और जिस तरह से गन्ना एक्ट है 14 दिन बाद ब्याज सहित होगा या बगैर ब्याज के होगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्तमान पेराई सत्र में एक्ट के मुताबिक एक भी पैसा भुगतान के लिये बकाया नहीं है बल्कि हम एक्ट के मुताबिक 753.80 करोड़ अधिक भुगतान करा चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगौता शुगर मिल है, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा और आपने उत्तर भी दिया था। वर्ष 2002-03 का आज भी 5 करोड़ 42 लाख रुपया बकाया है और अगौती शुगर मिल पर करीब-करीब किसानों का अवशेष 15-16 करोड़ बकाया है और यह कह देना कि एक भी पैसा बकाया नहीं है। बार-बार विधान सभा में आपका आश्वासन हुआ है, आपने विधान सभा में कहा था कि अगर अगौता मिल के बकाया का भुगतान 31 जुलाई, 2009 तक नहीं होगा तो उसको जेल भेजूंगा, आज तक वह जेल नहीं गया, आर0 सी0 कटी तक भी जेल नहीं गया, मिल चल रहा है और भुगतान हुआ नहीं है। बार-बार विधान सभा में आश्वासन देने के बाद भी पेमेन्ट नहीं हुआ। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2002-03 का जो 5 करोड़ 42 लाख शेष पैसा है, वह कब तक भुगतान करा देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, एक स्पैसिफिक चीनी मिल की हमारे पास सूचना नहीं है, एक जनरल बात की गई है, मा0 सदस्य ने बताया, मैं दिखवा लूंगा।

श्रीमती कृष्णा राज–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 गन्ना मंत्री से पूछना चाहूंगी कि निगम की और जो सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनका मूल्य 160-165 रुपये प्रति कुन्तल है, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन निगम की और जो सहकारी मिलें हैं, उनको भी प्राइवेट मिलों की तरह किसानों के गन्ने का भुगतान करेंगे ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

यह बकाये का है, मान्यवर, इसमें मूल्य का नहीं है कि कितने रुपये बकाया है, मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध ही नहीं है। मा0 सदस्य अलग से प्रश्न कर लें, मुझे पत्र लिखकर दे दें, जवाब मिल जायेगा।

श्रीमती कृष्णा राज–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि जो भी भुगतान बाकी है, वह क्या प्राइवेट मिलों की तरह ही भुगतान करेंगे, उसका उत्तर चाहते हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

अब आपने सही किया, मान्यवर, उस एरिया की जो प्राइवेट मिलें, जिस मूल्य पर भुगतान कर रही है, उसी मूल्य पर लाभप्रद यदि है तो भुगतान कराया जायेगा। मा0 सदस्य की जानकारी में अगर है कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी भी जानकारी दे दें।

श्री मदन चौहान–

अभी मंत्री जी ने बताया कि कोई भुगतान बाकी नहीं है। मान्यवर, अभी भुगतान दो तरह से किया जा रहा है, एक तो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, एक 170 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से जो परामर्शित मूल्य है, उससे भुगतान किया जा रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा क्या प्रोत्साहन राशि और जो परामर्शित मूल्य है, उसमें कितना अन्तर है और कितना नुकसान किसानों को हो रहा है, क्या मा0 मंत्री जी पुनः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वही 300 रुपये का रेट जो आजकल प्राइवेट मिल दे रहे हैं, क्या उसको दिलाने के लिये कोई मीटिंग करके कोई नीति निर्धारित करने का काम करेंगे जिससे 300 रुपये का रेट मिल सके ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, आल रेडी यह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनको प्रोत्साहन मिल रहा है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब प्रोत्साहन नहीं मिल रहा हो, तब तो आवश्यकता है, तो मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानने चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में पिछले वर्षों का निगम और कोआपरेटिव की चीनी मिलों पर कितना भुगतान बाकी है, नम्बर–2, जो निगम और कोआपरेटिव की मिलों पर गन्ने का भुगतान बाकी है, क्या सरकार उनको 14 दिनों के बाद जो ब्याज देना चाहिये, उनको तत्काल देगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, ब्याज से सम्बन्धित जो बात कही गई है, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ब्याज और गैर ब्याज का जो फैसला होगा, न्यायालय से होगा, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बारे में हम कैसे बता दें, अवमानना हो जायेगी। इसलिये जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें हम यहां पर कोई भी आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

*7–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

[दिनांक 08–2–2010 के तारांकित प्रश्न सं0–12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश की आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों के द्वारा आवंटित विद्यालयों की जमीन पर संचालित विद्यालयों में गरीब छात्रों की फीस में छूट

*8–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों के द्वारा आवंटित विद्यालयों की जमीन पर संचालित विद्यालयों द्वारा आवंटन नियमावली के अनुरूप गरीब छात्रों की फीस में छूट दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रदेश में इसको लागू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेन्द्र सिंह जी, वह मामला न्यायालय में है। अब मैंने प्रश्न संख्या–8 ले लिया है, अब आगे चलें।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद् एवं प्राधिकरणों के द्वारा कुल कितने विद्यालयों को छूट पर जमीन दी गयी है, उनकी संख्या क्या है, नम्बर एक। मान्यवर, नम्बर दो, जिन बच्चों को फीस में छूट दी जा रही है उसका प्रतिशत और उसका आधार क्या है ? नम्बर तीन, अब तक सम्पूर्ण प्रदेश के प्राइवेट विद्यालयों द्वारा जिन्होंने प्राधिकरण या आवास विकास परिषद् से जमीन ली है, कुल कितने बच्चों को फीस में छूट दी है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, चूंकि शासनादेश संख्या 1889/8–1–9–10 विधिक/04, दिनांक 3 जून, 2009 के माध्यम से उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, प्राधिकरणों में रियायती भूखण्ड प्राप्त करने की ऐसी निजी क्षेत्रों की संस्थाओं के सभी वर्ग के, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। अब मान्यवर, यह जून का है। जब यह जून का है तो उस समय अधिकतर विद्यालय खुल गये थे इसलिये आज की स्थिति क्या है, इसकी सूचना नहीं आ पायी है। अगले सत्र में पूरी सूचना आ जायेगी। अभी यह सूचना दे पाना संभव नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सूचना नहीं आयी है तो यह प्रश्न लम्बित कर दें। हमने यह जानना चाहा है कि परिषद् एवं प्राधिकरणों द्वारा प्रदेश में कितने विद्यालयों को छूट पर जमीन दी गयी है, नम्बर एक। नम्बर दो, उन विद्यालयों द्वारा कितने बच्चों की फ्री पढ़ायी की गयी या छूट दी गयी। नम्बर तीन, जैसे किसी की फीस 500 रुपये है तो बी0पी0एल0 श्रेणी के बच्चे की कितनी फीस पड़ेगी, कितनी छूट मिलेगी। यह हम जानना चाहते हैं। अगर सूचना नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी इसको लम्बित कर दें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, बी0पी0एल0 सूची के साथ-साथ इस समय जिसकी आय 25 हजार 546 रुपया प्रतिवर्ष है या इससे कम हैं उन परिवारों को उसका लाभ मिलेगा और मान्यवर, जब यह आदेश जारी हुआ तो सरकार इनकी थी। इनकी सरकार में जब आदेश जारी हुआ तो उसको दाबकर बैठ गये। मैं उसको उलझाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मान्यवर, अगर बार–बार माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी। मान्यवर, शासनादेश संख्या 1704/9अ–1–1996, दिनांक 09–04–1996 को और शासनादेश संख्या 331/9–अ–1–99, दिनांक 1 फरवरी, 1999 के माध्यम से यह फैसला लिया गया। इसके बाद यह दाबकर बैठ गये, कोई अमल ही नहीं हुआ, अगर अमल हुआ तो हमारी सरकार में हुआ। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि जून से शुरू हुआ और जून से सत्र शुरू हो गये थे, आप खुद कर नही रहे हो, आज जब हम कर रहे हैं तो करने नहीं देना चाहते हो। तो किया जो आपने नहीं है रोक तो आपने लगाया है हमारी सरकार तो करना चाह रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कोई जवाब ही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

हड़बड़ा क्यों रहे हैं, धीरे–धीरे कहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने यह निवेदन किया कि कुल कितने विद्यालयों को जमीन का लाभ दिया गया, नम्बर एक। नम्बर दो, कुल कितने बच्चों को लाभ मिला और नम्बर तीन कि फीस कितनी पड़ेगी। 1996 मे आप भी सरकार में थे। आपकी भाजपा और बसपा की साझी सरकार थी। तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमने जो सवाल किया है उसका जवाब तो दिला दें। अगर माननीय मंत्री जी तैयारी करके न आये हों, उसका जवाब न हो तो इसको लम्बित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, ये यही जानना चाहते हैं कि प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों के लिये जो जमीनें आवंटित की गयी हैं उसमें बच्चों की फीस में नियमावली के अनुरूप छूट दी गयी है कि नहीं ? यही जानना चाहते हैं, आपने बताया है लेकिन एक बार इनको फिर बता दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैंने बताया है कि यह माह जून, 2009 में शुरू हुआ, तब तक सत्र शुरू हो चुका था, अब इसका विधिवत् परीक्षण किया जा रहा है, उसकी आख्या नहीं आ पाई है, अगले सत्र से शुरू होने से पहले पूरी आख्या आ जायेगी, अभी कार्य पूरा ही नहीं है, वह कार्य चल रहा है तब मान्यवर, यह कह रहे हैं कि सूचना नहीं है। जब कार्य पूरा ही नहीं हुआ है तो सूचना कहां से आ जायेगी, सूचना तो तब आयेगी जब कार्य पूर्ण हो जायेगी।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है और यदि उस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है तो फिर इसको नियम 49 की चर्चा में ले लें और चर्चा करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष–

अभी परीक्षण हो रहा है, अभी जब निर्माण ही नहीं हुआ है तो कहां से फीगर बता दें। चर्चा करा रहे हैं आप बैठें।

अतारांकित प्रश्न

फतेहपुर–लखनऊ मार्ग से मिश्रामऊ आदि कतिपय ग्रामों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने की जानकारी

1–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फतेहपुर–लखनऊ मार्ग से मिश्रामऊ ग्राम सभा आबादी 1,500, जी0टी0 रोड से सेनीपुर भलोनी ग्राम सभा आबादी 2,500, तारापुर दौलतपुर से अलमपुर नरही ग्राम सभा आबादी 2,000, फतेहपुर लखनऊ मार्ग से अहमदपुर चौफिरवा ग्राम सभा, 2,000, बीडीहाट से आम्बी ग्राम सभा आबादी 1,700, पिलखिनी ग्राम सभा से वाया उमरापुर मकनपुर तक न्याय पंचायत आबादी 3,000 तथा मड़रियापुर से ग्राम सभा मलाका तक आबादी 2,000 को क्या सरकार ग्राम पंचायतों से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्न में वर्णित समस्त राजस्व ग्राम लेपित मार्गों से जुड़े हैं तथा इन्हें सीधे जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वांचल विकास निधि से सी0सी0 मार्ग निर्माण पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

2–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से सी0सी0 मार्ग निर्माण कराना प्रतिबन्धित है ? यदि हां तो क्या सरकार पूर्वांचल–विकास निधि से सी0सी0 मार्ग निर्माण पर लगा प्रतिबन्ध हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सहपऊ विकास खण्ड में सिंचाई हेतु नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

3–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर का सहपऊ विकास खण्ड "डार्क" श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां सिंचाई हेतु नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राजवाहा–सहपऊ एवं राजवाहा–विसाना की लाइनिंग करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी नहीं।

परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन न होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद महामायानगर के सहपऊ राजवाहा की पटरी पर हैड से सादाबाद–पुरा मार्ग को जनपद मुख्यालय से जोड़ने की मांग

4–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के सहपऊ राजवाहा की पटरी पर हैड से सादाबाद–पुरा मार्ग के निर्माण होने से यह क्षेत्र जनपद मुख्यालय से सीधा जुड़ जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ का ग्राम नगला बेनी के गंग नहर पर पैदल पुलिया के निर्माण की मांग

5–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ का ग्राम नगला बेनी (ग्राम सभा दोहई) जो हाथरस ब्रांच गंग नहर के किनारे बसा है और इस ग्राम के किसानों की कृषि भूमि नहर के दूसरी तरफ होने

से आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नगला बेनी के किसानों की सुविधा हेतु पैदल पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य हेतु रु0 14.24 लाख की एक परियोजना तैयार की गयी है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में राजवाहा सहपऊ के ग्राम खोंड़ा की माइनर पटरी पर पशुघाट एवं रिटेनिंग वाल के निर्माण कराने की मांग

6–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में राजवाहा–सहपऊ से निकलने वाली मढाभोज माइनर की पटरी ग्राम खोंडा पर कमजोर होने के कारण बार–बार टूट जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पशुघाट एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के बिसाना राजवाहा के ग्राम मढाका टेल पर पुलिया के निर्माण की जानकारी

7–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के बिसाना राहवाहा की टेल गूल बहुत गहरी होने के कारण ग्राम मढाका के किसानों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर का मिलक बिलासपुर मार्ग तथा उत्तरांचल को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

8–श्री संजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर का मिलक बिलासपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 24 व 87 तथा उत्तरांचल को जोड़ने वाला प्रमुख

मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, सम्प्रति मार्ग की दशा ठीक है तथा आवागमन सुगमता पूर्वक हो रहा है।

मरम्मत का कार्य सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत होता रहता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर माटखेड़ा मार्ग से रामपुर मार्ग की मरम्मत की मांग

9–श्री संजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में बिलासपुर माटखेड़ा मार्ग से गोविन्दपुर एवं गोधी से रामपुर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दोनों मार्गों की मरम्मत सरकार द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सामान्य मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के सिसौना से पवनपुरा से चन्द्रपुरा जदीद तक के कच्चे मार्ग को बनवाने की मांग

10–श्री संजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के सिसौना से पवनपुरा तक भोलापुर होते हुए तथा पदपुरी से चन्द्रपुरा जदीद तक के मार्ग कच्चे हैं तथा बरसात में इन मार्गों पर आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कच्चे मार्गों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर में अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान की जानकारी

11–श्री संजय कपूर–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी अनुदान के कितने आवेदन-पत्र वर्ष 2008–09 में जमा है तथा कितने लाभार्थियों को शादी अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि सभी लाभार्थियों को शादी अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अनीस अहमद खॉ (उर्फ फूलबाबू)–

जनपद रामपुर में अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी अनुदान हेतु वर्ष 2008–09 में 3085 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से उपलब्ध बजट के सापेक्ष 339 लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में अवशेष आवेदन कर्ताओं को धनाभाव के कारण लाभान्वित नहीं किया जा सका। वर्तमान में शासनादेश संख्या 5302/52–3–07–सा (4)/07, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लम्बित प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिये जाने का प्राविधान कर दिया गया है। अतः अब अवशेष आवेदन कर्ताओं को लाभान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

शारदा सागर खण्ड पीलीभीत में खकरा नदी के कटान के मुहाने नदी पर स्थित हाफिज रहमत खॉं लॉ कालेज को बचाने हेतु अवमुक्त धनराशि

12–श्री रियाज अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के चन्दोई में हाफिज रहमत खां लॉ कालेज, खकरा नदी के कटान के मुहाने पर है ? सरकार द्वारा उक्त कालेज को बचाये जाने हेतु कुल कितनी धनराशि बाढ़ खण्ड, पीलीभीत को अवमुक्त की गई ? क्या अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

शारदा सागर खण्ड, पीलीभीत में खकरा नदी के कटान के मुहाने नदी पर स्थित हाफिज रहमत खॉं लॉ कालेज को बचाने हेतु वर्ष 2005-06 में रु0 26.21 लाख का धनावंटन प्राप्त हुआ था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के बल्देव जटोरा बिरोना मार्ग को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

13–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के बल्देव–जटोरा–बिरोना मार्ग के शेष भाग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

जटौरा एवं बिरौना ग्राम पूर्व से ही सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के कस्बा सादाबाद की करबन नदी के किनारे "रिटेनिंग वाल" बनाने की मांग

14–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के कस्बा, सादाबाद से होकर गुजरने वाली करबन नदी के किनारे विमुक्त जातिं हाबूडा की "शहीद भगत सिंह कालोनी" नदी के कटान के कारण खतरे में हैं ? यदि हां तो क्या सरकार इस कालोनी को बचाने के लिये करबन नदी के किनारे "रिटेनिंग वाल" का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर से सहपऊ राजवाहा से निकलने वाली भोज माइनर की पटरी पर लेपन स्तर तक निर्माण की जानकारी

15–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर से सहपऊ राजवाहा से निकलने वाली मठा भोज माइनर की पटरी पर नगला बाजार से सादाबाद जलेसर मार्ग तक के ग्रामों को सीधे मार्ग की सुविधा देने हेतु क्या सरकार पटरी पर लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। प्रश्नगत कार्य चौ0 चरण सिंह सिंचाई विकास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत प्राविधानित हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की नगर पंचायत शाही की किच्छा नदी के मार्ग पर पक्की पिचिंग तथा पत्थरों की ठोकरे लगवाने की जानकारी

16–श्री सुल्तान बेग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की नगर पंचायत शाही, जिसकी आबादी लगभग तीस हजार है, में किच्छा नदी के कटान से सैकड़ों मकान कट गये हैं तथा अभी भी लगातार कटान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत शाही को कटान से बचाने हेतु पुल से शाही शेरगढ़ मार्ग तक पक्की पिचिंग तथा पत्थरों की ठोकरें लगवायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने की कार्य योजना

17–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009 में जनपद बुलन्दशहर के लगभग 35 प्रतिशत गन्ना का क्षेत्रफल कम हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई ठोस तथा कारगर कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने तथा गन्ने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व से ही निम्नलिखित दीर्घकालीन योजनायें संचालित हैं :–

1–जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत उन्नतिशील गन्ना बीज कार्यक्रम बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम, पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम एवं अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना।

2–समतामूलक समाजोत्थान के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को गन्ने की खेती करने के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क समिति सदस्यता, क्षेत्र प्रदर्शन तथा निःशुल्क गन्ना बीज उपलब्धता सम्बन्धी कार्यक्रम।

3–केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान पर मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत क्षेत्र प्रदर्शन, गन्ना बीज संवर्धन कृषि संयन्त्र वितरण, गन्ना बीज शोधन यन्त्र तथा उन्नतिशील खेती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में सादाबाद-मथुरा मार्ग पर धुरिया की चक्की से ग्राम भरतिया को जोड़ने वाले जीर्ण.शीर्ण मार्ग की मरम्मत की मांग

18–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में सादाबाद-मथुरा मार्ग पर धूरिया की चक्की (मौजा बिसावर) से ग्राम भरतिया को जोड़ने वाला 15 वर्ष पुराना मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य एवं हाई मास्ट लाइटों की स्थापना

19–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 व 2009–10 में कौन-कौन से कार्य शहरी क्षेत्र में कराये गये तथा प्रत्येक का लागत वार विवरण क्या है ? क्या प्राधिकरण द्वारा शहर मुजफ्फरनगर में हाई मास्ट लाइटों की स्थापना की गयी ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा स्थान का चयन किस आधार पर व किस मानक से किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में मुजफ्फरनगर शहर में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकारण द्वारा कराये गये कार्यों एवं उनका लागतवार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अवलोकित कर सकते हैं।

जी हां।

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा मुजफ्फरनगर शहर में 02 स्थानों पर हाईमास्ट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है, जिनके लिए स्थल क्रमशः मीनाक्षी चौक व महावीर चौक का चयन किया गया हैं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार उक्त चौराहों के सौन्दर्यीकरण एवं अत्यधिक यातायात की दृष्टि से शासनादेश संख्या 152/9–आ–1–1998, दिनांक 15 जनवरी, 1998 में निहित प्राविधानों के अनुसार गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त उक्त कार्य कराया जा रहा है, जो उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार है।

जनपद बाँदा में ब्लाकवार राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर कृषकों को सिंचाई की सुविधा

20–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में ब्लाकवार कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा कितने चालू हालत में तथा कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि दर्जनों राजकीय नलकूपों में हेडर न होने के कारण कृषकों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से राजकीय नलकूपों में हेडर लगना शेष है तथा कब तक हेडर लगाकर सभी नलकूपों को चालू कर दिया जायेगा ?

सिंचाई (यांत्रिक) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–(श्री जयवीर सिंह)–

जनपद बांदा में ब्लाकवार नलकूप निम्नवत् है–

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	चलित नलकूपों की संख्या	चालू नलकूपों की संख्या	दिनांक 31-12-09 को अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों की संख्या		कुल खराब नलकूप
				यांत्रिक	विद्युत्	
1	2	3	4	5	6	7
1	महुआ	23	22	–	01	01
2	नरैनी	02	02	–	–	–
3	बड़ोखर	73	72	–	01	01
4	जसपुरा	93	86	02	05	07
5	बिसण्डा	16	15	–	01	01
6	कमासिन	47	44	02	01	03
7	बवेरु	95	90	03	02	05
8	तिन्दवारी	151	145	03	03	06

09 अदद नलकूपों पर हेडर न होने के कारण, इन नलकूपों पर, समुचित सिंचाई नहीं हो पा रही थी।

निम्नलिखित राजकीय नलकूपों पर हेडर लगाये जाने शेष थे–111 जसपुरा, 199 व 206, बांदा–115, 116, 113, 112, 108 एवं 122 जसपुरा।

उक्त सभी नलकूपों पर दिनांक 24 जनवरी, 2010 तक हेडर लगा दिये गये हैं एवं इन चालू नलकूपों पर कृषकों को समुचित सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है।

प्रदेश में ए0 बी0 सी0 श्रेणी के सड़क निर्माण कराने हेतु पंजीकृत फर्में

21–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ए0बी0सी0 श्रेणी के सड़क निर्माण कराने हेतु कितनी फर्में पंजीकृत हैं ? क्या सभी फर्मों में पर्याप्त मशीनरी एवं इंजीनियर उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितनी फर्मों का सत्यापन वर्ष

2008-09 में कराया गया तथा किन-किन फर्मों को ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है ? क्या यह सही है कि कार्यदायी फर्मों द्वारा इंजीनियरों के नाम गलत दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी ए	..	1375
श्रेणी बी	..	711
श्रेणी सी	..	1813
कुल पंजीकृत	..	3899

ठेकेदारों का वर्गीकरण, पंजीकरण नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है, जिसके नियम 7 में मशीन/संयंत्र आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र दिया जाना वांछित होता है।

उपरोक्त नियमावली के परिशिष्ट-द के अनुसार, मशीनरी की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है। अतएव शपथ-पत्र दिये जाने के उपरान्त इसके सत्यापन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तथा इस आधार पर किसी को ब्लैक लिस्ट किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिकों के सम्बन्ध में ठेकेदारों का वर्गीकरण, पंजीकरण नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) के नियम 6 में शपथ-पत्र दिये जाने का प्रविधान है, तथा उसी आधार पर पंजीकरण किया जाता है।

यदि किसी फर्म के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो नियमानुसार उसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के मऊआइमा राजवाहा नहर में बंधा व कटिंग ठीक कराने की जानकारी

22–श्री उदयभान करवरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मऊआइमा डी0वाई0 नहर को मऊआइमा पक्की सड़क से पूरब तक लगभग तीन कि0मी0 तक पेटा बांधने तथा नहर कटिंग करने के कारण ग्राम नयी बाजार मौका, जाम्हा, बेनीपुर आदि गांवों में सिंचाई का कार्य बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निदान हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मऊआइमा राजवाहा में अस्थाई रूप से बंधा लगाया गया था एवं कटिंग की गयी थी, जिसे हटवाकर राजवाहा (नहर) को ठीक कराकर पानी पहुंचाकर सिंचाई करा दी गयी है।

जनपद कौशाम्बी में यमुना नदी पर ग्राम असरावल खुर्द पर पुल निर्माण कराने की मांग

23–श्री उदयभान करवरिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में यमुना नदी पर ग्राम असरावल खुर्द के पास पुल बनाकर रीवा रोड (म0 प्र0) की तरफ बाई पास निर्माण की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

लोक निर्माण विभाग की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर व बागपत में निर्मित देवबन्द चैनल द्वारा कृषि क्षेत्रों के सिंचाई की जानकारी

24–डा0 अजय तोमर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर को गंगा का पानी देने हेतु निर्मित समानान्तर देवबन्द चैनल, जो जनपद मुजफ्फरनगर व बागपत के कृषि क्षेत्र की सिंचाई के लिए तैयार की गयी थी, कब से शुरू की गई है ? इसके द्वारा अभी तक 1000 क्यूसेक क्षमता के सापेक्ष प्रतिदिन कितना पानी सिंचाई हेतु पूर्वी यमुना नहर को दिया जाता है ? क्या यह कृषकों की मांग के सापेक्ष पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या पूर्ण क्षमता से पानी देने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

समानान्तर देवबन्द चैनल दिनांक 12 जून, 2009 से शुरु की गई है।

समानान्तर देवबन्द चैनल की कुल क्षमता 1100 क्यूसेक है, जिसके सापेक्ष रबी–1417 फसलों में 500 क्यूसेक से 1100 क्यूसेक तक पानी दिया जा रहा है।

जल उपलब्धता के आधार पर समानान्तर देवबन्द चैनल से अधिकतम 1100 क्यूसेक जल दिया जा रहा हैं। कृषकों की शेष जल आवश्यकता की पूर्ति पूर्वी यमुना नहर से होगी।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में समसपुर से त्रिकुनिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

25–श्री सुल्तान बेग–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज का गांव तातारपुर (तुर्कुनिया) राम गंगा के बाढ की कटान से कई बार कट चुका है ? क्या इस गांव को जाने हेतु कोई पक्का रास्ता भी नहीं है ? यदि

हां, तो क्या सरकार इस गांव तक जाने हेतु पक्का रास्ता बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी–

जी हां।

जी हां।

मीरगंज में समसपुर से त्रिकुनिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण लम्बाई 0.40 किमी0 लागत रु0 13.88 लाख का कार्य शासनादेश दिनांक 19 जनवरी, 2010 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर योजना, लखनऊ में भवन सं0 6/जी0एच01–4 पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर कार्यवाही

26–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर योजना, लखनऊ स्थित भूखण्ड सं0–6/जी0एच0 1–4 पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कराये गये निर्माण के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आवंटी द्वारा कराये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा 82(1) के अन्तर्गत उन्हें कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

प्रश्नगत भूखण्ड पर किये गये अनधिकृत निर्माण को शमनित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। भू-स्वामी द्वारा शमन निर्णय के अनुरूप समस्त औपचारिकताए पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप उन्हें एक माह की समय सीमा मे समस्त औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 प्रेषित किया गया हैं। यदि निर्धारित समयावधि में औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं, तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम रसगँवा के पास हाथरस ब्रांच गंगानहर के पुराने पुल का पुनर्निर्माण की मांग

27–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के खोडा-भुकलारा मार्ग पर ग्राम रसगँवां के पास हाथरस ब्रान्च गंगा

नहर का पुल अत्यन्त पुराना व जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

27--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

वर्तमान में प्रश्नगत पुल के पुनर्निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नही है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के मढाभोज माइनर पर पुलिया के निर्माण की मांग

28–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के खोडा रसगँवा मार्ग पर मढाभोज माइनर पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

कोई कार्य-योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्षों में छात्रवृत्ति का भुगतान

29–डा0 अजय तोमर–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति व प्रतिपूर्ति शुल्क की प्रदेश सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ? इस धनराशि से क्या सभी पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आगामी वर्ष हेतु इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खॉ उर्फ फूलबाबू–

वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है :–

धनराशि लाख रु0 में

वित्तीय वर्ष	बजट में धनराशि की व्यवस्था		
	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति
2007-08	9518.00	2724.00	200.00
2008-09	9518.00	2724.00	650.00
2009-10	9518.00	2724.00	650.00

जी हां, इस धनराशि से वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 के पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है तथा वर्ष 2009-10 में पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को शासनादेश संख्या 2029/26 मार्च, 2009, दिनांक 09 जून, 2009 की व्यवस्थानुसार माह दिसम्बर, 2009 तक देय छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है।

आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाती है।

जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर में घोषित रोस्टर के अनुसार पानी दिये जाने की जानकारी

30–डा0 अजय तोमर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर से वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर को पूर्व में घोषित रोस्टर के अनुसार पानी दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अवधि में जिन जनपदों में कम पानी दिया गया है उनको समान अनुपात में पानी दिये जाने हेतु रोस्टर में संशोधन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

पूर्वी यमुना नहर प्रणाली, यमुना नदी से पोषित होती है, जिससे जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद को सींच हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2008-09 में पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में खरीफ एवं रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता में रोस्टर के सापेक्ष कोई विशेष कमी नहीं हुई है परन्तु वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत खरीफ फसल में यमुना नदी में पानी की अप्रत्याशित कमी के कारण रोस्टर में अनुमानित रोस्टर के सापेक्ष मात्र 73 प्रतिशत जल ही उपलब्ध हुआ, जिसके कारण पूर्व घोषित रोस्टर के अनुसार नहरों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ है।

जी नहीं।

यथासम्भव पानी उपलब्धता के अनुरूप ही रोस्टर में प्रस्तावित नहरों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। रोस्टर में अनुमानित पानी की उपलब्धता के अनुरूप वास्तविक रूप से जल उपलब्ध होने से नहरों के रोस्टर प्रभावित होते है। वर्तमान में यमुना नदी में पर्याप्त जल की उपलब्धता के कारण यमुना नहर प्रणाली को अतिरिक्त जल समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल से उपलब्ध होना दिनांक 12 जून, 2009 से प्रारम्भ हो गया है, जिससे पूर्व यमुना नहर प्रणाली के जल मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद की नहरें रोस्टर के अनुसार चलाया जाना प्रस्तावित है।

जनपद बलिया के अखोफ माइनर से निकली सड़क की मरम्मत की मांग

31–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोफ माइनर से निकली सड़क जो कुण्डैल तक जाती

है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी हां।

मार्च, 2010 तक।

प्रश्न नही उठता।

उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की शिकायतों की जांच

32–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में सिंचाई खण्ड शारदा नहर में व्याप्त अनियमितताओं व फर्जी धन निकालने की कार्यवाही करते समय वर्ष 2009 में जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें गम्भीर अनियमितताएं मिली थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जिलाधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2009 द्वारा उन्नाव खण्ड शादरा नहर, उन्नाव में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की शिकायतों की जांचोपरान्त वित्तीय अनियमिततायें पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में श्री ए0 के0 श्रीवास्तव तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री ए0 के0 निगम, सहायक अभियन्ता, श्री एस0 के0 सावन्त, अवर अभियंता तथा श्री सन्तोष राज, अवर अभियन्ता के विरूद्ध मयसाक्ष्यों उपलब्ध कराये गये आरोप-पत्र पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद गोण्डा तथा बलरामपुर में राजकीय नलकूपों को ठीक कराने की मांग

33–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा तथा बलरामपुर में कुल कितने राजकीय नलकूप किन-किन स्थानों पर स्थापित हैं तथा स्थापित नलकूपों में से कुल कितने नलकूप कितने दिनों से खराब हैं ? क्या सरकार खराब नलकूपों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जनपद गोण्डा में वर्तमान में कुल 447 एवं जनपद बलरामपुर में 279 अदद राजकीय नलकूप चलित अवस्था में है, जिनकी विकास खण्डवार सूची संलग्न† है।

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 246–248 पर।)

सप्ताहान्त 29 अक्टूबर, 2009 की बन्दी के अनुसार जनपद गोण्डा में यांत्रिक दोष से 03 अदद एवं विद्युत् दोष से 12 अदद कुल 15 नलकूप अस्थाई रूप से खराब थे एवं जनपद बलरामपुर में यांत्रिक दोष से 05 अदद एवं विद्युत दोष से 05 अदद कुल 10 अदद राजकीय नलकूप अस्थाई रूप से खराब थे। अस्थाई रूप से बंद नलकूपों की तिथिवार बंदी की सूचना संलग्न है।

जी हां।

उक्त अस्थाई रूप से बन्द समस्त नलकूपों को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

लोक निर्माण विभाग में मुख्य मानचित्रकार के पदों को समाप्त करने की संस्तुति

34–संजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में मुख्य मानचित्रकार के पदों को समाप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन पदों को समाप्त करने की संस्तुति प्रमुख अभियन्ता द्वारा की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

विभाग में भवन कार्य लगभग नगण्य होने के कारण।

जी हां।

जनपद महामायानगर में विकास खण्ड सादाबाद के कुरसण्डा राजवाहा पर बास परम पर पुलिया के निर्माण की मांग

35–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बास परम (ग्राम सभा जारऊ) वि0 खण्ड सादाबाद, जनपद महामायानगर, कुरसण्डा राजवाहा पर निर्मित सड़क मार्ग से पुलिया नहीं होने के कारण सम्पर्क से वंचित है ? यदि हां, तो क्या कुरसण्डा राजवाहा पर बास परम पर पुलिया निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

राजवाहा के प्रश्नगत स्थल के 750 मीटर पहले तथा 1150 मीटर बाद में पूर्व से पुल निर्मित हैं। अतः तकनीकी दृष्टि से प्रश्नगत स्थल पर पुलिया निर्माण का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के राजवाहा कुरसण्डा की पटरी पर बने सम्पर्क मार्ग से ग्राम को जोड़ने हेतु पुलिया के निर्माण की मांग

36–डा0 अनिल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के राजवाहा कुरसण्डा की पटरी पर बसे ग्राम नगला मोहकम के नागरिकों को राजवाहा पर

पुलिया न होने के कारण सम्पर्क मार्ग तक जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नगला मोहकम (ग्राम सभा बेदई) में राजवाहा की पटरी पर बने सम्पर्क मार्ग से ग्राम को जोड़ने हेतु पुलिया का निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

राजवाहा के प्रश्नगत स्थल के 750 मीटर पहले तथा 1150 मीटर बाद में पूर्व से ही पुल निर्मित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में बल्देव कैलाश मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण की जानकारी

37–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में बल्देव कैलाश मार्ग का ग्राम सेहत से कैलाश तक लगभग 3 कि0मी0 क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

यमुना नदी पर पुल न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

38–नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0–161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में ए0 पी0 एल0 द्वारा लाभान्वित परिवार

39–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0 पी0 एल0 के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों के लोगों को सार्वजनिक प्रणाली के तहत, बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय के अतिरिक्त यह सुविधा मिल रही है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत प्रतिमाह कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

कुल 3,40,69,530 ए0 पी0 एल0 परिवार लाभान्वित हो रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद स्थित गांव सभा वैदरापुर, तहसील सोहावल की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में वितरण में की गयी अनियमितताओं की जांच

40—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित गांव सभा, वैदरापुर, तहसील सोहावल के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की दिनांक 25-8-09 की जांच पूर्ति निरीक्षक द्वारा पूर्ण कर दी गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या में दुकान के वितरण में क्या अनियमिततायें पायी गयी हैं ? अब तक जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

जी हां।

बी0 पी0 एल0/अन्त्योदय कार्ड धारको को नियमानुसार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना पाया गया।

जांच में प्राप्त अनियमितताओं पर उचित दर विक्रेता मो0 नसीम, ग्राम पंचायत वैदरापुर को उपजिलाधिकारी सोहावल के आदेश दिनांक 21-1-2010 द्वारा कड़ी चेतावनी के साथ रु0 3000.00 (रु0 तीन हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील सोहावल के ग्राम पंचायत वैदरापुर में ए0 पी0 एल0 परिवारों के जारी किये गये राशन कार्ड

41—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की ग्राम सभा, वैदरापुर, तहसील सोहावल के ए0 पी0 एल0 के कितने लाभार्थियों के कार्ड बनाये गये है तथा प्रतिमाह कितने लोगों को कितना.कितना गेहूँ दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

तहसील सोहावल के ग्राम पंचायत वैदरापुर में ए0 पी0 एल0 परिवारों के कुल 296 राशन कार्ड जारी किये गये है। प्राप्त आवंटन से प्रतिमाह 103 ए0 पी0 एल0 परिवारों के प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 15-15 किलोग्राम की दर से गेहूँ वितरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के सूखा राहत के अन्तर्गत ब्लाक सोहावल के ए0 पी0 एल0 राशन कार्ड धारको को गेहूँ उपलब्ध कराने की जानकारी

42—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फैजाबाद को इस वर्ष अनावर्षण के कारण सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया है ? क्या सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0 पी0 एल0 अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति माह की दर से खाद्यान उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए0 पी0 एल0 परिवारों को भी अतिरिक्त गेहूँ उपलब्ध कराने का आदेश किया गया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के ब्लाक सोहावल में प्रत्येक गांव में कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

जी हां।

सूखा राहत के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के ब्लाक सोहावल हेतु 107.9 मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूँ का आवंटन ए0 पी0 एल0 राशन कार्ड धारकों को किया गया है जिसके उठान/वितरण की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त आवंटन से ब्लाक सोहावल के कुल 7193 ए0 पी0 एल0 राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे।

जनपद सिद्धार्थनगर को बाढ़ से बचाने की परियोजनायें

43–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ के स्थायी समाधान हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर को बाढ़ से बचाने हेतु कुल 32 अदद परियोजनायें निर्मित है तथा 06 अद्द परियोजनायें विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में नहरों, सागरों की सफाई व बांधों के कार्यों में अनियमितता की जांच

44–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-8-07 जो जनपद सिद्धार्थनगर में नहरों की सफाई, सागरों की सफाई व बांधों पर कराये गये कार्यों में की गई अनियमितता की जांच कराने के सम्बंध में था, उन्हें, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जांच रिपोर्ट में अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को उत्तरदायी पाया गया है। उत्तरदायी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग पर किसानों की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही

45--श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित पत्र दि0 03-9-09 एवं 10-7-09 जो जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग पर किसानों की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर के बासी.धानी मार्ग के किमी0 13 से 20 तक का भाग विभिन्न खाद्यान योजनाओं में टुकड़ों-टुकड़ों में स्वीकृत था, इनमें भूमि अध्याप्ति का कोई प्राविधान न होने के कारण कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

46--श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल--

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में केमरी डैम के पास ग्राम गजरौला पर नदी की कटान को रोकने के उपाय

47--श्री संजय कपूर--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में केमरी डैम के पास ग्राम गजरौला पर नदी के कटान को रोकने के लिए जो बंधा बना है उसको इस समय नदी द्वारा काफी काट दिया गया है ? क्या यह सही है कि इस बंधे की मरम्मत का प्रस्ताव आगणन सहित शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बंधे की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

जी हां। नदी द्वारा कटान किया गया है।

जी हां।

जी हां।

योजना वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित है। भारत सरकार से धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 एन0 रोड लालबाग, लखनऊ स्थित आवासीय भवन राज अपार्टमेन्ट के पार्किंग एवं आवासीय क्षेत्र में कार्यालय चलाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

48--डा0 आर0 ए0 उस्मानी--

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 32 बी0 एन0 रोड लालबाग, लखनऊ स्थित आवासीय भवन राज अपार्टमेन्ट के पार्किंग स्थल

बेसमेंट एवं आवासीय क्षेत्र में कार्यालय चलाये जाने विषयक शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनु0-3 के पत्र सं0 03 नियम (1) आठ-3-09-4 नियम/08 दिनांक 16-2-2009 में उल्लिखित अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किये जाने सम्बन्धी आठ प्रकरणों में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पार्किंग स्थल तथा आवासीय क्षेत्र में स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

आठ अवैध व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। इन सभी प्रकरणों पर विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 (2) के अन्तर्गत अभियोजन वाद दायर किये जा चुके हैं जो कि मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई की तिथि 15-2-2010 को नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में बेसमेन्ट के कुछ भाग पर निर्माण है, जिस पर ध्वस्तीकरण के विरुद्ध मा0 एडिशनल सिविल जज, तृतीय (सीनियर डिवीजन) के स्तर पर एक वाद संख्या 85/01 विचाराधीन है जिसमें ध्वस्तीकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश हैं। प्रश्नगत वाद में पुनः दिनांक 18-1-2010 को आदेश पारित करते हुए दिनाक 8-2-2010 तक स्थगन आदेश प्रदान किये गये हैं। स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं करायी जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी यमुना नहर की समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल से सिंचाई की जानकारी

49–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल की परियोजना निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल में सिंचाई कब तक प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल से सिंचाई प्रस्तावित नहीं है। यह फीडर चैनल है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बेलघाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोहनाग में अपात्र व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 कार्ड जारी करने की जांच

50–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बेलघाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोहनाग में बी0 पी0 एल0 सूची में पात्र व्यक्तियों के स्थान पर अपात्र व्यक्तियों का बी0 पी0 एल0 कार्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

ग्राम पंचायत सोहनाग में 46 बी0 पी0 एल0 कार्ड धारक हैं। उक्त कार्ड धारकों की पात्रता की जांच खण्ड विकास अधिकारी बेलघाट से करायी गयी जो सत्यापन में पात्र पाये गये। जांच में किसी भी अपात्र का बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड निर्गत किया जाना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर के ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

51–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में अन्त्योदय सूची में दर्ज पात्र व्यक्ति हंसराज व टीटू पुत्रगण सन्तराम, कार्ड नम्बर 39138, 39139 के स्थान पर प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी कर प्रधान के दो पुत्रों को लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

जी हां।

प्रकरणगत दोषी श्री ईदल प्रसाद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अम्बरपुर व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अम्बरपुर के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

52–डा0 राजेन्द्र सिंह–

[दिनांक 9-2-2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या–107 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र, फतेहाबाद में आगरा टर्मिनल व इरादतनगर राजवाहा की सफाई की मांग

53–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र, फतेहाबाद में आगरा टर्मिनल व इरादतनगर रजवाहा की चालू सत्र में सफाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन दोनों नहरों की सफाई कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर की स्थानीय नदी बरना/बरना नाला की सफाई हेतु आवंटित धनराशि

54–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर की स्थानीय नदी बरना/बरना नाला की सफाई हेतु प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-2010 में कितनी धनराशि आवंटित की है तथा उसका कार्यालय किस जनपद में स्थित है ? उक्त कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा कितनी धनराशि निर्गत हेतु अवशेष है ? अवशेष धनराशि कब तक निर्गत कर दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

इस परियोजना हेतु वर्ष 2009-10 में रु0 30.00 लाख धनराशि आवंटित की गयी है। खण्डीय कार्यालय जनपद फतेहपुर एवं एक उपखण्डीय कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है।

अब तक रु0 80.00 लाख धनराशि आवंटित की गयी है। निर्गत हेतु कोई धनराशि वर्ष 2009-10 में अवशेष नही है।

रु0 317.96 लाख धनराशि लागत के सापेक्ष अवशेष है। जिसका वित्त पोषण नाबार्ड से किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये गये कार्यों की मानक व गुणवत्ता की जांच

55–सनातन पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर अन्तर्गत गड़वार नगरा होते हुए ताड़ी बड़ागांव मार्ग, नगरा से बेल्थरा रोड और नगरा से रसड़ा रोड, चौगड़ा से चिलकहर मार्ग, रतसड़ से खजुरी मार्ग आदि का गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया गया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कें तीन माह में ही खराब हो गई जिससे यातायात बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त सड़कों की पुनः मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

सभी कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप सम्पादित कराये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की ग्राम सभा नगरा में थाने के सामने सी0 सी0 सड़क का निर्माण

56–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर की ग्राम सभा नगरा में थाने के सामने तीन वर्ष पूर्व कट.स्टोन लगाकर तीस लाख रुपये की लागत से 200 मीटर सड़क का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या पुनः दो साल बाद ही कट.स्टोन को हटाकर सी0 सी0 सड़क का निर्माण कराया गया जिससे तीस लाख रुपये की शासकीय क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। वर्ष 2004–05 में विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की ग्राम सभा नगरा में थाने के सामने रू0 9,42,044.00 की लागत से 360 मीटर लम्बाई में कट स्टोन का कार्य किया गया था। वर्ष 2007–08 में क्षतिग्रस्त कट स्टोन को हटाकर सी0 सी0 मार्ग का निर्माण रू0 11,12,322.36 लागत से कराया गया है। इसमें कोई शासकीय क्षति नहीं हुई है, क्योंकि क्षतिग्रस्त कट स्टोन को बाजार भाग में ही पटरियों पर लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि कोई शासकीय क्षति नहीं हुई है।

जनपद बलिया में चिलकहर की रत्तोपुर माइनर में जल रिसाव को रोकने हेतु लाइनिंग कराने का प्रस्ताव

57–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर के अन्तर्गत रत्तोपुर माइनर में जल रिसाव के कारण सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है ? यदि हां तो सरकार क्या इस जल रिसाव को रोकने के लिये इस माइनर में लाइनिंग कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जल रिसाव वाले स्थानों पर पुनः लाइनिंग कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसीलों में उपभोक्ताओं को मानक के हिसाब से मिट्टी के तेल वितरण की जानकारी

58–राम बिशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा को वर्ष 2007–08 व 2008–09 एवं 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक मिट्टी तेल का कितना आवंटन किया गया है ? क्या उक्त जनपद की तहसीलों में प्रति माह उपभोक्ताओं को मानक के हिसाब से मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जनपद गोण्डा को वर्ष 2007–08 में 25,452 कि0ली0, वर्ष 2008–09 में 25,200 कि0ली0 एवं वर्ष 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक 14,724 कि0ली0 मिट्टी तेल आवंटित किया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

मानक के अनुसार मिट्टी तेल वितरित कराने हेतु गोण्डा को प्रति माह 2850 कि0ली0 अर्थात् प्रति वर्ष 34,200 कि0ली0 मिट्टी तेल की आवश्यकता है। जबकि विगत कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मिट्टी के तेल के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, बल्कि कमी की जा रही है। अतः मानक के हिसाब से मिट्टी तेल का वितरण संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र में पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश से प्राप्त धनराशि एवं स्वीकृत कार्य

59–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में पूर्वांचल विकास जिलांश के अन्तर्गत जनपद की किन–किन विधान सभा क्षेत्रों में कितना.कितना धन योजनाओं हेतु आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास हेतु जो प्रस्ताव दिये गये हैं उनको स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत संलग्न† सूचीनुसार जनपद गोण्डा के विधान सभा/परिषद् क्षेत्र को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में उनके सम्मुख अंकित धन आवंटन किया गया है।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 249 पर)

वर्ष 2007-08 के प्राप्त 6 प्रस्तावों में से 5 प्रस्तावों पर मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2008-09 में प्राप्त 6 प्रस्तावों की स्वीकृति परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

60–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

[दिनांक 08-02-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0–161 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति लि0 मोदी नगर के सेवानिवृत्त स्थायी लिपिक श्री धरम वीर सिंह के भविष्य निधि, ग्रेच्युटी के भुगतान की जानकारी

61–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-08 जो श्री धरमवीर सिंह, सेवानिवृत्त स्थायी लिपिक, सहकारी गन्ना समिति, मोदी नगर के भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान एवं ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

भविष्य निधि की अन्तिम भुगतान धनराशि रु0 69,446.00 (रु0 उनहत्तर हजार चार सौ छियालिस) चेक दिनांक 1-12-2008 द्वारा तथा ग्रेच्युटी की देय धनराशि रु0 1,36,467.00 (रु0 एक लाख छत्तीस हजार चार सौ सरसठ) मात्र का चेक दिनांक 3-2-2009 द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ स्थित चौ0 बशीर खां इन्टर कालेज हर्रा (मेरठ) को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने पर विचार

62–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ स्थित चौ0 बशीर खां इन्टर कालेज हर्रा (मेरठ) को अल्प संख्यक संस्था घोषित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो शासन द्वारा गठित समिति की बैठक फरवरी, 2007 में उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की सहमति दी गयी थी ? यदि हां, तो सहमति के उपरान्त उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू–

जी हां।

अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के प्रकरणों पर प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में

चौधरी बशीर खां इण्टर कालेज, हर्रा, मेरठ के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था, किन्तु अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2006 के संज्ञान में आने पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

शारदा नहर खण्ड उन्नाव के सोनहार रजवाहा की सफाई में व्यय

63–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शारदा नहर सिंचाई खण्ड उन्नाव के सोनहार, रजवाहा में सफाई न होने से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त रजवाहा के लिये प्रत्येक वर्ष सफाई हेतु धन का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार वर्ष 2005 से 2006 तक उक्त रजवाहा की सफाई में व्यय धन तथा कृत कार्यों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

खरीफ 1417 फसली में टेल तक पानी पहुंचा है। केवल वर्ष 2007–08 में दोनों फसलों एवं वर्ष 2008–09 में खरीफ की फसल में टेल तक पानी नहीं पहुंचा।

जी हां।

वर्ष 2007–08 व 2009–10 को छोड़कर वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 में सोनहार राजवाहा की सफाई में भुगतान किया गया है।

जी हां। वर्ष 2005 से 2006 तक सोनहार राजवाहा की सफाई में व्यय धन एवं कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है–

वित्तीय वर्ष	व्यय (लाख रु0 में)	करायी गयी सफाई (कि0मी0 में)
2005–06	10.68	0.0 से 23.60 तक
2006–07	08.44	0.0 से 21.00 तक

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में कृष्णा नदी पर चेक डैमों के निर्माण की मांग

64–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, बरनावा जनपद बागपत में कृष्णा नदी पर दो चेक डैम स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त चेक डैमों का निर्माण कब शुरू कराया गया तथा चेक डैमों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अरबी, फारसी, सदस्यों के अनुदानित मदरसों की राजाज्ञा की जानकारी

65–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 100 अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जनपदों में कौन-कौन मदरसों को अनुदान सूची में लिया गया है ? क्या सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों की राजाज्ञा जारी कर दी गयी है ? यदि नहीं तो राजाज्ञा कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू–

जी हां।

वरिष्ठता क्रम में 1–100 तक के मध्य के 39 मदरसों को प्रथम चरण में अनुदान योग्य पाया गया है। इन 39 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तत्सम्बंधी शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 61 मदरसों के सम्बन्ध में कार्यवाही वर्तमान समय में विचाराधीन है। अतः अनुदान सूची पर लिये जाने वाले मदरसों की जनपदवार सूची उपलब्ध कराया जाना अभी सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

इस संबंध में कार्यवाही प्रचलित है अतः समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ में कार्यरत कार्यालय सहायक एवं कन्शोल आपरेटर को वेतनमान दिये जाने की मांग

66–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 04 व 7 फरवरी, 04 को त्रुटि सुधार करते हुये सन्देशवाहक (चतुर्थ श्रेणी) से कार्यालय सहायक (तृतीय श्रेणी) व कन्शोल आपरेटर के पदनाम के आदेश निर्गत किये गये थे ? क्या यह भी सही है कि कार्यालय सहायक व कन्शोल आपरेटर का पद नाम पाये कार्मिकों में से मात्र तीन कार्मिकों को कार्यालय के पत्रांक 614 व 615/कैम्प-प्रबन्ध/(नियु0/2007, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 व संख्या 725/कैम्प-प्रबन्ध)/नियु0/2007, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 द्वारा कार्यालय सहायक का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो शेष कार्मिकों को भी उक्त वेतनमान का लाभ देते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी हां।

पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तीन कर्मचारियों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में निगम द्वारा सहायक स्तर–2 के आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग की चिन्हित रिक्तियों के सापेक्ष नियमानुसार नियमित वेतनमान में नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

निगम में मस्टररोल पर रखे गये कार्यालय सहायक एवं कन्शोल आपरेटर को कोई वेतनमान स्वीकृत नहीं हैं, अपितु नियमानुसार दैनिक वेतन ही अनुमन्य है। इसलिए मस्टररोल पर कार्यरत यह कर्मचारी पूर्व पद के अनुसार संहत वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के चिलकहर नगरा ड्रेन में गौरी टांड गोठाई के बीच नाले पर पुल निर्माण

67–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत नगरा ड्रेन में गौरी टांड गोठाई के बीच नाले पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन में अत्यन्त असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

इस स्थल पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र शारदा कैनाल की शाखा रसड़ा का पानी टेल तक पहुचाने की मांग

68–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत शारदा कैनाल की शाखा रसड़ा, विधान सभा क्षेत्र होते हुए माधौपुर, रामनगर, सबरा, खलीलपुर, उचेड़ा, हुमरी औदी तक जाती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त नहर का पानी कभी टेल तक नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

इन्दारा रजवाहा के अन्तिम छोर पर प्रश्नगत गांव पड़ते हैं। पानी की कमी के कारण नहर परिकल्पित क्षमता से नहीं चल पाती है। फलस्वरूप पानी की अधिक

मांग के समय इन ग्रामों में पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी की कम मांग होने पर टेल तक पानी पहुंचता है।

शारदा सहायक क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना पूर्ण होने पर पर्याप्त मात्रा में टेल तक पानी पहुंचाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में अहिरौली राजवाहा से टेल तक पानी पहुचाने की मांग

69–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर के अन्तर्गत ताड़ी बड़ा गांव, चचया, भोड़ारी, नगरा रिकुआ, उरैनी, सोनाड़ी, खनवर होते हुए बछईपुर तक दोहरी घाट मुख्य कैनाल की शाखा अहिरौरा माइनर निकली है, जिसमें टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

दोहरीघाट मुख्य नहर के कि0मी0 47.00 के दाहिने बैंक से अहिरौली रजवाहा निकलती है। इसकी परिकल्पित क्षमता 150 क्यूसेक है। रोस्टर के अनुसार इसे 80 क्यूसेक से चलाया जा रहा है। वर्तमान रबी 1417 फसली में टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत हजौली माइनर पर पुल निर्माण की मांग

70–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत हजौली माइनर में लोहटा के सामने स्थित प्राइमरी पाठशाला, लोहटा के बच्चों को नहर पार कर स्कूल आना-जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

हजौली माइनर के कि0मी0 1.10 एवं कि0मी0 1.600 पर वी0 आर0 बी0 पुल निर्मित हैं, जिससे प्राइमरी पाठशाला लोहटा के बच्चे एवं ग्रामवासी आते-जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की मुख्य नहर पर पाण्डेयपुर के सामने आवागमन हेतु पुल निर्माण

71–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर के अन्तर्गत मुख्य नहर पर ग्राम सभा पाण्डेयपुर के सामने आवागमन एवं कृषि कार्य हेतु किसानों के आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य नहर पर ग्राम सभा पाण्डेयपुर के सामने आवागमन हेतु पैदल पुलिया निर्मित है, जिससे किसानों का कृषि कार्य हेतु आवागमन होता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की छोटी सरयू (टोंस) नदी के दाये किनारे पर ठोकर निर्माण की जानकारी

72–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर के अन्तर्गत छोटी सरयू (टोंस) नदी के ग्राम कोडरा में एक तरफ लोडर पेचिंग (ठोकर) बना देने से नदी का कटाव कोहरा गांव के दूसरी तरफ बसे हुए लोगों की तरफ बढ़ रहा है जिससे भविष्य में उस गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाने की आशंका है ? यदि हां तो क्या सरकार इसे बचाने हेतु दूसरी तरफ भी ठोकर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दायें किनारे पर ठोकर निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के ग्राम ताखा तक दोघरा माइनर द्वारा टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

73–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर के अन्तर्गत ताखा माइनर, जो रतसड़ राजबहा के प्रथम कि0मी0 से निकलती है, राजबहा का लेवल ऊपर होने के कारण ताखा राजबहा में पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने के लिए रतसड़ राजबहा में फाटक लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

रतसड़ से दोघरा माइनर निकलती है जो ग्राम ताखा के पास स्थित है। दोघरा माइनर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है।

रतसड़ रजवाहा के कि0मी0 2.4 पर रेगुलेटर गेट लगा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत नगरा नाले की सफाई कराने की मांग

74–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर के अन्तर्गत नगरा नाले की कई वर्षों से सफाई न होने के कारण सैकड़ों एकड़ फसल पानी के अभाव में बर्बाद हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

इस नाले की वर्ष 2007-08 में 0.00 से 1.70 किमी0 तक सफाई करायी गयी है। शेष भाग का सर्वेक्षण किया जा रहा है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर सफाई करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के खराब ट्यूबवेलों को रि-बोर कराने की जानकारी

75–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में दर्जनों ट्यूबवेल, रि-बोर न होने के कारण, काफी दिनों से खराब हैं जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद एवं नष्ट हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बलिया में खराब ट्यूबवेलों को रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जनपद बलिया में वर्तमान में 14 फेल नलकूप स्थाई रूप से खराब हैं। शासन द्वारा स्वीकृत "800 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण/पुर्नस्थापना योजना" में जनपद बलिया में 06 फेल नलकूपों की रिबोरिंग (पुनःनिर्माण) प्राविधानित है, जिन्हें रिबोर कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 02 नलकूपों की रिबोरिंग कराकर सिंचाईरत किया जा चुका है तथा वर्ष 2009-10 की स्वीकृत कार्ययोजना में

प्रस्तावित 01 नलकूप की रिबोरिंग करायी जा रही है। परियोजना में प्राविधानित अन्य 03 नलकूपों की रिबोरिंग वर्ष 2010-11 में कार्य योजना की स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता की स्थिति में कराया जाना सम्भव है।

अवशेष 10 नलकुपों की रिबोरिंग हेतु वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश भवन, नयी दिल्ली में मा0 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों को कक्ष उपलब्ध कराये जाने की मांग

76--श्री राजाराम त्यागी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान विधायकों/पूर्व विधायकों एवं पूर्व सांसदों को उनकी मांग के अनुसार यू0 पी0 भवन, नयी दिल्ली में कक्ष उपलब्ध नहीं हो पाते हैं ? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 भवन को तीन तल से बढ़ाकर पांच तल बनवाये जाने अथवा अन्य किसी स्थान पर उक्त सदस्यों के ठहरने हेतु नवीन भवन बनवाये जाने की योजना प्रस्तावित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिल्ली के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के राजधानियों में भी उक्त मा0 सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या वहां भी उक्त मा0 सदस्यों के ठहरने हेतु कक्षों का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)--

उ0 प्र0 भवन में कक्ष उपलब्धता के अनुसार वर्तमान मा0 विधायकों, मा0 पूर्व सांसदों/मा0 पूर्व विधायकों को उनकी मांग पर उपलब्ध कराये जाते है।

यू0 पी0 भवन में अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु स्ट्रक्चुअल इंजीनियर से परीक्षण कराने पर निर्माण सम्भव नहीं पाया गया।

नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के आस.पास एक नये अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का अनुरोध शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया है।

दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता में अतिथि गृह निर्मित है तथा मुम्बई में अतिथि गृह निर्माणाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों की राजधानियों में अतिथि गृह निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्य हेतु दस टन की क्षमता से अधिक रोलर की व्यवस्था की मांग

77--श्री राजाराम त्यागी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्य में उपयोग में लिए जाने हेतु विभाग द्वारा आठ से दस टन के रोलर कुटाई में प्रयोग में लाए जाते हैं ? जबकि दस टन के रोलर से बनने

वाली सड़क पर चौबीस टन के ट्रक चलते है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि ओवर लोडिंग करने वाले ट्रक साठ टन तक भार लेकर निकलते हैं ? क्या सरकार सड़क निर्माण हेतु दस टन की क्षमता से अधिक के रोलर की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्य हेतु विभाग द्वारा आठ से दस टन रोलर के साथ-साथ वाइब्रेटरी एवं पी0 टी0 आर0 का भी प्रयोग किया जाता है तथा यातायात घनत्व के अनुसार क्रस्ट अधिक आने पर कई लेयर में कुटाई की जाती है।

जी हां, किन्तु ओवर लोडिंग के लिए कोई अनुमति नहीं है।

जी नहीं।

सड़क की डिजाइन, ट्रैफिक सेन्सेस, मिट्टी के प्रकार एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एम0 ओ0 आर0 टी0 एच0/एम0 ओ0 आर0 डी0/आई0 आर0 सी0 द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइनों एवं विशिष्टियों में निर्धारित रोलर की क्षमता के अनुसार किया जाता है।

जनपद आगरा में शैया इरादत नगर फतेहाबाद मार्ग के निर्माण की जांच

78–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में शैया इरादत नगर फतेहाबाद मार्ग बनने के छः महीने के अन्दर ही क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटियां निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, अति भारित वाहनों के अत्यधिक आवागमन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ, जो निर्माण एजेन्सी द्वारा ही ठीक कराया गया।

मार्ग पर घटिया निर्माण का प्रकरण नहीं था।

उपरोक्तानुसार।

79–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

[दिनांक 8.2.2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या–167 द्वारा उत्तरित]

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में तटबंध के निर्माण की मांग

80–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड.लक्ष्मीपुर की ग्राम सभा रघुनाथपुर में रोहिन नदी के उत्तरी तट पर ही तटबन्ध है, जब कि दक्षिणी ओर से बाढ़ रोकने हेतु तटबन्ध आवश्यक है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर तटबन्ध बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड.लक्ष्मीपुर के ग्राम सभा रघुनाथपुर में रोहिन नदी के उत्तरी तट पर सिंचाई विभाग द्वारा किसी तटबंध का निर्माण नहीं किया गया है। दक्षिणी तट पर तटबंध की आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तटबंध के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य के आधार पर कोई परियोजना प्रस्तावित न होने के कारण।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में राजकीय नल कूप

81–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने राजकीय नलकूप हैं एवं कितने राजकीय नलकूप चालू हालत में है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक चल रहे नलकूपों से सिंचाई हेतु कितनी एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित है ? वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कितनी सिंचाई की गयी तथा कितने नलकूपों से राजस्व की प्राप्ति हुई ?

श्री जयवीर सिंह–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 79 राजकीय नलकूप हैं एवं 78 राजकीय नलकूप चालू हालत में हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में नलकूपों से सिंचाई हेतु खरीफ में 25 एकड़ प्रति नलकूप एवं रवी में 42 एकड़ प्रति नलकूप का लक्ष्य निर्धारित है।

सिविल क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	सिंचित क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	खरीफ	रवी	योग
2007–08	745	1196	1941
2008–09	628	983	1611
2009–10	856	950	1806

(दि0 10-1-2010 तक)

78 नलकूपों से राजस्व की प्राप्ति हुयी है।

जनपद गोण्डा में चन्दहा नाला को गहरा व चौड़ा कराने हेतु स्वीकृत धनराशि

82–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में चन्दहा नाला किन–किन ग्रामों से होकर गुजरता है एवं उसकी लम्बाई क्या है ? क्या उक्त नाले के स्वरूप को अधिक गहराई एवं चौड़ाई करने के लिए शासन ने वर्ष 2003–04 में स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो उसके लिये कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि सरयू ड्रेनेज, प्रथम खण्ड, को समयावधि के भीतर कार्य योजना पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सौपा गया था ? परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा नाले की सफाई न करवाकर कागजी आंकड़ों में ही कार्य दर्शाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अभिलेखों में दर्शाये गये भुगतान की तिथि के अनुसार मस्टर रोल जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

चन्दहा नाला जनपद गोण्डा के भिखारीपुर उदवन्त नगर, विदिशिया कला, खरगूपुर सुभागपुर, ग्यानपुर, डोमाकल्यी, जालपुर, धवताल, डोमा एहलाद, सोनहरा, परसा गोड़री, नूरपुर, कथैला तालाब, भिटौरा, लोहड़ी, चौरी, कौचा, कासिमपुर, गौरवा खुर्द ग्रामों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लम्बाई 40.600 किमी0 है। मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना–प्रथम, फैजाबाद द्वारा नाले की ड्राइंग एवं विस्तृत प्राक्कलन रु0 273.25 लाख स्वीकृत किया गया था। इस कार्य हेतु कुल रुपया 209.54 लाख का भुगतान किया गया था। इस कार्य हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, परन्तु सरयू ड्रेनेज खण्ड–1, गोण्डा द्वारा माह 11/2004 से 04/2005 की अवधि में कार्य पूर्ण कराया गया। नाले के समस्त कार्य अनुबन्धों के माध्यम से किया गया था एवं किये गये कार्यों के विरुद्ध ही भुगतान किया गया है। नाले पर कोई भी कार्य मस्टररोल के माध्यम से नहीं कराया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर को ग्राम सभा एकसड़वा के टोला-जोगियावारी के पास दण्डवा नदी पर ठोकर निर्माण की मांग

83–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज की क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर की ग्राम सभा एकसड़वा का टोला-जोगियाबारी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाली नदी से भीषण कटाव हो रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार इसे रोके जाने हेतु ठोकर निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड, लक्ष्मीपुर स्थित ग्राम सभा एकसड़वा के टोल-जोगिया के पास अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाली दण्डवा नदी द्वारा सामान्य प्रकृति का कटान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य सब्सिडी को सीधे कैश पेमेन्ट के रूप मे लाभार्थियों को देने पर विचार

84–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को दूर करने के लिये खाद्य सब्सिडी को सीधे कैश पेमेन्ट के रूप में लाभार्थियों को देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां, प्रदेश के जनपद हरदोई एवं लखीमपुर खीरी में प्रचलित बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों को खाद्यान्न के स्थान पर नकद सब्सिडी देने की पायलट योजना का प्रस्ताव भारत सरकार में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा कैनाल के हरियाणा स्थित भाग में पानी की चोरी रोकने के उपाय

85–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कैनाल के हरियाणा स्थित भाग में पानी की चोरी रोकने की घटनाओं की रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये गए हैं। यदि हां, तो इनके क्या परिणाम आये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

आगरा कैनाल के हरियाणा स्थित भाग में पानी की चोरी रोकने की घटनाओं की रोकथाम के लिए आगरा नहर के इस भाग में फर्जी कुलाबे एवं पाइप लाइनों के विरूद्ध विभागीय तावान/मुकदमा की कार्यवाही की गयी है, तथा हरियाणा राज्य के सिंचाई विभाग के साथ मिलकर कुलाबे उखड़वाने का संयुक्त अभियान चलाया गया।

उपरोक्त अभियान के परिणाम-स्वरूप 05 कुलाबे उखड़वाये जा चुके हैं, परन्तु कृषकों के भारी विरोध के कारण इस अभियान को स्थगित करना पड़ा। कृषकों द्वारा पुनः कुलाबे नही लगाये गये हैं, तथा पानी की चोरी में कमी हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बभनजोत में प्रस्तावित राजकीय नलकूपों को स्थापित करने की जानकारी

86–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रश्नकर्ता द्वारा विगत दो वर्षों में दिये गए प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित स्थानों पर क्या राजकीय नलकूप स्थापित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

मा0 सदस्य विधान सभा से वर्ष 2007–08 में निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	कस्बाखास	बभनजोत
2	सेमरापुरवा	बभनजोत
	पिपरहिया	
3	दौलतपुर ग्रन्ट	बभनजोत

वर्ष 2008–09 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त प्रस्तावित ग्रामों में नलकूपों की स्थापना नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

उक्त प्रस्ताव जिला नलकूप स्थल चयन समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, लेकिन समिति द्वारा उपरोक्त तीनों नलकूपों का चयन नहीं किया गया।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-रेहरा बाजार में स्थापित नलकूपों का विवरण

87–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में विभाग द्वारा मांगे जाने पर विगत दो वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर किन-किन ग्रामों में नलकूप स्थापित किये गये हैं तथा उनका विवरण क्या है ?

श्री जयवीर सिंह–

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में विगत दो वर्षों में मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिये प्रस्तावों पर निम्न विवरण के अनुसार नलकूप स्थापित किये गये है :–

क्र0 सं0	वर्ष	ग्राम का नाम	नलकूप सं0	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5
1	2007–08	गोल्हीपुर	181 यू0जी0	रेहरा बाजार
2	2008–09	अलाउद्दीनपुर	184 यू0 जी0	रेहरा बाजार

उपरोक्तानुसार।

बलिया-लखनऊ मार्ग से फत्तेपुर होते हुए कोड़रा के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

88–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया–लखनऊ मार्ग से मनूपुर फत्तेपुर होते हुये कोड़रा मार्ग मरम्मत न होने के कारण जगह–जगह पर टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गोण्डा के उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के जिला प्रभारी के स्थानान्तरण की मांग

89–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के खाद्य एवं रसद विभाग में जिला प्रभारी कब से तैनात हैं ? क्या जनपद गोण्डा में खाद्यान्न गबन/घोटाला में उक्त अधिकारी वर्ष 2008 में दो बार निलम्बित हुये हैं ? यदि हां, तो निलम्बन एवं बहाली के पश्चात् भी क्या इनकी तैनाती गोण्डा में ही की गई है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या हैं ? क्या सरकार उक्त प्रभारी को अन्यत्र स्थानानतंरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

वर्तमान मे जिला प्रबन्धक का पद रिक्त है। खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम मे जिला प्रबन्धक के पद पर श्री सूरज प्रसाद गुप्ता, वाणिज्य निरीक्षक दिनांक 21 सितम्बर, 2005 से दिनांक 7 जनवरी, 2008 तक, दिनांक 5 मई, 2008 से 2 दिसम्बर 2008 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 से 26 जुलाई, 2009 तक जिला प्रभारी के रूप में तैनात रहे है।

जी हां।

जी हां। श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही पूर्ण न होने, रबी क्रय सीजन में अधिकारियों की आवश्यकता एवं निगम में अधिकारियों के कमी के दृष्टिगत श्री गुप्ता को अन्तरिम रूप से बहाल करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को पुनः गोण्डा में तैनात किया गया था। दिनांक 27 जुलाई, 2009 को प्रबन्ध निदेशक ने अन्तरिम बहाली आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को निरस्त कर मुख्यालय सम्बद्ध करते हुए जांच अधिकारी को शीघ्र जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये है। श्री गुप्ता वर्तमान में निलम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सराय ममरेज से बरियारामपुर सम्पर्क मार्ग को विकसित करने का प्रस्ताव

90—श्री जोखू लाल यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सराय ममरेज से बरियारामपुर सम्पर्क मार्ग, जो जनपद जौनपुर को लिंक करता है, उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ओ0डी0आर0 मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

यह मार्ग सी0यू0पी0एल0 (मार्गों के पुनः निर्माण की वरीयता सूची) में निचले क्रम में होने के कारण इसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में पुनः निर्माण हेतु अभी प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है। भविष्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आगामी फेजों में इसे पुनः निर्माण हेतु प्रस्तावित किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत बरना बाजार स्थित बरना नदी पर नये पुल के निर्माण की जानकारी

91—श्री जोखू लाल यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत बरना बाजार में स्थित बरना नदी के पुल के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आवागमन का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2010—2011 में उक्त स्थल पर नये पुल के निर्माण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के फरेन्दा में मरम्मत हेतु स्वीकृत सड़कें एवं आवंटित धनराशि

92—श्री बजरंग बहादुर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में मरम्मत एवं विशेष मरम्मत के लिए किन-किन सड़कों की स्वीकृति हुई तथा कितना धन स्वीकृत हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में मरम्मत हेतु 11 मार्गों के लिए धनराशि स्वीकृत किया गया है। स्थिति निम्नवत् है :

1–सामान्य मरम्मत।

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1	फरेन्दा धानी नोगढ़ मार्ग	151.92
2	फरेन्दा बृजमनगंज मार्ग	11.68
3	बृजमनगंज धानी मार्ग	6.83
4	महदेवा समरधीरा मार्ग	5.85
5	कोल्हुई लोटन मार्ग	9.34
6	एस0एन0जी0 मार्ग के फरेन्दा बाजार भाग में एस0डी0बी0सी0 का कार्य	12.66
7	समरधीरा भगवानपुर से मानिक तालाब मार्ग	1.95
8	फरेन्दा बृजमन गंज से शिवपुर मार्ग	3.90
9	फरेन्दा महराजगंज गोपालपुर मार्ग	5.85
10	फरेन्दा धानी से छितही मार्ग	3.90
11	एस0एन0जी0 से सेमरा महराज होते हुए समरधीरा मार्ग	5.85
	योग . .	219.73

2–विशेष मरम्मत : शून्य।

प्रश्न नहीं उठता।

सुदामा कन्स्ट्रक्शन ग्राम भदौरा तरछापार जिला बलिया के द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

93–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक डा0 पूर्णमासी देहाती का पत्र दिनांक 2 जून, 2008, जो सुदामा कन्स्ट्रक्शन, ग्राम भदौरा तरछापार, पो0 बेल्थरा रोड, जिला बलिया के द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान किये जाने विषयक है तथा मा0 मंत्री व प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

डा0 पूर्णमासी देहाती, मा0 पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 02 जून, 2008 का नही, अपितु दिनांक 02 जून, 2009 का प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित प्रकरण की जांच करायी गयी। प्रकरण में पूर्ण भुगतान हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

94–श्री जोखू लाल यादव–

[दिनांक 09 फरवरी, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या–31 द्वारा उत्तरित]

पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी को दूर करने हेतु समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल की परियोजना

95–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी को दूर करने के लिये समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल की परियोजना निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल से सिंचाई कब तक प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल से सिंचाई प्रस्तावित नहीं है। यह फीडर चैनल है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की तहसील बड़ौत के ग्राम खपराना में आने जाने हेतु पुल निर्माण की मांग

96–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कम्प्यूटर सं0 सी0 10170387, पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/170387/2007, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007, जो ग्राम खपराना, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत में आने-जाने हेतु पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सम्प्रति पुल का निर्माण किसी योजना में स्वीकृत नही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई में हरदोई-उन्नाव मार्ग से ग्राम बरहुआ मार्ग, बरौना मोड़ तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

97–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावां में हरदोई-उन्नाव मार्ग से ग्राम बरहुआ मार्ग बरौना मोड़ तक मार्ग अति जीर्ण होने के कारण निवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त है। इससे आवागमन में कठिनाई होना स्वाभाविक है।

प्रश्नगत मार्ग के आबादी भाग में सी0 सी0 कार्य, नाली निर्माण तथा विशेष मरम्मत कार्य हेतु आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत के निवासियों द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र की जांच

98–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम, विकास खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र जो कोटेदार की जांच कराने के सम्बन्ध में है, दिनांक 14 मई, 2009 को मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं।

किन्तु जिलाधिकारी को सम्बोधित एवं मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत के निवासियों द्वारा दिया गया एक शिकायती-पत्र दिनांक 01 मई, 2009 प्राप्त हुआ।

उक्त शिकायती-पत्र दिनांक 01 मई, 2009 में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी।

जांच में अनियमिततायें पाये जाने के कारण श्री राम भजन, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत का अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ग्राम भदौरा तरछापार में राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित भुगतान की जांच

99–श्री लाल जी यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 02 जून, 2009 जो श्री सुदामा ग्राम भदौरा तरछापार, जनपद बलिया द्वारा कराये गये राजकीय निर्माण निगम के कार्यों से सम्बन्धित भुगतान विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

दिनांक 02 जून, 2009 का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता श्री लालजी यादव, मा0 विधायक का नहीं, अपितु निवर्तमान मा0 विधायक डा0 पूर्णमासी देहाती का प्राप्त हुआ है।

जांच करायी जा चुकी है। पूर्ण भुगतान हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को बाढ़ से बचाने की कार्य-योजना

100—श्री आरिफ अनवर हाशमी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और उस पर कुल कितना धन व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत सीमान्त बांध, कटाव निरोधक व जलोत्सारण कार्यों हेतु सरकार द्वारा 127 अद्द कार्य योजनायें बनाई गई है तथा वित्तीय वर्ष 2009—2010 के आय.व्ययक में रु0 596.500 करोड़ (पांच सौ छियानबे करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) का प्रावधान किया गया है।

जनपद मथुरा में अवैध रूप से काले तेल के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही

101—श्री पूरन प्रकाश—

101—क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पिछले 2 वर्षों में अवैध काले तेल के कारोबारियों के विरूद्ध गोदामों में कितने छापे मारे गये एवं इनमें कितना अवैध कालातेल (डीजल, मिट्टी का तेल, नैप्था, कोलतार आदि) बरामद किया गया ? क्या यह सही है कि थाना फरह एवं थाना रिफाइनरी के अन्तर्गत काले तेल के गोदाम अभी भी चल रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इन्ही अवैध काले तेल के गोदामों में आग लगने से प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में लगभग 70 नागरिकों की मृत्यु पूर्व में हुयी है ? यदि हों, तो क्या सरकार इन्हें रोकने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हों, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

जनपद मथुरा में पिछले 2 वर्षों में 292 छापे डाले गये तथा 78 मामलों में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी। उक्त छापों में काले तेल के कारोबारियों के विरूद्ध 42 छापे डाले गये एवं छापों के दौरान एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी, 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 3,20,521 लीटर काला तेल, 25,665 लीटर डीजल, 19,280 लीटर मिट्टी का तेल व 20,000 किलोग्राम कोलतार बरामद किया गया।

जी नहीं।

जी नहीं।

निरन्तर छापे डाले जा रहे हैं तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र खुटहन में सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु जिला योजना में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

102–श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिला योजना की बैठकों में वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र खुटहन में सड़कों के निर्माण कराये जाने विषयक प्रस्ताव दिया गया है, यदि हां, तो क्या जिला योजना से स्वीकृति के बावजूद भी अब तक कार्य न कराये जाने के कारण क्या है। क्या सरकार प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिला योजना से प्राप्त प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2008-09 में एक परियोजना स्वीकृत हुई थी, जिसका कार्य पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के समस्त नलकूपों की हलकाबन्दी ब्लाक स्तर पर कराये जाने की मांग

103–श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2009, जो जनपद जौनपुर के समस्त नलकूपों की हल्काबन्दी ब्लाक स्तर पर किये जाने विषयक है प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

जनपद जौनपुर में विभिन्न 19 विकास खण्डों में 475 चलित नलकूप हैं, जिनके सापेक्ष 18 सींच पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार सींच के सुचारू रूप से अभिलेखन हेतु 1 सींच पर्यवेक्षक के पास अधिकतम 26 (लगभग) नलकूपों का ही दायित्व सौंपा जा सकता हैं विकास खण्डवार नलकूपों की संख्या 1 से 55 तक है, अतः जनपद जौनपुर के समस्त नलकूपों की हल्काबन्दी, ब्लाक स्तर पर किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र खुटहन में विगत वित्तीय वर्षों में शासन द्वारा स्वीकृत योजना एवं कार्य पूर्ण होने की जानकारी

104–श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र खुटहन में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में कितनी सड़कें व पुल किन-किन योजनाओं में शासन स्तर से स्वीकृत किये गये तथा इनमें से कितना कार्यपूर्ण हो चुका है और कितना अवशेष है ? क्या सरकार द्वारा अवशेष योजनाओं को पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र खुटहन में वित्तीय वर्ष 2006–07 में जिला योजना में मा0 विधायक को 7-7 कि0 मी0 के अन्तर्गत 05 मार्ग स्वीकृत किये गये, जिसमें तियरा दुगौली मार्ग से अटौली मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा किये जाने के कारण लोक निर्माण विभाग के अधीन इस कार्य की स्वीकृति निरस्त हो गई हैं शेष 04 मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। नाबार्ड–11 योजना में एक सेतु स्वीकृत हुआ जिनका निर्माण कार्य पूर्ण है।

अनुदान सं0 83 (एस0 सी0 पी0) योजना में 13 मार्ग स्वीकृत हुए। इन सभी का निर्माण कार्य पूर्ण है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित योजनान्तर्गत 08 कार्य की स्वीकृति के सापेक्ष 08 कार्य पूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान सं0 83 (एस0 सी0 पी0) योजना में 09 कार्य स्वीकृत हुए सभी कार्य पूर्ण है। पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत एक कार्य स्वीकृत है, निर्माण कार्य पूर्ण है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 व 2007-08 में स्वीकृत सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग

105–श्री सनातन पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राशन की दुकानो से बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं। राशन की दुकानो से बी0पी0एल0 कार्ड धारको को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों को पेंशन देने का प्रकरण

106–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के गठन के 30 वर्ष बाद भी इन प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मियों के लिए अब तक पेंशन व्यवस्था लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रदेश के विकास प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की मांग

107–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व नियुक्त एवं अब तक निरन्तर सेवारत दैनिक वेतन/वर्क चार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु पद कब तक सृजित किये जायेंगे ? यदि नही, तो क्यों ? इन कर्मचारियों को कब तक विनियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व नियुक्त एवं अब तक कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं। शासनादेश संख्या 1182/9–आ–5–1998, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 एवं संख्या 517/9–आ–5–2001–204ई/99, दिनांक 07 मार्च, 2001 में उल्लिखित दिशा निर्देश के अनुसार शासन द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध विनियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में विनियमितीकरण हेतु न तो प्राधिकरण स्तर से कोई नया पद स्वीकृत किया जायेगा और न ही शासन से किन्ही नये पदों को सृजन किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

उक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व नियुक्त एवं अब तक निरन्तर सेवारत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियिमितीकरण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत परेवा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन करने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

108–श्री सुल्तान बेग–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली तहसील मीरगंज की ग्राम पंचायत परेवा में मो0 अली की दो साल से निरस्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का तत्काल प्रस्ताव कराकर दुकान आंवटित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0–210338/2009, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी भोजीपुरा को उचित दर दुकान के आवंटन हेतु प्रस्ताव कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित दर विक्रेता की नियुक्ति कर दी जायेगी।

जनपद गाजियाबाद से मुरादाबाद की ओर एन0एच0 24 का विस्तारीकरण

109–श्री मदन चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद से मुरादाबाद की ओर एन0 एच0 24 का विस्तारीकरण, जो हापुड़ से ब्रजघाट गढ़ तक चल रहा है कब तक पूर्ण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद गाजियाबाद में हापुड़ से ब्रजघाट गढ़ तक एन0 एच0 24 के कि0मी0 58 से कि0मी0 93 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम से निविदा के आधार पर कराया जा रहा है। यह कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर व तरबगंज में उचित दर की दुकानों का निलम्बन

110–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर एवं तरबगंज की वर्ष 2008–09 एवं 2009–2010 में कितनी उचित दर

विक्रेताओं की दुकानें निलम्बित की गयीं ? क्या सरकार को जानकारी है कि निलम्बित की गयी दुकानों के उपभोक्ताओं को जिन दुकानों से सम्बद्ध किया गया था, उनके द्वारा अन्त्योदय, बीपी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्ड धारकों के कार्डों में अगले माह का वितरण दर्ज कर खाद्यान्नों/सामग्रियों की कालाबाजारी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थलीय परीक्षण करवाकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

तहसील मनकापुर व तकबगंज में वर्ष 2008–09 में क्रमशः 23 व 24 एवं 2009–10 में क्रमशः 29 और 33 उचित दर की दुकानें निलम्बित की गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के नगरपालिका परिषद् सिकन्दराराऊ में नजूल की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के विरूद्ध कार्यवाही

111–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् सिकन्दराराऊ एवं नगर पंचायत पुरदिल नगर हंसायन में कुल कितनी नजूल की भूमि है तथा उसमें से कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है ? क्या सरकार नजूल की भूमि पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

नगरपालिका परिषद् सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर में नगरपालिका परिषद् अभिलेखों के अनुसार 2,00,039 (दो लाख उन्तालीस) वर्ग मीटर नजूल भूमि है।

नगर पंचायत पुरदिल नगर तथा हसायन में कोई नजूल भूमि नहीं है।

उक्त नजूल भूमि में से 1583 (एक हजार पांच सौ तिरासी) वर्गमीटर पर अवैध कब्जा है।

जिलाधिकारी, महामायानगर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का कोटा बढ़ाने पर विचार

112–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के जनपदों में बी0पी0एल0 राशनकार्ड का कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सभी गरीब व्यक्तियों को योजना का लाभ देने हेतु सरकार कोटा बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए बी0पी0एल0 राशन कार्डों का लक्ष्य 106.79 लाख निर्धारित किया गया हैं। इसमें वृद्धि भारत सरकार के स्तर से ही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पोषक नहर, भेलाव माइनर की लाइनिंग का कार्य यमुना पम्प नहर प्रणाली की पुनरीक्षित परियोजना में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी-पत्र

113–श्री उदयभान करवरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 540 क्यूसेक की यमुना पम्प नहर, बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद द्वारा उच्चस्तरीय पोषक नहर एवं भेलाव माइनर से सीपेज एवं नहर कटिंग के कारण जमीन जलमग्न होने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद, श्री आर0 डी0 भारतीय द्वारा भेजा गया पत्रांक 1213/पी 1/दिनांक 16 अप्रैल, 1999 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, सोनभद्र, सिंचाई विभाग, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

पोषक नहर की लाइनिंग तथा भेलाव माइनर की लाइनिंग का कार्य यमुना पम्प नहर प्रणाली का पुनरोद्धार की पुनरीक्षित परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। जल भराव की समस्या के निदान हेतु ड्रेनों की सफाई के लिए आगणन तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजना

114–श्री मदन चौहान–

क्या गन्ना विकस एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने तथा गन्ने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित दीर्घकालीन योजनायें संचालित है :–

1–जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत उन्नतिशील गन्ना बीज कार्यक्रम, बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम, पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम एवं अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना।

2–समतामूलक समाजोत्थान के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को गन्ने की खेती करने के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क समिति सदस्यता, क्षेत्र प्रदर्शन तथा निःशुल्क गन्ना बीज उपलब्धता सम्बन्धी कार्यक्रम।

3–केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान पर मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत क्षेत्र प्रदर्शन, गन्ना बीज संवर्धन, कृषि संयन्त्र वितरण, गन्ना बीज शोधन यन्त्र तथा उन्नतिशील खेती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली व बड़ौत में लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत की कार्य योजना

115–डा0 अजय तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली व बड़ौत में लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये सम्पर्क मार्ग वर्तमान में जर्जर हो चुके हैं ? क्या इन ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, कुछ मार्ग क्षतिग्रस्त है।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है तथा नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के अन्तराल पर चक्रानुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों की पुत्रियों की शादियों हेतु दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि की मांग

116–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की पुत्रियों की शादियों हेतु दिये जाने वाले अनुदान को महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू–

जी नहीं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदत्त किये जाने की योजना समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में संचालित योजना के समानान्तर संचालित की जा रही है। उक्त योजना में समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुदान की धनराशि में वृद्धि नहीं की गयी है। अतः समानता के आधार पर निर्धारित सीमा तक ही आर्थिक सहायता दी जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर के फेल नलकूपों को रि-बोरिंग कराने की मांग

117–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत 305 एच राजकीय नलकूप के बोरबर्स्ट होने की खराबी के कारण खेती की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त राजकीय नलकूप की रि-बोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

फेल नलकूपों की रि-बोरिंग हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 800 नलकूपों की पुर्ननिर्माण योजना में चिन्हित नलकूपों की सूची मे उक्त नलकूप सम्मिलित न होने के कारण, रि-बोरिंग संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार शहर सुरक्षा बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की जानकारी

118–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत उस्का बाजार शहर सुरक्षा बांध व घाट कई वर्षों से मरम्मत के अभाव में जर्जर हो गये हैं, जिसके कारण उक्त बांध व घाट के टूटने का खतरा है ? क्या उक्त बांध की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

उस्का शहर सुरक्षा बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना तैयार की गई है।

परियोजना स्वीकृत होने एवं धनराशि की उपलब्धता पर कार्यवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

119—श्री संजीव दरियाबादी—

[दिनांक 08 फरवरी, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या—168 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर नगर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

120—श्री संजीव दरियाबादी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में क्षेत्रीय खाद्य एवं रसद के कितने कार्यालय हैं ? कानपुर नगर में जनवरी, 09 से लेकर अक्टूबर, 2009 तक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

जनपद कानपुर नगर में 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय स्थापित हैं।

जनपद कानपुर नगर में जनवरी, 2009 से लेकर अक्टूबर, 2009 तक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के 09 पद रिक्त थे।

आयुक्त, खाद्य एवं रसद के आदेश दिनांक 09—12—09 द्वारा 02 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की तैनाती जनपद कानपुर नगर मे कर दी गयी है। लोक सेवा आयोग से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पदों पर तैनाती हेतु अधियाचन भेजा गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के चयन होने के उपरान्त कानपुर नगर में शेष क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्वार्थनगर में बाढ़ समस्याओं के समाधान विषयक पत्र पर कार्यवाही

121—श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 09—08—07 जो जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ समस्याओं के समाधान विषयक है ? प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित तीन बिन्दुओं पर निम्नवत् कार्यवाही की गई है—

(1) उस्का शहर सुरक्षा बांध के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण तथा नदी के तरफ स्लोप पर पत्थर द्वारा पिचिंग के कार्य हेतु परियोजना तैयार की गई है।

(2) लखनापार बैदौला बांध के ग्राम उदयपुर एवं जोगिया के मध्य 02 अदद रेगुलेटर का निर्माण आपदा राहत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से करा दिया गया है।

(3) लखनापरा बैदौला बांध जहां नौगढ़ बांसी सड़क पर मिलता है वहां बांध सड़क के ऊपर से तथा बांध के दोनों तरफ ढाल बनाकर सड़क बनाये जाने की परियोजना लोक निर्माण विभाग को प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में उतरौला इलाहाबाद मार्ग के मनकापुर से नवाबगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराने की मांग

122–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में उतरौला इलाहाबाद मार्ग के मनकापुर से नवाबगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर में पूर्वांचल विकास जिलांश के स्वीकृत प्रस्ताव

123–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्वांचल विकास जिलांश के प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

वर्ष 2007–08 के प्राप्त 6 प्रस्तावों में से 5 प्रस्तावों पर मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2008–09 में प्राप्त 6 प्रस्तावों की स्वीकृति परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के कतिपय मार्गों पर जर्जर लकड़ी के पुल की मरम्मत की मांग

124–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही वजीरगंज मार्ग पर लकड़ी का पुल (चौखट

घाट) दुर्जनपुर लिदेहना ग्रण्ट मार्ग पर स्थित लकड़ी के पुल के पूर्ण रूप से जर्जर हो जाने से आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या पूर्वांचल विकास राज्यांश विकास निधि से धनराशि आवंटन कर मरम्मत का कार्य करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्नगत पुलों की समुचित मरम्मत करा दिये जाने से आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में सरजू नहर खण्ड-4 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनायें

125–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में सरजू नहर खण्ड-4 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में स्वीकृत योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें पूर्ण तथा कौन–कौन सी योजनायें अपूर्ण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने पर विचार करेगी ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा के अधीन कोई कार्य नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में सरयू नहर खण्ड-2 एवं सरयू ड्रेनेज खण्ड-2, गोण्डा के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में स्वीकृत योजनाओं में से सरयू नहर खण्ड-2 के अन्तर्गत गोण्डा शाखा, जगदीशपुर रजवाहा, भोपतपुर अल्पिका आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बेतवा अल्पिका, बहिराडीह अल्पिका का कार्य प्रगति पर है।

सरयू ड्रेनेज खण्ड-2, गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा शाखा का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा गोपालपुर माइनर का कार्य प्रगति पर है।

अपूर्ण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में अतिवृष्टि से पुलिया एवं क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत/निर्माण की मांग

126–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत वर्ष 2009 में हुई अतिवृष्टि के कारण मार्ग कटने व पुलिया आदि टूटने तथा मार्गों की मरम्मत तथा पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-11-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों/कार्यों का मरम्मत एवं निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में अवैध रूप से मिट्टी के तेल का कारोबार किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र

127–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद अन्तर्गत मलकू पुत्र बीरबल, निवासी ग्राम बांसुरा, थाना रामपुर, मथुरा व मो0 वकील उर्फ छोटकऊ पुत्र मो0 फहीम, कोतवाली महमूदाबाद तथा मनोज गुप्ता पुत्र अम्बर प्रसाद बेलदारी टोला, महमूदाबाद आदि द्वारा मिट्टी के तेल के अवैध कारोबार किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-11-09 जो मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित किया गया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं। अपितु एक अन्य शिकायती–पत्र दिनांक 30-09-2009 जिलाधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ।

शिकायती–पत्र दिनांक 30-09-2009 में उल्लिखित श्री मलकू पुत्र बीरबल, निवासी ग्राम बांसुरा, थाना रामपुर, मथुरा व मो0 वकील उर्फ छोटकऊ पुत्र मो0 फहीम, कोतवाली महमूदाबाद तथा मनोज गुप्ता पुत्र अम्बर प्रसाद बेलदारी टोला, महमूदाबाद द्वारा अवैध रूप से मिट्टी तेल का कारोबार किये जाने संबंधी शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच में अवैध करोबार किये जाने संबंधी शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने की योजना

128–श्री मदन चौहान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिये सरकार "डोर स्टेप डिलेवरी" योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में बी0 पी0 एल0, अन्त्योदय एवं ए0 पी0 एल0 कार्ड धारकों को समय से सारी सामग्री उपलब्ध कराने की जानकारी

129–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को क्या समयबद्ध तरीके से अनुमन्य सारी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना करने की मांग

130–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मेसर्स कम्प्यूटर्स यान व कम्प्यूटर के बकाया बिलों के भुगतान की जांच

131–श्री प्रदीप माथुर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0 80 व 105 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच समिति की रिपोर्ट शासन के निर्धारित समय से प्राप्त हुई है ? यदि हां,

तो जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, विलम्ब से प्राप्त हुई है।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

जनपद लखीमपुर खीरी में गोला गोकरननाथ में निर्माणाधीन गोला बाईपास का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

132–श्री अरविन्द गिरि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में गोला गोकरननाथ में निर्माणाधीन गोला बाईपास कब तक पूर्ण होगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गोला बाईपास मार्ग पूर्व निर्धारित रूट खुटार, मोहम्मदी, कोटवारा मार्ग होते हुये लखीमपुर प्रमुख मार्ग पर जलालपुर तिराहे तक बनाये जाने वाले मार्ग में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जून, 2010 तक सम्भावित है।

जी हां।

संशोधित संरेखण पर सरकारी जमीन की उपलब्धता तथा मार्ग की लागत में बचत के कारण।

जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ की रोकथाम हेतु उपाय

133–श्री अरविन्द गिरि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुये सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में निम्न कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं पर कार्य किया गया है/किया जा रहा है–

(1) शारदा नदी के बायें तट पर शारदा नगर से ऐरा पुल तक तटबंध का निर्माण एवं शारदा नदी के बाये तट पर ऐरा पुल से अम्बरपुर तक एवं घाघरा नदी के दायें तट पर जालिम नगर से अम्बरपुर तक तटबंध निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) मटहिया गांव के पास शारदा नदी के दायें किनारे पर मैलानी भीरा पलिया रेलवे लाइन की सुरक्षा की परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(3) शारदा नदी के दायें किनारे पर ग्राम पिपरिया भूड एवं अन्य ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा का कार्य प्रगति पर है।

(4) किशनपुर सेच्युरी के अन्तर्गत झादी ताल के बचाव हेतु कटाव निरोधक योजना का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में शादी अनुदान हेतु स्वीकृत प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी

134–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2007-08 में कितने अल्पसंख्यकों के प्रार्थना-पत्र शादी अनुदान हेतु प्राप्त हुये और कितने स्वीकृत हुये ? क्या सरकार लम्बित सभी प्रार्थना-पत्रों को समयबद्ध रूप से स्वीकृत करने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू–

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2007-08 मे 18 अल्पसंख्यकों के प्रार्थना-पत्र शादी अनुदान हेतु प्राप्त हुये थे। धनाभाव के कारण उनमें से किसी भी आवेदक को अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या 1682/52–3–07–सा(4)/07, दिनांक 26-09-07 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी लम्बित प्रार्थना पत्र निरस्त पाये जाने की व्यवस्था है। अतः वर्ष 2007-08 के प्रार्थना-पत्रों पर वर्तमान में अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर, बहराइच तथा बाराबंकी जिलों में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में पत्र

135–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर स्थित बनबसा बांध एवं अन्य बांधों के रख–रखाव हेतु जनपद लखीमपुर, बहराइच तथा बाराबंकी जिलों में आने वाले विनाशकारी बाढ़ से बचाव के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं मा0 विधायकों से सुझाव लेकर कार्य योजना बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-11-2009 जो मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद नगर स्थित इमलिया तिलकापुर ड्रेन की भूमि पर अवैध कब्जा होने के संबंध में शिकायती-पत्र

136–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद नगर में आनन्द फिलिंग पेट्रोल पम्प के सामने स्थित इमलिया तिलकापुर ड्रेन पुल के समीप अवैध कब्जा किये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 12-11-09, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सीतापुर द्वारा किया गया तथा पैमाइश करने पर यह पाया गया कि नहर विभाग की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम झारी के पूरब तरफ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

137–श्री जोखू लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम झारी के पूरब तरफ नाले पर पुल न होने के कारण वर्षा के दिनों में आवागमन ठप्प हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। आवागमन होता रहता है।

सम्प्रति प्रश्नगत स्थल पर सेतु निर्माण का कार्य किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

सकरा नाला होने के कारण आवागमन बाधित नहीं होता है।

जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के गांव सभा इनायत पट्टी के मजरा ढोरटां एवं दादूपुर के मध्य राजकीय नलकूप की स्थापना की मांग

138–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत गांव सभा इनायत पट्टी के मजरा ढोरटां एवं दादूपुर के मध्य सिंचाई की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर एक राजकीय नलकूप की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

3000 नलकूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत कार्य योजना में जनपद इलाहाबाद हेतु 36 नवीन नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित था, जिनका स्थल चयन, जिलाधिकारी, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, जिन पर निर्माण कार्य प्रगति में है। अतः उक्त स्थान पर नलकूप की स्थापना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर स्थित नन्दा रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

139–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित नन्दा रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-4 नं0 185712, दिनांक 24-09-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत नन्दा नगर रेलवे क्रासिंग राष्ट्रीय मार्ग सं0 28 के चैनेज 270.200 में स्थित हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। वर्तमान में उपरिगामी सेतु बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम मलेथुआ के मजरा ढोकरी में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

140–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम मलेथुआ के मजरा ढोकरी में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या आगामी वित्तीय वर्ष 2010-2011 में उक्त नलकूप की बोरिंग करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

स्थल तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर प्रकरण आगामी वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा, समिति द्वारा चयन किये जाने की स्थिति में ही नलकूप की बोरिंग कराया जाना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद तहसील हंडिया में राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

141–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया की 14 एवं 304 एच डुबकी खुर्द राजकीय नलकूप की नाली ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

राजकीय नलकूप सं0 14 एच0 एवं 304 एच0 डुबकी खुर्द नालियों की यथावश्यकतानुसार मरम्मत करा दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में आवास विकास कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि

142–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में आवास विकास कालोनी के निर्माण हेतु किस स्थान पर जमीन अधिग्रहीत की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वर्तमान में मैनपुरी शहर में आवासीय समस्या के समाधान हेतु मैनपुरी-कानपुर रोड पर स्थित "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 1 मैनपुरी" क्षेत्रफल 49.21 एकड़ भूमि अधिग्रहण करते हुये संचालित की गयी है।

जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाने की मांग

143–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर माफी के केवटान बस्ती के दक्षिण तरफ की जमीनों तथा भवानीपुर आरा खुर्द आदि समीपवर्ती गांवों की भूमि की सिंचाई हेतु क्या सरकार एक राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

3000 नलकूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत कार्य योजना में जनपद इलाहाबाद हेतु 36 नवीन नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित था, जिनका स्थल चयन, जिलाधिकारी, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, जिन पर निर्माण कार्य प्रगति में है, अतः उक्त स्थान पर नलकूप की स्थापना संभव नही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद नगर में गंगा नदी में कटान से उत्पन्न होने वाले खतरे से निजात पाने हेतु उपाय

144–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद नगर के चांदपुर सलोरी, बघाड़ा, दारागंज तथा नागवासुकी मंदिर को गंगा नदी में कटान होने के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकारा भविष्य में उक्त कटान से उत्पन्न होने वाले खतरे से निजात पाने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। भयंकर खतरा नहीं है। नदी कटान कर रही है।

कटान रोकने के लिये परियोजना विचाराधीन है।

धनराशि की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सहिनवां ताल ड्रेन की सफाई कराये जाने की मांग

145–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सहिनवां ताल ड्रेन की सफाई कब से नहीं करायी गयी है ? क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 2004-05 में पुर्नस्थापना का कार्य कराया गया है।

जी हां।

वर्ष 2009-10 में सफाई करायी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के महराजगंज से बछरांवा निर्माण/मरम्मत किये जाने वाले मार्ग की गुणवत्ता की जांच

146–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के महराजगंज से बछरांवा निर्माण/मरम्मत किये जाने वाले मार्ग की गुणवत्ता की जांच कराये जाने से सम्बन्धित पत्र को विशेष सचिव, ग्राम्य विकास ने अपने अ0शा0प0सं0 आर 442/38-1-2009-80 पी0एम0जी0एस0वाई0 108 के माध्यम से प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 को भेजा था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी हां।

मार्ग पर कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से करायी गयी। जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों की मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी पत्र

147–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई सड़कों को बनवाये जाने व पुरानी सड़कों की मरम्मत कराये जाने हेतु कोई सूची जनपद के अ0 अभियन्ता के माध्यम से मांगी गई थी ? क्या कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यातायात वर्ग) के पत्रांक सं0 557 मि/5(14) रा0स0नि0 (विम) टी0सी0 लखनऊ

08-09, दिनांक 11-11-08 द्वारा प्रश्नकर्ता की 13 सड़कों को बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कें बनवाई गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। केवल 13 मार्गों के मरम्मत हेतु सूची प्राप्त हुई है।

जी नहीं। प्रमुख अभियन्ता (यातायात वर्ग) के पत्र संख्या 5578/05(14) रा0स0नि0 (विम) टी0सी0–लखनऊ/08-09, दिनांक 11-11-2008 द्वारा प्रस्ताव शासन को नहीं, बल्कि आपत्तियों के साथ प्रस्ताव जनपद के अधिशासी अभियन्ता को वापस कर दिया गया था।

इस सड़कों पर मरम्मत कार्य प्रस्तावित था। सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध संसाधनों से मार्गों के मरम्मत का कार्य सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ व नई दिल्ली में प्रदेश के पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों को रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त आवास/अतिथि गृहों का निर्माण कराये जाने की मांग

148–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ व नई दिल्ली में प्रदेश के पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों को रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त आवास/अतिथि गृह उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या उनकी मांग के अनुरूप सरकार अतिथि गृहों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा0 पूर्व सांसदों एवं मा0 पूर्व विधायकों के अवस्थान हेतु लखनऊ में तीन अतिथि गृह–राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग, राज्य अतिथि गृह, विक्रमादित्य मार्ग एवं विशिष्ट अतिथि गृह डालीबाग, लखनऊ तथा नई दिल्ली में एक अतिथि गृह उ0 प्र0 भवन उपलब्ध है।

चाणक्य पुरी नई दिल्ली के आसपास एक नये अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का अनुरोध शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही संभव होगी।

जनपद गोरखपुर में मोहद्दीपुर चौराहे से कुशीनगर मार्ग तक देवरिया रोड पर फ्लाई ओवर बनाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

149–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में मोहद्दीपुर चौराहे से कुशीनगर तक देवरिया रोड पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में

प्रश्नकर्ता का पत्र क–4 नं0 15721, दिनांक 24 सितम्बर, 2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। वर्तमान में फ्लाई ओवर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास दारुलशफा में रहने वाले विधायकों को सचिवालय आने में सुविधा हेतु ओवर ब्रिज (पैदल पथ) बनाये जाने की मांग

150–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास दारुलशफा में रहने वाले विधायकों को सचिवालय आने में सड़क पार करके गेट नं0 3 पर आने पर बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड पर ओवर ब्रिज (पैदल पथ) बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। यदाकदा मार्ग पर अधिक यातायात होने की दशा में विधायक निवास दारुलशफा में रहने वाले मा0 विधायकों को सड़क पार करने में असुविधा होती है।

स ते कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत में राजकीय नलकूपों को रि-बोर कराने की मांग

151–डा0 अजय तोमर–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वर्तमान में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं, इनमें से अक्टूबर, 2009 तक कितने चालू हालत में हैं और कितने बन्द हैं ? क्या इन पूर्णतया बन्द आंशिक बन्द नलकूपों की रि-बोर कराने अथवा ठीक कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जनपद बागपत में कुल 352 राजकीय नलकूप हैं, इनमें से अक्टूबर, 2009 तक 209 नलकूप चालू हालत में हैं तथा 143 नलकूप बन्द हैं, जिनका वर्गीकरण निम्नवत् है–

परित्यक्त नलकूप–106

फेल नलकूप–37

विभिन्न तकनीकी कारणों से परित्यक्त नलकूपों को ठीक कराने की कोई योजना नहीं है।

फेल नलकूपों में से वर्तमान में "800 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना योजना" के अन्तर्गत मात्र 11 नलकूपों की रिबोरिंग/ठीक कराये जाने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत, छपरौली विधान सभा क्षेत्र के जिला योजना में स्वीकृति मार्ग के सम्बन्ध में जानकारी

152–डा0 अजय तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की छपरौली विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से मार्ग 2009-10 की जिला योजना में स्वीकृत है ? इन पर कहां-कहां कार्य प्रारम्भ हो गया है ? जहां कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 2009-10 की जिला योजना में प्रस्तावित कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में जिला योजना हेतु वर्ष 2008-09 में लोक निर्माण विभाग हेतु आवंटित धनराशि

153–डा0 अजय तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में जिला योजना हेतु वर्ष 2008-09 के लिये लोक निर्माण विभाग हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था ? किन-किन मार्गों हेतु क्या विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि जनपद बागपत को भेजी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब व कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद बागपत में वर्ष 2008-09 की जिला योजना के लिये कुल लागत रु0 264.53 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रु0 116.74 लाख आवंटित किया गया।

जी हां।

वर्ष 2008-09 में रु0 98.49 लाख दिनांक 19-12-08 रु0 18.25 लाख दिनांक 24-2-09 वर्ष 2009-10 में रु0 147.79 लाख दिनांक 13-4-09। इस प्रकार सम्पूर्ण स्वीकृत लागत की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल परियोजना में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नौकरी देने की मांग

154–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल परियोजना के निर्माण के दौरान विस्थापित अथवा जमीन अधिग्रहीत किये गये नागरिकों को ग्रीन कार्ड जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? अब तक कितने ग्रीन कार्ड होल्डर्स ने नौकरी के लिये आवेदन किये हैं तथा इनमें से कितने आवेदकों को नौकरी दी गयी है ? शेष को कब तक नौकरी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा रामगढ़ ताल सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत 12 ग्रामों की आंशिक कुल 1207.76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उक्त अधिग्रहण से कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ है। अधिग्रहण से प्रभावित सम्बन्धित ग्रामों के निवासी खातेदारों का 1343 एवं पाही कास्त खातेदारों का 1624 कुल योग 2967 ग्रीन कार्ड तत्समय बनाया गया था, जिसमें सम्बन्धित ग्राम के निवासी खातेदारों द्वारा कुल 563 एवं पाही कास्त खातेदारों द्वारा 215 कुल योग 778 खातेदारों द्वारा ग्रीनकार्ड प्राप्त किया गया है। शेष खातेदारों द्वारा ग्रीन कार्ड प्राप्त नहीं किया गया है।

अब तक 115 (एक सौ पन्द्रह) ग्रीन कार्ड धारक अथवा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा नौकरी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है, जिसमें से तत्समय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा 22 व्यक्तियों को नौकरी दे दी गयी है।

रिक्त पद न होने के कारण नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर/तरबगंज में उचित दर विक्रेताओं की दुकानें

155–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर/तरबगंज में कितनी ऐसी उचित दर विक्रेताओं की दुकानें हैं, जो प्रस्तावित चौहद्दी/स्थल पर संचालित न होकर अन्यत्र संचालित की जा रही है। ? क्या सरकार स्थलीय परीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

तहसील मनकापुर/तरबगंज में किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा निर्धारित चौहद्दी/स्थल से भिन्न स्थान पर दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग से जट्टारी बिजली घर से जलालपुर गांव तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

156--चौ0 सत्यपाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग से जट्टारी बिजली घर (ब्लाक टप्पल अलीगढ़) से जलालपुर गांव तक निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग से ऊर्राना, पीपल गांव से अम्बेडकर गांव जरारा तथा अलीगढ़ टप्पल पलवल से बझेड़ा से बिचपुरी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

157--चौ0 सत्यपाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग से ऊर्राना, पीपुल गांव (खैर ब्लाक) से अम्बेडकर गांव जरारा तथा अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग से बझेड़ा (टप्पल ब्लाक) से बिचपुरी की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की [illegible]नत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

(क) अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग पीपल गांव (खैर ब्लाक) से अम्बेडकर गांव जरारा तक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

(ख) अलीगढ़ टप्पल पलवल मार्ग से बझेड़ा से बिचपुरी की सड़क क्षतिग्रस्त है, परन्तु इसका स्वामित्व लोक निर्माण का न होकर जिला पंचायत का है।

उपर्युक्त 'क' पर वर्णित मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है तथा 'ख' पर अंकित मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग से टप्पल ब्लाक से गांव गढ़ी सूरजमल गांव तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग

158–चौ0 सत्यपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग से टप्पल ब्लाक से गांव गढ़ी सूरजमल गांव तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ में सड़क की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

159–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ में वर्ष 2009-10 में शासन द्वारा किस-किस सड़क की मरम्मत के लिये कितना-कितना धन आवंटित हुआ है ? आवंटित धन का उपयोग कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ में शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत के लिये रु0 21.98 लाख एवं सामान्य नवीनीकरण के लिये रु0 268.02 लाख, कुल रु0 290.00 लाख आवंटित किया गया है (कार्यवार विवरण संलग्न† है)। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में पैच मरम्मत हेतु रु0 50.76 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

सम्पूर्ण आवंटित धन का उपयोग मार्च 2010 तक किया जाना लक्षित है।

जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

160–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-3 नं0 045139, दिनांक 9 सितम्बर, 2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 250–151 पर।)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। प्रश्नगत पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2009 का न होकर दिनांक 01 सितम्बर, 2009 का है।

पत्र में उल्लिखित तीन समस्याओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है–

(1) गोरखपुर, महानगर की सुरक्षा हेतु महेवा–मलौनी तटबन्ध का सुदृढ़ीकरण–मलौनी तटबन्ध की सुदृढ़ीकरण की परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 111.61 लाख की धनराशि से अजवनिया रिंग बांध पर किमी0 0.00 से किमी0 1.290 तथा लहसड़ी रिंग बांध पर किमी0 0.00 से किमी0 1.00 तक की लम्बाई में उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया।

(2) गोरखपुर के खोराबार ब्लाक में स्थित तनकुलानी रेगुलेटर पर भारी क्षमता का पम्प स्थापित किया जाना–प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र की वर्षा के जल की निकासी हेतु भारी क्षमता के पम्पिंग स्टेशन की स्थापना उपर्युक्त नहीं पाई गई है।

(3) गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज एवं जगत कौड़िया के सैकड़ों गांव सरूआ ताल की बाढ़ की चपेट मे आते है, इसकी रोकथाम हेतु कोल्हई के पास तटबन्ध बनाकर तथा रेगुलेटर स्थापित करके ताल का सम्पर्क कूड़ा नदी (जनपद सिद्धार्थनगर) से किया जाना–कार्य की साध्यता हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद खीरी पीलीभीत उप निवेशक क्षेत्र को शारदा नदी की भीषण बाढ़ व कटान से बचाने हेतु स्थाई योजना बनाने की मांग

161–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नदी की भीषण बाढ़ व कटान से त्रस्त जनपद खीरी पीलीभीत उप निवेशक क्षेत्र को बाढ़ व कटान से बचाने की कोई योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र का स्थल निरीक्षण अनेक बार तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किये जाने के बावजूद भी राहत कार्य शून्य है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार राहत कार्य सुनिश्चित कराते हुये क्षेत्र को बचाने के लिये स्थाई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार बाढ़ सुरक्षा की स्थायी योजना पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिद्धार्थनगर द्वारा बार्डर डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों एवं पुलों को घटिया किस्म के बनाये जाने की जांच

162–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23–6–09 जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिद्धार्थनगर द्वारा बार्डर डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 में बनाई गई सड़कों एवं पुलों को मानक के विपरीत घटिया किस्म की बनाये जाने की जांच के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 03–02–2010 द्वारा टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर में मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आवंटित धनराशि

163–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में चालू वित्तीय वर्ष में मल्टी सेक्टर योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कुल कितना धन प्राप्त हुआ और उस धन को किस–किस मद में खर्च किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विकास खण्ड रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर में किन–किन व्यक्तियों को इस योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू–

जनपद बलरामपुर में मल्टी सेक्टोरल योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में रु0 1647.69 लाख (रुपये सोलह करोड़ सैंतालिस लाख उनहत्तर हजार मात्र) प्राप्त हुआ। प्राप्त धन को इन्दिरा आवास, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण पर खर्च किया जा रहा है।

विकास खण्ड रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत 118 व्यक्तियों (सूची संलग्न†) को इस योजना के तहत आवास आवंटित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 252–259 पर।)

जनपद लखनऊ में नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर के ब्लाक पी–77 के पीछे स्थित आवासों में लगी पाइप लाइनों को ठीक कराने की मांग

164–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर के ब्लाक पी–77 के पीछे बने आवासों में लगी पाइप लाइन टूटी होने के कारण आवासों की दीवार पानी में भीगती रहती है तथा प्लास्टर टूटने एवं सरिया खराब होने से सभी आवासों में सीलन काफी भर गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों में लगी पाइप लाइनों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर के ब्लाक पी–77 के पीछे बने आवासों मे लगी पाइप लाइन टूटी होने के कारण आवासों में सीलन आ गयी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर के ब्लाक पी–77 के पीछे बने आवासों में लगी पाइप लाइन ठीक करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेयजल/सिंचाई हेतु जल को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करने सम्बन्धी प्रस्ताव

165–श्री उदयभान करवरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल के अभाव को दृष्टिगत रखते हुये क्या जल (पानी) को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करने हेतु सरकार प्रस्ताव लाकर केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ? यदि हां, तो उसका प्रस्ताव कब तक केन्द्र को भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाइवे परियोजना का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

166–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाइवे परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा अक्टूबर, 2009 तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है ? उक्त परियोजना

में सदर से के0के0सी0 पुल तक का कार्य कब तक पूरा किये जाने का प्रस्ताव है ? क्या सरकार जनहित में उक्त परियोजना को निर्धारित समय पर पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत अक्टूबर, 2009 तक सदर से लालबहादुर शास्त्री मार्ग तक परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के अरबी फारसी बोर्ड द्वारा सम्पन्न परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं के संशोधित प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराने की जानकारी

167–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबी, फारसी बोर्ड द्वारा सम्पन्न परीक्षा वर्ष 2005 व 2008 में उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण–पत्रों में कतिपय त्रुटियों के कारण उन्हें संशोधित किये जाने हेतु शपथ-पत्र सहित संशोधन प्रस्ताव दिनांक 11–11–08 को अरबी फारसी बोर्ड कार्यालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 17–11–08 को संशोधित आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अभी तक प्रमाण–पत्र जनपद फतेहपुर की छात्राओं को उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार विलम्ब के उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू–

जी हां।

संशोधित आदेश पारित करने के उपरान्त रजिस्ट्रार, उ0 प्र0 अरबी फारसी मदरसा शिक्षा परिषद् के पत्र सं0 24899/अ0फा0परी0/2008, दिनांक 05–12–08 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, फतेहपुर एवं सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को यह सूचित किया गया कि बोर्ड द्वारा निर्गत अंक तालिका की मूल प्रति स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराते हुये इस कार्यालय द्वारा तैयार की गयी संशोधित अंक तालिका प्राप्त कर लें।

प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा चुकी है अतः अन्य किसी कार्यवाही का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

डा0 राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 राम सिंह जी अपनी सुरक्षा के बारे में आपसे मिले थे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले नियम 301 की सूचनायें हो जायं, उसके बाद बात करेंगे।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 फरवरी, 2010 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

पहली सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई में लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी, 2009 में निर्मित बनापुर से सिमरा तिराहा तक की सड़क की खराब गुणवत्ता के कारण अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ दें।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

(श्री नितिन अग्रवाल ने अपनी सूचना पढ़ी।)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठ जायें। दूसरी सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों किनारों पर पुनः ड्योले बनाने में लाखों रुपये हड़पने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिलिंग मशीन अवैध तरीके के बिना परिमिट जंगल कटान से पर्यावरण के कुप्रभाव के संबंध में है, चौथी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कम्भरपुर राजभर बस्ती मार्ग बेसो नदी पर पुल निर्माण किये जाने के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की हालत खराब एवं जर्जर सड़कों को बनवाये जाने के संबंध में है, छठीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा के सादुल्लानगर विधान सभा क्षेत्र में विसुही नदी पर गौरा चौकी मसकनवा मार्ग पर राजकीय सेतु निगम का अधूरा पुल निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की है वह उपस्थित नहीं है, आठवीं सूचना श्री राजेश कुमार जनपद

लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत राजकीय कृषि एवं बीज संवर्धन प्रक्षेत्र जमुनाबाद फार्म में कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में है, नवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की निगम की चीनी मिल खड्डा के क्रय केन्द्रों को पुनःपूर्ववत् की भांति खड्डा यूनिट को वापस करने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा की किताबों की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के द्वारा बनायी गयी सड़कें बेहद घटिया एवं मानक के विपरीत होने के संबंध में है, बारहवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद वाराणसी नगर निगम द्वारा मानदेय पर या वेतन पर नियुक्त सफाई कर्मियों पर निगम के नियंत्रण के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री प्रजा पालन की जनपद एटा विधान सभा एटा शहर के बीचो-बीच से निकलने वाले भारी वाहनों से सैकड़ों दुर्घटनाओं को देखते हुये बाईपास बनवाये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत प्रमुख सम्पर्क मार्गों की अत्यन्त दयनीय एवं जर्जर स्थिति को देखते हुये शीघ्र मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईंगंज के पंचायत भट्ठी बरकत नगर में इन्दिरा आवास, महामाया आवास के शौचालय निर्माण तथा नरेगा की मजदूरी के भ्रष्टाचार के संबंध में है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गईं-

1-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, 2-श्री अमरमणि त्रिपाठी, 3-श्री लल्लू सिंह, 4-श्री राजा राम त्यागी, 5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 6-श्री मदन चौहान, 7-श्री सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू।

चूंकि श्री कृष्ण गोपाल पटेल उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनके स्थान पर श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की सूचना ली जा रही है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई में लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी, 2009 में निर्मित बनापुर से सिमरा तिराहा तक की सड़क की खराब गुणवत्ता के कारण अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नितिन अग्रवाल-

महोदय, जनपद हरदोई के वि0 स0 क्षेत्र हरदोई में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क बनापुर से सिमरा तिराहा जिसकी लम्बाई 4 कि0मी0 है नई बनाई गयी थी जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत सन् 2009 जनवरी, में दी गयी थी। उक्त सड़क नवम्बर, 2009 में बनकर पूर्ण हुई। सड़क की गुणवत्ता इतनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खराब थी कि तीन माह के अन्दर ही सड़क बिलकुल उजड़ गई जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नई बनी सड़क का तीन माह में टूट जाने से क्षेत्र की जनता में सड़क की गुणवत्ता को लेकर भारी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय को मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वहां पर तैनात अधिशासी अभियंता श्री आर0 डी0 राही पर कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों किनारों पर पुनः ड्योले बनाने में लाखों रुपये हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री निर्मल वर्मा–

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों किनारों पर पूर्व में बने मिट्टी के ड्योले को काटकर पुनः उसी ड्योले को सैकड़ों ठेकेदार लगाकर नवीनीकृत करके सरकार के लाखों रुपये हड़पने का कार्य किया जा रहा है। जांच एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिलिंग मशीन अवैध तरीके के बिना परमिट जंगल कटान से पर्यावरण के कुप्रभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में ग्राम लवेदपुर वि0 खं0 (मियावे हड़ वन क्षेत्र धौरहरा में पिलिंग (प्लाईफ्ता) मशीन अवैध तरीके से बिना परिमिट स्थल प्राप्त किये तथा परमिट किसी दूसरे स्थान का तथा वन कटान दूसरे स्थान का इस अवैध जंगल कटान से पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अतः इस अवैध जंगल कटान के पेड़ों का भौतिक सत्यापन स्थलीय जांच कर दोषी लकड़ी माफियाओं पर कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कम्भरपुर राजभर बस्ती मार्ग बेंसों नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विद्या चौधरी–

[महोदय, निवेदन है कि विधान सभा मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कम्भरपुर राजभर बस्ती मार्ग बेसों नदी पर पुल का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण न होने से वहां जनता बरसात के मौसम में चारों तरफ गांव डूब जाता है। महीने भर की भोजन सामग्री एक बार लोग ले आते हैं। जनता काफी दिनों से परेशानियों का सामना कर रही है। जनता में काफी आक्रोश है।

अतः आपसे निवेदन है कि ग्राम कम्भरपुर बेसों नदी पर पुल निर्माण के लिए लोक हित के ध्यान रखते हुए अविलम्ब धन स्वीकृत कराते हुए निर्माण कराने का कष्ट करें।

शासन का ध्यान आकृष्ट करें।]

बदायूं विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की खराब हालत एवं जर्जर सड़कों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता–

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र 28, बदायूं के अन्तर्गत निम्न मार्गों की हालत बहुत ही खराब है जो काफी समय पहले बनी थी जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस पर वाहनों को भी बहुत दिक्कत महसूस होती है।

(1) विसौली कासगंज मेनरोड वितरोई से सिकन्दराबाद तक लेपन व मरम्मत कार्य।

(2) शेखूपुर नसरुतलापुर मार्ग पर धमेई मोढ़ से नसरुतलापुर तक लेपन मार्ग।

(3) विसौली कासगंज रोड पर ज्यौरापारवाला (सत्यपाल सिंह के मकान से सेन्टर बरी के पेड तक सी0 सी0 कार्य।)

(4) प्रेमी नगला से नागर तक सी0 सी0 कार्य।

(5) सदाठेर से सरकी तक मिट्टी पड़ी हुई है। सी0 सी0 कार्य होना।

(6) सदाठेर से बनगवां अढ़ोली होते हुये उझानी तक लेपन कार्य।

(7) कछला उझानी रोड पर मेनरोड से जनुईया तक लेपन कार्य।

(8) बदायूं विल्सी रोड पर मेन रोड से कुरऊगांव तक लेपन कार्य।

(9) बदायूं कादर चौक से रहमुद्दीन नगर तक लेपन कार्य।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये निम्नलिखित मार्गों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। यह सड़क/मार्ग नितान्त बनना आवश्यक है।]

जनपद गोण्डा के सादुल्लानगर विधान सभा क्षेत्र में विसुही नदी पर गौरा चौकी मसकनवा मार्ग पर राजकीय सेतु निगम का अधूरा पुल निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में बिसुही

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नदी पर गौरा चौकी मसकनवां मार्ग पर राजकीय सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। किन्तु किन्हीं कारणों से निर्माण कार्य अधूरे में ही रोक दिया गया है इससे स्थानीय जनता को अवागमन में बहुत ही कठिनाई हो रही है। जनमानस में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल पुल का निर्माण कराकर जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराने की भी मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत राजकीय कृषि एवं बीज संवर्धन प्रक्षेत्र जमुनाबाद फार्म में कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश कुमार–

[महोदय, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र-53 पैला खीरी में राजकीय कृषि एवं संवर्धन प्रक्षेत्र एवं कृषि फार्म स्थापित है जिसकी लम्बाई जे1, जे2, जे3, जे4, जे5, जे6, जे7, जे8, जे9, लगभग 11 किमी0 है। जनपद-लखीमपुर में कृषि विषय से कई इण्टर कालेज हैं जो छात्र उत्तीर्ण हो करके कृषि विषय से बी0एस0सी0 करने के लिये उन्हें मेरठ या फैजाबाद जाना पड़ता है जिसकी दूरी लगभग 500 किमी0 पड़ती है। जनपद में कृषि विश्वविद्यालय न होने से क्षेत्रीय कृषि छात्र/छात्राओं को अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त जनपद कृषि प्रधान जनपद है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद-लखीमपुर खीरी में एक कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने की मांग करता हूं।]

निगम की चीनी मिल खड्डा के क्रय केन्द्रों को पुनः पूर्ववत् की भांति खड्डा यूनिट को वापस करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भू चौधरी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निगम की चीनी मिल खड्डा को क्रय केन्द्र वापस दिलाये जाने के तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

हमारे विधान सभा क्षेत्र नौरंगियां अन्तर्गत खड्डा में निगम की चीनी मिल है यह चीनी मिल मेरे क्षेत्र की एकलौती चीनी मिल उद्योग है जो अपने अस्तित्व से जूझ रही है चीनी मिल खड्डा इस पिछड़े क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चीनी मिल का तीन क्रय केन्द्र शिवदत्त छपरा, मदनपुर तथा सोहगीवरवा निजी क्षेत्र के चीनी मिलों को आवंटित किया गया है ऐसा होने से इस चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है जिससे इस चीनी मिल पर असर पड़ेगा उक्त तीनों क्रय केन्द्रों का निजी चीनी मिलों को आवंटित करने का निर्णय पर गन्ना किसानों तथा क्षेत्र की जनता ने विरोध प्रदर्शन किया जिससे जनमानस में भारी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा की किताबों की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कृष्णा राज–

[महोदय, केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा सर्व शिक्षा अभियान को धत्ता बताकर जो किताबें बच्चों को ज्ञान अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा स्कूलों को उपलब्ध करायी जाती है। वो पुस्तकें बच्चों को न उपलब्ध कराकर ट्रैक्टर ट्राली द्वारा बड़े पैमाने पर कबाड़ी की दुकान पर कौड़ियों के मूल्य पर बेची जा रही है। विगत दिनों जनपद लखीमपुर में धौरहरा, तहसील में बेसिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकें दिनांक 20-01-2010 को बड़े पैमाने पर एक कबाड़ी के यहां बिकने जा रही थी, इस प्रकार का भ्रष्टाचार काफी दिनों से फलीभूत हो रहा था। पहले तो इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी किन्तु जब जनता को इसकी भनक लगी तब आम लोगों द्वारा चर्चा प्रारम्भ कर दिया एवं स्थानीय पत्रकारों के संज्ञान में आने पर प्रशासन की नींद खुली एवं मौके पर ही सलाम कबाड़ी धौरहरा की दुकान से बड़ी भारी संख्या में किताबें बरामद हुई। जब भष्टाचार सामने आया तब जाकर जिला प्रशासन ने जांच प्रक्रिया की लीपा–पोती प्रारम्भ की।

मान्यवर, यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है। इस भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कें मानक के विपरीत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

[जनपद सिद्धार्थ नगर के निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में बार्डर डेवलपमेण्ट योजना के अन्तर्गत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनायी जा रही सड़कें बेहद घटिया किस्म की हैं और मानक के विपरीत बनायी गयी हैं तथा जो सामग्री लगायी गयी है वह भी मानक के अनुरूप नहीं लगायी गयी है जिससे मार्ग का निर्माण ठीक ढंग से नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में यह मार्ग इस समय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा आवागमन के लायक नहीं है, और आवागमन बाधित हो रहा है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस पर यात्रियों के साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है, अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण खराब तरीके से निर्मित की गयी मार्ग के दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्षेत्र की जनता में इस खराब मार्ग के निर्माण को लेकर रोष एवं कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी नगर निगम द्वारा मानदेय पर या वेतन पर नियुक्त सफाई कर्मियों पर निगम के नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[महोदय, ठेकेदारी व्यवस्था द्वारा नगर में सफाई कार्य से आज नगरीय जीवन नारकीय बन गया है। जहां-तहां सीवर जाम या सीवर ओवर फ्लो हो रहा है। शहर की सीमा बढ़ती जा रही है, या बढ़ाई जा रही है लेकिन नगर निगम या नगर परिषद् अपनी वर्तमान सीमा को स्वच्छ रखने में असमर्थ है। उनके पास नियमित वेतनभोगी सफाई कर्मी कम हैं। निविदा पर सफाई कार्य निजी व्यक्तियों द्वारा कराया जाता है, जो मानक के अनुसार कार्य नहीं करते। वे अपना ड्रेस नहीं पहनते। फोटो नहीं लगाते। अपने को प्राइवेट कहकर जनता को ठगते है, उनसे पैसा वसूलते हैं तथा निगम के कर्मचारी को ही कुछ पैसा देकर काम लेते हैं। उनकी नियुक्ति शासन के द्वारा होती है और उनके कार्य का पारिश्रमिक निगम देता है। अतः निगम के अधिकारियों का उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं होता। परिणाम स्वरूप काम का अपेक्षित मूल्य नहीं मिलता। यह व्यवस्था अधिक खर्चीला होता हैं तथा काम का उत्तरदायित्व या जवाबदेही किसी का नहीं होता। परिणामस्वरूप अधिक खर्च के बावजूद शहरों में जगह-जगह गन्दा पानी जमा होता है, घरों में गन्दगी ओवरफ्लो करता है जो संक्रामक रोगों को जन्म देता है। जनता में इस व्यवस्था के प्रति तीव्र रोष है।

अतः मैं इस संवेदनशील व महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करती हूं तथा अनुरोध करती हूं कि निगम द्वारा मानदेय पर या वेतन पर कर्मचारी नियुक्त हों जिनके कार्य का निगम नियंत्रण कर सके और वे अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हों।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एटा (काशीराम नगर) के विधान सभा क्षेत्र एटा शहर के बीचों–बीच से निकलने वाले भारी वाहनों से सैकड़ों दुर्घटनाओं को देखते हुए बाई–पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रजापालन–

[मान्यवर, जनपद एटा (काशीरामनगर) के विधान सभा-एटा शहर, जो जिले का मुख्यालय है जिसकी आबादी लगभग 1.50 लाख है, शहर के बीचो-बीच से होकर जी0टी0 रोड निकलता है, रोड के किनारे सरकारी अस्पताल व कई स्कूल भी हैं जिससे शहर में भारी वाहन निकलने से दुर्घटनाओं से सैकड़ों की मौत हो चुकी है तथा यातायात पूरी तरह ध्वस्त रहता है। अतः इसके लिए बाई–पास सड़क का होना नितान्त आवश्यक है। बाई-पास मार्ग के निर्माण हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाई-पास मार्ग के न बनाये जाने से हो रही दुर्घटनाओं के कारण जनमानस मे आक्रोश व्याप्त है। इसका कई बार सर्वे भी हो चुका है व नक्शे भी बने हैं परन्तु इस हेतु बजट में धन की व्यवस्था नहीं की गयी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए एटा में पी0डब्लू0डी0 द्वारा बाई–पास मार्ग के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत प्रमुख सम्पर्क मार्गों की अत्यन्त दयनीय एवं जर्जर स्थिति को देखते हुए शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम गुप्ता–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर के क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण न कराये जाने से आवागमन में हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों की दशा अत्यन्त दयनीय है जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। इस क्षेत्र का प्रमुख सम्पर्क मार्ग-1, भिटौरा तारापुरे से आलमपुर नरही मार्ग, 2–जी0टी0 रोड से सेनीपुर मलौनी, 3–पिलखिनी से उमरा मकनपुर तक 4–जैचन्दापुर से सिरसी भलेवा तक 5–हसनापुर से हैवतपुर तक 6–मण्डा सराय से मलॉव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इन सम्पर्क मार्गों के अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है जिससे जनमानस में आक्रोश भी व्याप्त है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण शीघ्र कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज के पंचायत भट्ठी बरकत नगर में इन्दिरा आवास, महामाया आवास के शौचालय निर्माण तथा नरेगा की मजदूरी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 के0 चौधरी–

[महोदय, आपका ध्यान राजधानी लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरकत नगर भट्ठी के 100 से अधिक इन्दिरा आवास तथा महामाया आवास के शौचालय निर्माण एवं मनरेगा की मजदूरी में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। विषय अति लोक महत्व का है तथा अविलम्बनीय है। गांव में 100 से अधिक इन्दिरा आवास एवं महामाया आवास का निर्माण किया गया है। एक तो आवास आवंटन में ग्राम पंचायत और विकास स्तर पर धांधली हुई है। दूसरे अभी तक इन आवासों के शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया। गांव के गरीब मजदूरों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत काम कराया जा रहा है परन्तु उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। 80 से अधिक मजदूरों की 20 से ज्यादा दिनों की मजदूरी बकाया है। मजदूर दर-दर भटक रहे हैं और भूखों मर रहे हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी तीनों की साजिश से गांव तबाह है। इनके लगातार भ्रष्ट क्रियाकलाप से गांव वाले परेशान हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने, निर्मित इन्दिरा आवासों, महामाया आवासों, शौचालय बनवाने और मनरेगा के मजदूरों के बकाया मजदूरी का शीघ्र भुगतान कराये जाने की मै मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा रामपुर आदि में अग्निशमन केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू–

[महोदय, जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां व महमूदाबाद लहरपुर के वि0 खण्ड रेउसा रामपुर मथुरा बेहटा की 80% अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की आबादी झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। कभी सूखे की कभी बाढ़ से प्रभावित जो भी अनाज बचाकर अपनी झोपड़ियों में रख पाते हैं माह मई/जून के आते ही अग्नि का दावानल सम्पूर्ण गांव को जलाकर राख कर देता है। अग्निशमन केन्द्र की दूरी अधिक होने के कारण समय से आग बुझाने वाला वाहन नहीं पहुंच पाता है। और जब तक पहुंचता है तब तक सब कुछ राख हो जाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। ऐसे हादसे मई/जून माह में एक नहीं हजारों की संख्या में प्रति वर्ष होते हैं। सम्मानित सदन में नियमों के अन्तर्गत कई बार सूचित कर चुका हूं कि विकास खण्ड रेउसा, बेहटा, रामपुर मथुरा के मध्य में विकास खण्ड रेउसा पड़ता है एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कर दिया जाय। सम्भवतः रेउसा के लिए स्वीकृत भी किया गया है। परन्तु अभी तक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना नहीं हो पाई है। मई/जून का महीना करीब आ गया है। यह सोचकर प्रभावित लोग अत्यन्त चिन्तित हैं।

अतः जब तक अग्निशमन की स्थापना न हो तब तक मात्र दो माह मई/जून हेतु उक्त विकास खण्ड के थानों में एक-एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कराने की मांग शासन से करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 फरवरी, 2010 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है।

डा0 राम सिंह द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु पीठ से अनुरोध

श्री अध्यक्ष–

पहले डा0 राम सिंह जी आपका कोई व्यक्तिगत मसला है। आप बोलिये।

*डा0 राम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे अपने जीवन की सुरक्षा से सम्बन्धित यह सूचना है विगत तीन सप्ताह से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिससे मेरे मन में जीवन की सुरक्षा को लेकर चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। दिनांक 19 जनवरी, 2010 को दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ आने के लिए अलीगढ़ से सवार हुआ। ट्रेन विलम्ब से चल रही थी कानपुर में कुछ व्यक्ति मेरी बोगी में सवार हुए और मेरी सीट से कुछ दूरी पर आकर बैठ गये उनमें से ऊंची आवाज में एक व्यक्ति कह रहा था।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब आप जो पढ़ रहे हैं उसको कहिए कि क्या व्यक्तिगत मसला है।

डा0 राम सिंह–

मान्यवर पढ़े देता हूं। मेरी सीट से कुछ दूरी पर आकर बैठ गये। उनमें से एक व्यक्ति ऊंची आवाज में कह रहा था कि अलीगढ़ से ढर्रा विधान सभा क्षेत्र से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री राम वीर उपाध्याय जी आगामी चुनाव लड़ेंगे। जो राजनीतिक आदमी इस सीट से चुनाव लड़ने की सोचेगा उसे ठिकाने लगा दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जायेगा। उसने अपने साथियों से यह भी कहा। कानपुर से कुछ व्यक्तियों का प्रबन्ध कर रहा हूं और प्रयास होगा कि वह हाथ से निकलकर जाने न पाये। इसी प्रकार दिनांक 22-1-10 को मैं लखनऊ स्टेशन के प्रतीक्षा कक्ष में शताब्दी एक्सप्रेस के चलने की प्रतीक्षा कर रहा था, उस दिन रेलगाड़ी के चलने में विलम्ब था, वहां पर 4-5 लोगों ने प्रवेश किया तथा उनमें से एक ने अपने मोबाइल पर बात की। बातचीत में वह बार-बार मंत्री शब्द का उपयोग कर रहा था और यह भी कह रहा था कि जिम्मेदारी मैंने अजय को सौंप दी है। अजय वही व्यक्ति है जो 19-1-2010 को कानपुर स्टेशन पर शताब्दी में चढ़ा था तथा अन्य लोगों से मुझको रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। संयोग से 22 तारीख को 7-8 विधायक बोगी में सवार हो गये और मैं भी उन्हीं के साथ सवार हो गया। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति 1-2-2010 को भी हुयी। जब मैं अलीगढ़ से लखनऊ आने के लिये गाड़ी में सवार हुआ तो उसमें मौजूद एटा नगर के माननीय विधायक श्री प्रजा पालन भी थे। कानपुर स्टेशन पर 4-5 लोग पुनः उस बोगी में चढ़ गये और आपस में कहने लगे कि लखनऊ स्टेशन पर हमने कुछ व्यक्तियों का प्रबन्ध कर लिया है और आज काम तमाम कर देंगे परन्तु उस रोज भी माननीय विधायक के साथ मैं टेम्पों को लेकर आवास पर पहुंच गया। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में गुड्डू नामक व्यक्ति मेरे विरुद्ध बसपा का उम्मीदवार था जिसका एक आपराधिक इतिहास है। इसमें 14 हत्यायें और 10 अन्य संगीन घटनायें शामिल हैं। इसने तहसील अतरौली के अन्नी ग्राम में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के आवंटित व्यक्तियों की जमीन पर तथा ग्राम समाज की कुल 400 बीघा जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 33 के0वी0ए0 का सब स्टेशन स्थापित कराया है। उक्त गुड्डू नामक व्यक्ति माननीय ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय जी के विश्वासपात्र है और उसने मेरी हत्या करने की योजना भी बनाई है, जिसका विस्तृत उल्लेख मैं नहीं करना चाहता हूं। मेरी जान का खतरा बना हुआ है। अतः मेरा आग्रह है कि मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आप आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

*श्री मदन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, एक पीड़ा हमारी भी है।

श्री अध्यक्ष–

अभी एक व्यक्ति की पीड़ा दूर नहीं हुयी, इधर आप भी खड़े हो गये। आप बैठ जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य सुरक्षा की बात तो कर ही रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सुरक्षा के लिये आप निर्देशित भी करेंगे। लेकिन दो-तीन दिनों की यह घटनायें हैं तो यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यह कौन लोग हैं, उनकी नीयत क्या है। उनका षड़यंत्र क्या है, इनके जीवन के प्रति वह किस तरह से खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उसकी जांच होनी चाहिये। मान्यवर, यह आपराधिक मामला है और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का एक जाना पहचाना व्यक्ति, जिसका आपराधिक रिकार्ड शासन की नजर में है, उसका भी उल्लेख किया गया है इसलिये उसकी जांच भी होनी चाहिए। आप उसकी पूरी तरह से जांच का भी निर्देश दीजिये कि आखिर इसके बारे में पता लगे और आपके यहां इन्होंने लिखित मिलकर दिया है, इसलिये आपको भी एक सदस्य की सुरक्षा के लिये पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए और प्राप्त करने का अधिकार है जिससे आप सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित व्यवस्था करा सके इसलिये उसकी जांच भी कराने का निर्देश आप देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, डा0 राम सिंह जी ने व्यक्तिगत तौर पर खड़े होकर अपनी सुरक्षा का और उनके जीवन को खतरा है, इस तरह का उल्लेख उन्होंने सदन में लिखित तौर पर किया है और वह पढ़कर सुनाये हैं। जब सदन में कोई माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और खतरे के बारे में कहता है तो मैं प्राथमिकता के आधार पर यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय विधायक द्वारा जो बाते कही गयी हैं, आप उसको जरूर दिखवा लें और उन्होंने जो एक आवेदन-पत्र दिया है उसके आधार पर दिखवा लिया जाय कि सत्यता क्या है, उसकी जांच भी करा ली जाय। यह पत्र मैं आपको पहुंचवा देता हूं।

जिला योजना के अन्तर्गत गन्ना समिति द्वारा मांगे गये प्रस्ताव पर बनी सड़कों पर प्रस्ताव के बोर्ड को विभाग द्वारा उखाड़ दिये जाने विषयक प्रकरण

*श्री मदन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी पूर्व में भी मैंने सदन में अवगत कराया था कि कुछ प्रस्ताव जो जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण के संबंध में लिये जाते हैं, मुझसे भी जिला योजना के अन्तर्गत गन्ना समिति द्वारा प्रस्ताव मांगे गये थे, दो सड़कों के प्रस्ताव मैंने विभिन्न समय पर दिये, उन सड़कों पर प्रस्तावक के रूप में हमारा बोर्ड लगा था और उस दिन के बाद विभाग ने उन बोर्डों को उखाड़ लिया। मैंने जानकारी करनी चाही तो उसमें पता लगा कि इसमें ऊपर से शासन का आदेश है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इसको उखाड़ लिया जाय। मान्यवर, मुझे उनको उखाड़ने से दिक्कत नहीं है। सिर्फ पीड़ा यह हुई कि उखाड़ने के बाद एक साधारण व्यक्ति के नाम का बोर्ड लगा। मान्यवर, जब प्रस्ताव जन-प्रतिनिधि का था, मेरा था, तब उसकी जगह पर दूसरे का बोर्ड लगना उद्घाटन करना कहां से औचित्यपूर्ण है। मान्यवर, वहां के फोटो हमारे पास हैं। मान्यवर, यदि हमारे नाम का बोर्ड नहीं लगाया जा सकता, प्रस्ताव में नाम नहीं लिखा जा सकता तो क्या एक साधारण व्यक्ति का नाम जन-प्रतिनिधि के स्थान पर लिखा जा सकता है। मान्यवर यह जन-प्रतिनिधि के साथ-साथ तीन लाख आबादी जहां से मैं चुनकर आता हूं, उनके सम्मान का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि या तो किसी का बोर्ड न लगे और यदि लगे तो जन-प्रतिनिधि का लगे। मैं यहां पर फोटो लाया हूं, यह फोटो मैं आपके पास भिजवा देता हूं। यह ऐसे लोगों के बोर्ड हैं जो प्रस्ताव भी नहीं लाये हैं और उनके नाम के बोर्ड लगाये जा रहे हैं तो मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, मा0 चौहान जी ने अपना व्यक्तिगत विषय उठाया है, इसको आप दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, जो विभागीय सड़कें हैं, उन पर शासनादेश है कि बिना शासन की अनुमति के किसी का शिलान्यास या उद्घाटन का पत्थर नहीं लगता है। शासन के अनुमोदन के पश्चात् ही यह होता है। यह कोई आज की नहीं बल्कि पहले से यह परम्परा चली आ रही है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह मा0 मदन चौहान का ही नहीं बल्कि सभी विधायकों के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह सदैव से होता रहा है और आपने जो हमें दिया है प्रोटोकाल का, उसमें भी उल्लिखित है कि यदि ऐसी कोई चीज होगी तो उसमें मा0 जन-प्रतिनिधि सम्मान के साथ बुलाये भी जायेंगे और अगर जन-प्रतिनिधि अपने आप शिलान्यास या उद्घाटन करना चाहता है तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। मा0 चौहान जी का विषय इससे भी अलग है, यह कर भी चुके, बोर्ड भी लग गया और उसके बाद भी यदि आपको यह लगता है कि आप किसी सदस्य की अवमानना नहीं कर रहे हैं, मा0 सदस्य का अपमान नहीं कर रहे हैं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह राजनीति है, लोकतन्त्र है, यह परम्परा मत डालिये अगर विधायक को अपने क्षेत्र में बनने वाले निर्माण कार्यों का श्रेय भी नहीं देना चाहते हैं उससे उसका नाम भी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप लोकतन्त्र में विश्वास न रखने वाली सरकार के रूप मे जाने जायेंगे।

(हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, बैठ जायें, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक मा0 सदस्य का अपमान हुआ है, मा0 सदस्य के प्रस्ताव पर वह निर्माण हुआ था। जब इनके प्रस्ताव पर निर्माण हुआ है तो इनके नाम का पत्थर वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए था।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। जो विभागीय सड़के हैं चाहे वह जिस विभाग की हों, यह आज की बात नहीं है चाहे आपकी सपा के समय की सरकार रही हो, चाहे भाजपा के समय की सरकार रही हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो किसी भी मा0 जन-प्रतिनिधि का बोर्ड नहीं लगता। हम लोगों के क्षेत्र में भी, मैं विधायक था, हमारे प्रस्ताव पर सड़कें बनी थीं और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के नाम का पत्थर लगा, हम लोगों में से किसी का पत्थर नहीं लगा। मान्यवर, इस तरह से अभी तक की जो स्थिति रही है वह यह है कि शासन की अनुमति से ही वहां पर पत्थर लगाया जा सकता है और बिना शासन की अनुमति के किसी भी प्रस्तावक के नाम का पत्थर लगाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। इसलिए मान्यवर, कोई नयी परम्परा डालने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जिनमें हर वक्त विचार-विमर्श की गुजाइश रहती है। आप सबसे पहले अपनी कल्पना एक साधारण विधान सभा सदस्य के रूप में करें और फिर सोचें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यदि पुराना किसी ने पाप किया हो या गलती की हो तो आप भी करें। मेरा सिर्फ यह कहना है कि अगर एक विधान सभा के सदस्य ने प्रस्ताव किया है, उसकी उसमें भागीदारी है और अगर वह शिलान्यास और उद्घाटन में लगायी गयी मार्ग-पट्टिका पर अपना नाम चाहता है तो आप विधायकों की गरिमा को कहां गिरा रहे हो, विधायकों की गरिमा को इतना क्षति न पहुंचाओ, नगर पालिकाएं यह तक करती हैं कि सभासद का नाम लिखवा देती हैं कि उनके प्रस्ताव पर हुआ है और आप अपने कार्यकाल में इन विधायकों की स्थिति नगरपालिका के सभासदों से मत गिराओ।

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको इसमें सरकार से कहना पड़ेगा। विधायकों के प्रस्तावों पर तो काम होना ही चाहिए और दूसरी तरफ उनके नाम भी उसमें अंकित होने चाहिये।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, मेरे नाम का पत्थर तो उखड़वा दिया गया लेकिन दूसरे साधारण व्यक्ति का नाम उसमें लगा दिया गया है यह कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष–

इसलिए मैं ससदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि इसको दिखवा लीजियेगा कि क्या स्थिति है :–

श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' द्वारा स्वयं की सुरक्षा की मांग

श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू'–

मान्यवर, दिनांक 27 नवम्बर को लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में दो अपराधी पकड़े गये मनोज बिहारी और सुभाष। इन्होंने वहां कबूल किया कि उन्होंने एक विधायक की हत्या की सुपारी के लिये 20 लाख रु0 लिये हैं। मान्यवर, यह बात टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में भी छपी है। उसके बाद से मैं बार-बार सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा हूं लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया इसका संज्ञान ले लीजिये।

आज की कार्य–सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के भ्रामक उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का गलत उत्तर आज आया है। मेरा प्रश्न संख्या 159 अतारांकित है। यह लोक निर्माण विभाग का है। जो उत्तर आया है वह बिल्कुल भ्रामक और गुमराह करने वाला है।

श्री अध्यक्ष–

आपको पता है कि इस सम्बन्ध में नियमों में व्यवस्था है आप उसमें लिखकर दीजिये।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को श्री कुबेर सिंह का अकस्मात स्वास्थ्य खराब होने पर सरकारी अस्पताल से दवाएं उपलब्ध न हो पाने विषयक प्रकरण

*श्री कुबेर सिंह–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 24 दिसम्बर को मेरा स्वास्थ्य अकस्मात खराब हो गया। मैं जिस नगर में रहता हूं वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारी को मैंने इसके बारे में बताया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह छुट्टी पर थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कह दिया। उन्होंने पूछा, जो दवायें चाहिये थीं वह उपलब्ध नहीं थी। मैंने पुनः उस अधिकारी से बात की उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सीएमओ साहब से बात की। उन्होंने कहा कि वह दवाओं का प्रबन्ध करते हैं। लेकिन दो घंटे तक इंतजार करता रहा कोई दवा नहीं आयी। इसलिये फिर मैंने प्राइवेट डाक्टर को बुलाया और इलाज कराया। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जब हम लोगों के साथ यह हाल हो रहा है तो जनता के साथ क्या होता होगा। जन प्रतिनिधियों के साथ तो इस तरह का कोई अनर्थ न हो। आप चाहें तो बजट बढ़वा लें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 10 फरवरी, 2010 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन सूचनायें प्राप्त हुयी। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर मैं सुनूंगा।

दो अन्य सूचनायें जो नहीं सुनी जायेंगी वह है, श्री उदयभान करवरिया की ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत लेखा संवर्ग में कनिष्ठ लेखा लिपिक (एनआरईपी) को वित्त विभाग की स्वीकृति के विपरीत शासकीय एवं आर्थिक लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है। श्री सुखलाल जी की सूचना जनपद पीलीभीत में दिनांक 9/10 फरवरी, 2010 की रात्रि में ओलावृष्टि के फलस्वरूप किसानों की फसल नष्ट होने के कारण किसानों को हुई क्षति के सम्बन्ध में है।

लोक सभा सचिवालय की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा का गठन जब से हुआ है तब से लोक सभा की बहुत सी परम्पराओं का हम पालने करते रहे हैं। जहां कहीं मान्यवर कुछ परिस्थितियां यह दिखायी पड़ती हैं कि कुछ भिन्नता है तो आपकी पीठ से सदैव दिशा निर्देशन होते रहे हैं कि चूंकि लोक सभा में ऐसा होता रहा है इसलिये विधान सभा में भी यह किया जाना चाहिए।

मान्यवर, कृपापूर्वक छठवें वेतन आयोग को सरकार ने लागू कर दिया है। जहां पदों का सृजन नहीं है या पद नाम में परिवर्तन है उसके लिए समिति भी बन गयी है। ये सारी बातें हो गयी हैं। मान्यवर, जहां हम बैठे हैं, यहां दीपक तले अंधेरा हो रहा है और क्यों हो रहा है ? शायद यहां ज्यादा तेज बल्व जल रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए नीचे ज्यादा छाया जा रही है। यहां पर कुल मिलाकर 63 सुरक्षाकर्मी हैं, आप दिखवा लें। मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि लोक सभा में सुरक्षाकर्मी वही कार्य करते हैं जो यहां विधान सभा में करते हैं। तो फिर आपके रहते कैसे यह हो रहा है कि वहां ज्यादा यहां कम ? आप जैसे दयालु और कृपालु आदमी के लिए बड़ी चिंता की बात है। अगर वित्तमंत्री गड़बड़ कर रहे हों तो पूरा सदन आपके साथ है। हम सब चाहते हैं कि लोकसभा की परम्परा के अनुरूप किया जाए। जब कार्य वही, तो वेतन भी वही होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें आप भी सहमत होंगे। इस तरीके से देखें तो छोटी सी समस्या है, न समाचार-पत्र दिये जाते हैं, निर्णय भी हुआ लेकिन यहां नहीं दिया जाता है। सी0यू0जी0 के सेलफोन की सुविधा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गयी, इनको नहीं दी गयी है। मान्यवर, आप सरकार से बड़े हैं, सरकार छोटी है। जब सरकार छोटी है, आप बड़े हो तो आपके कर्मचारी भी सरकार के कर्मचारियों से बड़े होने चाहिए, अगर बड़े न हों तो बराबर तो होने चाहिए। तो मेरा सिर्फ नम्र निवेदन है कि जैसे तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के ग्रेड-पे का मामला लंबित है, शासन में लागू हो गया है, आपके यहां अभी नहीं लागू हुआ है। यहां बैठ करके कानून बनाते हैं, यहां से मान्यवर, पास करके अगर हम पैसा न दें तो इनको उत्तर प्रदेश में कोई पूछेगा नहीं। अगर हम यहां से पारित न करें तो यह नाम के वित्तमंत्री रह जायेंगे।, इनकी जेब में अठन्नी भी नहीं होगी। लेकिन यहां की कीमत को यह कम करना चाहते हैं। इसी तरह से मान्यवर, सहायक समीक्षा अधिकारियों के संशोधित ग्रेड-पे का सवाल है जो सेवा निर्बाध रूप से चल रही है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की, उस पर ए0सी0पी0 का सवाल है। तो मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न इसलिए उठाना चाहता हूं कि यह सरकार आपके साथ ज्यादती क्यों करती है, आपकी गरिमा को क्यों कम करने की कोशिश करती है, आपके अधिकार को कम करने की कोशिश क्यों करती है ? तो मैं आपके विवेक को जगा रहा हूं, आपकी ताकत को जगा रहा हूं। आपको आग्रहपूर्वक उत्प्रेरित कर रहा हूं कि इनके सचिवालय के कर्मचारियों को जितना मिलता है उससे कम आपको नहीं मिलना चाहिए। मैं यह सही कह रहा हूं या गलत, यह आप बताईये। (मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह जी द्वारा कुछ कहने पर) मान्यवर, यह तो नीयत और ट्रेनिंग का सवाल है, हमारे यहां कांग्रेस सेवादल में मिलाया जाता है, इनके यहां आर0एस0एस0 में लड़ाया जाता है, यह अलग बात है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं और ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो उनको मिलता है, जो उनको सुविधायें मिलती हैं, इन सुरक्षाकर्मियों को भी उतना दे दीजिए। आप इसको औचित्य में छोड़िये, इसको फेंक दीजिए, आप बस विचार कर लें। अपने विवेक से विचार कर लें और एक दिन बुला लें इनको और हम सबको बुला लें। बैठकर तय करके सुरक्षाकर्मियों का और कर्मचारियों का झगड़ा खत्म होना चाहिए। अब हमारे प्रमुख सचिव, ये

किस मायने में सेक्रेटरी जनरल से कम हैं। मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि आप अध्यक्ष हैं, आप किस मायने में लोक सभा अध्यक्ष से कम हैं ? ज्ञान में, गुण में, योग्यता में, सबमें तो आप हैं। अगर कुछ गलत हो तो बतायें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, कुछ में अन्तर है।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भगवान की कृपा से जो फर्क है उसे बना रहने दीजिए (हंसी) क्योंकि आजकल फर्क भी मिटाये जा रहे हैं, वह न करियेगा, हम लोगों को कष्ट होगा। मेरा अत्यन्त विनम्रतापूर्वक इस सदन से आग्रह है, सभी से, पक्ष, विपक्ष से, आपसे, वित्तमंत्री जी से कि जो आपके कर्मी हैं, उन पर न्याय कर दीजिए। समान कार्य का समान वेतन कर दीजिए, छठें वेतन आयोग में जो केन्द्र में मिल रहा है वह प्रदेश में कर दीजिए। मैं आपका आभारी हूंगा और इसको जहां भी चाहिये फेंक दीजिए।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, यह नियम-300 में तो आता नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे पता है कि यह नियम-300 में नहीं आता, 300 में नहीं आता है तो उसे काट दीजिए। लेकिन किसी में तो आता होगा, जिसमें आता हो उसमें मान करके कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष जी, यह सवाल आपकी गरिमा का, इज्जत का है। मैं इतना परेशान हूं, आप कितना हैं ? यह भी बताईये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 तिवारी जी, उत्प्रेरक का काम करते हैं।

(डा0 राकेश धर त्रिपाठी जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि यह जमालो हैं)

मान्यवर, त्रिपाठी जी कह रहें है कि जमालों हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं जमालों का काम कर रहा था और जो मैंने आग लगाई उससे उनके ऊपर के बाल उड़ गए हैं। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि मेरी गलती से इनके बाल उड़ गए हैं तो किसी अच्छे हेयर प्लांटर को बुला लें हम सभी लोग दस-दस, बीस-बीस बाल दे देंगे वह इनके सर पर लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री प्रमोद तिवारी को सुना, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना यह विषय हमारे विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन या अन्य भत्तों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में संज्ञान में लाया गया है इस विषय को आज की परिस्थिति में सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन तब भी मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धार–37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–5/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–5/2006 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 4 फरवरी, 2010 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

महा प्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 5(3) स्थगित की जाती है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 6, 7 व 8 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 को पुरः स्थापित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 फरवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 10 फरवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

फरवरी, 2010

10 बुधवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा)

(क) उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(ख) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

10 बुधवार 2–वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)।

3–डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रेतर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा में चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने और गरीब कारीगरों को जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु रु0 300.00 अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) तक के जूते की मूल्य संवर्धित कर (वैट) से मुक्त किया जाय।"

4–डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत

निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विकास के लिये प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू नेशनल रेन्युअल मिश[illegible]योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य आगरा में भी अविलम्ब आरम्भ कराये जायं।"

11 गुरुवार 1–वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–विधायी कार्य।

3–डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सतपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 अगस्त, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू–गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू–गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।"

4–श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।"

12 शुक्रवार
13 शनिवार
14 रविवार
} (महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

15 सोमवार 1–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाय।"

3–श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाय।"

4–माननीय डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा–

"स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2009–10 की प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।"

16 मंगलवार 1–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–डा0 राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में एक पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

3–डा0 राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के दोनों विकास खण्डों में माडल स्कूलों का निर्माण तुरन्त कराया जाय।"

17 बुधवार
18 गुरुवार
19 शुक्रवार
20 शनिवार
21 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

22 सोमवार 1–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशु वध पर तत्काल रोक लगाई जाय।"

3–डा0 राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु यमुना नदी की डाउन स्ट्रीम पर बैराज बनाया जाये।"

23 मंगलवार 1–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

24 बुधवार 1–असरकारी दिवस।

2–विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं अपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10–2–2010 को नियम–311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल

31 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री हुकुम सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री अशोक कंसल, श्री शम्भू चौधरी, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री कुबेर सिंह, श्री राघव लखन पाल शर्मा की प्रदेश में दुधारू पशुओं के हो रहे अवैध कटान के कारण प्रदेश में दूध की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना (1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री रामसेवक, श्री शिव बालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज कुमार, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह की प्रदेश में बढ़ रहे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (2) डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्तकबीर नगर तथा गोरखपुर से गुजरने वाली 'आमी नदी' के अत्यधिक प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की आवास विकास परिषद् एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 पी0 के0 राय, श्री विश्वनाथ की गोरखपुर मण्डल में स्थित मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर एवं उसकी शाखाओं में अत्यधिक सिल्ट जमा होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद जे0 पी0 नगर में पुलिस द्वारा गम्भीर घटनाओं में पीड़ित लोगों को न्याय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जौनपुर स्थित गोमती नदी पर शाही पुल के समानान्तर डाउन स्ट्रीम में बने सद्भावना पुल के पहुंच मार्ग में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का समायोजन एवं प्रमोशन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल की उत्तर प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना (1) श्री अनूप सण्डा श्री नरेन्द्र सिंह की (2) चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में पान मसाला एवं गुटखा निर्माण कम्पनियों द्वारा निम्न गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव एवं करों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री माधव पासवान की गोरखपुर के अन्तर्गत मुंडेरा ग्राम सभा में बन्धे पर बने टूटे रेगुलेटर को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की प्रदेश में जायसवाल, कलवार, कलार, शिवहरे जाति के लोगों को शराब व्यवसाय में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री मदन चौहान की प्रदेश में नकली एवं अधोमानक औषधियों के निर्माण से उत्पन्न स्थिति

के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री श्रीपति आजाद की महराजगंज के इलाहाबांस गांव की अनुसूचित महिला को जंगल विभाग के कर्मचारियों के मारने से हुई मौत के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं। अतः अस्वीकृत हुईं। श्री सुखपाल, श्रीमती मिथिलेश पाल, श्री दीप नारायण [illegible] श्री अब्दुल वारिस खां, श्री सर्वेश कुमार सिंह, श्री पंकज कुमार, श्री मदन भैया, श्री अमरमणि त्रिपाठी, श्री इमरान मसूद, श्री कुबेर सिंह, श्री शम्भू चौधरी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अशोक कंसल श्री सुनील शर्मा, श्री राघव लखन पाल शर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लल्लू सिंह।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पंकज कुमार जी की सुन लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

स्वीकृत वाली और विशेष उल्लेख वाली मैंने सुनने के लिये कहा है। आगे समय होगा तो देखा जायेगा। अमरमणि जी, आपकी भी अस्वीकृत हो गयी है। त्रिपाठी जी साढ़े बारह बज रहा है। हमको डेढ़ बजे चर्चा शुरू कर देनी है। इसमें सबका सहयोग चाहिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, एक बजे चर्चा शुरू करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, ज्यादा कोशिश होगी कि एक बजे शुरू करा देंगे।

श्री कुबेर सिंह–

मान्यवर, मेरी किसानों के प्रशिक्षण से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

आप किसानों को प्रशिक्षण वाला कल लगा लीजियेगा, बोल दीजियेगा। आप तो जब चाहे बोल सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अनुमति हो तो बोलना शुरू करें।

श्री अध्यक्ष–

अनुमति वही लोग नहीं देने दे रहे थे। अब वे लोग बैठ गये सब, आप बोलिये।

*श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिनों पहले सदन में इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई कि दिन–प्रतिदिन दूध की कमी होती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी चिन्ता व्यक्त की गई। लेकिन विचार तो उन कारणों पर करना है कि दूध की कमी क्यों हो रही है। कुछ वर्षों से एक भयंकर समस्या पैदा हो गयी और वह समस्या यह है कि दूध देने वाले पशुओं का कटान और अवैध कटान इस गति से, इस तीव्रता के साथ शुरू हुआ कि पशुओं की कमी होती चली गयी। आज स्थति यह है कि एक दूध देने वाली भैंस और अगर उसी भैंस को कटान के लिये बेचा जाय। तो जो रेट तय होगा वह भैंसों के वजन के आधार पर होगा। इसलिये लोगों में आकर्षण पैसा हो गया कि भैंस को पालकर क्या करेंगे, दूध बेचकर क्या करेंगे, सीधा–सीधां बेचो और पैसा लो। साथ ही साथ मान्यवर, पशुओं की चोरी शुरू हो गयी। आज स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है उस भयंकर स्थिति को रखने के लिये आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं आपने मुझे समय दिया। स्थिति मान्यवर, यह है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां का मुख्य भोजन, जो पौष्टिक चीजें होती हैं दूध, मट्ठा, मक्खन, घी यही तो मान्यवर, पौष्टिक आहार है यह हम लोगों से छिनता जा रहा है। इसका कोई विकल्प भी नहीं है मान्यवर, यही नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होगी ? बच्चों का इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा ? लेकिन स्थिति क्या हुई अगर पिछले छः सात साल की समीक्षा हम करें हम पूरे उत्तर प्रदेश की, जिस गति के साथ वधशालाओं का निर्माण यहां हुआ है और जो छोटी वधशालायें थीं उनका विस्तारीकरण जिस ढंग से हुआ है, नये–नये यंत्र उसमें लगाये गये हैं आधुनिकीकरण के नाम पर बड़ी–बड़ी मशीनें लगाई गईं और आज ऐसी भी वधशालायें हैं मान्यवर, जहां 20–25 हजार पशुओं का वध एक दिन में हो रहा है। कोई रुकावट नहीं है उस बात के ऊपर, मान्यवर, आज उन पशु वधशालाओं में वध तो हो ही रहा है साथ ही साथ समान्तर पशु वधशालायें चल रही हैं। समानान्तर कैसे चल रही हैं सड़क के किनारे पशु काट रहे हैं, मोहल्लों में काट रहे हैं, घरों में काट रहे हैं और काटने के बाद में मान्यवर, जो कहा जाता है कि जितना भी उसका मांस होगा, उस मांस की सुन्दर पैकिंग, सुन्दर ब्रान्डिंग, उसमें कुछ मसाले मिलाकर के, उसका स्वाद बदलने की बात, उसका निर्यात करने की बात, उत्तर प्रदेश में, भारत के बड़े–बड़े नगरों में, मुम्बई हो, कलकत्ता हो, बंगलौर हो, चेन्नई हो, वहां भेजने की बात, साथ ही साथ बाहर विदेशों में भेजने की बात, साथ ही हमारे जो और देश हैं उनमें भेजने की बात, बड़े वृहद स्तर पर हो रही है। मैं मानता हूं कि इसमें अनुदान भी है लेकिन यह अनुदान उसमे कितना लाभकारी है, कितना फायदेमन्द है यह अलग बात होगी, मैं मानसिकता की बात करता हूं आज लोग दिन के दिन करोड़पति बनना चाहते हैं इन धंधों में उतर के, मान्यवर, सबसे बड़ा प्रमाण यही है, मैंने राजनीति का कुत्सित स्वरूप भी देखा एकदम से चुनकर आते हैं लेकिन सत्ता के बिना गलत काम नहीं हो सकते हैं तो कुछ लोगों की बंधी सत्ता हो गई, जिस पार्टी की सत्ता होगी उस पार्टी में प्रवेश करना चाहेंगे, और अपना काला धंधा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कितनी बातें बोलूं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं लेकिन सबके सामने कहना चाहता हूं कि आप मान्यवर, हापुड़ से मेरठ जायें तो हापुड़ से मेरठ दोनों तरफ और वधशालायें खड़ी हो गई हैं और उन वधशालाओं में

ट्रक भरकर वधशालाओं में आ रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं कि मान्यवर, रास्ते में कोई पशु मर भी गया तो उस पशु का मीट भी बेचा जाता है इस बात की भी मानवता नहीं रही कि जो उस मीट को खायेगा उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, एक व्यवस्था बनाई हुई है कि जो वेटेनरी डाक्टर है, जो पशुओं के डाक्टर हैं, वह पहले प्रमाणित करेंगे कि जिस पशु को वध के लिये ले जाया जा रहा है वह पशु इसके लिये उपयुक्त है या नहीं है। उसकी उम्र क्या है, उम्र भी मान्यवर, प्रेसक्राइब्ड है, जिसके आधार पर उस पशु का वध किया जा सकता है लेकिन मान्यवर, पशु डाक्टरों ने भी अपनी मनोस्थिति परिस्थितियों के अनुरूप बना ली हैं। कोई प्रमाण-पत्र जाकर देखकर देने की आवश्यकता नहीं है। संख्या के आधार पर उसकी दर निर्धारित होगी और उसी निर्धारित दर का पैसा वसूल करके वह अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर देते हैं। मान्यवर यहां तक स्थित आ गई है कि जब गांव में कोई पशु मर जाता था या कोई भैस मर जाती थी उसकी खाल उतारने के बाद में सैकड़ों की संख्या में गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे। आज गिद्ध उड़कर भूखे चले जाते हैं। आज वह लोग जो कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके उस मरे हुये पशु का भी मांस लेकर के उस फैक्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं जहां से उस मांस की पैकिंग करके बाहर भेजा जा रहा है। किसी प्रकार की रुकावट ही नहीं है। कभी- कभी समाचार-पत्रों में आता है, जानकारी मिलती है, पशुओं को मारने के बाद में या मरने के बाद में उसके जो अवशेष है, मांस के बाद उसकी जो चर्बी है, किसी प्रकार से उस चर्बी को पिघला करके, भट्ठी लगा करके भिन्न-भिन्न प्रकार के घी, कोई शायद देशी घी का ब्राण्ड ऐसा नहीं है, जिसे न बनाया जा रहा हो, उसका भी कितना प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। उसकी चर्चा एक बार सदन में भी हुई थी। मैं कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर बागपत तक के जिलों भी यमुना का किनारा है, वह पशु कटान के रूप में विकसित हो चुका है। गंगू प्रताप नगर है, आम बात हो गई है, खुलेआम वहां पशुओं का वध हो रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अगर हम आंकड़े इकट्ठा करें, दुधारू भैंसों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक अच्छी दुधारू भैंस 50 हजार, 60 हजार से कम की नहीं मिलती, हरियाणा ने पाबन्दी लगा दी, इसी बात को देखते हुये कि कहीं वहां भी कमी न हो जाये, अपनी भैंस को उत्तर प्रदेश में भेजने के लिये और यहां पर चूंकि किसी प्रकार की पाबन्दी है नहीं, जितना चाहे कोई पशु वधशालाएं बढ़ा ले, लगा ले, न भी लाइसेंस ले, बिना लाइसेंस के काट ले, कोई रोकने वाला है ही नहीं। स्थिति यह हो गयी है, मान्यवर, स्थानीय प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है, इन बातों को रोकने के लिये, कोई रुचि रही ही नहीं। कहीं-कहीं पर कुछ संस्थाएं खड़ी होती है।, जानकारी देती हैं, लेकिन उसके बाद में प्रतीकात्मक रूप से कार्यवाही हो जाती है। मुझे जानकारी

है, सदन में भी यह मामला कई बार उठा, मैं फिर दोबारा उसको दोहराना चाहता हूं, नोयडा में डेढ़ सौ गाय, जबकि गोवंश की कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध इस प्रदेश में है, डेढ़ सौ गाय, जिसमें से सौ काटी जा चुकी थीं, 50 जिन्दा थीं, जानकारी मिलती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चारों तरफ से आ करके, लेकिन मुझे कहते हुये इस बात का दुख है, सरकार किसी की भी रही हो, बजाय कार्यवाही करने के जो कटान का काम कर रहे थे और जिन लोगों ने रोकने का काम किया था उन लोगों पर एन0 एस0 ए0 तक लगा दिया गया। मान्यवर, इन घटनाओं में कमी नहीं आती, इसलिये कमी नहीं आती क्योंकि पुलिस ने भी समझौता कर लिया है, इस बात के लिये और आमतौर से जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, उन विरोधियों से कहा जाता है कि सामंजस्य खराब कर रहे हो, साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की बात कर रहे हो, दंगा भड़काने का आरोप उन पर है जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो खुलेआम कटान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। मान्यवर, इसका सर्वे अगर आप करा लें और सर्वे कराने के बाद में जानकारी कर लें तो रोंगटे खड़े हो जायेंगे। जिस निर्दयता के साथ में भैंसों की, दुधारू गाय की, गोवंश की हत्याएं रोज हो रही हैं, वध रोजाना हो रहा है, इससे उत्तर प्रदेश के लिये एक संकट खड़ा होने की आशंका पैदा हो गई कि अगर इस तरह से होता जायेगा तो आधे हमारे डेरी प्रोडक्ट, हमारे दूध के उत्पाद, चाहे वह मक्खन हो, चाहे वह पनीर हो, चाहे वह दूध हो, उसकी उपलब्धता निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन कम होती जायेगी। इसमें किया क्या जाये, कानून तो बना है लेकिन पालन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि अन्तर बहुत हो गया है, आमदनी उससे बहुत ज्यादा हो गई है, अवैध धन्धों से। जो लोग आज इन धन्धों में हैं, चाहे गांव का भी कोई आदमी हो, यदि 5 साल पहले दो वक्त खाने की भी गुंजाइश नहीं थी, आज उसके आलीशान कोठियां खड़ी हो गयी हैं, इस धन्धे को करके, लेकिन किसकी कीमत है, केवल उत्तर प्रदेश के समाज की कीमत पर, समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि यहां गो रक्षक हैं, गो पालक हैं, पशुपालक हैं, खेतिहरों का यह प्रदेश है और आज प्रदेश में इस निर्दयीपन क साथ में उन्हीं पशुओं की हत्या होती रहे, उनका वध होता रहे तो यह कितने शर्म की बात है, निर्लज्जता की बात है लेकिन रोकने के उपाय कैसे हों ? रोकने के उपाय तब होंगे, मान्यवर, कि जो सरकार सत्ता में बैठी हुई होगी, जो अपना मन साफ करेगी, अपने मन को मजबूत करेगी। स्थानीय पुलिस ने तो बिल्कुल मन बना लिया है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी है, जब-जब ट्रक पकड़े गये हैं, ट्रक पकड़ने के बाद में वसूली करके उनको छोड़ दिया जाता है। सदैव छोड़ दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि मृतक पशुओं के मांस से लदे हुये ट्रक जा रहे हैं उनको पकड़वाया गया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी-कभी जब समाचार पत्रों में हेडलाइंस छपती है तो मान्यवर, उनका संज्ञान लें चाहे न लें लेकिन जनता में संदेश तो जाता ही है। एक अंग्रेजी के अखबार में छपता है, व्हेयर हेस आल दि मिल्क गॉन। यह सारा दूध कहां चला गया। क्यों नहीं उपलब्ध होता।

उन्नाव में कसाइयों ने काट डाले एक सैकड़ा गाय और बैल। इस किस्म के समाचार रोज छपते हैं। मान्यवर, उन्नाव में तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और अगर उसका कहीं निरीक्षण करा लिया जाये तो सारी जानकारी आ जायेगी। पुलिस की मिलीभगत से गोमांस की तस्करी जारी है। ऐसी स्थिति को देखते हुये क्या यह चिन्ता की बात नहीं हो जाती। हम कह दें कि हमारी सरकार दृढ़संकल्प है इस पर कार्यवाही करने के लिये। वह संकल्प तो आपके पास है, उसको रखे रहिये। उस संकल्प के आधार पर कार्यवाही तो करके दिखाइये। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर उन गांवों की सूची दे सकता हूं जिन गांवों में खुलेआम पशुओं का वध हो रहा है, पशुओं के वध होने के बाद में खुलेआम भट्ठी चल रही है। स्थानीय समाचार–पत्रों में छपता है, यहां तक कि स्थानीय टी0 वी0 चैनेल्स खुलेआम दिखा रहे हैं। हड्डियां पड़ी हैं, खाल पड़ी है, सींग पड़े हैं और दो-दो दर्जन वहां भट्ठियों में से धुआं निकल रहा है। कनस्तर पड़े हुये हैं। किसी पर कोई ब्रांड लिखा है, किसी पर कोई ब्रांड लिखा है। लेकिन मान्यवर, कार्यवाही के नाम पर शून्य है। यह बहुत ही महत्व की सूचना है। मैंने खुद एक कृषक परिवार में जन्म लिया है, संस्कार वही है और इस गोवंश के प्रति, दुधारू पशुओं के प्रति एक लगाव है। विशेष रूप से पशुधन के प्रति मेरे मन में पीड़ा है, राजनीतिक रूप से भी है, सामाजिक रूप से भी है और उसी पीड़ा के लिये मैंने यह विषय यहां पर रखा। अगर हम नहीं जागेंगे तो हम अपनी इस वर्तमान पीढ़ी के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं आगामी पीढ़ी के साथ भी इतना बड़ा अन्याय करेंगे कि आपको कुछ उपलब्ध ही नहीं होगा। मैं जानता हूं पश्चिमी देशें में मांस का प्रचलन अधिक है। मांस के लिये वहां पर जानवर पाले जाते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है। लेकिन दूध का उत्पादन उनके यहां हमसे क्यों ज्यादा है। इसलिये कि दूध के पशु को वह काटते नहीं हैं। उनकी सोच अलग है। उनकी सोच यह है कि वह अपना आर्थिक आधार देखते हैं कि वह कितना दूध दे रही है, वह आर्थिक दृष्टि से ठीक है कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून बने और जो बना हुआ है उसका कड़ाई से पालन हो और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो। क्या आप मुझको बता पायेंगे कि पिछले तीन सालों में या पिछले 6 साल में, तीन साल आपके तीन साल आपकी पूर्ववर्ती सरकार के, इन 6 साल में कितने लाइसेंस आपने निर्गत कराये हैं। मान्यवर, गांव वाले विरोध करते हैं। मेरे पास अभी भी जानकारी है, सियाल गांव है, थाना भावनपुर में, मेरठ जिले में, मेरठ किला रोड पर है यहां पर पशुवधशाला लग रही थी, गांव वालों ने जमकर विरोध किया। विरोध के बाद स्थानीय स्तर पर लाइसेंस नहीं मिला। वह लोग कोर्ट में गये। कोर्ट से लाइसेंस नहीं मिला, अब राजनीतिक दखलअंदाजी करके निश्चित रूप से उन लोगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया जारी है। मान्यवर, एक नहीं अनेकों मामले ऐसे ही हैं। क्या सरकार सदन में आश्वासन देगी कि जो पिछले 6 साल में विकसित हुई हैं, चाहे राजनीतिक कारणों से हुई हों चाहे भ्रष्टाचार के आधार पर हुई हों या किसी षडयंत्र के आधार पर हुई हों उन पर पुनर्विचार करेगी, क्या उनको बंद करायेंगे ? क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जो

सड़कों के किनारे खड़े होकर के, मोहल्लों में खड़े होकर के, अपने घरों में जाकर के पशुओं का वध कर रहे हैं, उनको बन्द करेंगे, जेलों में भेजेंगे, उनके खिलाफ रासुका की कार्यवाही होगी ? क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जो आपके सरकारी फार्म हैं या गौशालायें हैं उनकी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे ताकि जो पशु बेकार हो भी जाते हैं जो गाय बेकार हो भी जाती हैं, उस गाय की वहां पर देखभाल हो सके। सरकारी फार्म किसलिये होते हैं, यह पशुपालन विभाग के फार्म हैं। मैं कृषि फार्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारे पास फार्म हैं, जमीन उपलब्ध है हम सरकारी खजाने से बजट का प्रावधान कर सकते हैं लेकिन जब गाय की हत्या करने पर प्रतिबन्ध है तो सारी की सारी ऐसी गाय वहां पर जायें उनकी सेवा हो।

आज मान्यवर, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जन्म से लेकर के मरने तक गाय का हर हिस्सा पर्यावरण को ठीक करने में काम आता है, न जाने कितनी बीमारियों का इलाज करता है, मान्यवर, प्रयोगशालायें खुली हुई हैं, प्रयोगशालाओं के लिट्रेचर बंट रहे हैं, उनसे जानकारी मिल रही है और पुराने लोग इस बारे में बताते थे। इन स्थितियों को देखते हुये, मैंने जो मुद्दा उठाया है, केवल मुद्दा उठाने के लिये मैंने मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन मैंने चाहा है ये . . . . .

(श्री उदयराज यादव और अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या हो गया है ? अरे अभी वो बोल रहे हैं, ऐसा खड़े हुये कि जाने क्या हो गया ?

श्री हुकुम सिंह–

पर्चा आपने ही भेजा था न यह। इन्होंने पर्चा भेजा था मेरे पास, मैंने उसी के आधार पर कहा है। अगर आपने पर्चा इसलिये भेजा था कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं तो आप ही बता दें उसको, आप बता दीजियेगा बाद में, बाद में बता दीजियेगा, मैं अपनी बात को पूरा तो कर लूं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो अपने आप में ही व्यवस्था चल रही है।

(हंसी)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के आज इस प्रश्न पर विचार होने के बाद में, ठोस कार्यवाही का आश्वासन होना चाहिये। आज उत्तर प्रदेश को पूरे देश को संदेश देना चाहिये कि जो कुछ हो गया वो हो गया, हम आप निर्णय लेंगे कि इस प्रकार की अवैध वधशालायें यहां नहीं चलेंगी, बीमार पशुओं का मांस, मरे हुये पशुओं का मांस, हम किसी भी आदमी को उपलब्ध नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश को एक सही और प्रदूषण रहित प्रदेश बनाकर के रहेंगे। यही मेरा आग्रह है मान्यवर।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, चर्चा जो आपने शुरू नहीं की है, केवल ग्राह्यता है और माननीय हुकुम सिंह जी के बाद, अब इस ग्राह्यता पर और बात करने का कौन सा औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, सबका नाम छप जाने से यह मतलब नहीं कि सब लोग बोलेंगे। एक सूचना में पचीस-पचीस लोगों का नाम छप जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग बोलेंगे। अब डा0 राधा मोहन दास जी 2 मिनट में अपनी बात कहिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने हुकुम सिंह जी का तो सुन लिया है और चर्चा तो आपने स्वीकार नहीं किया है। केवल ग्राह्यता पर बात है मान्यवर कि कैसे यह नियम 56 में आता है। केवल इसी बिन्दु पर पहले बतावें और मान्यवर, यदि सारी चर्चा हुई ही जा रही है तो फिर चर्चा कराने के अनुरोध का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष–

अब डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल को 2 मिनट के लिये बुला लिया गया है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने भारतीय संस्कृति और इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुये जो हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा है, हमारे लिये जो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उसकी ग्राह्यता पर सदन में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी की भावनाओं को मैं समझ सकता हूं क्योंकि हत्याओं को न रोकना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिनसे लोग हत्यायें करने के लिये प्रेरित हों, मैं उन्हीं आंकड़ों पर सीधे आ जाऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों का समय कट किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर अगर हम गौवंश को जिन्दा रखना चाहते हैं तो हमें प्रदेश के अन्दर औसत 8 प्रतिशत भूमि चारा के लिये चाहिये। इस सरकार ने सिर्फ 3 प्रतिशत चारा की जमीन की व्यवस्था की है। हरे चारे की हमें जितनी जरूरत है इस गौवंश को जिन्दा रखने के लिये, आज इस प्रदेश में 33 प्रतिशत हरे चारे की कमी है और अगर जब सूखा पड़ता है तो यह कमी 33 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो जाती है। सूखे चारे में हमारे पास 3 प्रतिशत की कमी है, जो कम्पाउण्डेड फीड होता है, कन्सनट्रेट होता है, उसमे हमारे प्रदेश में 47 प्रतिशत की कमी है। हमने मिल्क सोसाइटियां बनायी हैं, अगर आप गुजरात, कर्नाटक और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाराष्ट्र का आंकड़ा देख लें, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सोसाइटियां 59, 28 और 39 लाख किलोग्राम दूध इकट्ठा करती हैं और इतना बड़ा 18 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश सिर्फ 9 लाख किलोग्राम दूध इकट्ठा करता है सोसाइटियों के माध्यम से। आज इस प्रदेश में सिर्फ 13 हजार 400 कुछ संख्या में सोसाइटियां काम कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसी सरकार ने कुछ लक्ष्य तय किये थे। यह जो हमारी फेडरेशन्स हैं, इनकी पहुंच 15 प्रतिशत गांवों में है, हम इन्हें 33 प्रतिशत गांवों तक पहुंचायेंगे। यह जो हमारे सोसाइटीज की संख्या है 13 हजार तक सीमित है। हम उन्हें बढ़ा करके 33 हजार करने का प्रयास करेंगे और यह जो दुग्ध उत्पादन है, यह जो नौ लाख किग्रा0 तक सीमित है हम इसे बढ़ा करके 15 लाख किग्रा0 तक करने का प्रयास करेंगे। आर्गेनिक फार्मिंग, हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, आज के युग की मांग है। रासायनिक खाद किस प्रकार से देश में समस्यायें पैदा कर रहा है उसके जवाब में आर्गेनिक फार्मिंग आई है और आर्गेनिक फार्मिंग के लिये गोवंश की रक्षा कितना बड़ा प्रश्न है, हम सब इस बात से परिचित हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद इस सरकार ने मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बातें गौ हत्या के संदर्भ में कहीं, हम लोग अपने गोरखपुर की बातें कर सकते हैं, स्वयं मैंने जाकर के रात के ग्यारह बजे दो ट्रकों को रोका है, जिनमें भर के गायें और भैंसें ले जाई जा रही थीं और यह जो प्रकृति है उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुये पश्चिमी बंगाल जाना और पश्चिमी बंगाल से बंग्लादेश पहुंचना और वह भी नारकीय तरीके से, अमानवीय तरीके से उन्हें जबरन ट्रक में ठूंस करके चारों ओर से बन्द ट्रकों को बन्द करके और जो क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी हैं, उनके सहयोग से यह जो स्मगल करने की प्रक्रिया चली है, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये कि आखिर उत्तर प्रदेश से होकर ही यह सारी गौवंश बंगाल में क्यों जा रही हैं, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, बहुत सारे विषय आपके समक्ष रखना चाहता था, एक विषय मैं और आपके संज्ञान में दूंगा अभी पिछले वर्ष इस सरकार ने एक योजना चलाई थी, गांवों में गौवंश की खरीद के लिये यह सरकार किसानों को ऋण देती थी, क्योंकि हम सब जानते थे कि अगर किसानों को ऋण मिलेगा और एक घर में अगर दो गायें भी खरीद दी जायें तो जो गांव की गरीबी है जिस समानवेसी विकास की हम बात करते हैं हम उसका मुकाबला कर सकेंगे और मैं स्वयं जानता हूं माननीय मंत्री जी भी जो दुग्ध विकास मंत्री हैं वह भी इस बात से दुःखी होंगे कि जो धन इन्हें दिया गया था, गौ की सब्सिडी के लिये वह धन इनसे लेकर के अम्बेडकर ग्राम की सड़कों को बनाने के लिये दे दिया गया। मा0 मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, मा0 मंत्री जी अगर हों तो सचमुच क्या यह धन विभाग से हटाया गया है, यह जानकारी दी जानी चाहिये जिससे पता तो चले कि यह सरकार गौवंश की रक्षा के लिये कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब बस, दो लोग ग्राह्यता पर बहुत बोल दिये, भाषण दिलायेंगे तो लम्बा समय चलेगा, आगे सूचना और है। अभी चर्चा चलेगी, तो चार सदस्य खड़े हैं, अभी उदयराज यादव जी जसी में है

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 यशपाल सिंह चौहान जी को बुलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

चौहान जी, आप और कभी बोल लीजियेगा। अभी मा0 मंत्री जी को अपना पक्ष रखने दें।

श्री उदयराज–

मान्यवर, इसी तरह से हमारे जनपद उन्नाव में हो रहा है, हमारे यहां गोकसी के लिये दो फैक्ट्रियां हैं, एक इन्डारयो, दूसरी जे0 एस0 इण्टर प्राईजेज बेथर उन्नाव में है, इनमें सैकड़ों जानवर रोज कटते हैं, जिनमें बहुत सी दुधारू गायें और भैंसें भी होती है और इनका खून बाहर सड़क पर बह कर आता है। जे0 एस0 इण्टरप्राइजेज में तो एक बार मा0 दुग्ध विकास मंत्री गये भी थे, लेकिन उन्हें दो घण्टे गेट के बाहर ही खड़े रहे, उन लोगों ने गेट ही नहीं खोला। और पुलिस वालों का आलम यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कभी इस कार्य में पकड़ा गया हो, तो उसी को बार-बार इस केस में फंसाती रहती है, चाहे वास्तव में उसने यह कृत्य किया हो या न किया हो। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की गतिविधियों को राकने के लिये और गोकसी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिये समुचित और प्रभावी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष–

मा0 उदय राज यादव जी, मा0 मंत्री जी खड़े हो चुके हैं। उदयराज जी बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं, आप बैठें।

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे पशुवध के विषय पर बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

मान्यवर, हमारे दल के नेता मा0 ओम प्रकाश जी द्वारा इस विषय पर समस्त बिन्दुओं पर अपने विचार रख दिये हैं। अब मैं आपके केवल प्रदेश के एक जिले का उदाहरण देकर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अंधाधुंध पशुवध से कितना भयंकर नुकसान हो रहा है, इसकी कल्पना आप भी नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, मेरठ जनपद में : : विकास की मांस आपूर्ति हेतु पशुवध शाला में खपत से ज्यादा पशु रोजाना काटे जा रहे हैं। मेरठ के मांस विक्रेताओं में नगर निगम द्वारा जारी केवल 60 लाइसेंस हैं जिनका उन्होंने भी कई वर्षों से नवीनीकरण नहीं कराया है। मेरठ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की पशुवध शाला मे लगभग 5 हजार पशु रोजाना काटे जा रहे हैं यह तो केवल एक पशुशाला की स्थिति है। मेरठ जनपद में 12 मीट फ्रोजन प्लांट हैं इनमें बिना सरकार की अनुमति के पशु कटान हो रहा है। मेरठ पशुवध शाला का ठेका नगर निगम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके उपरान्त भी लगातार पशुओं का अवैध रूप से कटान जारी है। पशुओं के कटान के उपरान्त खून एवं मांस के लोथड़े नाले में बहाये जा रहे हैं तथा खून का बोरिंग कर जमीन में भेजा जा रहा है जिसके कारण आस-पास के क्षेत्रों के हैण्ड पम्पों का पानी भी लाल आ रहा है और हड्डियां पकायी जा रही हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण एवं बदबू फैल रही है। नाले में मांस के लोथड़े बहने के कारण आस-पास की बस्तियों में रहने वाले आवारा कुत्ते आदमखोर हो गये हैं उन कुत्तों ने लगभग 06 माह पूर्व काजीपुर ग्राम में कई नवजात एवं छोटे बच्चों को मार डाला था। इस पशुवध शाला में पशुओं का अत्यधिक कटान होने से जल वायु दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। पशुवध शाला के ठेकेदार इतने बड़े एवं ऊंची पकड़ वाले लोग हैं कि विधान सभा, विधान परिषद्, प्रदूषण बोर्ड, मानवाधिकार आयोग, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भी पशुवध शाला बन्द नहीं हो पा रही है।

मान्यवर, अत्यधिक पशु कटान के कारण भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूर्व में भी मैंने सदन में यह विषय रखा था तब मा0 अध्यक्ष जी एवं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि यह विषय हमारे संज्ञान में नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मांस निर्यात को कृषि क्षेत्र में रखा गया है कृषि क्षेत्र से निर्यात होने वाले सामानों को भारत सरकार 20 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। इस तरह मांस निर्यात करने पर भी भारत सरकार निर्यातक को 20 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगर भारत सरकार मांस निर्यात से सब्सिडी समाप्त कर दे तो पशुओं का अंधाधुंध कटान बन्द हो जायेगा। पशुओं के अंधाधुंध कटान से दूध एवं दूध से बने पदार्थ बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के पास दूध ही एक ऐसा साधन है जिससे उसे नकद पैसा प्राप्त होता है बाकी किसान के सब उत्पादों का छह महीने से एक साल में पैसा प्राप्त होता है। गौवंश की हत्या भी मांस निर्यात का बहुत बड़ा कारण है। अंधाधुंध कटान, गौवंश की हत्या अत्यधिक प्रदूषण की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में साम्प्रदायिक झगड़े की स्थिति भी रोजाना बन रही है।

अतः मैं मा0 ओम प्रकाश जी के विचारों को बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी बहुत ही वजनदार ढंग से और उनका साथ देने के लिये डा0 अग्रवाल साहब ने वजनदार ढंग से इस बिन्दु को उठाया। मान्यवर, किसी स्पैसिफिक घटना का जिक्र इन्होंने नहीं किया। जहां तक

गौवंश के वध के प्रश्न का सवाल है, इसके लिये पहले से ही कानून बने हुये हैं और सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े और उस दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो समितियां हैं, दुग्ध समितियां हैं, उनको भी पुनर्गठित करके उनको भी प्रभावशाली बनाने का काम किया जा रहा है। जहां तक इस प्रश्न के कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करने की बात है मान्यवर, न तो कोई तात्कालिक घटना है, न कोई स्पेसिफिक घटना है और नियम 56 में मान्यवर, आप इस बात को अगर पूरा संज्ञान में ले लें, पढ़ लें तो आप इस नोटिस को उठाने का अवसर ही न देते। मान्यवर, यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी को मान्यवर, अब कोई विषय तो रह नहीं गया है, इसलिये मान्यवर, किसी न किसी रूप में कुछ अपनी बात रखने का अवसर मिला और आपकी कृपा से उसका लाभ उठाना चाहते हैं, यह नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं मंत्री जी ने एक का भी उत्तर देने का प्रयास नहीं किया। राजनीतिक तरीके से उत्तर देकर और इसे नियमों से बांधने का काम किया है। मान्यवर, यहां पर दो प्रश्न सीधे तौर पर उठाये गये हैं। यह कहा गया कि अवैध पशुओं के कटान को रोकने के लिये कानून बना हुआ है। उसका पालन यह सरकार नहीं करा पा रही है और गौवध हो रहा है अवैध कटान हो रहा है। पशुओं की तस्करी हो रही है। उसको रोकने का प्रयास यह सरकार नहीं कर रही है। जिसके कारण आज पशुओं की कमी होती जा रही है। मान्यवर, पशु कृषि की तरक्की के आधार हैं। आज उसके चलते दुग्ध की भी कमी हो रही है। प्रश्नों का उत्तर न देकर जो सरकार की असफलता है उसको नकारना चाहते हैं इसके विरोध में हम लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना पर श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल आदि को सुना यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य की जाती है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज पूरा विश्व, विश्व का ब्रह्माण्ड पल पल बढ़ते हुये खतरे से आगाह है। लेकिन उसको रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, धीरे-धीरे स्थिति यह आती जा रही है कि हम कब तक जिन्दा रहेंगे यह नहीं पता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धरती कब तक रहेगी उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। मान्यवर, आज पर्यावरण की जो बिगड़ती हुई स्थिति है वह पूरे ब्रह्माण्ड को क्षतविक्षत कर रही है। आज पर्यावरण का कलेण्डर पूरी तरह से अनुशासनविहीन हो गया है। कहीं ज्यादा सर्दी है तो कहीं ज्यादा गर्मी है। कहीं सर्दी के मौसम में भारी बारिश है। तो यह सब अशुभ संकेत है। मान्यवर, मालद्वीप राष्ट्र ने इसके प्रति विश्व का ध्यान आकृष्ट करने के लिये समुद्र में कैबिनेट की बैठक की। मान्यवर, मालद्वीप ऐसा राष्ट्र है जो पानी की सतह के ऊपर बसा हुआ है, टापू है। उसको नुकसान होने का खतरा है। यह तो मालद्वीप का प्रश्न है। मान्यवर, बिहार में नौका विहार का आयोजन करके इस खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। मान्यवर, हमारी चिन्ता पर्यावरण असंतुलन की वजह से यह पिघलते हुये ग्लैशियर की तरफ है। आज इस सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और अगर यह तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो यह ग्लैशियर आदि जो पिघल रहे हैं आने वाले दिनों में ज्यादा पिघलेंगे और जब ज्यादा पिघलेंगे तो जो नदियां हैं उसमें पानी बढ़ेगा। समुद्र में पानी बढ़ेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उससे लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाये। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश विधान सभा में इसलिये उठा रहा हूं कि तीन तरह के प्रदूषण हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे हैं। मान्यवर, जो आपने टाप पांच शहर इसमें चुने हैं जो ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि से आगे हैं उनमें आपका लखनऊ भी सम्मिलित है और मान्यवर, इसका सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र विधन सभा के आसपास है। कपूर होटल के पास आपके विभाग ने इसका संग्रह किया था। मान्यवर, इसके चलते भयावह स्थिति बनी हुई है। मान्यवर, आज हमारे 85 प्रतिशत टाउनों में प्रदूषण बढ़ रहा है। आरपीएसएम की मात्रा सीमा से कहीं ज्यादा है इसी तरह से सीपीएम की मात्रा भी लगभग हर जगह ज्यादा है। मान्यवर, इसका नतीजा है कि उलझन, दमा, तनाव, सिर दर्द, मिरगी यह सब दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण की यह स्थिति है। दूसरी तरफ मान्यवर, जो हमारी नदियां हैं गंगा नदी मोक्षदायनी मानी जाती है। गंगा जल के मामले में यह माना जाता रहा है कि इसका जल कभी नष्ट नहीं होता है पर गंगा का जल तो गंगा नदी में ही उपयोग का नहीं रह गया है आप पीना तो छोड़ दीजिये नहा भी नहीं सकते हैं। तो यह पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा गंगा नदी का प्रकोप बढ़ा है। मैं इस प्रश्न को इसलिये उत्तर प्रदेश में उठा रहा हूं कि यह जिन राज्यों से होकर गुजरती है उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है इसलिये यह चिन्ता का विषय है। आर्सेनिक की मात्रा जितनी बढ़ गयी है कि बहुत से प्राणी जो यहां गंगा में रहते थे अब उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। बहुत से ऐसे जानवर जो गंगा को साफ रखते थे वह स्वयं मर गये हैं उनकी गंगा में उपस्थिति नही रह गयी है। मान्यवर, रिहन्द बांध जो हमें बिजली देता है वहां एक समाचार के अनुसार काफी लोग इससे प्रभावित हुये हैं। इसी तरह से अगर वायु प्रदूषण को देखें तो जिसको हम कहते हैं कि वायु प्रदूषण की दृष्टि से जो मात्रा है वह आवश्यकता से अधिक

है। मान्यवर, मेरे पास वह सारे आंकड़े हैं जो आपने दिये हैं मान्यवर, वह भी आंकड़े हैं मेरे पास जो आपके विभाग ने दिये हैं। मैं उनको पढ़कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता क्योंकि यह सरकार के भी संज्ञान में है और हमारे भी संज्ञान में है। मान्यवर, मैं यह जरूर [illegible] चाहता हूं कि जो सस्पेन्डेड पर्टीकुलर मैटिरियल है, मेटल है और जो 10 माइक्रोन से कम आकार के कण हैं जिनको हम आर0 एस0 पी0 एम0 कहते हैं इनकी उपस्थिति घातक है इनको रोकना होगा, बचाना होगा और ऐसा नहीं है कि यह कभी बचाये नहीं गये हैं मैं एक उदाहरण देता हूं कि 1858 में टेम्स नदी जो लन्दन की है जो सबसे खूबसूरत नदी आज कही जाती है वहां इतनी बदबू थी कि हाउस आफ कामन्स की बैठक स्थगित करनी पड़ती थी। लेकिन वहां दृढ़ इच्छा शक्ति हुई सरकार में और उसमें उसको सबसे जीवन दायिनी नदी आज बना दिया है। अमेरिका में भी कोटामेक्स में भी उसको भी प्रसीडेन्ट जैक्शन की पहल पर 1960 में शुरूआत हुई और आज वह विरासत की नदी के रूप में आज वह जानी जाती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गंगा को हम बचा सकते हैं, यमुना को हम बचा सकते हैं, गोमती को हम बचा सकते हैं जरूरत इस बात की है कि सरकार और जनता दोनों की भागीदारी हो। मान्यवर, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं कि प्रतिदिन 3150 लाशें गंगा में प्रवाहित की जा रही हैं, बिना जली बिना किसी तरह के कुछ किये उनको छोड़ा जा रहा है। मान्यवर, जानवर 6270, आपके ही आंकड़े से लेकर मैं बोल रहा हूं रोज प्रवाहित किये जा रहे हैं। जो आ रहे हैं उनकी संख्या नही और लगभग 32 हजार से ज्यादा लाशों का संस्कार सीमित समय में हो रहा है उससे मान्यवर, 300 मीट्रिक टन राख जा रही है और 250 मीट्रिक टन आधी जली हड्डियां जा रही हैं। मान्यवर, कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज की जो यह स्थिति है चाहे जल प्रदूषण की हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण की हो और चाहे वायु प्रदूषण की हो, यह तीनों भयावह घातक है। मैं एक उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश से निकलने वाली सई नदी है मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है पहले लोग उसका पानी पीते थे जानवर पानी पीते थे लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि अगर किसी के शरीर में छू जाय तो उसको खुजली हो जाती है क्यों, उन्नाव का, रायबरेली का, उसमें जो यंत्र हर फैक्ट्री के लिये मैन्डेटरी है कि लगाकर ही जल का डिस्चार्ज करेंगे वह लगे ही नहीं क्यों तो कहीं न कहीं इसके प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिये। कोई न कोई समय इनको दीजिये, समय सीमा दीजिये उस समय–सीमा के अन्दर यह लगायें लेकिन 20 साल 25 साल से यह चलता जा रहा है यह उचित नहीं है। मेरी समस्या पूरी तरीके से मानवीय है मैं इस पर आपका संज्ञान, सरकार का संज्ञान लेते हुये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ब्रह्मांड को बचाने के लिये, विश्व को बचाने के लिये, अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक रोगग्रस्त दुनिया न सौंपने के निर्णय के साथ हम और सरकार, जनता और सरकार के बीच में भागीदारी सुनिश्चित हो, समझदारी सुनिश्चित हो।

मान्यवर, राजीव गांधी जी के समय में यह पहला प्रयास हुआ था हालैन्ड की मदद से गंगा के प्रदूषण पर बात चली थी फिर 1988 में उन्होने इसे शुरू किया

और 1989 के बाद वह रहे नहीं तो यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाया। तो मान्यवर, मेरा प्रयास है आज कार्य–स्थगन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि यह कार्य योजना बनाये। एक शार्ट टर्म और एक लांग टर्म। एक छोटी अवधि की, एक बड़ी अवधि की और दीर्घकालीन अवधि के साथ हम लक्ष्य निर्धारित करें कि अगले 10 वर्षों में हम नदियों को प्रदूषण विहीन कर देंगे। हम, यह जो वायु में घुला प्रदूषण है, उसको कम कर लेंगे। मान्यवर, यह बड़ा आसान है आप चले जायें और खड़े हो जायें विधान सभा के सामने, कुछ गाड़ियां ऐसी निकलती हैं जिनका धुआं मानो चिमनी से निकल रहा हो। आखिर वह क्यों चल रही है सड़कों पर, रोकिये उनको। मान्यवर, जो डीजल है वह मिलावट करके बेचा जा रहा है, उससे निकलने वाला धुआं ज्यादा घातक हो रहा है। इसे आप रोक सकते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं और पृथ्वी के बढ़ते तापमान को हम रोक सकते हैं। अब भी हम रोक लें इसकी बढ़ती हुई गति को रोक लें तो हम हजारों साल इस पृथ्वी की जिन्दगी को बढ़ा सकते हैं। मान्यवर, मैं इस अत्यन्त अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने का अनुरोध करता हूं। मान्यवर, मैं मानता हूं कि अगर यह विषय आज कार्य–स्थगन के रूप में लें या चर्चा के रूप में लें, अगर यह विषय नहीं लिया जा सकता तो शायद ही कोई दूसरा विषय है जिसे आप चर्चा के लिये स्वीकार करेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की आमी नदी के प्रदूषण से संबंधित है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी प्रदूषण का विषय ही उठाया और मैं भी एकदम निश्चित स्पेसिफिक स्थान विशेष के प्रदूषण का विषय लेकर आपके बीच में हूं। यह चार महानगरों से सीधा संबंधित है। आमी नदी सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर से होकर गुजरती है और इस नाते तकरीबन डेढ़ से दो करोड़ नागरिक इसके प्रदूषण से सीधे प्रभावित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आमी नदी बड़ी पुरातन नदी है। संत कबीर ने आमी नदी के किनारे अपना मगहर बसाया था। उस जमाने में खलीलाबाद और आस-पास जो सूखा पड़ा था तो वहां के राजा ने बनारस जाकर संत कबीर से आग्रह किया था कि आप आकर यहां आमी नदी के किनारे बसिये। आज इतनी पुरानी आमी नदी, जो आज इतने धार्मिक महत्व की है, जो साम्प्रदायिक एकता की वस्तुतः प्रतीक है वह पूरी तरह सूखती चली जा रही है। कारण सिर्फ इतना है कि आमी नदी के प्रवाह के रास्ते में, चाहे वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खलीलाबाद हो, चाहे वह गोरखपुर इंडस्ट्रियल एथारिटी हो, इतने उद्योग धन्धे लगे हुये हैं, हम लोग उन उद्योग धन्धों के विरोधी नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूर्वांचल का विकास हो और पूर्वांचल के विकास के लिये उद्योग धन्धों और उद्योगपतियों का आना आवश्यक है। सरकार जब उन्हें ला रही थी और जब गीडा की स्थापना हो रही थी, माननीय फतेह बहादुर जी यहां बैठे हैं आपके पिताजी ने उसके लिये बहुत प्रयास किया था, जब गीडा स्थापित हो रही थी तो गीडा की स्थापना के दौरान जो गीडा ने कामन ब्रोशर निकाला था, उसमें जितने भी उद्योगपति गीडा में आना चाहते थे उनसे यह वायदा किया था। यह वायदा 1989 का है और 92 तक वह इसे लगातार ब्रोशर में छापते रहे हैं। गीडा ने इस बात का उद्योगपतियों से वायदा किया था कि वह एक साझा, जो सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट होता है उसको लगायेंगे जिसके नाते उद्योगपतियों को अलग-अलग सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने का खर्चा न देना पड़े। अध्यक्ष महोदय, यह कोई दलीय विषय नहीं है किसी एक सरकार का विषय नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल तथ्य को आपके बीच रख रहा हूं। 1989 से लेकर आज 2010 हो गया। आज तक वहां जो सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, जो गीडा को लगाना चाहिये था, वह नहीं लगाया गया। स्वाभाविक रूप से जो उद्योगपति आते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धों को लगाने के लिये कोई विशेष छूट देती हो, ऐसा नहीं होता। आज जिस प्रकार से देश की नीतियां बनी हैं आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का उद्योगपति अपने आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश से हटाकर उत्तराखंड चला जा रहा है, हिमांचल प्रदेश लेकर चला जा रहा है, गुजरात लेकर चला जा रहा है क्योंकि उसे जो सुविधायें जो छूट मिलनी चाहिये जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये सरकार की ओर से, वह नहीं मिल रहा है और ऐसे में अगर सरकार ने वायदा किया कि हम वहां कमान ट्रीटमेन्ट प्लांट लगायेंगे और अगर सरकार स्वयं अपने वायदे को पूरा नहीं करती है जिसके नाते नदी का प्रदूषण होता है और लाखों लोग बीमार होते हैं, वह जो नदियों का पानी पीते हैं, वह बीमार होते हैं और जो पशुधन उस नदी में जाता है, वह बीमार होता है, नदी की मछलियां मरती हैं नदी पूरी तरह सूख करके एक नाले के रूप में बदल जाती है तो अगर इसकी कोई जिम्मेदारी बनेगी तो सीधे सरकार के ऊपर है। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों ने आमी नदी के प्रदूषण की निजी रूप से जांच करायी है एक वैज्ञानिक के द्वारा। मैं आपको यह सिर्फ इसलिये बता रहा हूं क्योंकि इस जांच को अधिकृत नहीं माना जा सकता, इसकी उच्च स्तरीय जांच सरकार को करानी होगी। जांच में पता चला कि सामान्य रूप से जो नदी का टेम्प्रेचर होना चाहिये 20 से 22% वह आमी में बढ़ करके 28% हो गया। सामान्य रूप से जो पी0एच0 होना चाहिये 5.5 से 6.5 के बीच में वह बढ़कर 9.8 हो गया। सामान्य रूप से जो टर्बिटी होनी चाहिये वह 5 एन0टी0यू0 की होनी चाहिये लेकिन आमी नदी मे वह बढ़कर 16 एन0टी0यू0 हो गयी है। सामान्य रूप से जो कन्डक्टिविटी 300 um40/L पर सेंटीमीटर होनी चाहिये आमी नदी में वह बढ़कर 600 um40/L हो गयी है। सामान्य रूप से जो डिजाल्व आक्सीजन 6 मिलीग्राम/ली0 होनी चाहिये आमी नदी

में वह घट करके 2.1 मिलीग्राम/ली0 हो गयी है। सामन्य रूप से जो बायोलॉजिकल आक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिये आमी नदी में वह बढ़ करके 5.5 हो गयी है। जो सी0ओ0डी0 10 मिलीग्राम/ली0 होनी चाहिये वह बढ़ करके 183 मिलीग्राम/ली0 हो गयी है। जो क्लोरीन कंसलट्रेशन 250 मिलीग्राम/ली0 होनी चाहिये वह बढ़ करके 500 मिलीग्राम/ली0 हो गयी। जो फ्री कार्बन डाई ऑक्साइड 10 पी0पी0एम0 होनी चाहिये वह बढ़ करके 200 पी0पी0एम0 हो गयी। जो सस्पेंडेड सॉलिड 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिये वह बढ़ करके 1000 मिलीग्राम/ली0 हो गयी। जो क्षारीयता 200 मिलीग्राम/ली0 होनी चाहिये वह बढ़ करके 400 मिलीग्राम/ली0 हो गयी। यह आंकड़े मैं सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि हम लोगों ने जो इसकी जांच करायी है यह अधिकृत जांच नहीं है लेकिन यह सच्चाई है। आज वहां के नागरिक बुरी तरह से आक्रोशित हैं लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आमी बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना हुई है। मैं सरकार से आग्रह करते हुये सिर्फ दो बातें कहूंगा उसमें से एक तो यह कि सरकार अपनी ओर से आमी नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को जानने कि लिये शासकीय स्तर पर जांच करा ले और दूसरा यह कि गोरखपुर इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट अथॉरिटी ने जो वादा किया था कि हम कॉमन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगायेंगे, उसको लगाने के लिये सरकार त्वरित रूप से निर्देशित करे, धन्यवाद।

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दूबे)–

मा0 अध्यक्ष जी, आज माननीय सम्मानित श्री प्रमोद तिवारी जी और मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी है। मुझे उम्मीद थी कि सबसे पहले वह वर्तमान सरकार को, आदरणीय बहन मायावती जी को बधाई देंगे क्योंकि पिछले साठ साल में पहली बार किसी सरकार या किसी नेता ने सम्पूर्ण प्रदेश की समस्त नदियों, चाहे वह मां गंगा हो, चाहे गोमती हो, चाहे यमुना हो, प्रत्येक नदी पर और सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में होगा कि वर्ष 2009 में सम्पूर्ण वर्ष गोमती के तट पर एक वृहद् कार्यक्रम चलाकर सम्पूर्ण जनमानस को जोड़कर अथक प्रयास किया गया। दिनांक 01 जनवरी, 2010 से प्रदेशव्यापी आन्दोलन चलाने की योजना थी लेकिन आचार संहिता बीच में आ जाने से 17 जनवरी से यह कार्यक्रम चलाया गया। यह ऐसा विषय है जिस पर कि सिर्फ चर्चा ही नहीं होनी चाहिये, इस पर कार्य भी होना चाहिये। सबसे पहले मैं वायु प्रदूषण पर आता हूं, वर्ष 2005 से ले करके 2009 के बीच में आज वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहर में बढ़ती हुई वाहनों की संख्या है। जो वाहन वर्ष 2005 में चल रहे थे अगर 2009 में उसकी तुलना की जाये तो 30 से 35 प्रतिशत तक वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गयी है। सम्पूर्ण प्रदेश का यही हाल है। सरकार द्वारा वायु गुणता का अनुश्रवण बड़े शहरों में विभिन्न स्थलों में कराया गया था लेकिन यदि अनुश्रवण स्थलों पर जाकर सल्फर डाई आक्साइड, आर0एस0पी0एम0, इन सबकी मॉनीटरिंग करायी जाये जिसमें

वर्ष 2005 की तुलना में वर्तमान में लखनऊ जनपद में लगभग–लगभग अधिकांश स्थलो में 33 से 37 प्रतिशत का सुधार हुआ है। केवल आर0एस0पी0एम0 को छोड़कर कानपुर शहर में 30 से 62 प्रतिशत स्थलों पर यह सुधार आया है। इसी तरह से आगरा में, गाजियाबाद में, वाराणसी में सी0एन0जी0 की जो सप्लाई चल रही है, हम इसके लिये प्रयासरत् हैं, वाराणसी के लिये हमने केन्द्र को लिख रखा है कि वाराणसी में भी तत्काल सी0एन0जी0 की स्थापना होनी चाहिये तो यह सामूहिक प्रयास होना चाहिये। मा0 अध्यक्ष जी, अब मैं जल प्रदूषण की बात करना चाहता हूं गंगा नदी वास्तव में हम सबकी पूज्य हैं। केन्द्र सरकार ने पहले हमसे कहा कि 15 प्रतिशत आप लगाइये 85 प्रतिशत का योगदान हम करेंगे और जब हमने पूरा प्रस्ताव बना करके भेज दिया तो वहां से लिख करके आया है कि आपको 15 प्रतिशत नहीं बल्कि 30 प्रतिशत लगाना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्री जी अतिसंवेदनशील हैं गंगा नदी की स्वच्छता और उसकी सफाई के लिये उन्होंने तत्काल केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव को जो कि एक अनावश्यक 15 प्रतिशत का बोझ लादा जा रहा था उसको स्वीकार करके उस योजना को अपनी स्वीकृति दी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जहां तक वर्तमान सरकार का प्रश्न है, हम लोग चाहे कोई भी नदी हो, अभी हमारे डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आमी नदी की चर्चा कर रहे थे। आमी नदी में 4 उद्योगों में, 3 टेक्सटाइल मिल्स हैं और उन सभी मिलों में वर्तमान में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। जहां तक आमी नदी का प्रश्न है, यह एक बरसाती नदी है और राप्ती नदी की सहायक नदी है। इस नदी में बरसात के मौसम के अलावा जल की मात्रा बहुत कम रहती है। अभी कुम्भ मेला समाप्त हुआ है, हमारे जोखू लाल यादव महोदय यहां पर नहीं हैं। विगत वर्ष 2009 में जब माघ मेला लगा, सन् 2010 में जब माघ मेला लगा तो हम सभी लोगों को मा0 मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि वहां की जल की गुणवत्ता के बारे में आप लोग परीक्षण करते रहें, जानकारी करते रहें। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जहां तक गंगा नदी में जल का सवाल है, सम्पूर्ण मेला के समय में और हमारा यह भी प्रयास रहता है कि उसके बाद भी गंगा नदी में स्वच्छ जल रहे, लोग उसका आचमन कर सकें, लोग उसकी पूजा–पाठ कर सकें और इसी तरह से हम चाहते हैं कि जहां तक वायु प्रदूषण का प्रश्न है। हम सबको, सम्पूर्ण जनमानस को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वाहन कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं ? जहां तक सी0एन0जी0 आदि की व्यवस्था है, वाराणसी के लिये हम लोग लगातार प्रयासरत् हैं। वर्ष 2006 में लखनऊ में सी0एन0जी0 की व्यवस्था शुरू हुई थी, 91 हजार किलोग्राम लक्ष्य के अगेन्स्ट में वर्तमान में 47 हजार, इसी तरह से हर जगह व्यवस्था हो रही है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि सम्पूर्ण वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखा जाये लेकिन काफी समय का, काफी पुराना प्रदूषण है इसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

आपने गंगा, यमुना सबकी बात कर लिया, हम लोग जिसका प्रश्न ले करके आये हैं, आप तो उसको नदी ही नहीं मानते हैं। हम केवल छोटी सी मांग कर रहे हैं कि आमी नदी के जल के प्रदूषण की जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री नकुल दुबे–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जहां तक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की चिन्ता का प्रश्न है, मैं आपकी चिन्ता से वाकिफ हूं। मान्यवर, वर्तमान सरकार प्रदूषण के प्रति संजीदा है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता को स्वस्थ वातावरण, पोल्यूशन रहित माहौल उपलब्ध करायें जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरी तरह गैर गम्भीरता से लिया है .....

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रमोद तिवारी व मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना विद्या सागर गुप्ता जी की है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, नागरिकों की समस्या पर अपनी संवेदनहीनता को प्रदर्शित किया है, हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष–

विद्या सागर गुप्ता जी नहीं हैं इसलिए उनकी सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना डा0 पी0 के0 राय व श्री विश्वनाथ जी की है।

*डा0 पी0 के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 56 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकार की चिन्ता है कि इस पंचवर्षीय योजना में किसानों की आमदनी को दोगुना किया जायेगा। लेकिन किसान की उपज अगर नहीं बढ़ेगी, किसान के खेत को अगर पानी नहीं मिलेगा, तो यह कल्पना केवल कल्पना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकलने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल जो नेपाल से निकल करके आती है और जिसका 18.9 किमी0 हिस्सा नेपाल में पड़ता है। वो नेपाल में पड़ता है उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। 18.9 पर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश

करती है और फिर 131 किलोमीटर जाकर के यह बिहार में प्रवेश करती है। इस नहर से गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर इत्यादि जनपदों के करीब 333 हजार हेक्टेयर फसलों की सिंचाई जिससे होनी चाहिए, लेकिन ये नहर जब 1961 में बनी थी, 1961 से प्रारंभ हुयी थी और संभवतः 1990 या 94 में पूर्ण हुयी। आज इस नहर की स्थिति इतनी जर्जर है कि उसके लाइनिंग्स हैं वो टूट चुके हैं, सिल्ट से भरी हुई है। मा0 अध्यक्ष जी वहां पर बाल्मीक बैराज है, जो नेपाल में पड़ता है और 18.9 किलोमीटर का हिस्सा इस नहर का नेपाल में पड़ता है, पहले वहाँ पर सिल्ट रिजेक्टर सिस्टम लगा है आज समस्या नहरों की सबसे बड़ी यह है कि नहरें सिल्ट से पटती जा रही हैं और पूर्ण सिंचन क्षमता जो उनकी होनी चाहिए उस पूरी सिंचन क्षमता से पानी उन नहरों का नहीं चल पा रहा है और वहीं स्थिति इस कैनाल की भी है, लेकिन करीब 15-20 वर्ष हो गये। मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं एक मिनट, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मान्यवर, सिल्ट रिजेक्टर सिस्टम खराब होने की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार यदि प्रयास करती व्यावहारिक कठिनाई है कि जो 18 किलोमीटर का हिस्सा है वह बिहार सरकार के द्वारा उसका रख-रखाव किया जाता है और सिल्ट रिजेक्टर सिस्टम को ठीक कराने के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास करे। पैसे अगर वो लगा दे तो जो नदी से निकलकर के सिल्ट और रेत इन नहरों के माध्यम से गांवों में किसानों के खेतों में जा रहा है। उससे उन खेतों की जो उर्वरा क्षमता है, वो भी घट रही है। मान्यवर, इस नहर की स्थिति को सुधारने के लिए जिससे तकरीबन 4 शाखाओं में डोरिया शाखा में 4350, मटिया शाखा में 596, खजुरिया शाखा में 1210 और चाल शाखा में क्यूसेक पानी जाना चाहिए, मात्र 48 प्रतिशत ही सिंचन क्षमता है, 48 प्रतिशत ही पानी जा रहा है, मान्यवर बस, एक मिनट की बात है, ये प्रदेश सरकार ने चिन्ता जाहिर की, मैं इस सरकार से और माननीय सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो व्यय वित्त समिति है, 31 जनवरी, 2008 को इस समिति की बैठक हुई थी और इस समिति द्वारा 132.97 करोड़ रुपये की परियोजना का अनुमोदन किया गया, उस परियोजना को आपने केन्द्र को भेजा और केन्द्र सरकार ने जो ये आपके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत ये केन्द्रीय वित्त पोषण हेतु ये परियोजना गई, लेकिन परियोजना जिस समय उसके ऊपर विचार किया गया, 2007-08 में इसके ऊपर पैसा नहीं मिल पाया, 2008-09 में मात्र इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ जिससे कि रजबहों की सफाई हो पाई, और मान्यवर, जब पुनः इसके ऊपर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा परियोजना को वर्तमान दरों पर पुनरीक्षित करने के लिये निर्देश किए गए तो यह परियोजना पुनरीक्षित हो करके 217.20 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत उसकी आई है। मान्यवर, मैं इतने गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जो किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, उसके प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुये, मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल की स्थिति को सुधारने के लिये, इस इलाके के लोगों के खेतों को पानी पहुंचाने के लिये योजना को स्वीकृत कराने के लिये प्रयास पूरी

मजबूती से होना चाहिए और मैं इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, जो सरकार की तरफ से बात आनी चाहिए थी, वह तो माननीय सदस्य ने ही रख दी। सरकार ने विश्वास दिया, वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को भेज दिया, 1 करोड़ रुपया दे दिया, अब मान्यवर, ध्यानाकर्षण के लिये भी उन्होंने अनुरोध कर दिया। मान्यवर, यह तो नियम 56 में नहीं आता है, इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

*श्री विश्वनाथ–

अध्यक्ष जी हमें लगता है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस प्रश्न से विचलित हो रहे हैं और हमको सुनने की जहमत नहीं उठाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपको दुःखी करे और आहत करे।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहें।

श्री विश्वनाथ–

आप जानते हैं कि सदन में भी इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और डा0 पी0 के0 राय ने आपसे विनती की है यह दो सरकारों के बालीबाल खेलने जैसा प्रश्न बना दिया गया है। इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार खेल खेल रही है। वहां पर चार सालों से पानी की समस्या बनी हुई हैं मैं आपसे कुशीनगर की बात कर रहा हूं जहां से डा0 पी0 के0 राय आते हैं। इस नहर से जो चार नहरें, उसकी शाखाएं और माइनर निकलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के ऊपर मेहरबान होइये किसानों को पानी दीजिए और मनचाहा उत्पादन लीजिए। आज किसान आन्दोलन कर रहे हैं, दुःखी हैं, आहत हैं हमारे यहां तीन सालों से नहरें सूख रही हैं हम आपसे आरजू कर रहे हैं कि नहर कि सफाई करवा दीजिए और हमारे क्षेत्र में पानी पहुँचा दीजिए तो सारे लोग आपको साधुवाद देंगे आपका धन्यवाद करेंगे। मेहरबानी तो करिये इस खेल को समाप्त करके पानी देने का इंतजाम करिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर मैंने डा0 पी0के0 राय को सुना, श्री विश्वनाथ को सुना व सिंचाई मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं। तब भी जनहित में किसानों के हित में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है लोक महत्व का है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अगली सूचना श्री महबूब अली की है।

(श्री महबूब अली के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं महबूब अली की सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

अध्यक्ष जी जनपद जौनपुर में गोमती नदी है उस पर एक पुल है सद्भावना पुल उस पुल पर जो जमीन अधिगृहीत की गई उसमें दो सगे भाइयों की जमीन थी जिसमें एक का नाम संजय कुमार परसुराम पुरिया व एक दूसरा भाई है दोनों का बराबर का हक है दोनों आधी-आधी जमीन के भागीदार थे लेकिन विभाग ने एक भाई को उसी जमीन की कीमत 60.44 लाख रुपये दी व दूसरे भाई को 3.5 लाख रुपये दी। इसकी शिकायत जब संजय कुमार ने जिलाधिकारी को की तो कोई कार्यवाही नहीं हुई जब उसने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश दिए। अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास है। डी0एम0 ने साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि इसके साथ अन्याय हुआ है और उसको बराबर का अधिकार नहीं दिया गया है तब जाकर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया इसमें कर्मचारी के खिलाफ तो कार्यवाही हो गयी लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिला हैं इसमें मानवाधिकार आयोग व दूसरी संस्थाओं को प्रार्थना-पत्र दिया है जांच रिपोर्ट भी मेरे पास है जब जांच में अधिकारी दोषी पाए गए तो उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है यह सारी जांच रिपोर्ट मेरे पास है अगर आप कहें तो मैं आपके पास इसे भेज दूं। इसमें एक बेटे को जितना पैसा मिला है दूसरे बेटे को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए क्योंकि एक ही पिता की दोनों सन्तान हैं और दोनों के बराबर अधिकार हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि आपकी कृपा दृष्टि हो और मंत्री जी इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीया सीमा द्विवेदी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, यह नियम 56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। फिर भी इस अनियमितता की ओर

शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। (सर्वेश कुमार जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।) सर्वेश कुमार जी अनुपस्थित हैं इसलिये मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पंकज कुमार जी उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष–

है इनका, बस मैं आ रहा हूं। तिवारी जी ने कहा था। अगली सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर, श्री सुन्दर लाल लोधी और श्री कृष्ण गोपाल पटेल की प्रदेश में किसान मित्रों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दो मिनट में अपनी बात कह लें उस्मानी जी।

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों को उनके किये कार्य के बदले मात्र 1220 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है जिसमें हजारों किसान मित्रों और उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पा रहा है, यह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। 3-4 वर्षों से कार्यरत किसान मित्रों को वर्ष 2009 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे पढ़े लिखे स्नातकों जो 80 प्रतिशत देश के किसानों की सेवा करते हैं उनकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार खत्म कर देना चाहती है जबकि किसान मित्रों के द्वारा लखनऊ में किये गये शांतिपूर्ण आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय करने का वायदा किया था। उनको सेवा से निकालने से हजारों परिवारों के आश्रितों में आक्रोश व्याप्त है। इस सबको देखते हुए किसान मित्रों को परमानेंट कर उनको वेतन देना चाहिए। मान्यवर, किसान मित्रों को जो ग्राम पंचायतों में किसानों को राय देते हैं, खेती-बाड़ी के बारे में बताते हैं उनको अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1220 रुपये मासिक मानदेय था उसको भी कम करके 200 रुपये महीना कर दिया हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश कि किसान मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार न किया जाय और उनको उतना उचित मानदेय दिया जाय जिससे उनका भरण-पोषण हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 उस्मानी को सुना, यह सूचना नियम 56 में आती है तब भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अनूप सण्डा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में 4 दर्जन से ज्यादा पान मसाला और गुटखा निर्माता कम्पनियां काम कर रही हैं और यह विभिन्न ब्रांडों के माध्यम से, विभिन्न नामों से अपना व्यवसायं करती हैं और मान्यवर, नोएडा और गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक तमाम शहरों में तमाम जगहों पर इनके कारखाने लगे हुए हैं। मान्यवर, मैं यहां पर गुटखा और पान मसाले से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं इस बात का खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं कि कम्पनियां इनका जो वास्तविक उत्पादन है उससे बहुत कम उत्पादन दिखाकर के एक-एक कम्पनी जिसके पास 40-40 मशीनें लगी हैं पान मसाला और गुटखा के पाउच की पैकिंग की वो अपनी क्षमता चार-पॉच मशीनों को दिखाकर उत्पादन कर का कस्टम ड्यूटी का, व्यापार कर का और मंडी कर का जिस तरह से चोरी कर रही हैं कि जहां एक तरफ हमारी सरकार घाटे का बजट दे रही है अपना राजस्व बढ़ाने के लिये चिन्तित है वहीं दूसरी तरफ यह कम्पनियां करोड़ों रुपये का नहीं अपितु अरबों रुपयों का विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से इस राजस्व का, सरकारी धन का बंदर बाट करने का काम कर रही हैं। मान्यवर, इस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसी के साथ तमाम ऐसे तथ्य संज्ञान में आये हैं, समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान आया है कि यह कम्पनियां पान मसाला और गुटखा बनाने के लिये जिस कच्चे माल का इस्तेमाल करती हैं उनकी गुणवत्ता निम्न होती है। कत्थे की जगह पर किसी केमिकल का, सड़ी हुई सुपारी का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कम्पनियों के बारे में यहां तक आरोप लगाये गये हैं कि अपने ब्रान्ड को एक विशिष्ट तरीके का नशा देने के लिए, कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का प्रयोग करती हैं कि खाने वाला व्यक्ति उनका आदी हो जाए और उस आदत से कभी छुटकारा न पा पाए। मान्यवर, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, पान मसाला तो सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसमें निम्न गुणवत्ता की चीजें मिलें, जहरीली वस्तुयें मिलाई जाएं, लोगों को नशे का आदी बनाने का प्रयास किया जाए तो मान्यवर, स्थिति की गम्भीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय इसलिए भी है कि हजारों लोग इस आदत का शिकर हो रहे हैं कैंसर का शिकर हो रहे हैं अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ राजस्व का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है साल में, दूसरी तरफ जन स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

मैं आभारी हूं आपका, यह बहुत ही ज्वलन्त मुद्दा है आज प्रदेश में लोग लाखों की संख्या में कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, कई सारी रिसर्च रिपोर्टें आई, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, इसमें यह पाया गया कि जो मुँह का कैंसर है वह गुटखा और पान मसाले से होने के, बहुत ज्यादा लक्षण उसके पाए गए। सरकार इस पर प्रतिबन्ध तो नहीं लगा सकती है, मुझे भी जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय का भी कोई आदेश है। लेकिन अभी अनूप सण्डा जी कह रहे थे कि उसमें कत्थे की जगह किसी चीज को मिलाने का काम हो रहा है आज सारी कम्पनी कत्थे की जगह गैम्बलर को मिलाने का काम कर रही हैं। उसकी जांच भी हुई है, मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया ने 16 नवम्बर, 2002 को, सरगोल्ड गुटखा कम्पनी के गोदाम में छापा मारकर, गुटखे के नमूने इकट्ठे किए और मान्यवर, नमूने की जो जांच रिपोर्ट आई वह बहुत ही भयानक हैं चौकाने वाली है थोड़ी लम्बी जांच रिपोर्ट है समय लगेगा पढ़ने में।

श्री अध्यक्ष–

संक्षिप्त करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

तो उसमें स्वास्थ्य के प्रति बताया गया है, मुख्य चिकित्साधिकारी ने जांच कराई कि यह मानव के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही खतरनाक है। तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बागपत के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा भी एक गुटखा कम्पनी की जांच कराई गई उस गुटखे में भी तमाम चीजें पाई गई हैं तो मैं चाहता हूं कि सरकार अगर प्रतिबन्ध न भी लगाए तो जो गुटखा बनाने वाली जितनी भी कम्पनी हैं इनके नमूने भरकर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का प्राविधान करें। ऐसा आपकी पीठ से निर्देश हो जाये।

*श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो गुटखा का निर्माण हो रहा है इसमें भारी राजस्व की चोरी हो रही है। साथ ही साथ कई गुटखा कम्पनी स्थापित कहीं पर हैं और चोरी से दूसरी जगह नम्बर दो का उत्पादन कर रही हैं इससे भी सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा ली जाए। प्रदेश में जो राजस्व की चोरी हो रही है करोड़ों लोगों को मुंह का कैंसर हो रहा है। साथ ही गुटखा के पाउचों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस पर फेफड़ा या मुंह कैंसर का कुछ बनाया जाए। उसके स्थान पर यह बिच्छू बना रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है। इसलिए इसमें निर्देश दें कि इसमें चर्चा करा लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री अनूप सण्डा जी को सुना, श्री नरेन्द्र सिंह जी को सुना, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती हैं। तब भी एक जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि हमारे मण्डप में और हमारी गैलरी में गुटखे के प्रभाव से बहुत गन्दगी हो गई है। इसमें कुछ हमारी मदद करें।

श्री सतीश महाना–

निर्देश दे दें कि गुटखा खाकर न आएं।

श्री अध्यक्ष–

पूर्व में भी निर्देश आदेश है।

श्री सतीश महाना–

इसको एक बार दोहरा दें। अगर आदेश होने के बाद भी गन्दगी है तो इसको एक बार दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष–

हमने तो बराबर निवेदन किया है कि हमारे मण्डप और लॉबी में इस तरह का वातावरण न बनाया जाए। हां माधव पासवान जी।

श्री माधव पासवान–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा, चौरी-चौरा में एक रेगुलेटर बना हुआ है, जो कई साल पुराना रेगुलेटर है, वह रेगुलेटर खराब हो चुका है, मेरा आधा विधान सभा यानी 52-56 गांव का क्षेत्र बाढ़ से घिरा हुआ है, उन गांवों के चारों तरफ से, अगल-बगल से बंधे हैं, उन बंधों में रेगुलेटर बना हुआ है, वह खराब हो गया है। बरसात के सीजन में पानी की निकासी नहीं हो पाती है। बन्धे के बाहर बाढ़ का पानी रहता है। और बन्धे के अन्दर बरसात का पानी रहता है। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक नया रेगुलेटर लगा करके पानी की निकासी कराई जाए। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह किसानों का क्षेत्र है और गरीबों का क्षेत्र है, मान्यवर, जब बरसात का सीजन आ जाता है तो धान की फसल नहीं हो पाती है और पानी भरा होने के कारण गेहूं की फसल भी नहीं हो पाती है तो मान्यवर, मैंने इस समस्या की ओर आपको अवगत कराया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माधव पासवान जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, तब भी किसानों से जुड़े इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराता हूं। श्री राधेश्याम जायसवाल साहब, आपकी समस्या तो बड़ी तगड़ी है, लेकिन कहिए।

*श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जायसवाल, कलवार, कलार, सुहरे के लोग पूर्वजों से शराब व्यवसाय करते चले आ रहे हैं। मान्यवर, वर्तमान समय में तमाम सी जातियां इसमें घुस गई हैं, जो इस व्यवसाय से अलग हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से निषाद लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, जिस तरीके से कुम्हारों को पट्टा दिया जा रहा है, उसी तरीके से जायसवाल समाज को इसमें आरक्षण दिया जाए। मान्यवर, दूसरा यह है कि आप एक व्यक्ति को पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शराब का ठेका दे दिया, छोटे-छोटे जो व्यवसायी लोग हैं, वह हड़ताल कर रहे हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और मान्यवर, आप पूरा उत्तर प्रदेश भी देने की योजना बना रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप छोटे व्यवसाइयों को इसका लाभ दें और इन विरादरियों को इसमें आरक्षण दें, इससे आपको ज्यादा राजस्व मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

चलिए, बात आ गई, मैंने दो मिनट में अपनी-अपनी बात कहने के लिए कहा है, 2.00 बजे मैं समाप्त कर दूंगा, सभी सदस्यों का।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, एक आदमी को पूरा दिए हुए हूं, एक आदमी को पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा और गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री राधेश्याम जायसवाल जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। मदन चौहान जी आप अपनी बात दो मिनट में कह लीजिए।

(विरोध स्वरूप श्री राधेश्याम जायसवाल सदन त्याग कर चले गये)

(श्री अनूप कुमार गुप्ता के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

चलिए आपकी ही बात उन्होंने कही है। वह तो गए, अगर सहयोगी है तो जाइये, आप भी।

(हँसी)

श्री मदन चौहान–

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे नियम 56 में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज प्रदेश में मरीजों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ चल रहा है, हमारे प्रदेश में नकली और अधोमानक दवाइयां जिस धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर पर बिक रही हैं, उससे तमाम जो गरीब मरीज हैं जो भारी संख्या में अस्पतालों में जाते हैं तो उनको नकली दवाइयों के माध्यम से उनका स्वास्थ्य और खराब होता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे मृत्युदर बढ़ती जा रही है। मान्यवर, यह कई तरह से है, एक तो बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो नकली दवाइयों का निर्माण कर रही हैं वह डाक्टरों को विभिन्न प्रकार से लालच दे करके उन दवाइयों को लिखने के लिए बाध्य करती हैं। मान्यवर, सरकारी अस्पताल से लेकर, निजी प्राइवेट अस्पताल तक इन दवाइयों की भरमार जिस तरह से है, जब कोई मरीज मेडिकल स्टोर पर जाता है तो उसको वह दवाई न दे करके, जो डाक्टर सही रूप में लिखते हैं, उसका सब्सटीट्यूट देने का काम करते हैं। जिनका साइड इफेक्ट होता है और मान्यवर, कभी-कभी व्यापारी टैक्स का खौफ दिखाकर उसको कम रेट की दवाई देता है। जो असली दवाई है उसका रेट अगर 200 रुपये का स्टीकर होगा तो उसको 20-30 रुपये की दवाई पकड़ाता है। मान्यवर, इस तरह से अद्योमानक दवाइयों से देश, प्रदेश की मृत्युदर बढ़ती जा रही है और जो गरीब लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं उनका इलाज ठीक होने के बजाय गिरता जाता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां न बिके, हमारे सरकारी अस्पताल में जिस तरह से यह अद्योमानक दवाइयों का चयन किया जाता है इस पर रोक लगे। आज आम आदमी सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं लेना चाहता, वह प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराकर दवाई लेना चाहता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें जिससे लोगों के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है उससे उनको बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री मदन चौहान जी को सुना। ये सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं। तब भी यह उत्तर प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा विषय है, अगर नकली दवाइयां बेची जा रही है तो सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित कराता हूं। माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी, आप दो मिनट में कह दीजिए।

(श्री अमरमणि त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं-नहीं, जिनका लिस्टेड है उन्हीं का सुनूंगा। कल आप दे दीजिए कल सून लूंगा, त्रिपाठी जी, कल कह दीजिए, नियम नहीं बदलूंगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, महाराजगंज जनपद में एक ब्लाक है पनेरा। माननीय वन मंत्री जी उस विभाग को सुशोभित करते हैं, प्रतिनिधि भी हैं, वहां से मंत्री भी होकर आये हैं। उसी में एक गांव इलाहाबांस है, इलाहाबांस गांव में एक टोला बेलोनी है, वहां की एक अनुसूचित जाति की महिला जिसका नाम यशोधरा है बगल के एक टुकड़ा नं0 14 जंगल में लकड़ी चुनने गयी थी। छोटी-छोटी लकड़ियां चुनकर के वह ले आती है शाम को बेचकर के अपना गुजारा करती है। यह अनुसूचित जाति की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिला है और यह परंपरा आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी परम्परा है। इलाके के गरीब लोग जंगल से लकड़ियां चुनकर ले आते हैं और उसको बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यशोधरा से वन विभाग के कर्मचारी ने 10 रुपये की मांग की। महिला ने कहा कि मेरे पास 10 रुपये कहां हैं उसकी धृष्टता केवल यह थी मान्यवर, कि उसने कहा कि पेड़ का पेड़ लोग ट्रक से उठा ले जाते हैं वह कितना पैसा आपको देते हैं इस पर उस वाचर ने उस महिला को मारना शुरू किया, वह भागना शुरू की और उसने लाठी से उसके सिर पर मारा, वह महिला गिरी और वहीं पर उसकी मौत हो गयी। जब इस घटना की जानकारी उसके आदमी ने पुलिस को दी तो पुलिस ने कहा कि नहीं सारे कागज उपस्थित करे, रिपोर्ट हम अपने ढंग से लिखेंगे। 304 या गैर इरादतन हत्या या कुछ अनापशनाप रिपोर्ट लिखकर उस मामले को रफादफा करने का काम किया गया। मान्यवर, यह 6 तारीख की घटना है, मैं 7 तारीख को वहां पर पहुंचा और देखा कि वहां पर मजमा लगा हुआ है, खासतौर से अनुसूचित जाति के जो गरीब लोग हैं। मान्यवर, अनुसूचित जाति के नाम पर बनी यह सरकार किस तरह से उनका उत्पीड़न कर रही है इसका यह एक नमूना है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि उनका क्षेत्र है। वहां के यह विधायक हैं उनको जाना चाहिए और जो मैं कह रहा हूं अगर उसमें सच्चाई है तो त्वरित कार्यवाही इनको करनी चाहिए। मुझे खेद हे कि यह अभी तक नहीं जा पाये हैं। मान्यवर, मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की घटनाएं आये दिन उस इलाके में हो रही हैं। वहां का जो एस0 ओ0 है, वह जंगल विभाग के कर्मचारियों से मिलकर बड़े पैमाने पर लकड़ी की तस्करी करा रहा है। ट्रक का ट्रक लकड़ियां रोज जा रही हैं और इनका ही सरकारी आंकड़ा कहता है कि लकड़ियों की तस्करी हो रही है। मेरी मांग है कि उस मृतक परिवार को 5 लाख रुपया दिलवा दें और जो दोषी पुलिसकर्मी है या वन विभाग का जो दोषी सिपाही है वह अब भी गिरफ्तार नहीं हुआ है उसको गिरफ्तार किया जाये, कानून के हवाले किया जाये और एस0 ओ0, पनेरा को तत्काल हटाकर दूसरे अधिकारी से पूरे मामले की जांच करायी जाये। मान्यवर, यह अत्यंत लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं। इस घटना के प्रति शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।

श्री पंकज कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश में शहरों के सुनियोजित विकास के विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है, परंतु मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, किसानों पर भूमि अधिग्रहण के

नोटिस आते हैं, किसान प्रयास करता है लेकिन जब नोटिस वापस नहीं लिये जाते, किसान दुःखी होकर के अपनी जमीन को कम दामों पर बेचने का काम करता है, भू-माफिया सक्रिय हो करके वह जमीन खरीद लेते हैं। मान्यवर, अजीब बात है कि पता नहीं क्यों, जब जमीन उनकी बिक जाती है तो नोटिस उनके समाप्त कर दिये जाते हैं। मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मान्यवर, मुजफ्फरनगर में ग्राम अलमासपुर, सूजड़ू, कूकड़ा तथा शेरपुर आदि ग्राम जिनकी भूमि बाईपास के अंदर है, उनके साथ ऐसा ही किया गया है। मान्यवर, शामली रोड पर तो इतना अजीब खेल किसानों के साथ खेला गया है। एक तरफ तो सरकार बात करती है, प्रकृति को बचाने की, बागों को बचाने की, मान्यवर, मेरा मानना तो यह है कि पैसे लेकर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के बागों को तो आर-जोन में रख दिया गया है और जो आम किसान थे उनकी जमीनों को ग्रीन बेल्ट में रखा गया है। जहां किसान की तरक्की की बात आती है वहां अधिकारियों द्वारा यह कृत्य किया जाता है। मान्यवर, आम शहरी भी आज बहुत ज्यादा दुःखी है, चाहे मुजफ्फरनगर शहर की बात हो या शामली शहर की बात हो, मान्यवर, जब कोई छोटा व्यापारी या आम शहरी एक ईंट की जरा जी चुनाई भी करना चाहता है तो उस पर नोटिस आ जाती है, जब जे0 ई0 या एक्स0 ई0 एन0 उनसे आकर मिलते हैं या उनको बुलाकर मिला जाता है तो नोटिस समाप्त कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सन्दर्भ में मंत्री जी कुछ आश्वासन देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री पंकज कुमार को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। मैं इनकी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराता हूं।

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री सत्यनारायण जैसल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कल चर्चा अधूरी रही। मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलने वाली बसपा सरकार जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं, इंसान और इन्सानियत के लिये सम्पूर्ण जिन्दगी समाज के लिये अर्पित की है, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे बोलने लायक बनाया है। हमारी सरकार संतों, गुरुओं और महापुरुषों को आदर्श मानती है। इन्हें सम्मान देना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। पूज्यनीय संत शिरोमणि श्री रविदास जी ने आज से 600 साल पहले कहा था–

ऐसा चाहूं राज हम, जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ों सब सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न।

---

† दिनांक 8 फरवरी, 2010 की कार्यवाही से।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार बहन मायावती जी के नेतृत्व में चल रही है तो उत्तर प्रदेश की आम आवाम को हर सुख सुविधायें मुहैया हो रही है। जहां तक वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है 4 फरवरी को, उसकी जो खास विशेषतायें हैं, वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट का आकार 1 लाख 53 हजार 199.38 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक है। कुल आयोजनागत व्यय 45 हजार 645.13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें राजस्व व्यय 22 हजार 806.98 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 22 हजार 838.15 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना में 9099.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, व्यय की नई मांगों के माध्यम से 4282.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है। मान्यवर, लोक कल्याणकारी योजनायें लागू करके बहन जी ने पूरे प्रदेश की आवाम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाकर अन्य प्रदेशों की सरकारों, देश की सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु रास्ता देने का काम किया है। मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत 300 रुपये मासिक का अनुदान देकर उन लोगों को जिन्हें बीपीएल कार्ड का लाभ एवं अन्य कोई पेंशन नहीं मिलता, सहयोग देने का काम किया है। वर्ष 2010-11 के बजट में रुपया 410 करोड़ की व्यवस्था से प्रदेश के ऐसे 30 लाख परिवार की महिला मुखिया को सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाने का सराहनीय कार्य किया है। (इस समय दो बजे अधिष्ठाता श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुये) मान्यवर, पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्व दशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो पाने के बाद भी वर्ष 2010-11 में स्वयं के संसाधनों से एक हजार पैतालिस करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दो करोड़ बीस लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का प्रयास हुआ है जो अब तक का सबसे बड़ा कार्य है। मान्यवर, बीमारी, विकलांगता, अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए अधिकाधिक बजट व्यवस्था दिया गया है। सरकार द्वारा निर्बल आय वर्ग के आश्रय विहीन मछुआ परिवारों के लिए ढाई हजार मछुआ आवासों का निर्माण एवं जल व्यवस्था हेतु 125 हैण्ड पम्प स्थापित करने के साथ ही एक लाख दस हजार मत्स्य पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, सरकार द्वारा महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 2.5 लाख बालिकाओं हेतु रुपया 360 करोड़ का बजट व्यवस्था किया गया है। सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में रुपया 7949.34 करोड़ सड़क एवं सेतु के रख रखाव हेतु रुपया 5808 करोड़ की व्यवस्था की गई है। नक्सल क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग तथा लघु पुलों के निर्माण हेतु रुपया 128.80 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, सरकार द्वारा भूमिहीन मजदूरों के लिए आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। महामाया आवास योजना हेतु 250 करोड़ रुपये 57000 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया हैं मान्यवर, शहर के

उन गरीबों की तरफ जो गन्दे नालों के किनारे बस कर रहते थे, उनकी तरफ आजादी के बाद से आज तक किसी सरकार ने नहीं देखा, अगर देखा तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने शहरी गरीबों के लिए दो कमरों का पक्का छत वाला मकान, शौचालय, किचन, बिजली, पानी युक्त मकान देकर शहरी गरीब का भी जीवन स्तर सुधारने का काम किया हैं मान्यवर, एक छोटी सी घटना हम अपने जनपद सोनभद्र की बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम जो लगातार खस्ता हालत में रहा। वर्ष 1991 में संयुक्त क्षेत्र में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार द्वारा बेच दिया गया था। 02 जून, 1991 को डाला फैक्ट्री के गेट पर नौ मजदूरों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा था। पुलिस और तत्कालीन सरकार अपने को बचाने के लिए 65 ज्ञात और 6 हजार अज्ञात मजदूरों के खिलाफ मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था। बहन जी की सरकार में माननीया बहन जी ने ऐसे 65 ज्ञात और 6 हजार अज्ञात मजदूरों के खिलाफ तत्कालीन सरकार द्वारा जो मुकदमें लादे गये थे, लम्बे समय तक वह मजदूर परेशान रहे उस मुकदमें को भी वापस करके सोनभद्र के ऐसे गरीबों को जीवनदान दिया है जो तत्कालीन सरकार से परेशान हो रहे थे। मान्यवर, आज जो इस बजट के अवसर पर मुझे समर्थन में बोलने का मौका मिला है, मैं बल देते हुए कहना चाहूंगा कि यह बजट हमारा जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लोक कल्याणकारी है, उत्तर प्रदेश की आवाम में खुशी है, इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो हर विभाग में जिस प्रकार से आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए बजट की व्यवस्था करनी चाहिए थी वह नहीं की गई। मान्यवर, चाहे वह किसान से सम्बन्धित हो, चाहे वह मजदूर से सम्बन्धित हो, चाहे वह विकास से सम्बन्धित हो, मान्यवर मैं केवल दो-चार प्वाइण्टों तक अपने आप को सीमित रखूंगा, चूंकि सभी माननीय सदस्यों द्वारा उसके ऊपर जो विचार व्यक्त किये गये हैं वह निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण थे, मान्यवर, मैं शहर से आता हूं। मान्यवर, इसलिए शहरी क्षेत्रों के विकास के बारे में थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, यह सत्य है कि जब तक गांव नहीं बढ़ेंगे, किसान आगे नहीं बढ़ेगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक शहर विकसित नहीं होंगे तब तक न हम शिक्षा की तरक्की कर सकते हैं और उद्योग धन्धे लगा सकते हैं। मान्यवर, इस बजट के माध्यम से सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों के विकास के लिये 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें लिखा है कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के प्रयोजनार्थ निकायों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना के

अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। इसी के आगे है कि लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 456.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में 71 जिले हैं। लखनऊ में थोड़ी बहुत बिल्डिंगें खड़ी कर देने से पूरे उत्तर प्रदेश का विकास तो होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से राजधानी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी प्राथमिकता भी नहीं मिलनी चाहिए कि बाकी के लिए 225 करोड़ रुपया और लखनऊ के लिए 256 करोड़ रुपया मान्यवर, आप इस 225 करोड़ रुपया को 71 जिलों में बांट दें तीन करोड़ रुपया मुश्किल से हिस्से में आयेगा। उस तीन करोड़ रुपये में कितनी सड़कें बन जायेंगी। आप जब बजट असंतुलन को दूर करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ यहां पर बैठकर कुछ मानक तय कर लेते हैं। मैं लखनऊ के लिए बजट बढ़ा देने का विरोधी नहीं हूं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस 225 करोड़ रु0 से प्रदेश के शहरों के कितने इन्फास्ट्रक्चर का विकास हो जायेगा।

मान्यवर, मैंने देखा है कि बहुत सी बातें जब से यह सरकार आयी है हर वर्ष बजट भाषण में आ जाती है। पिछले साल के बजट भाषण में इसकी बहुत सी बातें सम्मिलित थीं। यह हर बार कहा जाता है कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये इतना पैसा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का कितना काम हो रहा है। उससे कितने विद्युत का उत्पादन हो रहा है कितने कूड़े का निपटान किया जा रहा है। केवल बजट में लिख देने से कार्य की इतिश्री हो जाती है। बजट में प्राविधानित बातों की अगर आपकी काम करने की योजना है तो बड़ी गंभीरता से आपको उसमें विचार करना पड़ेगा। यह कहा जाता है कि मल्टी पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में यह कहीं भी नहीं है। लखनऊ में यह व्यवस्था हो तो हो। लेकिन लखनऊ से चुने हुए विधायक भी ना में सिर हिला रहे हैं। मान्यवर, पिछले वर्ष का बजट भाषण आप उठा लें उसकी वही बातें सम्मिलित है इस बार के बजट भाषण में भी। यह बड़े अफसोस की बात है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से जेएनएनयूआरएम योजना की बात है भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश में उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जो हम उस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो काम चल रहे थे बीच में बंद हैं और जो काम चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि केन्द्र सरकार भी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना में पैसा देना बंद कर दिया जाये। आपके पास भी जो संसाधन हैं उनका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप औद्योगिक विकास के बारे में कहते हैं। इसमें लिखा है कि प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु मार्च 2009 तक 6884 आशय पत्र/इच्छा पत्र जारी किये गये हैं जिनमें से 2790 क्रियान्वित हो चुके हैं। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय मैंने एक प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही थी कि विगत वर्ष यहां

पर कितने उद्योग लगे हैं तो यह बताया गया था कि एक कुशीनगर में 6 नोएडा में और तीन अन्य स्थानों पर लगे हैं। टोटल 10 की फीगर दी थी। 10 उद्योग विगत एक वर्ष में लगे। यहां बताया जा रहा है कि जो आशय पत्र/इच्छा पत्र जारी किये गये उनमें से 2790 क्रियान्वित हो चुके मान्यवर, कहाँ हैं आप, वास्तविकता को देखिये जानकारी करिये, निश्चित रूप से आपकी जिम्मेवारी है कि आप सरकार में हैं और हमारी भी जिम्मेवारी है कि इम आपका ध्यान आकर्षित करके आपको सचेत करें। सरकार केवल कुछ सम्मानित सदस्यों के माध्यम से नहीं बन जाती जो उस तरफ बैठे हुए हैं सरकार सबको साथ लेकर बनती है। हम सबकी जिम्मेवारी है। हम अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसकी प्रशंसा करने से चूकेंगे नहीं लेकिन अगर कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना होगा तो वह हमारी जिम्मेवारी होगी और हम करेंगे। आप उद्योग नहीं लगायेंगे, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि अगर अच्छा काम होगा तो हम प्रशंसा करने से गुरेज नही करेंगे लेकिन मान्यवर, उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। उद्योग पलायन, ला एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है मान्यवर, जो आपने इसमें विकास दर आपने दिखाई, विकास दर के माध्यम से आपने बताया कि 2007-08 में जिस समय यह सरकार आई थी तो 5 दशमलव कुछ से बढ़कर 7 कुछ हो गयी। 2007-08 में बढ़ गयी और फिर 2008-09 में कम हो गयी तब हम लोगों को पता चला कि यह शब्जबाग दिखाये जा रहे थे।जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि ला एण्ड आर्डर में सख्ती की जायेगी वह हुई नहीं। जिस प्रकार से विकास दर बढ़ी तो मैं बता रहा हूं लेकिन जो घटी है वह आपकी किताब में लिखा हुआ है आप उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आप स्वीकार कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार आई तो एक साल विकास की दर बढ़ी तो अगले साल कम हो गयी। आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। सरकारें विश्वास से चलती हैं, इकबाल से चलती हैं। अगर सरकारों पर से विश्वास कम हो जायेगा तो आम जनमानस में रोष होगा। जिस समय आम जनमानस में रोष होगा तो बहुत बड़ी-बड़ी सरकारें आकर चली गयीं और बहुत बड़े-बड़े बहुमत की आकर के चली गयीं इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। आपके भले की बात कहना चाहता हूं कि जनता के हित की बात करिये, 3 साल समय हो गया है उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। इस उल्टी गिनती में आप सचेत हो जायेंगे तो प्रदेश की जनता का भला होगा। हमारा काम आलोचना करना नहीं जनता के हित की बात करना है। मान्यवर, पूछते हैं कि हैंडपम्प देंगे कि नहीं देंगे इनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। मान्यवर, जब मैं कोई बात बोलता हूं तो हमारे उधर के सम्मानित सदस्य नाराज होते हैं कहते हैं कि आप हर बार वहीं बात बोलते हैं। मान्यवर, इस धरती के ऊपर दो बातों से व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है एक बात वह जो उसको बहुत अच्छी लगती है उसको कहता है कि बार-बार कहो और जो उसकी अच्छी नहीं लगती है उसको कहता है कि खराब बात दुबारा नहीं कहो। अगर आप इतने अच्छे काम आप कर रहे हो स्मारकों को बनाने का, और हम बोलते हैं तो आपको चिढ़ नहीं लगनी चाहिए आपको बढ़िया लगना कि वाह क्या

बात है, बार-बार बोलो। लेकिन हम नाम लेते हैं और अपकी परेशानी शुरू हो जाती है। अगर अच्छी है तो आपको खुश होना चाहिए, यस, वेरी गुड बार-बार बोल रहे हैं यह तो बहुत अच्छे सदस्य हैं। हम अगर कह दें कि हैण्डपम्प, उसके लिए पैसा नहीं है और स्मारकों के लिए आप कहते हैं कि लो बार-बार वही बात बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके मन में अविश्वास है कि वह गलत बात है। आदमी की दो बातें हमेशा उसके ध्यान में रहती है एक तो जिससे प्यार करता है वह ध्यान में रहती है और जिससे डरता है वह ध्यान में रहती है। अब हैण्डपम्प की चर्चा करें तो क्यों आपको खराब लगता है।

चिकित्सा के लिए मान्यवर, इसमें लिखा गया है कि बहुत बड़ा काम किया गया है। स्वाइन फ्लू फैलता है, डेंगू मान्यवर, आप चले जाइये हम एक प्राइवेट हास्पिटल में गये तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज हैं और सरकार कहती है कि मरीज नहीं हैं। वेन्टीलेटर नहीं हैं। मान्यवर, हम लोग जब छोटे थे और कोई अस्पताल में एडमिट होता था वहां उसे आक्सीजन लगा दिया जाता था तो हम लोग यह मानकर चलते थे कि इसको आक्सीजन सिलेण्डर लगा दिया गया अब यह टें। आक्सीजन लगने का मतलब होता था राम नाम सत्य लेकिन अब हास्पिटल में घुसने से पहले आक्सीजन लगाये, साइंस और टेक्नालॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गयी है कि आदमी जाता है तो पहले उसको वेन्टीलेटर पर लगाया जाता है। अब वेन्टीलेटर के लिए जवाब देने वाले मंत्री तो हैं नहीं वह हमारे बिजली वाले मंत्री जी बैठे हैं वह कहेंगे कि वेन्टीलेटर जहां चलता है वहां बिजली जरूर है तो व्यवस्था नहीं है आपके पास, मरीज परेशान है आपके पास व्यवस्था नहीं है। एक काम आपने बहुत अच्छा किया, आपने प्राईवेट पार्टनरशिप को बहुत बढ़ावा दिया। सरकार के ऊपर तो आपका विश्वास खत्म हो गया, सरकारी मशीनरी के ऊपर आपका विश्वास खत्म हो गया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आपने खूब की। लेकिन इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को करने के लिये पता है, आपने क्या किया कि जो छोटे-छोटे ठेकेदार थे काम करने वाले, आपने एक नियम बना दिया कि छोटे आदमी की तो जरूरत नहीं है, सबको क्लप कर दो और 100 करोड़ से ऊपर का काम कराओ। मान्यवर, आप कहेंगे तो मैं विभाग का नाम भी बता दूंगा। मान्यवर, विभाग के द्वारा जो दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपये के कई काम थे जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता, काम की गुणवत्ता अच्छी हो सकती थी, आपने एक व्यक्ति को 100-200 करोड़ का काम दे दिया और काम ही नहीं दिया बल्कि उसके साथ यह क्लाज भी लगा दिया कि जिसको ठेका देंगे उसको साढ़े 12 प्रतिशत एडवांस भी देंगे तब वह काम करेगा। अभी उसने काम शुरू किया नहीं और उसको साढ़े 12 प्रतिशत दे दिया इसका मतलब दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है उस कालिख को हटाने की जरूरत पड़ेगी उस दाल को फेकने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कहीं पूरी की पूरी दाल ही काली न हो।

मान्यवर, बहुत सारे विषय हैं। मंहगाई के ऊपर जमाखोरों की बात हुयी। मान्यवर, जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी ने यहां अपना अभिभाषण दिया था, उसके ऊपर सरकार ने मंहगाई की चिन्ता व्यक्त की थी। मंहगाई पर नियम 56 में चर्चा भी हुयी और प्रश्न भी आये। सरकार कह रही है कि मंहगाई है और मंहगाई जमाखारों की वजह से है, यह भी वह कह रही हैं लेकिन आज तक कोई जमाखोर पकड़ा नहीं गया। रिपोर्ट कईयों के खिलाफ आप लिखा दें लेकिन क्या कोई पकड़ा गया, किसी को जेल भेजा गया, किसी जमाखोर के खिलाफ आपने एन0एस0ए0 की कार्यवाही की ? आपने कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट तो लिखाई है, पकड़ा उनको इसलिये नहीं गया क्योंकि उसके ऊपर जांच हो रही है अगर कहीं गरीब आदमी दो भाई-भाई आपस में लड़ जाते हैं तो बिना जांच के उनको उठाकर बंद कर दिया जाता है। अब तो इनकी जमानत हो ही नहीं सकती, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन उस मंहगाई को, जिसके कारण आज आम आदमी त्रस्त है, उसके ऊपर मान्यवर, आपने कोई चिन्ता नहीं की। मान्यवर, आप जिसका सम्मान के साथ नाम लेते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जिसका हम आदर करते हैं, सबको उसका आदर करना चाहिये। आपने आदरणीय कांशीराम जी के नाम से योजना बना दी शहरी आवास योजना। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एक गरीब आदमी नाले के किनारे जो बसे हुये हैं उनको हटाकर मकान देने की बात आपने कही है। जो बेचारा नाले के किनारे बसा था अगर उसके पास दो लाख रुपये होते तो वह खुद ही कुछ न बना लेता वह नाले के किनारे बसता क्यों ? उससे आपने कहा कि दो लाख रुपया सरकारी पैसा लगेगा। जो ओरीजनल पैसा है जो उसे खाते में जमा कराना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वह लगेगा तब आपको मकान दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, अगर उसके पास दो लाख रुपये होते तो वह नाले के किनारे क्यों बसता, वह गांव में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी न बना लेता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से बस इतनी बात कहना चाहता हूं केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं। आप आम आदमी की आवश्यकता को देखिये, मंहगाई को देखिये, चिकित्सा को देखिये, शिक्षा को देखिये, इस सबके ऊपर विस्तार से सारी की सारी चर्चा हुयी हैं। मैं आज इस सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेता हुआ आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मेरे को जानकारी हुयी, मैं क्षमा चाहता हूं मैं उस दिन यहां था नहीं, कि हम सभी माननीय विधायकों के लिये आदरणीया मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणा की हैं लेकिन विकास के साथ कुछ हैंडपंप की घोषणा भी कर देतीं। मैंने कहा था कि विधायक निधि, विधायक को मिलती नहीं है, उससे विकास के काम होते हैं और सारे सम्मानित सदस्यों के विकास के काम होते हैं। यह नहीं होता कि इनको मिल जायेगा। पूरे प्रदेश में होते हैं उससे क्षेत्रीय संतुलन भी रहता है जाति संतुलन भी रहता है और विकास के सारे प्रकार का संतुलन उसमें रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं यहां नहीं हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण मंत्री आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी हैं, जिस समय बजट के विनियोग विधेयक पर चर्चा हो तो यह महत्वपूर्ण बात

माननीया आदरणीया मुख्यमंत्री जी की जानकारी में अवश्य डालें कि विकास सभी क्षेत्रों का हो, विकास पूरे प्रदेश का हो, विकास उस आम आदमी, जिसकी जरूरत है उसका हो, तब हम बजट की प्रमाणिकता सिद्ध कर सकते हैं। इतनी ही बात कहकर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुये, अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया। मान्यवर, जो बजट मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस बजट में कहीं से भी यह नहीं लगता कि इस प्रदेश की करोड़ों जनता के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए यह बजट लाया गया हो। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए यह बजट लाया गया है क्योंकि यह संवैधानिक बाध्यता है, बजट हमें लाना है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इसलिए विधान सभा में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसके बारे में कहीं कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया हैं कानून-व्यवस्था का मतलब केवल कानून-व्यवस्था से ही नहीं है इससे प्रदेश के विकास का भी सम्बन्ध है। आज हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था बद से बदतर है इसीलिए एक भी भारी उद्योग धन्धा लगाने के लिए कोई बड़ा उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। कहीं बजट में नहीं उल्लेख किया गया कि कितने बड़े उद्योग धन्धे लगाये गये। पिछले साल भी बजट में घोषणाएं की गयीं, बहुत सी योजनाओं को हर बार बजट में लाने का काम किया जाता है लेकिन क्या उन घोषणाओं पर जो पिछले साल जारी की गयी थीं, उन पर कोई काम हुआ है, हम लोग देखते हैं कि जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। हाँ लखनऊ में विधान सभा में बैठकर बहुत बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा जो प्राइमरी एजूकेशन की हालत है मैं उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर बहुत भारी सरकार का धन खर्च हो रहा है आज की तारीख में भवन निर्माण करने का काम हो रहा है। शायद ही प्रदेश में आज कोई ऐसा प्राथमिक विद्यालय हो, जिसमें भवन निर्माण का कार्य न हो रहा हो। विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है लेकिन क्या उन विद्यालयों में शिक्षक हैं ? क्या उन विद्यालयों में बच्चे हैं पढ़ने के लिए ? आज दो मूलभूत चीजों की आवश्यकता है सबसे पहले तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे होने चाहिए, छात्र होने चाहिए, आज छात्रों की संख्या घटते-घटते नगण्य हो गयी है और छात्र स्कूलों में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की भारी कमी है। मा0 मंत्री जी ने कल सदन में कहा था एक लाख दस हजार लेकिन चार लाख चौहत्तर हजार शिक्षकों की कमी है यह आँकड़े मैंने सरकार की वेबसाइट से लिये हैं। जब इतने ज्यादा शिक्षकों की कमी है तो वहां भवन निर्माण करने का क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य है यह सरकार का पैसा व्यर्थ में जा रहा है। पहले सरकार को बजट में व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम शिक्षकों की भर्ती करने का काम करेंगे, रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे, फिर बच्चों की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्र के हित का बजट है। मान्यवर, हैण्डपम्प का जिक्र तमाम साथी विधायक [illegible] करते हैं। मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, मैं तो स्वागत करूंगा उनके इस कदम का कि उन्होंने हैण्डपम्प खत्म करने का काम किया और स्वागत इसलिए करूंगा कि आज गाँव का आदमी जब मा0 विधायकगण अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो हैण्डपम्प की मांग करता है क्योंकि उसकी बस्ती में पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प नहीं हैं। पहले मा0 विधायक आवश्यकतानुसार लिख करके दे देते थे तो उनके कोटे से एक हैण्डपम्प लग जाता था उसके लिए पैसा भी नहीं जमा करना पड़ता था क्योंकि विधायक निधि से देने का प्रावधान था। जो हैण्डपम्प बगैर किसी शुल्क के लग जाता था आज सरकार के एक निर्णय की वजह से, क्या सरकार ने यह जानकारी करने की कोशिश की कि जो आज हैण्डपम्प गांवों में लग रहे हैं आज हैण्डपम्प लगाने वाला ठेकेदार और वहां का जो अधिशासी अभियन्ता है, जो जल निगम का ठेकेदार है वह पांच हजार, चार हजार रुपये में हैण्डपम्प लगाने का कार्य कर रहा है। सरकार चाहे तो गाँवों में जा करके जांच करा लें कि गतवर्ष जितने गाँवों में जिन-जिन के यहां हैण्डपम्प लगे हैं, उनसे पूछ लें कि आपने कितना पैसा दिया हैण्डपम्प लगाने के लिए। शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहेगा कि मेरा हैण्डपम्प बगैर पैसे के लगा है। यहां तो अच्छी घोषणा हुई कि जो लाभार्थी हैं अंशदान का 10 प्रतिशत पहले देना पड़ता था, उपभोक्ता देता था या विधायक अपनी निधि से देता था, वह अब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसका रिजल्ट गाँव के स्तर पर जा करके क्या हुआ ? अब जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो ठेकेदार हैं वह जनता से पैसा ले करके हैण्डपम्प लगवाने का काम कर रहे हैं। जनता को जानकारी है, जब समय आयेगा तो जनता जवाब देगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, गन्ना किसानों की बात हुई और बहुत बार यह विषय यहां पर आता है। माननीय गन्ना मंत्री जी जवाब दे रहे थे अभी कि हमारी सरकार ने 25 रुपये प्रति क्विंटल का ऐतिहासिक भाव बढ़ाने का काम किया। यह बात सही है कि 25 रुपये प्रति क्विंटल एकबार में बढ़ाने का काम किया लेकिन क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया कि इस बार परिस्थितियां ऐसी थीं कि सरकार गन्ना किसानों के मन में सन्देश देने का काम कर सकती थी कि हम गन्ना किसान की हितैषी हैं, हम गन्ना किसान का हित सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए गन्ना किसानों को 300 रुपये का भाव देना चाहते हैं, यह घोषणा करती लेकिन सरकार ने जो 165-170 रुपये प्रति क्विंटल का भाव घोषित किया, क्या उत्तर प्रदेश के एक भी किसान ने गन्ना देने का काम नहीं किया ? नहीं, किसी भी किसान ने गन्ना देने का काम नहीं किया, सरकार की तरफ से लगातार दबाव डाला गया, सारी सरकारी मिलें चलाने के लिए अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक ने मिल चलाने के लिए दबाव डाला लेकिन उत्तर प्रदेश के

किसानों ने मना कर दिया कि जो 25 रुपये की बढ़ोत्तरी है इस पर हम गन्ना नहीं देंगे और मा0 चौधरी अजीत सिंह ने गन्ना किसानों की दर्द को समझते हुए उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ी। जो आज सरकार कहती है कि हमने 25 रुपये बढ़ाने का काम किया। किसानों ने अपनी लड़ाई चौधरी साहब के नेतृत्व में लड़ करके 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाकर मिल चलाने का काम हुआ। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। मंत्री जी आज भी कह रहे थे कि गन्ने का अच्छा भाव किसानों को मिल रहा है। उनका जो बोनस है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज जो बोनस मिल रहा है, जो सरकार को दिलाना चाहिए था किसानों को, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। आज चीनी का भाव 40 रु0 प्रति किलो है। उन परिस्थितियों को देखते हुए किसान को भाव मिल सकता था, जो सरकार ने दिलाने का काम नहीं किया। आज किसान खुद मिल मालिकों के साथ लड़ करके लेने का काम कर रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी 3 दिन पहले मेरी विधान सभा क्षेत्र की जो शुगर फैक्ट्री है, किसानों ने आ करके उस फैक्ट्री को बंद करने का काम कर दिया और मिल मालिक से कहा जब तक भाव नहीं बढ़ेगा हम गन्ना नहीं देंगे। दो दिन तक शुगर फैक्ट्री बंद रही, उसके बाद मिल मालिक ने 11 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने का काम किया और किसानों के बीच में आ करके घोषणा करने का काम किया। जो 11 रुपये प्रति क्विंटल मिल मालिक ने बढ़ाये क्या उसमें सरकार को कोई योगदान है, क्या इसका श्रेय सरकार को जायेगा। यह सरकार श्रेय ले सकती थी लेकिन सरकार ने मिल मालिकों के साथ मिल करके किसानों को गन्ने का उचित भाव दिलाने का काम नहीं किया इसलिए आज किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ करके गन्ने का भाव बढ़ाने का काम कर रहा है। आज 300 रुपये क्विंटल तक गन्ना बिक रहा है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसानों की बात तमाम सरकारें करती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

इस बजट में जो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गयी, विशेष महत्व नहीं दिया गया। वह थी पापुलेशन कंट्रोल की। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश आज इस बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित है और आने वाले 25-30 सालों में हमारा देश दुनिया में नम्बर–1 पर हो जायेगा और चीन से आगे निकल जायेंगे। अभी बिजली की समस्या है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसका भी सीधा संबंध पापुलेशन से है। मंहगाई की समस्या हाउस में आती है, उसका भी सम्बन्ध जनसंख्या से है, कानून व्यवस्था की बात है, ये तमाम सारी चीजें हैं, विकास की बात है उसका भी संबंध जनसंख्या से है। सारी समस्याओं का अगर

कोई समाधान है तो वह जनसंख्या वृद्धि से जुड़ा है। लेकिन जनसंख्या जैसे ज्वलंत मुद्दे पर इस बजट में कोई चर्चा नही की गयी। विद्युत उत्पादन बढ़ाने का काम मा0 मंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन जितना विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है उतनी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो जो मांग और आपूर्ति के बीच का गैप है वह ऐसे ही निरन्तर बना रहेगा तो इस विषय पर जहां गंभीरतापूर्वक बजट में ध्यान देने की आवश्यकता थी, वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो आज बजट लाया गया विधान सभा के अंदर इसमें छात्रों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था की जो हालत है वह मैंने आपको बतायी। जनपद मेरठ में रोज अपराध होते हैं। मेरठ शहर के अंदर एक दिन में 8-8, 10-10 घटनाएं घटती हैं। अभी चार दिन पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया किसी पार्टी के खाली वहां के आम आदमियों ने कहा जब एक ही दिन में 7-7 घटनाये घटती हैं। कई-कई मर्डर होते हैं एक ही दिन में शहर के आम आदमी ने कहा कि शहर को बंद रखने का काम करेंगे विरोध में लोग सारे मीडिया के लोगों ने भी कहा अखबार के तीन-तीन पेज इसी खबर से लिखे हुए थे कि ऐसा अभूतपूर्व बंद, आज तक नहीं हुआ, जो कानून व्यवस्था को लेकर अभी चार दिन पहले मेरठ बंद हुआ मान्यवर। तो मान्यवर, हालात यह है लखनऊ जो इस प्रदेश की राजधानी है उसमें कानून व्यवस्था ले लीजिए आप। कोई दिन नहीं बचता जिसमें अपराधों की इसमें प्रमुखता से खबर नहीं छपती तो मान्यवर, यह बजट लाया गया। ये बजट आम जनता के हित का बजट नहीं है। ये जो बजट है ये अपने कुछ काम सरकार को करने है। कुछ सरकार की अपनी प्राथमिकतायें हैं कुछ सरकार के अपने अधूरे कार्य हैं जिनको प्राथमिकता से सरकार को करना है उन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए ब्रजट लाया गया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अच्छा होता कि सरकार इस बजट को इस प्रदेश के आम आदमी के लिए लाने का काम करती ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लाने का काम होता जिससे आम आदमी के स्तर उठाने का काम हो। जिससे उसके जीवन में सुधार लाने का काम हो। आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें सुधार लाने का काम हो तो यह बेहतर बजट होता। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि जो तमाम तरह की योजनायें आप चलाने का काम करते हैं। आप धरातल पर जाकरके उसका निरीक्षण करने का काम भी करें कि धरातल पर कितना काम हो रहा है। उस काम को करने की आवश्यकता है। जो भी आप निर्णय लेते हैं यहां पर बैठकर के वह जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी सरकार देखने का काम करे। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम सागर अकेला--

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने सुयोग्य वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2010-11 के बजट पर सामान्य चर्चा पर बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं, लेकिन मान्यवर अपनी बात रखने से पहले अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी कुछ प्रदूषण की बात कर रहे थे। शायद एक प्रदूषण की बात वह छोड़ गये जो उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने पूरे देश में फैला के रखा है। माननीय अधिष्ठाता जी, उस शब्द का अभी मैं नाम ले लूंगा तो पूरा सदन कह देगा कि इसे कार्यवाही से निकाल दीजिए। इसलिए उस शब्द का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप भी कार्यवाही से निकाल देंगे और यदि आप निकालेंगे नहीं तो पूरा सदन चिल्ला उठेगा कि उसे तुरन्त निकालिए। यह कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने उस शब्द का प्रदूषण पूरे देश में फैला रखा है। मैं इस सदन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और देश की सरकार से मांग करता हूं कि जो असंवैधानिक शब्द एक जाति विशेष के लोगों के लिए दिया था उसके इस कृत्य के लिए वह देश से क्षमा मांगे। संविधान से क्षमा मांगे। माननीय अधिष्ठाता जी वह जहां भी होंगे सुन रहे होंगे। वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में जो बजट प्रस्तुत किया है सुबह जब हमने पेपरों में पढ़ा तो यह कर विहीन बजट माना गया। पूरे प्रदेश की जनता ने सराहा विशेषकर व्यापारी वर्ग के लोगों ने एक स्वर से यह बात कही कि यह प्रदेश का पहला बजट है जो बिना किसी कर का इस विधान सभा में लाया गया हैं प्रदेश की जनता ने कहा कि यह गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का हितकारी बजट है। इसे प्रदेश की आम जनता ने सराहा है। अधिष्ठाता महोदय नेता प्रतिपक्ष जब बजट भाषण दे रहे थे तो उनके मन बुद्धि और विवेक के आस-पास केवल घोटाला, झूठ का पुलिन्दा एवं भ्रष्टाचार जैसे शब्दों का जाल असरा--पसरा था क्योंकि मान्यवर जिस सरकार के अनुभव की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे शायद उनकी सरकार का गठन ही घोटालों और उठा लो से हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं अधिष्ठाता महोदय आपके संज्ञान में है हमारी पार्टी के कुछ विधायक टूटे थे कुछ रास्ते से चले परिकल्पना करके जितने चले थे उतने ही पहुंच पाए। इतनी असंवैधानिक सरकार इस प्रदेश में कभी नहीं बनी थी न शायद कभी बनने की सम्भावना है। नेता प्रतिपक्ष एक बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन महापुरुषों का नाम कहां से लेकर आती है मुझे कहना है कि सुयोग्य वित्तमंत्री जी ने जिस कुर्मी समाज में पैदा होकर इस बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है नेता प्रतिपक्ष को यह बात मालूम होनी चाहिए कि इसी कुर्मी समाज में पैदा हुआ एक बालक जिसका जन्म 26 जुलाई, 1874 को हुआ था उसके माता-पिता का नाम जय सिंह राव व माता राधा बाई थीं। नेता प्रतिपक्ष को यह भी नहीं मालूम कि कौन से महापुरुष कहां से आए कैसे आए तो उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है अन्यथा ज्ञान के बिना रह जायेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी समाज में पैदा लड़के का जिसका जन्म 26 जुलाई, 1874 में हुआ 5 जनवरी,

1876 में कोल्हापुर की रानी अवन्ती बाई ने इसे गोद लिया था जिनको राजगद्दी मिली थी 2 अप्रैल, 1894 में पश्चिम के गर्वनर लार्ड हैरिस ने जब राजगद्दी सौंपी थी उस समय उनका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज पड़ा। उन्होंने अपनी व्याख्यान में कहा था कि भारत एक ऐसा बगीचा है जहां हिन्दू और मुसलमान इसकी दो सुन्दर आँखें हैं यह ठीक उस सुन्दर दुल्हन की तरह है इसमें अगर एक आँख फोड़ी जायेगी तो देश की सुन्दरता समाप्त हो जायेगी इसलिए हिन्दू और मुसलमान को इस देश में हिल-मिल कर रहना चाहिए। इस मौके पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं। आओ फिर प्यार की तस्वीर बना दी जाय। आग नफरत की मुहब्बत से बुझा दी जाय। अपने घर को जलाने की जो खाए हैं कसम ऐसे लोगों को मिल जुलकर सजा दी जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उन्हीं के वित्त से, उन्हीं के धन से बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पढ़े और दूसरे देश में पढ़े। इस देश की संविधान सभा के जो ड्राफटिंग कमेटी बनाई गयी उसके चेयर मैन बनने का मौका मिला। चेयरमैन बनने के नाते से उन्होंने इस संविधान को ड्राफ्ट किया और जिसके नाते देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने उनको संविधान निर्माता की पदवी से लोक सभा के सदन में उन्हें सम्बोधित किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहिन कुमारी मायावती जी, जिनका प्रेरणास्रोत हैं बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय श्री कांशी राम साहब। बहिन हर समाज के द्वारा जिन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में पढ़ने का, आगे बढ़ने का, इस देश का संविधान बनाने का जिन्होंने योगदान दिया था उनकी स्मृति में, उनके इतिहास को बनाने के लिये और उनके खानदान के गुरूऋण को, पितृऋण को, वित्तऋण को उतारने के लिये आज संसदीय कार्य मंत्री जी कुर्मी समाज के हैं, जो छात्रपति शाहू जी महाराज के खानदान के हैं उनको वित्त मंत्री बना करके बहिन कुमारी मायावती जी ने उस वित्त के ऋण को अदा करने के लिये 109 साल के इतिहास को बनाने का काम किया है।

(मेंजे थपथपाई गईं)

माननीय अधिष्ठाता महोदय--

मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट किसानों के हित का नहीं हैं शायद हमारे विपक्ष के साथ अपने खास हित की बात तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो गरीबों के लिये है, किसानों के लिए है, जो छात्रों के लिए है, जो दलितों के लिए है, जो पिछड़ों के लिए है, जो अल्पसंख्यकों के लिए है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। इसके बारे में तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक लड़का था वह शराबी हो गया। बहुत से लोगों ने उससे पूछा कि तुम शराबी हो गये हो किसी भी धर्म में शराब पीना नहीं लिखा है उसने कहा

लिखा है लोगों ने कहा किताब दिखाओ। वह किताब लाया और उसके अंश पढ़े। उसमें लिखा था–शराब पीना। लोगों ने कहा आगे पढ़ो, उसने कहा मुझे पीना है, मैं तो यहीं तक पढ़ूंगा। आगे लिखा है, पाबन्दी लगायी आप पढ़ो। तो हमारे प्रतिपक्ष के जो साथी हैं वो इस बजट को पढ़ते तो हैं लेकिन यह बजट किसानों के हित के लिये है, गरीबों के हित के लिये है, पिछड़ों के हित के लिए है, दलितों के हित के लिये है, अल्पसंख्यकों के हित के लिये है, इस प्रदेश की आम जनता के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हित के लिये है, उसको यह पढ़ना भूल जाते हैं। इसलिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि रसायनिक खाद की कमी का रोना जब भी यह सदन बैठता है, तो इसको लोग उठाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि वर्ष 2007-2008 के बजट में रसायनिक खादों के लिये जो बजट व्यवस्था की गई थी वह 15 करोड़ रुपये की की गई थी लेकिन सुयोग्य वित्त मंत्री जी ने रसायनिक खादों की कमी को देखते हुए क्योंकि वो किसान परिवार से हैं, इस समस्या के निदान के लिये यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने किसानों के लिए खाद की कमी न हो इसके लिये पहले से ही दूर करने के लिये पांच गुना अधिक 75 करोड़ 11 लाख रुपये की पहले से व्यवस्था कर दी है जिससे आने वाले समय में किसानों को खाद की कमी को न झेलना पड़े। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब बजट का आकार हम पढ़ते हैं वर्ष 2007-2008 में, 2008-2009 में जो बजट का आकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया था वह 1 लाख 12 हजार 472 करोड़ 72 लाख रुपये की थी लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती के मार्ग दर्शन में वर्ष 2010-2011 के बजट में 1 लाख 53 हजार 199 करोड़ 38 लाख रुपये का जो बजट आकार प्रस्तुत किया है वह विगत वर्षों से 14.6 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, कुछ लोग मुद्दों की बात करते हैं, अभी भा0ज0पा0 के साथी गो–वंश को बचाने के लिए काफी चर्चा कर रहे थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधान सभा से माननीय सदस्यों से संबंधित जीवन परिचय की किताब मिली है .....

डा0 के0 पी0 राय–

समय मान्यवर, बता दिया जाए माननीय सदस्य को और कितना वक्त दिया जाएगा।

श्री अधिष्ठता–

समय की सीमा तो आप ही लोग तोड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पाँच-पाँच मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

डा0 पी0 के0 राय–

माननीय सदस्य 15 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री राम सागर अकेला–

माननीय सदस्य जब उधर के बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष जी दो मिनट की बात करते हैं मैंने तो 25-25 मिनट बोलते देखा है। मैंने घड़ी की सुईयां देखी है।

श्री अधिष्ठाता–

अकेला जी, जल्दी आप बात कहिए।

श्री राम सागर अकेला–

मान्यवर, एक बात मैं आज कहना चाहता हूं कि आज जब मैंने उस किताब को पढ़ने का काम किया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायकों को हमने नाम पढ़ा जब उनका नाम पढ़ा तो राम की मर्यादा पर चलने वाली इस पार्टी के, जब विधायकों का नाम पढ़ा तो 50 विधायक जीते मिले, लेकिन दो विधायक जिनके नाम के आगे राम लिखा है मैंने पढ़ा, एक डा0 राम सिंह अलीगढ़ से, एक रामपुर से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इधर जब अपनी तरफ देखता हूं तो राम इधर है मुद्दा उधर है। न यह राम के हैं न किसी काम के हैं, (मेंजे थपथपाई गई) गोवंश बचाने की यह बात करते हैं यह इसलिये करते हैं क्योंकि यह मुद्दा तलाश रहे हैं। कि यह आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं उसको रख सकें। मान्यवर, डा0 पी0के0राय जी को परेशानी है इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट दलितों के लिए है, किसानों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, आज जनता के लिए है इसलिए मैं अन्त में अपनी बात कह रहा हूं–

मत समझो कमजोर हमें, दो कोई कैसे चोट हमें
यह सुदृढ़ भाईचारा है, यह भारतवर्ष हमारा है,
जल उठी बहन मायावती जी की ज्योति अनल
पनपा सर्वजन में संबल, अब सुदृढ भाईचारा है
यह भारतवर्ष हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है।

(मेंजे थपथपाई गई)

*श्री विश्वनाथ–

अधिष्ठाता जी, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया.....

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय अध्यक्ष जी ने समय निर्धारित किया है उसी के अन्दर आप अपनी बात कहें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन चौहान–

कल भी पूरे दिन बैठे रहे, आज भी बैठे हैं।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

चार सदस्यों के नाम लिखकर दिए थे।

श्री अधिष्ठाता–

सबको मौका मिलेगा। क्या वह माननीय सदस्य नहीं है आप ही बोलेंगे। आप ही के दल के माननीय सदस्य हैं। आप अपने ही दल के सदस्य का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ–

माननीय अधिष्ठाता जी, मै आपका आभारी हूं कि प्रस्तुत बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। यह जो व्यतिक्रम है यह मेरे समय में न जोड़ा जाए। आपसे आरजू यह कर रहा हूं कि मेरे खड़े होते ही समय की पाबन्दी का सवाल दोनो तरफ से शुरू हो गया। मेरे बगल में बैठे हुए लोगों ने काफी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वर्तमान बजट पर आंकड़ों की बात छोड़कर संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। कौन-कौन गुन वरनों झगड़ो को, क्या कहूं किससे कहूं, अधिष्ठाता जी, आप खुद ही देख लीजिए, अभी आप मेरी बगल में बैठने आ जाएंगे। वित्त मंत्री जी ही नहीं, मंत्रियों की आगे की सारी कतार खाली है, मुख्यमंत्री जी का दर्शन तो कभी-कभी हो जाता है और बजट पर चर्चा चल रही है। चौहान साहब कैबिनेट मंत्री अपनी ओर इशारा कर रहे है तो चौहान साहब को क्या कहूं। अगली पंक्ति में आइए ना, हिम्मत नहीं है, आ गए मंत्री जी, वित्तमंत्री जी आए–अजब पर्दा चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आपने बड़ा अच्छा बजट प्रस्तुत किया, उसमें कुछ मुद्दे हमारे ले लिए। गरीबों के भवन बनवाने का, जो बी0पी0एल0 सूची के अलावा है, उनको भी एडजेस्ट करने का, कुछ देने का काम किया है। तो हमारी स्कीमें लागू तो करो, हुकूमत में तुम हो। 300 रुपया परिवार की मुखिया को देने का एक फैसला आपने लिया है, 500 को घटाया, 300 पर रुका, बेकारों को भत्ता न दे करके, बेसहारों के नाम पर यदि 300 रुपया दिया भी तो 200 रुपया कम कर दिया। अक्लमंद हो, होशियर हो। इस अक्लमंदी और इस होशियारी से राज नहीं चलता। संकल्प, मजबूती, सिद्धान्तों और त्याग से काम चलता हैं अभी-अभी महाना जी पम्प का रोना रो रह थे, आपको बधाई देता हूं कि एम0एल0ए0 की दुश्वारी खत्म की, पीने के पानी की व्यवस्था करने वाले आप नहीं है इसलिए उन्होंने भी पम्प लेकर इनका भार हल्का किया, धन्यवाद, इसके लिए आपको और आपको तो मै राय देता हूं कि अभी प्रमोद जी नहीं हैं, नहीं तो कहता कि खत्म कर दीजिए, हम आपकी मेहरबानी मानेंगे। विधायक निधि से विधायक बदनाम होता है और क्या बात आप करते हो,

सच्चाई की अच्छाई की मिशन वाले बनते हो, कमीशन वाला राज हैं जब इंजीनियर हमसे बजट मांगने आते हैं, प्रस्ताव मांगने आते हैं तो वह कमीशन की बात करते हैं। मिशन की हुकूमत है या कमीशन की हुकूमत है ? मैं आप से कह रहा हूं और हालात बदल गए हैं, मंत्रियों के और एम0एल0ए0 जी के, सब को कह रहा हूं, जिन्होंने बेईमानी की है, उनके हालात बदल गए हैं, उनके चेहरे बदल गए, घर के पेटीकोट से लेकर उनके गला-लंगोट तक बदल गये, यह हालत है आपकी, और लखनऊ को बनाओ, मैं भी इसी यूनीवर्सिटी में पढ़ा हूं, बनवाओ, इसका उत्थान करो और इसे मरघट करार करो। मरघट, शमशान बनवाओ, पार्क बनवाओ, लखनऊ को नेस्तनाबूत और समाप्त कर दो। यह दर्शनीय रह जाए, इधर आने से लोगों को परहेज हो जाए, शमशान जाने से, इस नगर की हुकूमत को कहीं दूसरी जगह ले जाकर देखो, यह मामुली काम है ? मंत्री जी क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर के विद्वान आदमी हो, मेरे जैसे साधारण परिवार के बेटे हो, जिसने किसानी की और मैं तो कहता हूं कि मेरी टिकट चौधरी चरण सिंह ने दी, पैसे पर टिकट नहीं ली थी लेकिन चौधरी चरण सिंह को जब प्रणाम किया तो फिर दोबारा कहा कि आओ, असेम्बली में मेरे हाथ को पकड़े थे और पकड़े हुए हाथ बैठ गए, एक हाथ उनके हाथ में दे दिया और कहा चौधरी साहब ने कि बेटे तुम्हारे हाथ बहुत सख्त हैं, तुम्हारे हाथ में ठेले हैं। पूरब में फावड़ा चलाने के निशान को ठेले कहते हैं। चेहरा बदल गया, एक विचित्र आभा कौंधी और राहु-केतु जो मेरे टिकट को काटने वाले दिल्ली गए थे, वह निष्फल हुए। लेकिन चौधरी साहब के चेहरे पर जो चमक थी, जो आभा थी, जो ज्योति थी, उसको देखकर लगा कि चौदह आने टिकट पक्की। तो मेरी टिकट ठेले पर मिली थी, वर्मा जी, ढेले पर नहीं मिली थी। (सपा के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) तो ढेले पर टिकट लेने वाले लोग जब देश के विकास की बात करते हैं तो ताज्जुब तो इस पर है। किसानों की बात करते हो, हटा लो अपनी हुकूमत को, 25 रुपये की बात करते हो, पडरौना मिल आज की तारीख में 305 रुपये दे रही है, किसानों को, यह तुम्हारी मेहरबानी है ? बीच की हिस्सेदारी करोगे, क्या उसके पूरे साल का एरियर जोड़कर उसे दोगे, आप ? डिफरेन्स मनी दोगे ? नहीं देने वाले हो क्योंकि सौदा हो चुका है, मिल मालिकों से। तो यह मिल मालिकों की हुकूमत है, किसानों की हुकूमत नहीं है। आप किसानों की बात करते हो ? नहर की बात उठी थी, नहर में पानी नहीं है। नसीमुद्दीन साहब आयेंगे, नशा वाला विभाग भी है, उनके पास। और नशाबंदी विभाग भी उनके पास है। पता नहीं नशाबंदी चलाते हैं कि नशाखोरी चलाते हैं। कह देंगे कि केन्द्रीय सरकार जब पैसा देगी तो नहरों की सफाई होगी। साफ तो किसान हो रहा है। तीन वर्षों से नहरों में पानी नहीं है। सेवरही से सम्मानित विधायक डा0 पी0 के0 राय है, प्रसाद की प्रक्तियां पढ़ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में करें। समय हो रहा है।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, मुझे और बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपके दल के 10 लोगों के नाम आये हैं। आप अकेले समय ले लेंगे तो कैसे मौका मिलेगा।

श्री विश्वनाथ–

तो 6 मिनट बढ़ा दीजिए, किसी को ऐतराज होगा तो मैं बैठ जाऊंगा। आप सहृदय हैं प्रसाद की पंक्तियां तो सुन लीजिए। रो-रो कर सिसक-सिसककर कहता मैं करुण कहानी तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अंजानी, बेरहम हो और निष्ठुर हो, निर्दयी हो,। आज 4 एम0एल0ए0 ने अपनी सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हो। शर्म नहीं करते हो। लखनऊ में रोज राहजनी हो रही है, भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने आ रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं, कत्लेआम पर राज करते हो और यहां कहते हो कि शांति व्यवस्था बहन जी की हुकूमत में बिलकुल चुस्त-दुरुस्त है। कहीं से आह सुनाई नहीं दे रही है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और कत्ल ये करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो आपसे कह रहा हूं कि स्थिति भयावह है। किसान को 350 से कम नहीं मिलेगा। और आप हिसाब के मंत्री हैं। विद्वान है। किदवई फार्मूला याद है उसके हिसाब से 400 रुपये होगा। दुआएं दीजिए, बधाई दीजिए, उन पर रोक न लगाइयेगा, कोल्हू वालों पर रोक न लगाइये। कोल्हू वाले तो 350-400 रुपया तो इसी साल दिला देते हैं। खाद की क्या कहूं। खाद और खाद्य पदार्थ, चौधरी साहब बैठे हुए हैं। हां मेरे जिगर, दिल के टुकड़े हजार हुए। क्या रोना रोऊं। चौधरी साहब ने तो हमारे यहां एक काम किया। खाद्य सामग्री के बटवारे का इंतजाम बेतरतीब, बरबाद, ध्वस्त, जायज को मिलता नहीं और नाजायज वाले मालामाल हो गये। इन्होंने बहुत लोगों को करोड़पति बनवाने का श्रेय हासिल किया है। मैं नाम बता सकता हूं जो 7 वर्षों में किसानों का, गरीबों का गल्ला बेचकर करोड़पति हुए है। श्रीमन्, यह स्थिति है आपकी व्यवस्था की। डा0 साहब खाद का इशारा कर रहे हैं। अभी मंत्री जी चले गये हैं। खाद, बीज वाले कृषि मंत्री जी चले गये हैं। मेरे खड़े होते ही शायद चले गये हैं। मैं उनको कोई कटु बात नहीं कहता। कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार में कम मिल रहा है। हिसाब-किताब में जितना केन्द्रीय सरकार ने दिया अगर बंटवारा ठीक हुआ होता तो काम नहीं चलता। स्मगलिंग हो रही है। नेपाल में गयी है, वर्मा जी सुन लीजिए, हमारे बार्डर से खाद बिहार और नेपाल जाती है आप रोक नहीं पाते। आप हमारे यहां बंटवा दीजिए। हमारे यहां 100 किसान में से 5 किसान हैं जो 5 बोरी, 7 बोरी, 10 बोरी वाले हैं बाकी किसान एक बोरी, आधा बोरी और पौन बोरी वाले हैं। इतनी चोट, अगर किसान को खाद नहीं मिलती तो आप रहमदिल नहीं हैं।

मैं मास्टर हूं, रिटायर हुआ हूं, बड़ी सेवा की है 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक। 60 वर्ष तक स्कूलों की सेवा की है, एस्टेबलिश करके स्कूल उसमें सेवा की है, पढ़ाई की है, मेहरबानी से नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया, संक्षेप करें।

श्री विश्वनाथ–

लेकिन शिक्षा का क्या हाल है अभी, तमाम लोगों ने कहा उनसे जोड़ते हुआ कहता हूं, फीस बढ़ाने का काम आपने किया है और गरीबों का ठेका आपने लिया है। बहन मायावती इसलिये बर्दाश्त नहीं होती कि वह दलित की बेटी हैं, दलितों के लिये बड़ा अच्छा इंतजाम किया, एक का भी एडमीशन न मेडिकल कालेज में, न इंजीनियरिंग कालेज में हो सकता है, न सामान्य शिक्षा मिल सकती है। पेट जला हो तो ज्ञान की बात करना अपराध है, अन्याय है, अज्ञानतामूलक है, कुछ बुनियादी काम करो यदि [x x x] को देना चाहते हो [x x x] शब्द के प्रयोग पर सदन में विरोध के स्वर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया, समाप्त करें और इन शब्दों का प्रयोग न करें।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, यह शब्द निकलवा दीजियेगा।

श्री विश्वनाथ–

क्या कहूं, [x x x] कहूं, शेड्यूल कास्ट कहूं, अंग्रजी वाला कहूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है जो शब्द चाहिए वो कहूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये।

डा0 पी0 के0 राय–

कार्यवाही में से निकाल दीजियेगा, माननीय अधिष्ठाता जी।

श्री विश्वनाथ–

जो शब्द चाहिए अब हमने प्रयोग किया है, प्रयोग किया है तो [x x x] को कहा है, [x x x] को भी निकाल दीजियेगा, गांधी जी की शब्दावली से [x x x] को भी निकालना हो तो निकाल दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया, अब अपनी बात समाप्त करें। अब श्री पंकज मलि .., कांग्रेस।

नोट :–[x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री विश्वनाथ–

[x x x] हटाइये, दलित लगाइये। नहीं, आप जो कहो, आज कल अम्बेडकर वाला है वही रह जाये।

श्री अधिष्ठाता–

असंसदीय एवं अनुचित शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे। निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया, आप समाप्त करें, कांग्रेस के श्री पंकज मलिक बोलेंगे।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बार-बार जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग करना यह अनुचित है। मान्यवर, ये अपनी सीनियरिटी का लाभ उठाकर बार-बार उस असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह अनुचित है मान्यवर, और इस कृत्य की भर्त्सना की जानी चाहिए।

श्री पंकज कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(किसी सदस्य द्वारा श्री पंकज कुमार से कुछ कहने पर)

श्री पंकज कुमार–

आप मुझे क्यों डरा रहे हो, अधिष्ठाता महोदय ने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री पंकज कुमार आप बोलते रहिये, अपनी बात रखिये।

श्री लाल जी वर्मा–

बोल रहे हैं, सुनकर जाइयेगा, भाग न लीजिएगा।

श्री पंकज कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, जब हम लोगों ने इस वर्ष का बजट देखा तो देखकरके बड़ा दुख हुआ, बड़ी चोट पहुंची, इस बजट में न तो छात्रों के लिये, न खिलाड़ियों के लिये, न किसानों के लिये कोई बहुत विशेष जगह रखी गयी है।

(श्री विश्वनाथ के लगातार खड़े रहने पर)

श्री पंकज कुमार–

मान्यवर, कृपा करके सदन व्यवस्थित कराइये।

नोट :-' x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठ जायें।

श्री पंकज कुमार–

मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं खड़े हैं और साथ में मैं भी बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आपसे ही पूरा सदन सीखेगा, ऐसा कुछ न करें, अब आप बैठ जायें। पंकज कुमार जी, आप अपनी बात कहें। यह अनुचित बात है, आप बैठ जायें।

श्री पंकज कुमार–

मान्यवर, बजट हमने देखा है। मान्यवर, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वह क्षेत्र पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित क्षेत्र है, वहां पर पूरी तरह से कृषि करने का काम किया जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से अनुरोध है कि पूर्ण रूप से कृषि यंत्रों पर छूट देनी चाहिए और जनपद मुजफ्फरनगर की बात मैं करूंगा। पिछले कुछ वर्षो से प्राइवेट रूट की बसों को बन्द करने का काम किया गया है। मैं जानता हूं कि मामला न्यायालय में चल रहा है या जो भी मामला हो, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग आम आदमी, आम किसान बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुःखी हैं क्योंकि जो छोटे रूट हैं उन पर रोडवेज बसें नहीं चलाई गई। बार-बार हम लोगों ने प्रयास किया अनुरोध किया। मेरे क्षेत्र में जसोई, बावरी, भौसानी, सिसोली, खरड़, भुगाना, कैराना, गंगोह, मुजफ्फरनगर थाना भवन, पर यात्री परेशान रहते हैं, सुबह के समय जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, वह समय से नहीं पहुंच पाते हैं उनको बहुत दिक्कते हैं। कोई बहन, कोई माता अगर बीमार हो, प्रसूति का मामला हो तो वह समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते क्योंकि साधन ही वहां नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इस संदर्भ में भी अगर बजट में कुछ दे दिया जाता कुछ नई बसें उन रूटों पर चला दी जाती जो छोटे रूट हैं, तो आपकी बड़ी कृपा होती साथ ही हमारे क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्र है वह प्रतिभावों की जननी है, खेल में हमारे क्षेत्र के बहुत बच्चे, बहुत लड़के, बहुत नौजवान आगे आये, लेकिन इस बार किसी भी तरह का कैम्प, पहले क्रिकेट का कैम्प वहां खोला जाता था, इस बार वह भी नहीं दिया गया। मेरा अनुरोध है कृपया वहां कबड्डी, क्रिकेट, बालीवाल है अन्य खेल हैं, बैडमिन्टन है, उनसे सम्बन्धित कोई कैम्प लगा दिया जाय जिससे और नई प्रतिभाएं उभर कर के सामने आयें, हमारे देश का नाम अन्तराष्ट्रीय स्तर तक करने का काम करें। मैं गन्ना किसानों की बात करना चाहूंगा, मान्यवर, आप गन्ना किसान की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा, पिछली बार वायदा किया था कि ब्याज सहित पैसा दिया जायेगा, लेकिन आज तक कोई ब्याज नहीं दिया गया। मान्यवर, आप तो घटतौली भी नहीं रोक पाये हैं, आज भी घटतौली पूरी तरह से चालू है। किसान दुःखी है, रो

रहा है। मान्यवर, ऊर्जा मंत्री यहां नहीं बैठे हैं ऊर्जा मंत्री बड़ा प्रयास करते हैं हम लोग अनुरोध करते हैं वह स्वीकार भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अगर आज आम आदमी, आम किसान चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वह बिजली से सम्बन्धित दफ्तरों में जाता है और फुँके हुए ट्रान्सफार्मर के लिए अनुरोध करता है, तो उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है। आज किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह अधिकारी काम कर रहे हैं, मंत्री कहते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मानता। अफसरशाही हावी है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर में चाहे जांच करा लीजिएगा, जनपद मुजफ्फरनगर में आज भी पैसे लेकर के ट्रान्सफार्मर दिये जाते हैं, जर्जर तार नहीं बदले जाते हैं, किसान दुःखी है, परेशान है, आत्महत्या करने के कगार पर है। सरकार वायदा करती है कि नौजवानों को पूरी तरह से शिक्षा दी जायेगी। छात्रों को बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा दी जायेगी। जब बच्चा 12वीं का इम्तिहान देता है फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की तैयारी करता है, तो किसी भी तरह से पूर्णरूप से एडमीशन नहीं किये जाते हैं। बच्चे, नौजवान भाई हमारे छात्र इधर-उधर भटकते रहते हैं, लेकिन महीनों तक उनके दाखिले नहीं किये जाते हैं। बहुत बच्चों ने पिछले वर्ष इसलिए आत्महत्या भी की थी। लोग बहुत दुःखी हैं मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, मैं एक और बात आपसे बताना चाहूंगा, पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर भी यहां पर नहीं बैठे हैं। अभी कुम्भ का मेला था, कुम्भ के मेले का बड़े जोर से प्रचार किया गया मैंने समाचार-पत्र में भी पढ़ा था, जनपद मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली पी0 के0 मार्ग, पानीपत सटीमा मार्ग की मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत किया गया, लेकिन आज तक पूरा कुम्भ मेला बीत गया, आज तक उस पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करने का कष्ट करें।

श्री पंकज कुमार–

मान्यवर, अब बजट से सम्बन्धित बात कर रहा हूं। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात, जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 25 लोगों पर रासुका लगाई गई थी और 25 के 25 लोगों की रासुका आज खत्म कर दी गई है, कोर्ट से जाकर के उन्हे खत्म कर दिया गया है। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं या तो इसमें अधिकारियों ने सही रूप से पैरवी नहीं की है या ये मामले झूठे थे। यही कानून व्यवस्था है, दस दिन में रोज लगातार दो कत्ल किये जाते हैं, थाना छपार मे एक दलित को इतनी बुरी तरह से पीट दिया जाता है कि वह मर ही जाता है। गाँव छतेला के प्रधान को पीटा जाता है, एस0 सी0 एस0 टी0 लगाई जाती है, फिर भी कार्यवाही नहीं होती है, यही कानून व्यवस्था है। मैं इस बजट की भर्त्सना करता हूं और यह बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, आम जन-मानस विरोधी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। मा0 उदयभान करवरिया जी आप अपनी बात कहें।

*श्री उदयभान करविरया–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2010-2011 के द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने इसके पहले भी कहा था कि यह बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करता है ऐसा सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है। मान्यवर, अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें योजनायें हैं पिछड़े वर्ग के लिये भी योजनायें हैं जिनके व्ययों का अनुमान माननीय वित्त मंत्री जी ने लगाया है लेकिन सामान्य जन के लिये इसमें कुछ नहीं कहा गया है। क्या वह लोग सर्वजन में नहीं आते हैं। अगर सर्वजन में आते हैं तो फिर एक लाईन भी इसमें क्यों नहीं सम्मिलित है कि सामान्य वर्ग के लोगों का कैसे भला होगा उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की क्या व्यवस्था होगी। मान्यवर, इसमें सामान्यजन के लिये कही कोई योजना नहीं हैं इस पर आपको विचार करना चाहिये। मान्यवर, दूसरी बात कई भाषाओं की बात इसमें आयी है। अरबी पढ़ाने की योजना चली, मदरसा शिक्षा के लिये भी बातें आयी हैं। लेकिन संस्कृत भाषा का उल्लेख इस बजट भाषण में नहीं किया गया है। मान्यवर, संस्कृत भाषा तो बाकी भाषाओं की जननी है। अगर उस भाषा से इस तरह से घृणा की जायेगी तो सम्भवतः देश और प्रदेश की संस्कृति बचने वाली नहीं है। सम्भवतः देश और प्रदेश की संस्कृति बचने वली नहीं है। सम्भवतः उस पर इसमें विचार नहीं किया गया है जबकि इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मल्टी लेविल पार्किंग प्रोजेक्ट की बात आयी हैं मैंने इस सम्बन्ध में माननीय नगर विकास मंत्री जी से मिलकर अनुरोध भी किया था कि इलाहाबाद के बारे में। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि इलाहाबाद का नाम पुस्तिका में तो दर्ज हो गया है लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो है वह मान्यवर इसमें आ गयी है कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा इसका विकास किया जायेगा। मान्यवर, सरकार के पास जब पैसा उपलब्ध नहीं है तो फिर इस योजना को इसमें सम्मिलित करने का क्या औचित्य था। यह एक तरह से तो लोगों का शोषण करने की योजना बना दी गयी हैं शासन अगर इसमें कुछ धन देने की बात करता और उसके विकास की बात करता तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को बधाई दी जाती। मान्यवर, आज जो शहरों में जाम लगता है ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या उत्पन्न होती है उससे निजात मिलना आवश्यक है। इसमें यह होता कि सरकार और निजी क्षेत्र का 50-50 प्रतिशत लगेगा तो अच्छा होता। जब सरकारी पैसा लगता तो एक कंट्रोल की व्यवस्था भी बनती और लोगों का शोषण होना भी बच जाता। मान्यवर, अभी समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ जी बोल रहे थे कुछ अच्छी बातें यहां पर कर रहे थे। उन्होंने 300 रु0 मासिक पेंशन देने की योजना की बात कही। आपने इसके लिए प्रावधान तो कर दिया। आपने क्या यह समझा है कि बजट में कितना घाटा है। आपने

दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि आप कोई कर नहीं लगाने जा रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है और वह कितना बढ़ गया हैं प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है। यह सोचने और विचार करने की बात है। प्रति व्यक्ति कर्ज हर वर्ष बढ़ता जाय और हम हर महीने लोगों को तीन सौ रु0 देते जायें तो फिर तो यह कर्ज और बढ़ता जायेगा। आप कह देंगे कि हम तीन सौ रुपये प्रतिमाह देंगे और 3000 रु0 कर्ज के रूप में चुकता करेंगे। इस तरह से यह बजट कितना न्यायोचित है, नौजवानों के लिये कितना न्यायोचित हैं यह देखने की बात हैं लोगों को काम दिया जाता और उनको रोजगार दिया जाता तो कम से कम उनके अंदर जो ऊर्जा है उसका उपयोग तो होता। यह तो एक तरह से लोगों की आदत बिगाड़ने की बात है कि उन्हें तीन सौ रुपये घर बैठे दिये जायेंगे। वह घर के मुखिया को दे दिये जायेंगे और यह कह दिया जायेगा कि आपको कोई काम करने की आवश्कता नहीं हैं दूसरी तरफ जनता पर कर्ज का बोझ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। वह कर्ज आपको कहीं से प्राप्त होता है उसकी वापसी करने का कोई विचार ही नहीं है आपका। यह तो प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबो देने का बजट है। मान्यवर, आपका एक विभाग है खाद्य एवं रसद विभाग, इसका बजट में जिक्र आया है।

मान्यवर, आज प्रश्नों के समय में एक बात आई थी कि उपभोक्ता वस्तुओं का 50 प्रतिशत से ज्यादा बंट नहीं पाता है। मान्यवर, मुझे लगता है कि विभाग की कुछ जो योजनाएं बनी हैं वह भी इसमें दोषी हैं। पी0 डी0 एस की हैंडलिंग उसमें शासनादेश, 2007 में जैसे सरकार आई, मई में सरकार बनी और जून में शासनादेश आया। मान्यवर, वह शासनादेश ऐसा आ गया और उसका परिणाम प्रदेश में यह हुआ है कि किसी भी जनपद में कहीं पर जो टेण्डर हुआ है हैंडलिंग का वह कम रेट पर नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरे पास उसके आंकड़े हैं शासनादेश का मैं जिक्र नहीं करूंगा लेकिन कुछ आंकड़ों को जरूर रखना चाहूंगा। मान्यवर, इलाहाबाद में ही एक कांट्रेक्टर ऐसा है जिसके पास 17-17 ब्लाकों का काम, गाड़ियां केवल 10, मान्यवर, क्या यह सम्भव है कि 10 गाड़ियों से 17 ब्लाकों में सही समय पर उपभोक्ता सामान पहुंचाया जा सके और मान्यवर, केवल उसी जनपद में नहीं एक ही जनपद में उसका टेण्डर नहीं है दूसरे जनपदों में भी उसका टेण्डर और वही 10 गाड़ियां दूसरे जनपदों में भी पहुंचा रही हैं। मान्यवर, इससे क्या होगा चोरी को बढ़ावा मिलेगा, मान्यवर, कुछ वह खायेंगे, जहां कुछ ले जा रहे हैं वहां कुछ कम देंगे और इसको बढ़ावा मिलता रहेगा। मान्यवर, वर्ष 2009-10 में जो टेण्डर किये गये कोई भी टेण्डर ऐसा नहीं है जो 35 प्रतिशत से ज्यादा लागत का न हो। जो सरकारी रेट है उससे 35 परसेन्ट, 36 परसेन्ट और 42 परसेन्ट और यहां तक कि 56 परसेन्ट से ज्यादा रेट पर यह टेण्डर किये गये हैं। उसके बाद 2009-10 में भी वही स्थिति। मान्यवर, 2009-10 में 77 परसेन्ट से ज्यादा रेट पर टेण्डर किये गये हैं। मान्यवर, यह क्या हम ठेकेदारों को कोई लाभ पहुंचाने के लिए शासनादेश करते हैं। शासनादेश से यह होता है कि उससे कम्पटीशन होगा और ज्यादा से

ज्यादा लोग उसमें भागीदारी करेंगे और जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनको हम सही समय पर कम दाम में, सही गुणवत्ता के साथ में पहुंचा जायेंगे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। बजट प्रस्तुत हो गया लेकिन सरकार अपने ही शासनादेशों की पालन नहीं करा पा रही है।

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत लिपिक वर्ग कर्मचारियों का विभाजन दो सम्वर्ग में किया गया सामान्य एवं लेखा में। मान्यवर, दोनों सम्वर्गों के अन्तर्गत विभागीय सेवा नियमावली द्वारा पदों का सृजन किया गया जिसमें लेखा सम्वर्ग के अन्तर्गत लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखा लिपिक एवं कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद सृजित किये गये। मूल सेवा नियमावली से पृथक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अस्थाई रूप से जिनको रखा गया उनको सारे लाभ दे दिये गये, जो अस्थाई थे उनको सारे लाभ दे दिये गये और जो स्थाई थे जो सेवा नियमावली के अन्तर्गत रखे गये उनको वंचित कर दिया गया। यह हुआ क्यों मान्यवर, शासन में और सरकार में पूछा जाय कि अस्थाई में जो रखे गये उनकी शर्तें क्या थीं तो यह कहा जाता है उसकी मूल पत्रावली ही गायब। मान्यवर, इस शासन और सरकार में मूल पत्रावली ही गायब हो जाने की वजह से जिनको हक मिलना चाहिए उनका हक छिन जा रहा है और जिन्हें हक नहीं मिलना चाहिए उनको हक मिलता चला जा रहा है। मान्यवर, यह विकराल स्थिति है। केवल बजट में अपनी बातों को अनुमोदित कर देना, अपनी बातों को रख देना यह महत्वपूर्ण नहीं है। मान्यवर, बेसिक शिक्षा का बहुत लम्बा चौड़ा दिया गया लेकिन यह मेरा नहीं सभी सदस्यों का मानना होगा और प्रदेश की जनता का भी यह मानना होगा कि अगर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था प्राइमरी विद्यालयों में खत्म कर दी जाय तो सम्भवतः जो विद्यार्थियों की संख्या मौजूदा समय में है यह घटकर और नीचे चली जायेगी। मान्यवर, वहां अभी भी जो विद्यार्थी जाते हैं उसमें 70 से 75 प्रतिशत केवल इसलिए नाम लिखा लेते हैं कि वहां भोजन की व्यवस्था होगी। मान्यवर, क्या हम इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा देकर अपने प्रदेश के इन नौनिहालों को नौजवान बना करके प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ? मान्यवर वहां गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है अध्यापकों की आवश्यकता है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कम्प्यूटरों की बात कही गयी, अच्छी बात है कम्प्यूटर की शिक्षा देना यह बहुत बढ़िया बात है लेकिन अभी हमारे पास एक आंकड़ा है कि माध्यमिक शिक्षा में बोर्ड के इक्जाम होने वाले हैं। हाईस्कूल के और इण्टरमीडिएट के भी, लेकिन ज्यादातर विद्यालयों में 55 फीसदी कक्षायें चली और कोर्स पढ़ाया गया मात्र 40 प्रतिशत। तो मान्यवर, पूरा कोर्स भी वह अध्यापक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लड़कों को जो पढ़ना चाहिये, जो बोर्ड के इक्जाम में बैठने वाले हैं, उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में मात्र 40 प्रतिशत कोर्स ही पूरे किये जा रहे हैं। तो मान्यवर, क्या हाल होगा इन बच्चों का। आखिर ऐसा क्यों हुआ, शासन ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी, जिलों के समस्त डी0आई0ओ0एस0 से इसकी रिपोर्ट मांगी गयी और शासन को जो रिपोर्ट आई

उससे इस बात का खुलासा हुआ। वह रिपोर्ट शासन के पास है लेकिन जिन अध्यापकों ने कोर्स पूरा नहीं किया, जिन विद्यालयों में कोर्स पूरा नहीं हुआ, उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट मांगी शासन ने, जिलों से शासन को रिपोर्ट आ गयी और आने के बाद फाइल में बंद करके रख दी गयी और यह कह दिया गया कि यह साहब अब फाइलों में बंद हैं अब हम कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य करेंगे, कम्प्यूटर को बढ़ावा देंगे। मान्यवर, कम्प्यूटर को बढ़ावा दे देने से कोर्स पूरा नहीं हो जाता। कम्प्यूटर को बढ़ावा देने से कहीं बच्चों का भला नहीं हो जाता। आप कम्प्यूटर पढ़ाइये, अंग्रेजी पढाइये, गणित पढ़ाइये, सब पढाइये। लेकिन कम से कम जो निर्धारित कोर्स है, जिससे इक्जामिनेशन का पेपर बनना है उस कोर्स को तो पूरा करने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

करवरिया जी, अब आप समाप्त करिये। मैं माननीय कालीचरन राजभर जी को बुला रहा हूं।

श्री उदयभान करवरिया–

मैंने एक प्रश्न भी पूछा था माननीय मंत्री जी से और उस प्रश्न के जवाब मे यह आया था कि निश्चित रूप से हमारे यहां शिक्षकों की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिये पदों को विज्ञापित किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

करवरिया जी, अब आप समाप्त करें। मैं माननीय राजभर जी को बुला चुका हूं।

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, अब मैं केवल कानून व्यवस्था के संबंध मे कहना चाहता हूं।

(इसके बाद माननीय उदयभान करवरिया जी का माइक आफ हो जाने के कारण तथा माननीय सदस्य कालीचरन राजभर जी द्वारा बोलना प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण करवरिया जी का भाषण सुनाई नही दिया)

*श्री कालीचरन राजभर--

माननीय अधिष्ठाता जी, बहन मायावती जी के कुशल नेतृत्व में, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है हम इस बजट का पुरजोर समर्थन करते है। सुश्री बहन मायावती जी की लोकप्रिय सरकार द्वारा प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित और हर तरफ से उपेक्षित वर्गों का जीवन स्तर सुधारने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की ठोस पहल इस बजट व्यवस्था में की गयी है। माननीय अधिष्ठाता जी, इसी तरह से हमारी सरकार द्वारा समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों जिनमें खासतौर से महात्मा ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कांशीराम जी के नाम से स्मारक, संग्रहालय, मूर्तिया, पार्क, जिले व यूनिवर्सिटी आदि बनाकर पूरा-पूरा आदर सम्मान देने का काम किया गया है। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे विपक्ष के साथ जो बार-बार इस बजट का विरोध करने का काम कर रहे हैं, मेरा विपक्ष के साथियों से विनम्रतापूर्वक कहना है कि आपने बजट को पूरी तरह से पढ़ने का काम नहीं किया है यदि पढ़ने का काम किया है तो दूषित मानसिकता के तहत इस बजट को इंकार करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के साथियों से एक बात शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि–

"जहां अश्क पीने की बात करते हैं और होठ सीने की बात करते हैं,
बरबाद कर दिया इस प्रदेश को सपा की सरकार ने,
यह तो किसानों और मजदूरों के लिये नहीं,
अब तो सिर्फ अपने लिये जीने की बात करते हैं।"

माननीय अधिष्ठाता जी, यह देश और प्रदेश किसानों का देश है। सुश्री मायावती जी ने किसानों के खेतों और खलिहानों में खुशहाली लाने के लिये गांवों में पम्पिंग सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ने हेतु 15 जनवरी, 2010 को डा0 अम्बेडकर कृषि ऊर्जा सुधार योजना की शुरूआत करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता जी, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये सुश्री बहन मायावती जी द्वारा महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद इस प्रदेश में संचालित की जा रही है, जिसके तहत इस बजट में इस वर्ष 2010–2011 में 360 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि अब किसी गरीब व्यक्ति की बेटी को ससुराल जाकर दहेज के अभाव में प्रताड़ित और अपमानित होकर आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ साथ सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित व संस्कारिक बनाने के लिए इस योजना का आकार बढ़ा करके सुश्री बहन मायावती जी ने इस योजना का लाभ 2010–2011 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पांलीटेक्निकों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ देने का प्रावधान किया गया है। मा0 अधिष्ठाता जी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने अपने जन्मदिवस 15 जनवरी, 2010 को एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का लाभ परिवार के महिला मुखिया को 3 सौ रुपए आर्थिक मदद के रूप में हर माह देने का काम किया जायेगा। इस बजट में हमारी सरकार ने इसके लिए 402 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जिसका ताली बजाकर हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष के साथियों को स्वागत करना चाहिए। इस बजट में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात हमारी बहन मायावती जी, जो हमारी मुखिया हैं बराबर करने का काम करती हैं तो हमारे विपक्ष के साथी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भाषा का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। इस बजट में अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े अल्पसंख्यक एवं सर्वसमाज के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार से सड़क एवं सेतु निर्माण हेतु इस बजट में 5 हजार 8 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की गरीबी एवं पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस बजट में 318 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। मा0 अधिष्ठाता जी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा हर गली और हर गांव में पहुंचाने के लिए इस लोकप्रिय सरकार की मुखिया बहन सुश्री मायावती जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष दो हजार गावों में सी0 सी0 रोड एवं केसी ड्रेन के निर्माण हेतु 1 हजार 2 सौ 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह सर्वविदित है कि आज से तीन साल पहले इस उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल हुआ था। जंगल राज कायम था। आपको भी मालूम है, पूरे सदन को मालूम है और पूरे प्रदेश की महान जनता को भी मालूम हैं कि तीन साल पहले उत्तर प्रदेश में कैसा राज था। आज मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री करोड़ों-करोड़ों गरीबों, शोषितों की मसीहा सुश्री मायावती जी को कि मुख्य मंत्री पद की शपथ लेते ही सुश्री बहन मायावती जी ने अभियान चला करके पूरे उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार का खात्मा करके हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों को पूरा पूरा सम्मान देने का काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे विपक्ष के साथियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह मुद्दाविहीन कार्य करके केवल सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के फार्मूले को, जिसे हमने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे राष्ट्र तक बढ़ाने का काम किया है तो विपक्ष में हमारे बैठे हुए साथी इसका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, बड़े दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का फार्मूला जो उत्तर प्रदेश से चल पड़ा है और देश के जितने भी अन्य राज्य हैं वहां की जनता बहन सुश्री मायावती जी की ओर आशा भरी आंखे लगा करके देख रही है कि काश् उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी जैसी बहन मायावती जी उनके भी प्रान्त में मुख्यमंत्री होती। इसी तरह से पूरे देश की जनता आशा भरी निगाहें लगाये सुश्री मायावती जी की ओर देख रही हैं कि काश इस देश की प्रधानमंत्री अगर सुश्री मायावती जी होतीं तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा भारत की धरती पर लागू कराने का काम करती। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं दो लाइन कहना चाहता हूं–

क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने,
रुक नहीं सकता कभी भी शोला हवा के सामने,
लाख असल इल्जाम लगाकर आये विरोधी पार्टियां,
लेकिन टिक नहीं सकता कोई बहन जी और बसपा के सामने।

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद् देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मा0 वित्तमंत्री जी श्री लाल जी वर्मा द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग समय के अन्दर अपनी बात रखें, सबको मौका मिल जायेगा। मदन चौहान जी, दो मिनट में अपनी बात रखें।

*श्री मदन चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने 2010–2011 के बजट चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह बहुत बड़े आकार वाला बजट है और इससे बड़े आकार की महत्ता और बढ़ जाती है कि हमारे प्रदेश की जो गरीब, कमजोर, किसान जनता है, वह एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ यह देखती है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, उपभोक्ता हो, व्यापारी हो। सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि वह इस बजट के माध्यम से कुछ न कुछ राहत लेगा, उसे कुछ राहत मिलेगी, इस उम्मीद के साथ बजट की आशा के अनुरूप उसकी उम्मीदें होती हैं। मान्यवर, अगर हम ऊर्जा को ले लें, उसका बहुत बड़ा बजट है, 7949 करोड़ रुपये का। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से ग्रामीण से लेकर शहर तक, ग्रामीण को 6 घण्टे बिजली मिलती है और उसको बिल 24 घण्टे का देना पड़ता है। अगर इस बिल को उसी रूप से लिया जाय, 6 घण्टे बिजली आती है तो 6 घण्टे के हिसाब से लिया जाए तो निश्चित तौर से गांव के आदमी को राहत मिलेगी और उसकी विकास दर बढ़ेगी, उसकी उन्नति होगी, उसका उत्पादन बढ़ेगा। मान्यवर, ऊर्जा विभाग में बहुत सारी समस्यायें हैं, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, विद्युत तारों का जर्जर होना, नलकूपों का नहीं लगना। ये सारी ऐसी समस्यायें हैं जो किसानों से और गांवों के आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, उत्पादन नहीं होगा तो बिल का भुगतान कैसे होगा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज चोरी का बहाना ले करके विद्युत कर्मचारियों द्वारा जो शोषण करने का काम किया जा रहा है, अगर कोई छोटा सा उपभोक्ता जो बल्व जलाता है, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने के बहाने उस पर एफ0 आई0 आर0 करा दी जाती है और उसको दण्ड दिया जाता है, पेनाल्टी लगायी जाती है। पेनाल्टी का प्राविधान है उसको माना जा सकता है। एक शमन शुल्क वसूल किया जाता है, वह शमन शुल्क पता नहीं थाने में किस प्रकार का लगता है। अगर मान्यवर, सरकार इस शमन शुल्क को छोड़ देती या इसका प्राविधान हटा देती, तो मैं समझता हूं कि गांव के आम आदमी को इसका फायदा मिलता। आज कई बार हम देखते हैं कि किसानों के फसल के ऊपर से तारों की लाइनें जाती हैं, कई बार तार टूटने से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी फसल की बर्बादी की भरपायी करने वाला कोई उपाय इसमें नहीं किया गया है। मान्यवर, मिलों को देख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लें, जिस तरह से हमारे क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में सिम्भावली शुगर मिल है। वह जो बिजली जनरेट करते हैं, अगर क्षेत्र मे दे दी जाए तो मैं समझता हूं कि वहां के लगभग 17 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इस तरह का प्राविधान इस बजट में किया जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार कानून बनाती है, सरकार बजट रखती है, लेकिन उसका कियान्वयन पारदर्शिता से न होना आम आदमी के लिए हानिकारक है। आप अगर अब सड़क की तरफ जाए, तो मार्गों की दुर्दशा, आज किसान, गरीब, कमजोर, छात्रों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। जिस तरह से पी0 एम0 जे0 एस0 वाई0 की सड़कें बनायी जाती हैं साथ ही साथ वह उखड़ जाती हैं उसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में एन0 एच0 24 पर 5-6 पुलों का निर्माण 7-8 सालों से चल रहा है। बहुत सारी दुर्घटनायें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, जाम लगा रहता है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, समय का ध्यान रखिये।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है, 3 दिन से बैठें है, अब आपने मौका दिया है। वह गांव उपेहड़ा गांव है, कुचेसर रोड, सिखेड़ा, अठसेनी, सिम्भावली, स्याना चौराहा है। वह फ्लाई ओवर अगर शीघ्र बन जाए, उसका कई बार बजट रिवाइज हो चुका है। उसका कई बार बजट रिवाइज होने के बाद उसकी गुणवत्ता के साथ उसका बजट तीन चार गुना बढ़ गया है। यह सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आता है। कृषि को ले लें, मान्यवर, अगर हमारी कृषि की विकास दर नही बढ़ेगी, आज देश की विकास दर 9 प्रतिशत बताते है लेकिन किसान की, मजदूर की विकास दर कितनी है, यह बहुत सोचने का विषय है। सरकार ने 4125 करोड़ रुपये का बजट रखा है। लेकिन खाद, बीज, उर्वरक के लिए या डीजल की सब्सिडी के लिए या गन्ना वालों के लिए गन्ना उत्पादन करने के लिए कौन सी सुविधाएं दें उसके लिए कोई बजट नही रखा मान्यवर। मान्यवर, आज आप देखते हैं जिस तरह से गन्ने की पैदावार घटी है और चीनी का मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसका अगर चिंतन किया जाये। अगर गन्ना किसान गन्ना बोना बंद कर देगा तो चीनी का उत्पादन कम होगा और चीनी का रेट बढ़ेगा उससे किसान की भी उत्पादकता कम होगी और उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ जब प्राइवेट मिल 300 रुपये रेट दे रहे हैं लेकिन सरकार 170 रुपये रेट डिकलीयर कर रही है। मान्यवर, यह एक शोषण है तो इसमें भी मैं समझता हूं बजट के माध्यम से गन्ना किसानों का चिंतन करना चाहिए। मान्यवर, दूसरा मेरा जिस तरह से रासायनिक खाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पायी, उनकी बढ़ोत्तरी नहीं हो पायी। उनका वितरण ठीक तरह से नहीं हो पाया। उत्पादन लागत ज्यादा हुयी

और उत्पादन कम हुआ। जैविक कृषि के लिए भी कोई न कोई बजट रखना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को जितनी बीमारियां हो रही हैं वो रसायनिक खाद को डालने से फसल में उसके माध्यम से हो रही हैं। अगर जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाता है, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता मान्यवर, तो मैं समझता हूं उसमें हम सब लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ पहुंचता। मान्यवर, परिवहन को ले लें आज ग्रामों की व्यवस्था क्या है ? ग्रामों तक रोडवेज नहीं जाती सिर्फ जुगाड़ से काम चलता है। जुगाड़ सस्ता जो गांवों में एक इंजन लगाकर के इंजन रख के तैयार किया जा सकता है। रात को किसी को कोई पीड़ा हो जाये किसी को हार्ट अटैक पड़ जाये किसी को फालिस मार जाये तो उसके साथ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। एक बात जरूर हो रही है मान्यवर, आज जितना परिवहन विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। डग्गामार बसें, डग्गामार जीपें मुरादाबाद, दिल्ली, संबल, बिजनौर बराबर चल रही हैं, कोई नियंत्रण इसमें नहीं हैं। भारी राजस्व की हानि है। मान्यवर, दूसरा मैं कहना चाहूंगा परिवहन विभाग की एक ओर चिंतन करने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन चौहान–

नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे बनाये तो जा रहे हैं लेकिन रोज डम्परों से 2–4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मान्यवर, डम्परों का इतना तेजी से अनियंत्रित तरीके से मान्यवर, डम्परों से इतनी दुर्घटनाएं होती हैं कि रोज सुबह ही अखबार पलटते पता चलता है कि कितनी दुर्घटनाएं होगी। मान्यवर, पर्यावरण आप देखे एन0 सी0 आर0 पर्यावरण की गिरफ्त में है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें, 10 मिनट हो गया है।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, नोयडा में लोग आज प्रदूषित हो रहे हैं, चाहे गंगा जल नहीं मिल पा रहा हो, चाहे वहां का सांस लेने के लिए वायु प्रदूषित हो रही हो। इन सबको सुधारने के लिए इनमें शुद्धता लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। मान्यवर, कानून व्यवस्था, एन0 सी0 आर0 में कानून व्यवस्था है अभी पिछले दिनों हापुड़ में एक व्यापारी की लूट हुयी। बहुत बड़ा व्यापारियों ने जाम लगाया। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, 6–12 को अखबार में लेख आया बहुत सारी लूट हुयी तो अखबार में लिखा गया, 'इस पुलिस की कोई दवाई नहीं' और मान्यवर, एक इसी तरह एक दूसरा 6-7 लूट हुयी, 4 दिसम्बर को मान्यवर, उसमें लिखा गया, 'वाह री

नोयडा पुलिस' मान्यवर, इसी तरह से हमारे ए0 डी0 जी0 पी0 गये थे, उन्होंने नाराजगी जताई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी मान्यवर, पर्यटन को ले लीजिये, मान्यवर, इस देश का प्रदेश का पर्यटन एक व्यवसाय है। आप पर्यटन को देखें हरिद्वार की तर्ज पर हमारे गढ़मुक्तेश्वर को जो गंगा का पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठिये।

*श्री लल्लू सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने सामान्य बजट पर हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो यह सामान्य बजट रखा गया है। यह एक [x x x] का पुलिन्दा है। समाज को धोखा देने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है और [x x x] का पुलिन्दा इसलिए कह रहे हैं, समाज को धोखा देने का बजट इसलिए कह रहे हैं।

(श्री मदन चौहान द्वारा बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चौहान जी बैठ जाए, कृपया स्थान ग्रहण करें। गलत कर रहे हैं। चौहान जी की कोई बात नोट नहीं की जायेगी।

श्री लल्लू सिंह–

क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं चाहे उनके पास बी0 पी0 एल0 की सूची में हैं या नहीं हैं उनको आवास उपलब्ध कराया जायेगा, लेकिन प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने अभी एक शासनादेश जारी किया है। सभी गांवों में केवल एक वर्ग के लोगों को ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी चाहे वह बी0 पी0 एल0 की सूची में हो या न हो। हमारा इतना कहना है कि गरीब सभी जातियों में हैं विशेष कर पिछड़ी जाति में राजभर, निषाद, गौड़ और बहुत सारी जातियां हैं जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं। यहां पर जितने विधायक हैं सारे लोग जानते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जहां उनको हम आवास की सुविधा देने की बात सोच रहे हैं इसी के साथ साथ उनको भी आवास देने की व्यवस्था सोचनी चाहिए। माननीय वित्तमंत्री जी जिस वर्ग के हैं शायद उनके वर्ग के लोगों

[x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को उसकी जरूरत न हों लेकिन अधिष्ठाता महोदय माननीय परिवहन मंत्री जी जिस वर्ग के हैं उसमें 90 प्रतिशत लोग झुग्गी-झोपड़ी में ही रहते हैं। निषाद जाति में 90 प्रतिशत लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। उनको भी आवास की आवश्यकता है। सरकार कहती है कि सभी लोगों के लिए यह बजट है लेकिन मेरा कहना है कि यह धोखा देने की बात है। हैण्ड पम्प गांवों में लग रहे हैं ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव और उस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केवल एक वर्ग में हैण्ड पम्प लगेगा जहां गरीब है वह किसी भी जाति में हो तो जो मानक है 75 मीटर का उस मानक के अनुसार हैण्डपम्प लगना चाहिए। ठीक है आपको लगता है कि सामान्य वर्ग में नहीं लगना चाहिए लेकिन कम से कम पिछड़ी जाति के हमारे जो बन्धु हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है जिनके पास पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां हैण्ड पम्प लगना चाहिए उनके आवास भी बनने चाहिए। नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय 37 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था, हैदरगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज बनना था उसे अम्बेडकर नगर में स्थानान्तरित कर दिया गया, पांच साल हो गए हैं वहां के छात्रों को रहने की व्यवस्था नहीं है एक छोटा सा हास्टल है छात्रों को 10–10 कि0मी0 दूर रहना पड़ता है। संसदीय कार्यमंत्री जी उसी जनपद के रहने वाले हैं एक भी पद स्वीकृत नहीं हैं एक भी अध्यापक नहीं है सभी एडहाक पर नियुक्त हैं। 300 करोड़ रुपए नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भवन निर्माण के लिए दिया गया है चार चार फैकल्टी तैयार हैं पर पद स्वीकृत नहीं है। उसी का परिणाम है वहां हड़ताल चल रही है तीस करोड़ वार्षिक वहां के कर्मचारियों की तनख्वाहें सरकार नहीं दे पा रही है। बिल्डिंग भवनों पर पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यह सरकार बनिए की दुकान के रूप में काम कर रही है। काम लेना है तो पैसा दो माल लो आज आम आदमी में चाहे वह किसी भी वर्ग का हो उसमें यह धारणा बन गई है कि इस सरकार में वगैर पैसे के कोई काम नहीं हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री लल्लू सिंह–

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब से उत्तरांचल इस प्रदेश से अलग हुआ है तब से पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है आज अगर सबसे ज्यादा रोजगार हम दे सकते हैं तो वह पर्यटन से दे सकते हैं। दूसरे प्रदेशों को देख लीजिए वह पर्यटन के माध्यम से ही लाखों लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल होने के बाद जहां लाखों तीर्थ यात्री आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं है वहां विकास तेजी से नहीं हो रहा है। मथुरा काशी, अयोध्या जो तीर्थ स्थल है उसके विकास से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री लल्लू सिंह–

यहां पर जो शराब का विषय उठाया गया शराब का व्यापार है वह एक आदमी के हाथ में दे दिया गया है। शराब का ही व्यापार नहीं कोयले का भी धन्धा उसी एक आदमी के हाथ में दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश का ठेका पट्टा भी एक वर्ग को दिया जा रहा है। इससे लाखों-लाख बेराजगारों की रोजी छिन रही है। मान्यवर, इसीलिये हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि यह सरकार विचार करके समाज के सभी वर्ग के लिये काम करे और सबको सुविधा उपलब्ध कराने का काम करे। इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या में सीवर लाइन II फेज पिछले कई वर्षों से लम्बित है और उसके लिये इस बजट में कोई बात नहीं आई है। अयोध्या संस्कृत शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिये वहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। फैजाबाद नगर में जल भराव रहता है, पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए इस बजट का विरोध करते हैं।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में रखें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में रखूंगा। किसानों की हितैषी सरकार ने रबी की फसल में वर्ष 2009-2010 में धान खरीद का जो लक्ष्य रखा था वह 16 लाख टन लेवी चावल का इस साल वह बिल्कुल निल कर दिया है। इसी प्रकार मान्यवर, गेहूं के लिये वर्ष 2009-2010 में 32 लाख टन निर्धारित किया गया था और उसके सापेक्ष 34.13 लाख की खरीद की गई थी। इस वर्ष भी 32 लाख जो कम है, इसी तरह से पर्यटन की दृष्टि से 90 करोड़ रुपये का जो बजट में प्राविधान किया गया है। हमारे प्रदेश में पर्यटन के बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं लेकिन उनको बढ़ाया नहीं जा रहा है। इसमें जिस प्रकार से कहा गया है कि पर्यटन में मेले वगैरह के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये पैसा दिया गया है लेकिन मेले की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय नैमिषारण्य में मिश्रिख में परिक्रमा मेला चल रहा है, लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है, पौराणिक मेला है। मैं मांग करता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने का का काम करें। मान्यवर, इसी प्रकार से हमारे आबकारी के लिये जो दुकाने पिछले साल लाटरी सिस्टम था और लोगों को उसमें दुकानें मिली थी लेकिन उन लोगों का इस साल लाटरी से दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे सीतापुर से लखनऊ तक जो चार लेन की रोड बन रही है उसमें किसानों का, व्यापारियों का और मिल मालिकों की जमीन का जो अधिग्रहण किया गया है उसका उनको मुआवजा कम रेट पर दिया जा रहा है जबकि इसको डी0 एम0 के सर्किल रेट पर दिया जाना चाहिए। मान्यवर, हम लोगों के जो जिला योजना में प्रस्ताव जाते हैं, उन प्रस्तावों पे आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय ऊर्जा मंत्री को कई बार लिखकर दिया उनसे कहा कि 3 वर्ष हो गये हैं, हमारे यहां नैमिषारण्य में एक सब स्टेशन लगा हुआ है उसको मान्यवर, चालू कराने का काम करें। इसी तरह से मान्यवर, असेवित विद्यालयों की दूसरी किश्त के लिये लोगों को लाइन में लगा रहना पड़ता है। सालों से यह लोग वहां पर दौड़ रहे हैं और असेवित विद्यालयों की दूसरी किश्त इनको नहीं मिल रही है इससे शिक्षा का स्तर पूरा कायदे से नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक रोड 4 साल से दो कोट का पत्थर पड़ा हुआ है और पूरी रोड नहीं बन पाई है। कालीपाकर से अमरता उसका नाम है। मान्यवर, अब मैं उसी प्रकार से कहना चाहता हूं कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आज भी 1205 रुपये मिल रहे हैं। मंहगाई के समय में उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाय। मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कौकब साहब आप बोल लें।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इनको बोल लेने दें, मैं उसके बाद बोल लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

विनोद चतुर्वेदी जी, आप बोल लें।

श्री विनोद चतुर्वेदी–

मान्यवर, आपने मुझे 2010-2011 के बजट पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

एक माननीय सदस्य–

दो मिनट का समय मुझे भी दे दें।

श्री विनोद चतुर्वेदी–

मान्यवर, यह बजट जैसा सभी लोगों ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुन्देलखंड के बारे में इस बजट में दिया तो गया है इसको मैं नहीं नकारता, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय सिद्दीकी साहब से, बांदा के लिए तो उन्होंने बहुत बजट दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन बुन्देलखंड के और 6 जिले हैं जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा इन 6 जिलों के लिए अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हैं, इस बजट में मेरा आपसे अनुरोध है कि बुन्देलखंड में कम से कम इन छः जिलों को भी लिया जाए। जहां तक भारत सरकार का सवाल है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड को जो स्पेशल पैकेज दिया उसमें सभी दलों के लिए समान दिया गया। लेकिन राज्य सरकार का जहां तक देना है उसमें सिर्फ एक ही जिले को दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को इस बजट में रखवाना चाहता हूं मैं तीन वर्ष से बराबर, मैं नया सदस्य चुनकर आया हूं मैं एक ही निवेदन करता आ रहा हूं कि एक पुल, बेतवा पर कोटरा घाट पर बनाया जाए और एक रेलवे ओवर ब्रिज उरई में राठ रोड पर बनाया जाए। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहता हूं यह अत्यन्त जनहित के पुल हैं और दो वर्ष में और अब तीसरे वर्ष में भी कुछ नहीं मिला। मान्यवर, वर्मा जी बैठे हैं और वह चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि एक चिकित्सा महाविद्यालय माननीय कांशीराम के नाम से जो पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था। उरई में बनकर खड़ा है लेकिन आज उसे देखकर लगता है कि मेडिकल कालेज न होकर कोई डिस्पेंसरी हो। उसमें सिर्फ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 22 लाख का प्राविधान किया इस बजट में, और उसमें सिर्फ एक रोगी वाहन और तीन स्टाफ वाहन, उसमें से एक प्रिंसिपल के लिए, एक डाक्टर के लिए और एक किसी नर्स के लिए, तीन वाहन का प्राविधान किया है।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मेरा कहना है कि आप अगर कुछ दे नहीं सकते हैं तो जो मेडिकल कालेज बनकर खड़ा है उसके लिए डाक्टर ही दे दें। जिससे जनपद के और बुन्देलखंड के जो मरीज हैं उनको सुविधायें हों। माननीय अध्यक्ष जी मेरे ही क्षेत्र में 160 लोग किडनी के पेशेन्ट है। डायलेसिस की मशीन वहां रखी है मेडिकल कालेज में, और पूरे पेशेन्ट या तो झांसी जाते हैं या कानपुर जाते हैं। मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं कि जो मशीन बन्द पड़ी है उसी को खोलकर कोई डाक्टर अगर भेज दिया जाए तो कम से कम इन मरीजों को कुछ सुविधायें प्राप्त होगी। जहां तक मान्यवर, सिंचाई का सवाल है बुन्देलखंड की सिंचाई के बारे में, चूंकि माननीय मंत्री जी मेरे ही क्षेत्र से हैं बुन्देलखंड से, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद जनपद जालौन में सिंचाई के लिए दो कैनाल हैं। एक बेतवा साख एक कुठौत साख जिससे पूरे जिले की सिंचाई होती है। मान्यवर, आज पचास वर्षों में नहर की यह हालत हो गई है कि जब भी उसमें पानी छोड़ा जाता है क्योंकि गहराई है नहीं, सिल्ट जमा हो चुका है, उसमें बार बार कटान होने से हजारों क्यूसेक पानी बरबाद जाता है जो किसानों के हित में नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री विनोद चतुर्वेदी–

मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सिंचाई मंत्री जी गहराई उसमें करायें और जो मेरा संशोधन है उसको मान लें।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री विनोद चतुर्वेदी–

आप कहते हैं तो एक बात कहकर बंद किए देता हूं। मुझे बहुत मुश्किल से मौका मिला है। मैं जब से बैठा हूं कह रहा हूं कि अध्यक्ष जी ने कल कहा था कि मुझे बोलने को मिलेगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपने कल 5.00 बजे कहा था। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से, बहुत बड़े बड़े वायदे सरकार करती है कि गरीबों के लिए मकान दे रहे हैं, अध्यक्ष जी, यही लखनऊ में कभी आप हनुमान सेतु पर 11.00 बजे के बाद चले जाना, कोई मंत्री, कोई सरकार का नुमाइंदा चला जाए, अगर लाइन से उस पुल पर गरीब लेटे हुए न मिलें तो जो सजा अध्यक्ष जी, आप कहें मैं मानने को तैयार हूं। पूरे 17 करोड़ जनता की बात करते हो, यही लखनऊ में हनुमान सेतु पर ठण्ड में तापमान जब 2 और 3 डिग्री होता है, तब भी लोग लेटे मिलते हैं। आज भी मा0 अध्यक्ष जी, रात में 11-12 बजे चले जायें, वह गरीब वहीं आकर लेटते होंगे। मैं नहीं जानता की कहां के हैं, मैं

वहां से निकलता हूं तो देखता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि पूरे जनपद मुख्यालय पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि जो यह गरीब बिना छत के सोते हैं, इनके सोने की व्यवस्था हो सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मा0 कौकब हमीद साहब।

(श्री सुखलाल, श्री उदयभान करवरिया, श्री अरविन्द गिरि तथा कई अन्य सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष–

अभी इतने लोग बोलना चाहते हैं ?

डा0 पी0 के0 राय–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

*डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, कल अनुदानवार मदों पर चर्चा होनी है और कई विभाग लिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और अभी तक उसका जो बजट साहित्य है, नियमतः जो पहले से उपलब्ध होना चाहिए, पिजन होल में, हम लोगों को, इस समय तक बजट साहित्य नहीं मिला है। केवल उसमें हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग का ही बजट साहित्य उपलब्ध है, इसको मान्यवर, दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा–

अग्रवाल साहब, आप घड़ी भी देख लें।

श्री अध्यक्ष–

गिरि जी, आप भी बोलने के लिए कह रहे हैं ? आप लोग वरिष्ठ लोग हैं।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, 2 मिनट का समय दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मा0 कौकब हमीद को बुला लिया है और कौकब हमीद के बाद हमें बुला लीजिए।

(कई सदस्य बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष–

उधर भी कई सदस्य बोलना चाह रहे हैं। सबको बुलवायेंगे तो बड़ा टाइम लग जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बड़ा आसान सा फार्मूला है, एक-एक, दो-दो मिनट दे दीजिए, एक-एक इनके पास है, दो उनके पास हैं, एक हमारे पास है, यानी पांच दूनी दस, इतने समय में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

वह तो ठीक है, उधर भी 4-6 लोग हाथ उठा रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कल अनुदान पर चर्चा होगी और विशेष रूप से सिंचाई और गन्ना विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें विस्तृत रूप से लोगों को अवसर मिलेगा। माननीय इन सदस्यों को आप अवसर दे देंगे और मैं चाहूंगा कि चूंकि मा0 कौकब हमीद जी को आपने पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष–

कल अनुदान मांगों पर चर्चा है, अब इस समय 4.00 बज रहा है, आपकी जो तैयारी है, वह काम करेगी।

(लगातार कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

इधर देखिए, 8 लोग तो बोलने के लिए इधर हैं।

श्री अध्यक्ष–

आश्वासन देना अलग विषय है। समय को भी देखना है। हमने अभी निवेदन कर लिया था कि कल भी अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। कल भी महत्वपूर्ण विभाग है। जो भी माननीय सदस्य हैं कल उनको प्रायोरिटी पर बुलवा लेंगे। आज माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को आय–व्ययक पर चर्चा का उत्तर देना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर शराबा होने लगा, शोर शराबे के मध्य।)

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, अनुरोध है कि 1-1 मिनट का समय दे दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, या तो ऐसा कर लीजिए कि हम लिखकर दे देते हैं उसको कार्यवाही में शामिल करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अगर यह लोग अपना लिखित भाषण आज दे दें तो हम उसको कार्यवाही में सम्मिलित करा देंगे।†

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, एक–एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अभी व्यवस्था दी है कि सभी लोग अपना लिखित भाषण दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इन सबका लिखित ले लीजिए। एक मिनट शुक्ला जी को दे दीजिए, एक मिनट में शुक्ला जी अपनी बात रख दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ऐसा न करिये।

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल साहब मैं आपकी बात मानकर सबकी बात मान गया। लिखित के लिए कह दिया है। जब लिखित की बात आ गयी कि सब माननीय सदस्य आज ही लिखकर दे दें तो हम उनका लिखित भाषण कार्यवाही में सम्मिलित कर लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब माननीय कौकब साहब नहीं बोलना चाहते तो मुझे बुला दीजिए।

श्री कौकब हमीद खां–

पहले शांति तो हो जाये।

---

†(देखिये मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 960–280 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह लोग लिखने पढ़ने में थोड़ा मजबूत है हम लोग बोलने में मजबूत हैं तो हमसे बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

इन्हीं लोगों से लिखवा लीजिए। अग्रवाल साहब जब व्यवस्था हो गयी कि लिखित दे दीजिएगा। कल अनुदान मांगों पर चर्चा है उसमें आप पूरा बोल दीजिए।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप लिखने के लिए कहते है तो माननीय सदस्य तुरन्त तो लिख नहीं देंगे, अगर आप कल सुबह तक की छूट दे दीजिए तो कल सुबह तक वह लिखकर जमा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

जमा कर दें हम उसको कार्यवाही में सम्मिलित करवा देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अगर आप तुरन्त कहिएगा तो कहां से लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आज दे दें हमको।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक–एक मिनट बुलवा दीजिए।

श्री उदयभान करवरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध है कि एक–एक मिनट बुलवा दें बाकी आप यहां से निर्देशित कर दीजिए कि लिखकर दे दें तो शामिल कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह नहीं। एक निर्णय होगा कि आप बैठकर अपना भाषण तैयार कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि हर पार्टी से एक नाम ले लीजिए, बस खत्म।

श्री अध्यक्ष–

हां यह तो कुछ बन सकता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अभी बोल चुके, अब कांग्रेस पार्टी का तो खत्म हो गया, बी0 जे0 पी0 के भी बोल चुके, समाजवादी पार्टी के अनूप गुप्ता जी बोल चुके, मान्यवर, केवल कौकब हमीद जी बचे हैं आप चाहें तो इनको बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

कल से हम बुलवा रहे हैं, आज दो बजे से बुलवा रहे हैं, इतने माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री श्याम किशोर शुक्ला जी तीन महीने वाले हैं, यह सब दो साल वाले हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कांग्रेस के ही अभी–अभी बोलकर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी कह रहे हैं कि तीन महीने वाले हैं तो तीन महीने में कहां कोई बोल पाता है। हमने अभी निवेदन कर लिया था कि कल भी अनुदान मांगों पर तमाम चर्चायें होनी हैं, महत्वपूर्ण विभाग कल भी है। माननीय सदस्यगण जो भी हैं कल उनको प्रायरिटी पर बुला लेंगे, विभिन्न विभागों पर जो बोलना चाहेंगे। आज माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को उत्तर देना है, इस आय-व्यय पर जो चर्चा हुयी है।

अगर ये लोग अपना लिखित भाषण दे दें, तो उसको सम्मिलित करवा लेते हैं। लिखित भाषण दे दें, आज ही सबका सम्मिलित हो जायेगा।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनका सबका लिखित ले लीजिये, एक मिनट में श्याम किशोर शुक्ला जी अपनी बात रख लें।

श्री लालजी वर्मा–

नहीं, मान्यवर, ऐसा मत हो।

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल साहब मैंने आपकी बात मान करके और लिखित में सबकी बात मान गया, लिखित की बात आ गयी कि सब माननीय सदस्य लिखित में दे दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब माननीय कौकब साहब नहीं बोलना चाहते तो मुझे बुलवा दीजिये।

श्री कौकब हमीद खां–

शांति तो हो जाये तभी तो बोलूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ये लोग लिखित में मजबूत हैं, लिखने-पढ़ने में, हम बोलने में मजबूत हैं तो हमें बुलवा दीजिये, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

इन्हीं लोगों से लिखवा लीजिये। अग्रवाल साहब जब एक व्यवस्था हो गयी तो उसमें दो-दो मिनट बोलने में क्या है ? कल अनुदान मांगों पर चर्चा है, आप लिखित दे दें। उसमें आप दे दीजियेगा, उधर वाले और इधर वाले सभी लोग मान जायेंगे।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, अब तक तो सारे लोग बोल चुके होते।

श्री अध्यक्ष–

कभी कभी खाने में 2 मिनट लगता है और बैठाने में 4 मिनट लगता है।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, एक एक मिनट का समय दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है करवरिया साहब, माननीय वित्त मंत्री का उत्तर भाषण है और विधेयक हैं, कल हमारा बजट जो तैयार हो रहा है उसका साहित्य आपको मिल जायेगा, अध्ययन करिये। कल अनुदान मांगों पर, एक चीज मैं प्रायरिटी दे सकता हूं कि अनुदान मांगों पर कल कृषि और सिंचाई विभाग हैं, दो महत्वपूर्ण विभाग है। नेता की सूची अपनी आप दे दें, आप अपनी बात रख दीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अब मुझे सीधे बुलवा दीजिये, कल सिंचाई और गन्ना विभाग का हैं।

श्री अध्यक्ष–

करवरिया साहब, आप सूची हमको दे दीजिये दल की तरफ से, कल कटौती का हो या चाहे किसी का होगा, मैं बुलवाऊंगा पहले। बाद में मैं सबको बुलवाऊंगा। माननीय वकार साहब, डाक्टर साहब, माननीय सदस्यों का जैसे सुल्तान बेग साहब, गिरि साहब, सण्डा जी या दुबे जी हैं बैजनाथ जी हैं। कल आप अगर दे देते हैं तो कल आप लोग जो कहना चाहते हैं कल बुलवा लूंगा। जो बात आप लोग कहना चाहते है, वहीं बात कल कह लीजियेगा। मंत्री भी बैठे रहेंगे, आप लोग रख दीजियेगा।

*श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, जो भी बजट सरकार पेश करती है वो उसकी कारगुजारी जो हो चुकी है या होने वाली हैं, उसका एक आईना होता है। मान्यवर, इस सरकार ने अपने बजट भाषण में, मंत्री जी ने भाषण दिया था, उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है मान्यवर, और आंकड़े मैं कई बार कह चुका हूं और बाकायदा सदन में कह चुका हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो आंकड़े दिया करें, वे कम से कम ऐसे तो हों कि हजम हो जायें, जिनको सदन, जनता, प्रदेश और हम मान लें। बस आंकड़ें हैं कि यूं हो गया, ऐसा हो गया। मान्यवर अखबारों ने यहां सदन की बात लिखी और यहां के लोगों ने सीना ठोक ठोक कर कहा कि बगैर किसी कर के हमने बजट पेश किया हैं। कोई हमने कर नहीं लगाया है। मान्यवर, आप जो बगैर टैक्स के बजट की जो शाबासी दे रहे हो, आप की हैसियत क्या थी, कौन सा टैक्स लगा सकते थे आप ? आप दो काम कर सकते थे या तो आप जो कहते हो कि हम किसानों के हित में हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों के मामले में बात करते हैं। आज जो आपका सेल्स टैक्स है, डीजल, पेट्रोल पर उसे घटा सकते थे। जो सबसे ज्यादा आपका है, बाकी हरियाणा, दिल्ली आस–पास के जितने भी प्रदेश हैं उनमें बहुत कम हैं। एक एक लीटर में 2 से ढाई रुपये का अंतर है वो कर सकते थे आप। जो आपका स्टैम्प ड्यूटी है, वह आसमान छू रही है, गरीब आदमी के पास अब जमीन खरीदने की बात रह ही नहीं गयी है। वह जमीन अगर खरीदने जाये तो स्टैम्प ड्यूटी में मर जायेगा, जितने की जमीन नहीं खरीदेगा, उससे ज्यादा की तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये तो काम आपके बस का था जो आप कर सकते थे, और आपकी हैसियत नहीं थी, आप इन्कमटैक्स बढ़ाते, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते। जो चीजें, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की थी, वह तो भारत सरकार घटायेगी या बढ़ायेगी। आपने कौन सा कारनामा किया ? यह मान्यवर, जवाब दें, तो बताने की कोशिश करें मान्यवर, दूसरी चीज, मान्यवर, बड़ी पीठ ठोंकी आपने बजट के पृष्ठ सात पर, आपने विकास दर की बात बहुत जोर शोर से की, कि हमने उत्तर प्रदेश की विकास दर 2007–08 में सन् जरा गौर कर लीजिएगा, जब किसी और की सरकार थी, तो था 5.2 परसेन्ट और 2007–08 के बाद 2008–09 में हो गया 7.9 परसेन्ट और उसके बाद हो गई 7.4 परसेन्ट। मान्यवर, पूरी विधान मण्डल में यह जो लोग बैठे हुए हैं मान्यवर, कोई एक आदमी ऐसा बता दे, कोई एक मल्टी नेशनल कम्पनी लगाई हो, कोई ऐसा बड़ा निवेश किया हो विदेशी, आपके यहां बन्द कितने हुए हैं इसकी तो सूची मिल जायेगी, मगर इन पांच, सात साल, दस साल के अन्दर जब से आप आए हैं कोई नई फैक्ट्री लगी हो, इस बीच कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लोग भाग गये, दिल्ली से जो फैक्ट्रियां निकाली जा रही थी, जो कहीं और लगनी थी, वह उत्तर प्रदेश में नहीं आई वह ट्रानिका में नही आई, जो ग्यारह किमी0 पर हैं। वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरियाणा चली गई, कहीं और चली गई, गुजरात चली गई, मगर यहां नहीं आई, तो निवेश हुआ नहीं तो आप यह 7.9 परसेन्ट विकास दर कहां से ले आये। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सरकार से कहें आंकड़े सही दें। अभी तो भारत सरकार अपने आपको टटोल रही है। भारत सरकार कहती है, जिसके यहां 21 लाख और कुछ हजार करोड़ रुपया आया है, जो निवेश हुआ है वह यही कहती है। कि हम 7.8 और 7.9 परसेन्ट कोशिश कर रहे हैं। आप हैं, आपके यहां जो निवेश, जो बाहर का पैसा आया, 2225 करोड़ सिर्फ इतना पैसा आया और आप कह रहे हैं हम यहां विकास की नदियां बहा रहे हैं। चलिये विकास आपके अंक में नहीं आया। पढ़ाई-लिखाई की बात करें। आपके यहां 42 फीसदी पर आकर जो आपके यहां लोग पढ़े-लिखे होते हैं वह 42 फीसदी होते हैं मान्यवर, यह आंकड़े मेरे दिये हुए नहीं हैं, यह आंकड़े आप ही के दिये हुए हैं। यह आंकड़े आपकी सरकार के, भारत सरकार के आंकड़े हैं मान्यवर, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े, जब बजट पेश करें, बजट यहां जो सदस्य हैं उन्हें देते हैं, यह बाहर जाता है और वैसे भी यह दस्तूरे खिलाफ है कि आप गलत बयानी करें। यह गलत बातें कहना मैं अगर वह शब्द कहूंगा तो असंसदीय हो जायेगा, मगर वह सब काम न करो जो नहीं करना चाहिए। मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर पे मान्यवर, अभी तो उस पर चर्चा बाद में भी होगी, एक बात कहना चाह रहे हैं और यह दिल में सबके होगी, पूछ कोई नहीं पाया होगा, कोई घबरा कर नहीं पूछ पाया होगा, कोई डर कर नहीं पूछ पाया होगा कोई अन्य किसी कारण से नहीं पूछ पाया होगा। अच्छा अगर लॉ एण्ड आर्डर ठीक न हो, आदमी मरते रहें और आप देखते रहें, आप उसे नहीं कण्ट्रोल कर पाये तो यह कौन सी परम्परा है कि डी0 आई0 जी0 को एस0 एस0 पी0 बना दें। आपने नौ दस जिलों के जो बड़े थे, उनमें डी0 आई0 जी0 और एस0 एस0 पी0 का रैंक एक कर दिया। अच्छा अब जब उसके बावजूद जैसे मेरठ में नहीं हुआ, वह डी0 आई0 जी0 हटा दिया तो अब क्या आई0 जी0 को भेजोगे वहां। आई0 जी0, एस0 एस0 पी0 एक हुआ करेंगे क्या ? मान्यवर, यह सारी चीजें जब होती हैं जब आपका कोई नियंत्रण हो, वहां तो करने वाले और हैं आपके हाथ में आते ही नहीं, आप डी0 आई0 जी0 को एस0 एस0 पी0 बना दो या एस0 एस0 पी0 को डी0 आई0 जी0 बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान्यवर, यह वैसे भी गलत हो रहा है। डी0 आई0 जी0 रिपोर्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डी0 आई0 जी0 है उसके एकार्डिंग टू लॉ उपर होता है, उसकी मीटिंग में वह नीचे बैठता है वह उपर बैठता है तो वैसे भी नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, अब आप आईजी को एसएसपी बनाकर भेज देंगे। उसका रैंक ही बदल देंगे। तो यह कैसे चलेगा। मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिये आठ हजार करोड़ रु0 का प्राविधान रखा है। इससे जो आपके बिजली घर हैं सब स्टेशन हैं उनका सुदृढ़ीकरण होगा। आपने पेज नम्बर पांच पर इसका जिक्र किया है। इसी तरह से आपने यह भी जिक्र किया है कि 2010–2011

में 600 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। आपके यहां कौन लगायेगा इतना बड़ा निवेश। आपको इस निवेश की बात तीन साल पहले करनी चाहिये थी। ताकि अब तक लग जाता। अब आप लगायेंगे तो इलेक्शन के समय ठीक कर पायेंगे। आप पहले क्यों नहीं इसे करा पाये हैं। फिर कुछ में सुप्रीम कोर्ट से भी रोक लगी थी, उस पर आप काम कर रहे हैं। यह सब बातें सोचने वाली हैं। आपने कह दिया कि यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे बनवायेंगे और इसमें आप 4900 करोड़ रु0 लगायेंगे। आपने उसी पेज पर लिखा है कि निजी सहभागिता से, 1000 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से, पांच टाउनशिप का विकास प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह से आपने इन दोनों योजनाओं पर कुल मिलाकर 10 हजार 12 हजार करोड़ रु0 के निवेश की बात कह दी है। बकायदा व्यवस्था कर दी और दूसरी तरफ बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिये अनुमान लगाया है कि इतना निवेश हो जायेगा। आपने एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये 4900 करोड़ रु0 दे दिया है। अब जिसमें आपका जुगाड़ हो जाय वह व्यवस्था हो जाती है। मान्यवर, जो एक्सप्रेस-वे बनेगा वह जमीन तो ग्रीन बेल्ट की है। जो दुनिया में सारी जगह युनाईटेड–स्टेट में, दिल्ली में हैं उसके लिये आप चिन्तित हैं। जब यह जमीनें चली जायेंगी तो आखिर गन्ना, गेहूं और दूसरी जगह कहां बोयेंगे। कितनी चीजें और मंहगी हो जायेंगी। कोई आप यमुना को पाटकर तो एक्सप्रेस-वे नहीं बना रहे हैं। 19 करोड़ की यहां की आबादी है वह जानना चाहती है कि आखिर उससे इसका क्या फायदा मिलेगा। आप टाउनशिप बनायेंगे उसमें क्या गरीबों को मकान देंगे। नाम लेना उचित नहीं है एक फर्म एक कम्पनी को आप यह सब देने जा रहे है। वह जमीन सस्ते में ले लेंगे और बड़े बड़े लोगों को उसे रिसेल करेंगे। फिर वह टाउनशिप महंगी से महंगी होती जायेगी। गरीब किसानों की जमीन उसमें चली जायेगी। आप इन एक्सप्रेस-वे और टाउनशिप के निर्माण के लिये ग्रीन बेल्ट को खत्म करेंगे। आखिर आप बतायें कि इन एक्सप्रेस-वे को बनाने की वजह क्या है। क्यों आप टाउनशिप बनाने जा रहे हैं उसकी वजह क्या है। हम लोग रोज किसानों के पास जाते हैं वह पूछते हैं कि आखिर हमारी इसके लिये जमीनें क्यों ली जा रही है। हमारी अगर पांच बीघा जमीन ले ली जायेगी तो क्या हम हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। आप वजह बतायें आपने 4900 करोड़ और 5000 करोड़ रु0 दे दिया है। और दूसरी तरफ बिजली के लिये आपने कह दिया कि निवेश आने का अनुमान है। निवेश कौन करेगा। यह आपको मानना चाहिए कि यह एक गरीब प्रदेश है आपके यहां विकास दर घटकर सही मायने में 4 या 5 प्रतिशत ही आ रही है। 7.9 प्रतिशत भले ही आप कह लें। 5.3 प्रतिशत रह गयी है और उससे भी कम है। विकास दर को बढ़ाने के लिये आपको विकास करना होगा। लेकिन विकास दर कहां से आयेगी निवेश कहां हो रहा है। कितनी विदेशी और देशी कम्पनियां निवेश के लिये आपके यहां आयी हैं। अम्बानी जी आपके यहां से भाग खड़े हुए हैं। अब जेपी वाला जो मसला है वह है उसके लिए आप उसे

खुद ही दे रहे हैं उसको पैसे वह कहां दे रहा है आपको। आप दे रहे तो लगा लेगी, आप जमीन दे रहे हो सस्ती जब मंहगी होती तो वह मंहगी बेचेगा, पैसे तो आप बनवा रहे हो उसके वह आपको क्या दे रहा है तो विकास दर कहां से दोगे जब जमीन खत्म हो जायेगी न इसका विकास दर न उसका विकास दर मान्यवर। तो मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं और बात खत्म भी कर रहा हूं कि यह जो बजट है इसका कोई मायने नहीं है। आप न विकास दर ठीक कर पाये हैं, न आपने बिजली व्यवस्था के लिए कोई ठोस बात की है, आपने यह नहीं कहा कि दो साल में ठीक कर देंगे कुछ नहीं कहा आपने। आपका यह बजट एक बुनियाद दस्तावेज है जो आप लोगों ने इस सदन को दिया है और यह सदन यह दुःख के साथ कहता है पूरा सदन मान्यवर, कह न रहे हो लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर इस प्रदेश की जनता के क्या आप करने वाले हैं जो प्रदेश भूखा है नंगा है मान्यवर, इसी सदन में आज 10 साल पहले 12 साल पहले आप भी थे हम भी थे मान्यवर, तो हमारा नम्बर तब आखिरी विषय आते थे चाहे गरीबी के हों या कोई हो तो हम बीच में आ जाते थे। अब हम आखिर में या तो बिल्कुल आखिर में या आखिर से एक ऊपर तो आप कम होते जा रहे हैं। हम अगर इसको इमारतों जो इमारतें बन रही है इनको 'वैकाल' मान लें तो अब तो सोचा है कि पत्थर के सनम टकरा भी सकूं और मर भी सकूं। जय हिन्द।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का नेता प्रति[illegible]। जिन्होंने इस सामान्य बजट की चर्चा में हिस्सा लिया, मैं आभार व्यक्त कर[illegible]। मान्यवर, अच्छा होता कि नेता प्रतिपक्ष भी आज मौजूद रहते। मान्यवर, [illegible] माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि माननीय सद[illegible] जो हमारा बजट भाषण था उसी को सम्पूर्ण बजट मान लिया। जैसा कि अ[illegible]नते हैं कि बजट भाषण में सभी बिन्दुओं का उल्लेख नहीं होता उसके साथ ही [illegible]र्ण साहित्य जो बजट से संबंधित रहती है वह दी जाती है। अगर उस सा[illegible], का अध्ययन करके और उसको पढ़कर, उसके विभिन्न वर्षों का तुलनात्मक अ[illegible]यन करके अगर सदन में आकर अपनी बात रखते तो शायद और अच्छा सुझाव [illegible]ने में सफल होते। फिर भी जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया हैं प्रदेश के विकास [illegible] लिए मैं उसका स्वागत करता हूं और हमारी सरकार यह प्रयास करेगी कि [illegible] सकारात्मक सुझाव हैं उसको अमल में लाने का काम किया जाय। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने लम्बे, चौड़े समय लेकर, और मैंने उनका बजट भाषण सुना भी और फिर कार्यवाही निकालकर पढ़ भी रहा था उस पढ़ने में मैंने देखा कि उनका ज्यादा समय, 3 शब्दों पर ज्यादा समय लगा। लूट, मौजमस्ती और भ्रष्टाचार। मुझे लगता है कि वह अपनी पुरानी बातों को याद करते रहे। मैं उसमें बहुत ज्यादा

समय नहीं लूंगा। हमारे माननीय सदस्य माननीय शिव प्रसाद यादव जी समाजवादी पार्टी के लूट और मौजमस्ती का, अत्याचार का जब वर्णन कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों से सुना नहीं गया। यह पूरा प्रदेश जानता है और आज कुछ जो विवाद कुछ उस समाजवादी पार्टी के बीच में उभरे हैं उसमें माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जिक्र किया था। कि लूट के हिस्से का भी कुछ विवाद रहा है। मौजमस्ती के बारे में भाई शिव प्रसाद यादव जी ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन कुछ बिन्दुओं पर मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो उल्लेख किया था, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा कि सरकार ने जब पिछले वर्ष 2009–2010 का बजट प्रस्तुत किया था तो कहा था कि किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। मान्यवर, इस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हम किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमने इस बजट में कुछ ऐसे क्षेत्र, जो हम पी0 पी0 पी0 माडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टरनशिप के माध्यम से कर सकते थे, उस पर हमने चर्चा की और अपने बजट भाषण में ही पृष्ठ 4 पर उन बिन्दुओं का उल्लेख किया। जो औद्योगिक और अवस्थापना सेवा क्षेत्रों में पैसा हम लगाते, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं और कुल निजी निवेश 19,118 करोड़ रुपये वर्ष 2009 मे हुआ है जिसमें से अब तक 4 पी0 पी0 पी0 परियोजना में 5,756 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 20 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं में विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से हम इस काम को करना चाहते हैं। हमने अपने बजट के बड़े हिस्से को कृषि क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के लिये निर्धारित करने का काम किया है। मान्यवर, मैं उसमें आऊं, कि हमने कितना उस क्षेत्र में लगाने का काम किया है इस बजट के माध्यम से। मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के संबंध में चर्चा किया था और कहा था कि उसका मतलब बता दें। अब प्राइमरी सेक्टर में वैसे बताने की आवश्यकता बहुत इसलिये नहीं थी क्योंकि हमारे माननीय सदस्यों ने जब बाद में चर्चा की तो उस चर्चा के दौरान स्वयं ही उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से इस बात की चर्चा की, कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर के अन्तर्गत कृषि और पशुपालन, वन या इस तरह की सेवायें आती है। माध्यमिक सेक्टर के अन्तर्गत फैक्टरी से जो उत्पादन है, वह आता है और टर्सरी सेक्टर में सेवा से संबंधित जो सेक्टर हैं जिसमें परिवहन, संचार, होटल, जलपानगृह, बैंक, व्यापार, बीमा आदि जो सेक्टर हैं, इस तरह के सेक्टर टर्सरी सेक्टर में आते हैं। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि वर्ष 2006-2007 में प्रदेश की विकास दर 10 प्रतिशत थी और अब वह

घटकर 7.9 प्रतिशत हो गयी। उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2006-2007 में प्रदेश की जो विकास दर थी वह 7.1 प्रतिशत थी, उसके बाद वर्ष 2007-2008 में 7.9 प्रतिशत थी और वर्ष 2008-2009 में [illegible] 7.4 प्रतिशत हुयी, मंदी के बाद भी हमने इस तरह की व्यवस्था का 7.4 प्रतिशत से नीचे नहीं आने पाया। जो भारत की औसत विकास दर से ऊपर है। मान्यवर, हमने मंदी के बावजूद भी खर्चों में कमी नहीं आने दी जिसके कारण यह स्थिति आयी है। मान्यवर, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ है। उस सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है वह सरप्लस का बजट हैं। जो अन्तिम शेष है वह 1413 करोड़ रुपया अनुमानित है, इस तरह से यह घाटे का बजट नहीं है। दूसरा मान्यवर, राजस्व बचत भी 544 करोड़ रुपये अनुमानित है और यह इसलिए सम्भव हो पाया मान्यवर कि हमने राजकोषीय प्रबन्धन करके जब प्रदेश में केवल छठवें वेतन के पुनरीक्षण और पेंशन के पुनरीक्षण के कारण वेतन मद में 60 प्रतिशत से अधिक खर्च होने के बावजूद भी राजकोषीय प्रबन्धन के माध्यम से यह व्यवस्था करने का काम किया कि जिससे ओवरड्राफ्ट नहीं होने पाया और साथ ही साथ आज भी वर्ष 2010-2011 का सरप्लस का बजट हमने प्रस्तुत करने का काम किया। मान्यवर, एक बात का और सभी मा0 सदस्यों ने विशेष रूप से उल्लेख किया है ऋण ग्रस्तता के बारे में, सभी मा0 सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर बकाया ऋण बताते हुए इसकी चर्चा करने का काम किया। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा आर्थिक मन्दी के समय में सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय बढ़ाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त ऋण की धनराशि को न देखकर इसे सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखना अधिक उपयुक्त और तर्कसंगत होगा। वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अन्त में प्रदेश सरकार का ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45 प्रतिशत था, 2009-2010 में लगभग 40 प्रतिशत का अनुमान है और 2010-2011 में हमने जो बजट प्रस्तुत किया है इसके आधार पर 38.7 प्रतिशत अनुमानित है। मान्यवर, दूसरी बात का विशेष रूप से जिक्र किया गया राजकोषीय घाटे का। हमने इस सम्बन्ध में जो बजट प्रस्तुत किया हैं इसमें 4.4 प्रतिशत का जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है। जहां केन्द्र सरकार ने जो पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है, लगभग 6 प्रतिशत से ज्यादा राजकोषीय घाटा था उसको देखते हुए आज की मन्दी के दौर के बाद इस घाटे को बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मा0 नेता प्रतिपक्ष जी इस बात का जिक्र किया कि हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं, उन्हें विशेष रूप से दो-तीन, पता नहीं कहां से, उनको आंकड़ा मिल गया था उन्होंने आबकारी में कहा कि केवल 36 प्रतिशत हुआ है इसके अलावा व्यापार कर में भी इसी तरह का कुछ अनुमान लगाने का काम किया। मान्यवर, जनवरी तक की जो राजस्व प्राप्तियां हैं

जो हमारी अनुमानित प्राप्तियां हैं उसके सापेक्ष आबकारी शुल्क में 112 प्रतिशत है। व्यापार कर में 96.3 प्रतिशत है, स्टैम्प एवं निबन्धन शुल्क में 77.7 प्रतिशत है। मान्यवर, इसी तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बात को कहा है कि कृषि की आय दोगुनी करने की बात दोहराने का काम किया गया है और कृषि का बजट घटा दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने पूरा आंकड़ा पिछले साल और इस वर्ष का पढ़ा होता और तुलनात्मक ढंग से जब वह प्रस्तुत करते, पिछले साल का जहां 11064 करोड़ रुपये का जिक्र किया था उसमें ग्राम्य विकास का जो निर्धारित धनराशि थी उसको जोड़कर प्रस्तुत किया और इस साल का जब प्रस्तुत किया तो केवल कृषि का प्रस्तुत कर दिया। जबकि कृषि सेक्टर में पिछले वर्ष का जो बजट था जिसमें सिंचाई को भी हम सम्मिलित कर लेते है। तो उसको शामिल करने के बाद 17010 करोड़ रुपये था जो इस वर्ष बढ़ाकर 20,486 करोड़ रुपये किया है यानी 20.43 प्रतिशत वृद्धि करने का काम किया है। इसी तरह से जो सामाजिक क्षेत्र का बजट है उसमें पिछले वर्ष के सभी को मिलाकर 41.538 करोड़ रुपये था, इस वर्ष 48,640 करोड़ रुपये है, जिसमें शिक्षा का पिछले वर्ष था 18,863 करोड़ रुपये का, इस वर्ष है 23,650 करोड़ रुपये का चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सा शिक्षा का पिछले वर्ष था 6430.22 करोड़ रुपये का, इस वर्ष है 6666.37 करोड़ रुपये। समाज कल्याण का अकेले पिछले वर्ष था 16,200 करोड़, समाज कल्याण में अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण, ये सभी शामिल हैं। इसका अलग अलग भी सम्मानित सदस्य चाहेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। समाज कल्याण में यह सब मिलकर, अल्पसंख्यक कल्याण का पिछले वर्ष था 995 करोड़ रु0, इस वर्ष 1042 करोड़ है, महिला एवं बाल कल्याण का पिछले वर्ष था 2937.20 करोड़, इस वर्ष 3523.84 करोड़ है। पिछड़ा वर्ग कल्याण का 1414.99 करोड़, इस वर्ष 1448.30 करोड़ है। तो इस तरह से मान्यवर, इस सामाजिक सेक्टर में और कृषि सेक्टर में हमने बजट को बढ़ाने का काम किया है जिससे प्रदेश की गरीब जनता को उसका लाभ मिल सकेगा। मा0 सदस्य अभी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बोल रहे थे, बुन्देलखण्ड की बड़ी चर्चा उन्होंने करने का काम किया। आज अभी एक विधेयक आ रहा है कृषि विश्वविद्यालय का, नान रिकरिंग खर्च 900 करोड़ रु0 से ज्यादा लगेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ उरई का जो मेडिकल कालेज था उसका भी जिक्र किया कि हमने उस पर पैसा नहीं दिया है। अभी पिछला सत्र जब हुआ था, तो हमने अनुपूरक के रूप में लगभग 80 करोड़ रु0 को उस मेडिकल कालेज के लिए देने का काम किया था। बांदा मेडिकल कालेज की स्थापना करने का काम हम कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय जिससे उस क्षेत्र के किसानों का झांसी, चित्रकूट धाम मण्डल के किसानों की उपज, उत्पादन बढ़ायी जा सकें, उसमें शोध हो, उस

क्षेत्र के अनुकूल प्रजातियां विकसित की जा सकें इसलिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम कियां इसके साथ ही बुन्देलखण्ड पैकेज के रूप में 1200 करोड़ रु0 हमने इस बजट में अतिरिक्त रूप से समाहित करने का काम किया, इसकी व्यवस्था करने का काम किया। दूसरे लोग बुन्देलखण्ड के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया करते थे। आज हमारी सरकार ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए, बुन्देलखण्ड के लोगों के उत्थान के लिए जो कदम उठाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और निश्चित रूप से बुंदेलखण्ड प्रदेश के विकसित क्षेत्रों के मुकाबले विकास करेगा यह हमारा लक्ष्य है। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने और कई मुद्दे जो विशेष रूप से उन्होंने उठाने का काम किया था। मान्यवर, मैं समझता हूं कि वह अगर यहां पर रहे होते तो मैं जवाब देता तो थोड़ा अच्छा लगता लेकिन मान्यवर, जैसे ऊर्जा के संबंध में उन्होंने जो बातें कही, अब मैं उसको दोहराऊ मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने कल विस्तार से हमारी जो योजनाएं हैं, उन्होंने क्या किया था, हमने क्या किया है ? मैं उसमें समय सदन का नहीं लूगां। मान्यवर, इसी तरह से मा0 हुकुम सिंह जी ने भी कुछ बातें उठायी हैं। मैं उसके बारे में आना चाहूंगा। मान्यवर, हमने ये सभी मा0 सदस्यों ने एक बात और इस बात को उठाया था कि हमारा जो पिछले वर्ष का बजट था, उसका खर्च हम नहीं कर पा रहे हैं। उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि सम्पूर्ण बजट का 64.4 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है, खर्च हो चुका है, जो मान्यवर, शेष है, बहुत से माननीय सदस्य स्वयं इस बात के जानकार है कि बहुत सी योजनाएं चलती रहती है, काम होता रहता है। खर्च तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक भुगतान नहीं हो जाता है। निश्चित रूप से जब योजना का पूरी तरह से काम पूरा हो जाता है उसके बाद उसमें खर्च दिखाने की होता है और वह हमारा पूरा प्रयास है कि हर वर्ष जो बजट होते थे। हम अंतिम समय में पी0 एल0 ए0 में धनराशि रख लेते थे और दूसरे वर्ष में उसको खर्च करने का काम किया करते थे। हमने इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया और यह निर्णय लिया कि 28 फरवरी तक सारी स्वीकृतियां जारी हो जाएं और अगर खर्च नहीं होता तो 25 मार्च तक सभी धनराशि राजकोष में सुनिश्चित कराया जाये। इस बात को हमने निर्णय लेने का काम किया है। मान्यवर, मैं मा0 हुकुम सिंह जी ने दो बातें मुख्य रूप से कही थीं। उन्होंने कहा पूंजी लेखे की प्राप्तियां बजट अनुमान 25 हजार 21.52 करोड़ के स्थान पर 17 हजार 538.12 करोड़ रुपये क्यों हुयी ? केन्द्र सरकार से जो प्राप्ति होनी थी 47 हजार 897.55 करोड़ रुपये में 42 हजार 826 करोड़ रुपये क्यों हुयी, मान्यवर, इस संबंध में, मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि विश्व की आर्थिक मंदी के असर निश्चित रूप से देश प्रदेश में पड़ा है लेकिन मान्यवर, पूंजी लेखों की प्राप्तियों के संदर्भ में बजट अनुमान से लगभग

जो 75 सौ करोड़ रुपये की कमी आयी है, जो मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम की राशि न लेने के कारण। राज्य के कुशल प्रबन्धन के कारण ही राज्य के अर्थोपाय अग्रिम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मान्यवर, जहां तक केन्द्र सरकार से जो अनुदान हमें मिलता है। हमारा जो हिस्सा मिलता है। हमने जब अनुमान लगाया था तो हमने केन्द्र सरकार का जो अंतरिम बजट था उस बजट के अनुसार हमने अनुमान लगाने का काम किया था, लेकिन जब उनका मूल बजट आया और उस बजट में जो उन्होंने अपनी प्राप्तियों का जो सब्सिडी दूसरे सेक्टरों में देने के कारण, जो उनकी आमदनी घटी तो उसके कारण जो हमारा शेयर था उसमें लगभग 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की हमें कमी आयी मान्यवर, जहां तक प्रदेश सरकार से अनुदान का उपयोग का सवाल है, निश्चित रूप से लगातार इसमें समीक्षा होती है। प्रत्येक माह मंत्री स्तर पर समीक्षा सभी अधिकारियों के बीच में की जाती है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो धनराशि हमें जिस काम के लिए प्राप्त हुई है उस काम में ही खर्च करके प्रदेश के लोगों के लिए हम कुछ करने में सफल हों। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। कभी कभी औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लगता है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कहीं भी कोई स्थिति न हो जिसके कारण हमें कोई इस तरह की दिक्कत आए। हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारा हिस्सा है वह हमें मिले। कई ऐसी मदों में हमने योजना बनाकर भेजी लेकिन उसके बावजूद भी हमने सारी औपचारिकता पूरी करके भिजवाने का काम किया उसके बावजूद जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए वह नहीं मिल सका है। हम सतत् इसके लिए प्रयासरत हैं हर फोरम पर उसको उठाने का काम कर रहे हैं। जिससे प्रदेश के विकास में 'किसी तरह रं, कमी न आने पाए। निश्चित रूप से हमारी जो चाहत है कि प्रदेश के गरीब का उत्थान हो गरीबों की आय बढ़ सके किसानों की आय बढ़े। हमारे कुछ साथियों ने विशेष रूप से गन्ना किसानों का जिक्र किया, विशेष रूप से लोक दल के सम्मानित सदस्यों ने जिक्र करने का काम किया समाजवादी पार्टी के भी अभी एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे प्रधानाचार्य रहे हैं शिक्षक रहे हैं मैं उनका आदर करता हूं सम्मान करता हूं मान्यवर, मैं चाहता था कि वह सुनकर भी जाते। कुछ चर्चा ऐसी की कुछ ऐसी बातों का उन्होंने उल्लेख किया मैं उसको प्रासंगिक नहीं समझता कि उसका जवाब दूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वह बोल रहे थे अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन जब वह अपनी बात रख रहे थे तो ठीक ढंग से न रखकर दोहरी मानसिकता के आधार पर अपने लोगों के लिए वह धृतराष्ट्र बन गए थे। समाजवादी पार्टी के शासन काल के बारे में उनकी नजर धृतराष्ट्र की हो गयी थी। अगर उस समय की बुराइयों का उल्लेख किए होते तो मैं उनका स्वागत करता लेकिन उस समय जो लूट खसोट और अन्याय अत्याचार थे उसकी चर्चा करने का

उन्होंने काम नहीं किया। हमारी अच्छी बात को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर इस ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्रदेश में जो सड़कों के विकास के बारे में जिसकी नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की मान्यवर, यह नहीं कि प्रदेश के बजट का एक हिस्सा क्षेत्र विशेष में लगा दिया जाय। हमने प्रदेश की 403 विधान सभा क्षेत्रों को समान अवसर देने का काम किया। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत भी प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों को बराबर अवसर देने का काम किया। मुख्य मंत्री जी महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत जो हमने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता देने का हमने निर्णय लिया है। उसको भी 403 विधान सभा क्षेत्रों के लिए बराबर–बराबर अवसर देने का काम किया। पहली बार गांवों में सड़कों का जाल बिछाना शुरू हुआ। गांवों में सी0 सी0 रोड बनना शुरू हुआ है। के0 सी0 ड्रेन बनना शुरू हुआ है इसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। वह किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि 403 विधान सभा क्षेत्रो के लिए करने का काम किया। लोक दल सदस्य गन्ना किसान की चर्चा कर रहे थे। हमारे कुछ समाजवादी पार्टी के साथी भी गन्ना किसान की बात कर रहे थे। हमारी जो सरकार बनी है 13 मई 2007 को उस समय वर्ष 2006-2007 का जो गन्ना था उसकी पेराई का अन्तिम समय था उस समय गन्ना किसानों की जो समस्या थी उससे सभी लोग अवगत रहे होंगे। पेराई का काम शुरू हुआ था और 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया हो गया था उस समय तक मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रयास किया और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके चलते मैं इस बात को सदन में कई बार उल्लेख भी कर चुका हूं कि गन्ना और आलू की समस्याएं समय समय पर आती है। जब भी हम ज्यादा पैदावार करते हैं तो उसके कारण उस समय समस्या आती है लेकिन प्रदेश सरकार के इस निर्णय के तहत कि जब तक गन्ना किसानों की गन्ने की पेराई समाप्त नहीं हो जायेगी हम जो कच्ची चीनी का आयात हुआ उसको हम नहीं बनाने देंगे। इस निर्णय के तहत जो 305 रुपये का जो उल्लेख किया था किसान को मिल रहा है यह हमारी सरकार ने निर्णय करने का काम किया। राष्ट्रीय मंच पर हमको इसकी आलोचना का सामना करना पड़ा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, मूल्यों के सम्बन्ध में। मुझे जाने का अवसर मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के हैसियत में। माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे किसानों के हितों के लिये जो हम सर्वोपरि हित मानते हुए निर्णय लिया था, दोनों महानुभावों ने हमारी आलोचना करने का काम किया लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं करते हुए किसान के हित में यह निर्णय लेने का काम किया था जिसके कारण आज किसानों को वह कीमत मिल रही है। मान्यवर, बहुत सी बाते हैं। मैं एक–एक बिन्दु

पर अलग से चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं समय आपका ज्यादा नहीं लेना चाहता इस सदन का। सभी बातों का जिक्र हमारे सम्मानित साथियों ने लगभग कर दिया है। माननीय नसीमुद्दीन साहब जो वरिष्ठतम मंत्री हैं हमारी सरकार के, समाजवादी पार्टी के समय में क्या मामले होते थे उसका उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त उसकी चर्चा कर दी थी, मैं उसमें समय नहीं लूंगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जिस बात की चर्चा की, मैं भी उसमें समय नहीं लूंगा और अनुदान मांगों के समय में हमारे माननीय सम्मानित मंत्रीगण और सदस्यगण अनुदान मांग पर चर्चा करेंगे उसमें एक-एक विभाग पर अलग-अलग चर्चा होगी और उसमें सारे तथ्य सामने आयेंगे। इसलिये मैं ज्यादा समय ने लेते हुए पुनः सभी माननीय सदस्यों का और जिन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं या जिस तरह से भी चर्चा में भाग लिया है। मैं सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करते हुए इस बात का विश्वास दिलाते हुए कि प्रदेश के विकास के लिये जो उनका सकारात्मक विचार आया है हम प्रयास करेंगे कि उसमें हम अमल करने का काम करें और माननीया बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृव्य में जो इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश, एक अच्छा प्रदेश और जहां पर अच्छी पूंजी निवेश भी हो, हमारी प्रत्येक व्यक्ति आय बढ़े और किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए इसलिये कि हमारा यह मानना है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास का लाभ नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक प्रदेश के विकास की बात करना बेमानी साबित होगी और इस बात को नजर में रखते हुए कि अंतिम व्यक्ति को विकास के लाभ से जोड़ते हुए हम चलना चाहते हैं, हमारी नेता चलना चाहती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश के विकास में, इस प्रदेश के प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने में यह बजट कारगर सिद्ध होगा। गरीबों के हितों के लिये हमारा बजट कारगर सिद्ध होगा, इस विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(मेजें थपथपाई गईं)

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं यदि आपकी अनुमति हो। अभी माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख करने का प्रयास किया और एक आश्वासन भी दिया कि विकास में कोई भेद भाव नहीं होगा। सभी 403 विधान सभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कराया जायेगा। सी0 सी0 रोड बनाने की बात भी आपने कही। यदि आपकी मंशा है तो क्या यह संभव है कि मंशा के अनुरूप जो माननीय सदस्य वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको आप जानकारी देंगें कि उनके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा क्षेत्र में फलां फलां गांव को सी0 सी0 रोड बनवाने के लिये चयनित किया गया है और इतना धन आवंटित किया गया है, तब तो पता चले मान्यवर। यहां सदन में कह देंगे आराम से, कि समान रूप से विकास होगा और इसके बाद में जानकारी कुछ होती नहीं है क्योंकि इनकी नीति और नीयत का आज पर्दापाश हुआ है कि एक विधायक ने बोर्ड द्वारा अपने यहां विकास करवाया, उसके प्रस्ताव पर काम भी हुआ, उसका पत्थर भी तोड़ दिया और जिस आदमी का मतलब भी नहीं था उसका पत्थर लगा दिया गया तो हम कैसे विश्वास करे लें कि समान नीति आपकी रहेगी, सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। इनसे हमें सीखने का अवसर मिला है। मान्यवर, कोशिश करते हैं कि सीखकर प्रदेश के हित में अच्छा काम करने में हम सफल हो सकें। मान्यवर, माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि 2007-08 में, 2008-09 में कौन ऐसा विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें दस गांव अम्बेडकर ग्राम विकास के तहत चयनित नहीं हुए और उनमें सी0 सी0 रोड के निर्माण कार्य का काम नहीं हुआ। कौन सा ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जिसमें किसी ड्रेन का निर्माण नहीं हुआ। कौन सा ऐसा विधान सभा क्षेत्र है ? मैं इस बात को आश्वस्त कर रहा हूं कि जो अम्बेडकर ग्राम चयनित हैं और जहां पर निर्माण के कार्य हुए हैं मैं माननीय सदस्यों को उन चयनित गांव की, और उन विकास कार्यों की सूचना दिलाने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। मान्यवर, हम सूचना दिला देंगे। मान्यवर, मैं भी 1996 से तो लगातार और इस सदन और उस सदन को मिला करके 1986 से, कुछ समय को छोड़कर लगातार मैं भी इस सदन में हूं। मैंने भी यह कभी नहीं देखा, चाहे वह गन्ना विकास की सड़क हो, चाहे पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क हो, चाहे मण्डी की सड़क हो, उसमें मैंने कभी भी नही देखा कि किसी विधायक का पत्थर लगा हो, आप लोगों ने भी कभी पत्थर लगवाने का काम नहीं किया था। हम लोग भी यहां पर चर्चा करते रहते थे, माननीय मंत्रीगण या शासन के निर्णय के आधार पर ही उसका मान्यवर, शिलान्यास और उद्घाटन होता था। मान्यवर, जो काम आपने जिस तरीके से करने का काम किया था उसमें आप आज हमसे अपेक्षा करते हैं कि अब तक नहीं लगा था अब लगवा दीजिए तो मान्यवर, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की बात आती है कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां न लग रहा हो। जो मानक हैं उस मानक के अनुसार लग रहा है। यह गाइड लाइन भारत सरकार की है हमारी बनाई हुई गाइड लाइन नहीं है। इसलिए कही कोई भेदभाव नहीं है। निश्चित रूप से समग्र विकास की दृष्टि से प्रदेश को एक इकाई मानकर कार्य किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

एक बात आपने कही, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प जो लगाए जाएंगे केवल सत्तापक्ष के विधायकों की सिफारिश पर लगाए जाएंगे विपक्ष के विधायकों की सिफारिश पर नहीं लगाए जाएंगे। अगर कोई ऐसी बात आई हो तो मान्यवर, यह जानकारी दे दें। हम भी भारत सरकार से जानकारी कर लेंगे। यह जो खुले आम भेदभाव हो रहा है। इस पक्ष का कोई सदस्य खड़े होकर बता दे कि पिछले दो साल में ढाई साल में उनकी सिफारिश पर कोई हैण्डपम्प आपने दिया हो।

*डा0 अजय तोमर–

मान्यवर, मुझे एक बात और कहना है सत्तापक्ष के विधायकों के प्रस्ताव पर हैण्डपम्प लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के सदस्यों के प्रस्ताव पर हैण्डपम्प नहीं लगाए जा रहे हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सत्तापक्ष या विपक्ष, किसी विधायक के प्रस्ताव पर नहीं लग रहे हैं जो मानक हैं, हम विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आम पब्लिक है, जो कोई जिलाधिकारी को अपनी मांग देता है अपना प्रस्ताव करता है, या आप सिफारिश लिखकर भेजता है और निश्चित रूप से जो उस मानक के अनुसार आते हैं उसमें विधायक का कोटा निर्धारित नहीं है न सत्तापक्ष का और न विपक्ष का।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

एक मिनट का समय दे दें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

एक स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण है चर्चा थोड़े ही हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

आप इतनी मेहरबानी कर दें कि अगर उधर के दो सौ करते हैं तो इधर के लोगों के 50 ही कर दें। मान्यवर तो हम लोगों को पता नहीं। हम लोग तो लिखकर दे देकर थक गए, नहीं हुआ, पूर्वांचल निधि से हम लोगों से सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगे गए, 2 साल में दिया, आधा किलोमीटर तो क्या 100 मीटर भी सड़क नहीं हुई। दूसरे लोगों की मान्यवर, हुई। आधा किलोमीटर भी नहीं हुई। इस बार जिला योजना में, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, निकल गया, जिला योजना में इस बार जरूर कुछ कहा गया है कि मिल जायेगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, लेकिन पिछले 2 साल से बीसों सड़कों के प्रस्ताव लम्बित हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

चलिए, संज्ञान में ले लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

फातिमा जी, अब बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अब विधेयक ले लें। मद संख्या 13 ले लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 वित्त मंत्री जी, आपने बुन्देलखण्ड की इतनी चर्चा की, आपने बुन्देलखण्ड को 1200 करोड़ देने की बात कही, हम लोग सहमत हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, बुन्देलखण्ड के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हम लोगों ने सदन में रखे, बुन्देलखण्ड को जो दीजिए, अच्छी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ आप जो यह अन्याय कर रहे हैं, उसके कारण हम लोगों को बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अरे, अन्याय के कारण कौन बता रहे हैं। हां, गिरि जी, आप बताइये।

श्री अरविन्द गिरि–

अभी मा0 वित्त मंत्री जी ने पूरे सदन को आश्वस्त किया था कि सभी मा0 सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर गांव के तहत् सी0 सी0 रोड का निर्माण हुआ है। लेकिन हमें दुख हैं, हमें कहने की आवश्यकता की नहीं थी लेकिन चूंकि मंत्री जी ने बड़ी घोषणा की, इसलिए संज्ञान में लाना चाहता हूं, मैंने खुद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को लिखा कि वर्ष 2006–2007 में लाल्हापुर ग्राम सभा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरी ही ग्राम सभा है, उसमें जो चयनित हुआ था और जो आवश्यकता भी थी, किन्तु उसे नहीं बनवाया गया चूंकि वह मेरी ग्राम सभा है, इसलिए उसको नजरन्दाज कर दिया गया। मान्यवर, इतनी छोटी सी बात कहने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मा0 वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर–शोर से घोषणा की थी, इसलिए आपके संज्ञान में लाकर अनुरोध करता हूं कि लाल्हापुर ग्राम सभा ब्लाक गोला जनपद खीरी से सी0 सी0 मार्ग बनवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

चलिए ठीक है, संज्ञान में ला दिया। कौकब साहब, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, अब हो गया है।

श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं जो अभी जिक्र किया था कि ग्रीन बेल्ट का क्या कीजिएगा, जब ग्रीन बेल्ट एक्वायर कर लेंगे, सारा का सारा, जो यह आपके एक्सप्रेस हाई वे बन रहे हैं तो उसके बाद यह गेहूं आयेगा कहां से, विकास दर बढ़ेगा कैसे, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

चलिए हो गया।

जनपद आगरा में चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने और गरीब कारीगरों को जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु रु0 300.00 अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0 आर0 पी0) तक के जूते को मूल्य संबर्धित कर वैट से मुक्त किये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव†

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 18 के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह ने अपना प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा के अनुरोध पर प्रश्नगत प्रस्ताव वापस ले लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 11 मार्च, 2008 की कार्यवाही से।

जनपद आगरा के विकास के लिए प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू नेशनल रेन्युअल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य आगरा में भी अविलम्ब आरम्भ कराये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 19 के सम्बन्ध में भी डा0 धर्मपाल सिंह ने अपना प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा के अनुरोध पर प्रश्नगत प्रस्ताव वापस ले लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2010

कृषि, शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2010 पर विचार किया जाए।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह स्वागतयोग्य है कि आप नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैंने जो संशोधन प्रस्ताव प्रवर समिति का रखा है, वह इस कारण से रखा है, आप बनायें विश्वविद्यालय, एक नहीं, दो बनायें, लेकिन साथ–साथ जो बने हुए हैं, उनकी स्थिति पर भी विचार करें। जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वह विश्वविद्यालय बनाये गए थे, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति वह कर पा रहे हैं ? मान्यवर, आज कानपुर कृषि विश्वविद्यालय की हालत क्या है, मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। स्थापित हमने किया, बहुत धूमधाम के साथ स्थापित किया, पैसे का भी प्राविधान किया, पैसे की गुंजाइश नहीं थी लेकिन आज हालत यह है कि एक वर्ष तक उस विश्वविद्यालय में कोई कुलपति ही नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति दोनों विश्वविद्यालयों का काम देखते रहे। वहां पर जो अध्यापक वर्ग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 11 मार्च, 2008 की कार्यवाही से।

हैं, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी हैं, कई–कई महीने वेतन तक नहीं मिल सका, क्योंकि कोई काम देखने वाला वहां पर था ही नहीं। हालत यह हो गयी मान्यवर, हम उम्मीद करते थे कि फैजाबाद, कानपुर और मेरठ के यह तीनों विश्वविद्यालय अपने–अपने क्षेत्रों के अनुसार नई–नई प्रजातियों को विकसित करेंगे। किसानों को उपलब्ध करायेंगे लेकिन इनके पास धन का इतना अभाव है कि कोई काम वह नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि कम से कम इन विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए छोड़ दिया होता कि वह कम से कम पक्षपात, भ्रष्टाचार से मुक्त रहते। मान्यवर, एक बार स्थापित कर दीजिए लेकिन जो नियुक्तियां वहां पर होती हैं, चाहे लोवर स्टाफ की हों या टीचिंग स्टाफ की हों, क्योंकि सरकार का तो कोई लेना देना रहता नहीं है, चाहे किसी स्तर से हस्तक्षेप होता हो उन विश्वविद्यालयों में न तो अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति हो पाती है न नियुक्तियों का कोई आधार बन पाता है। एक वहीं के विश्वविद्यालय के ही अध्यापकों की समिति बना दी जाती है और उसके बाद फिर उनकी विजिलेंस जांच बैठती है। आज भी जांच बैठी हुयी है, शायद एक कुलपति के खिलाफ कार्यवाही भी हुयी है। वह तो वहां से छोड़कर भी चले गये हैं, उनका पता भी नहीं है कि वह कहां हैं। जब कुलपति के पद पर आसीन होने के बाद में अधिकारियों की यह मनः स्थिति होगी तो वहां से हम क्या अपेक्षा करेंगे। जनता की सेवा में वह संस्थान लगे हुए हैं। आप विश्वविद्यालय बनायें, स्वागत है लेकिन साथ–साथ जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं उनका भी विचार करें कि कैसे उन्हें सुधारा जाये। प्रवर समिति का मेरा प्रस्ताव भी इसलिए है कि सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि बैठकर विचार करें कि इससे जो हमारी अपेक्षाएं हैं वह पूरी हों। मान्यवर, उत्तर प्रदेश खेतीहर प्रदेश है। देश को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन एक छोटी सी बेल्ट रह गयी है। जो उत्पादन कर पा रही है बाकी सारा का सारा प्रदेश खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है ? इसलिए खाली पड़ा है कि समय के अनुसार हम चल नहीं पा रहें हैं। हम वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए कुछ सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। और सुझाव देने का काम उन वैज्ञानिकों का था जिन वैज्ञानिकों की नियुक्ति इन विश्वविद्यालयों में होती है। सरकार स्तर पर कभी इस बात पर मीटिंग हुयी है कि पिछले तीन साल के अंदर इस विश्वविद्यालय ने कोई नई किस्म, कोई नई प्रजाति का विकास करके किसानों को उपलब्ध कराया है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का इतना अच्छा क्षेत्र है जिसकी बार बार चर्चा होती है। इससे उम्मीद करते थे कि वहां पर अच्छी दालें पैदा होंगी लेकिन टेक्नालांजी के अभाव में वहां पर लोगों ने दूसरी फसल को ले लिया और जब लिया तो वह फेल होती चली गयी। मान्यवर, अकेला जालौन, मंसूर की दो–दो फसल पैदा करता था। आज सब की सब चौपट हो गयी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव के रूप में आपके सामने विचार प्रकट किया, यह कोई आलोचना के रूप में नहीं कहा है। इन बातों पर विचार करके कोई रणनीति बनायी जाये, कार्य योजना के बारे में सवाल कई आये लेकिन कार्य योजना भी शब्द कुछ रहा नहीं। मैंने गलती से कह दिया कि रणनीति बनायें। नीति तो नहीं बनने वाली है लेकिन हां कार्यक्रम बनाया जाये तो अच्छी बात है। धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं थोड़ा सा आंकड़े ठीक कर दूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा [illegible] बुन्देलखण्ड कृषि विश्वविद्यालय को 980 रुपये रिकरिंग व्यवस्था किया था। आप कार्यवाही निकलवा लीजिएगा। आपने 980 रुपये रिकरिंग की बात की, वह 980 नहीं, वह 18 करोड़ है। अब मैं इस मूल बात पर आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक कहावत है कि देर आये दुरूस्त आये। देर इसलिए क्योंकि इस विश्वविद्यालय को खोलने का निर्णय वर्ष 2008–2009 में लिया गया था। दो साल हो गये। दो साल तक निर्णय लेने के बाद यह योजना क्यों ठण्डे बस्तें में पढ़ी रह गयी। आज बुन्देलखण्ड में ऐसा क्या हो गया कि हड़बड़ाहट में दो साल बाद इसको निकालकर फिर चमकाकर हम लोगों के सामने रखा गया। माननीय मंत्री जी को जरूर बताना चाहिए कि इस योजना का जो निर्णय दो साल पहले लिया गया, इसको कार्यान्वित करने में इतनी देरी होने का कारण क्या है। दुरूस्त इसलिए मैंने कहा क्योंकि यह दुरूस्त है नहीं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 एग्रोक्लोमेटिक जोन्स है और हम सब जानते हैं कि हर एग्रोक्लोमेटिक जोन की अलग–अलग परिस्थितियां होती हैं। भूमि की परिस्थितियां, खाद की परिस्थितियां, सिंचाई की उपलब्धता, लोगों के भोजन के तौर तरीके और उनकी आवश्यकता। भारत सरकार का योजना आयोग भी इस बात को कहता है कि जब हम किसी क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनायें तो उस क्षेत्र की एग्रोक्लाइमेटिक परिस्थिति के अनुरूप बनायें, जैसे बुन्देलखण्ड को आपने विश्वविद्यालय दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप उसी की तुलना करिये नार्दन ईस्टर्न एरिया से, जहां गोरखपुर से गोण्डा तक आता है, बुन्देलखण्ड में कृषि उत्पादन 281 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन 199 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। बुन्देलखण्ड के एक किसान की आय 6531 रुपया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक किसान की आय 3561 रुपया है। यह जो आय और कृषि उत्पादन का अंतर है, अगर आप देखिये तो आपको लगेगा कि शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे है, ये आपके अपने आंकड़े हैं, अपने डाटाज हैं और सत्य हैं। आपको लगेगा कि शायद जो आपने बुन्देलखण्ड में खोला है, अच्छा किया है लेकिन बुन्देलखण्ड से पहले आपको शायद नार्दन ईस्टर्न जोन में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की और बहुत बड़ी आवश्यकता रही होती मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे, आपने अगर आवश्यकता महसूस किया है बुन्देलखण्ड में अच्छी बात है लेकिन अगर उससे बुरी स्थिति नार्दन ईस्टर्न क्षेत्र की, पूरे उत्तर प्रदेश की है और अलग से इस प्रकार का एग्रो–क्लाइमेटिक जोन है, जहां के बारे में हम जानते हैं, अगर बुन्देलखण्ड की जमीन पथरीली होगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 प्रतिशत जमीन हमेशा जल प्लावित रहती है। तो वहां की स्थितियां दूसरी होगी। माननीय मंत्री जी जब जवाब देने के लिये खड़े हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूर कहेंगे कि अब ये बांदा हम लोगों ने खोल लिया, इंतजार करिये हम लोग अगले बजट में जरूर आपके लिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय लेकर आयेंगे। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जो कहा गया, माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि हमारा जो कृषि अनुसंधान पर व्यय है, इस देश में सबसे कम है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर 194 रुपये व्यय किया जाता है और हम अपने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 रुपया व्यय कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हमारा व्यय 0.08 प्रतिशत है और देश का औसत 1 प्रतिशत है। जब तक हम कृषि अनुसंधान, रिसर्च पर व्यय नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जिन कमियों की आप चर्चा कर रहे थे, तीन विश्वविद्यालयों में चले जाइये, आज यह स्थिति है कि न क्लास रूम है, न प्रयोगशालायें हैं, फार्म के लिये सुविधायें हैं न उपकरण हैं और न बच्चों का सही प्रकार से प्रशिक्षण हो पा रहा है। जब तक आप इन विश्वविद्यालयों में सुविधायें नहीं देंगे, आप नये विश्वविद्यालयों में कैसे दे पायेंगे। इसलिये आप इस विश्वविद्यालय को खोलें, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये, वहां के नागरिकों की गरीबी को देखते हुये, आप वहां भी एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करें तो हम लोगों के लिये एक स्वागत योग्य कदम होगा।

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी, सब बात तो आ गयी है।

*श्री अमर मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, इन्होंने तो आधा भी नहीं रखा है। एक मिनट का समय दे दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व वक्ता ने समस्याओं को बखूबी रखा आपके सामने, हम भी उसी में दो शब्द जोड़ते हुये कि एक विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में मान्यवर, फैजाबाद में, एक मेरठ में है। अब आप एक इसके माध्यम से स्व0 श्री कांशीराम जी के नाम से बुन्देलखण्ड में देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कार्य है। लेकिन मान्यवर, हममें क्या दोष है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ यह सरकार नहीं देख रही है। कहती तो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाये, वहां की तरक्की तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश बंट जाये। मान्यवर, यह देश तो बहुत बड़ा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इतने बड़े देश को फिर लोग कहेंगे कि बांट दिया जाना चाहिए। मान्यवर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रदेश का विभाजन न हो लेकिन सम्यक विकास होना चाहिए और सरयू जी के उस पार मान्यवर, कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, उसकी भौगोलिक बनावट अपने आप में अलग है। वहां जो फसलें होती हैं फैजाबाद में नहीं होती हैं, वह लखनऊ में नहीं होती है। वहां की कुछ स्पेशिफिकेशन है। जैसे काला नमक, चावल मान्यवर, हमारे ही क्षेत्र में पैदा होता है। भगवान बुद्ध के राज्य में पैदा होता था, ऐसी जगह मान्यवर, हम आपके माध्यम से, इस सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा न करे। पूर्वी उत्तर प्रदेश आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, वह चाहता है कि उसका भी विकास हो। लेकिन मान्यवर, यह सरकार इस बजट में, इस तरह की कोई व्यवस्था नही कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार, मैं अपने उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय चाहे जिसके नाम से मान्यवर, महामाया जी वहां की रहने वाली थी, उन्हीं के नाम से हो जाय, लेकिन कृषकों के लिए आवश्यक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

बस ठीक है, अब बैठ जायें, मा0 मंत्री जी आप अपनी बात कहें।

*श्री राजपाल त्यागी--

मान्यवर, मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने अपनी वरिष्ठता के मुताबिक हमारी सांस रोक ली थी, उसे दोबारा चालू कियां जब मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि नियुक्ति में भ्रष्टाचार मगर साथ ही उन्होंने यह बताया माननीय सदन को, एक समिति बनती है प्रोफेसर्स की। उस प्रोफेसर्स समिति की नियुक्ति कुलपति महोदय करते हैं, सरकार से नहीं पूछा जाता है, यह सच है, और यह भी सच है कि जितने सम्मानित पोस्ट है ये कुलपतियों की, जितनी अपेक्षा की जाती है जितने विद्वान हैं वह, कुछ गम्भीर शिकायतें मेरे सामने भी आई है। मैंने अपनी पूरी मौजूदा परिस्थितियों में एक्ट की व्यवस्था में जितना मैं कर सकता था किया, चाहे मेरठ हो या फैजाबाद हो हमने पूरा प्रयास किया और आगे किया जा रहा है कि जो शिकायतें हैं, उस तरह की शिकायतें भविष्य में न आयें और उन पर कन्ट्रोल किया जाय। मैं विश्वास दिलाता हूं, इसमें कोई कमजोरी नहीं दिखाई जायेगी, जनहित की राजनीति है, सच्चाई, ईमानदारी और जनहित को आगे लेकर के जीवन में नहीं चला जायेगा तो राजनीतिक का मकसद पूरा नहीं होगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की शिकायतें दूर हों और भविष्य में इस तरह की शिकायतें न हों। मैं डा0 साहब को भरोसा दिलाता हूं, धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए पूरे सदन को, हमारी बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने एक लम्बे समय बाद एक कृषि यूनिवर्सिटी, नई कृषि यूनिवर्सिटी की शुरूआत की और वह भी ऐसी जगह पर जहां पर जलवायु परिस्थितियों की गहनता के अध्ययन से, क्षेत्रपरक उपयोगी अनुसंधान, उस क्षेत्र को विकासमुखी बनाये जाने के लिए एक ऐसे इलाके में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसको प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए थी और हम आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री जी के और धन्यवाद देते हैं जब उन्होंने इसे दिया। पूरे प्रदेश के, पूरे क्षेत्रों का, पूरे जनपदों के विकास और जनता की खुशहाली के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम भरोसा दिलाते हैं कि इसके बाद इसे भी आप बनने दें क्योंकि इसमें काफी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद एक्वीजीशन की कार्यवाही हो गई है, किसान को प्रतिकर भुगतान और उसका यथोचित लाभ प्रदान करने के लिए धन भी जिलाधिकारी महोदय के यहां पहुंच गया है। हमारे विशेष कार्याधिकारी की भी नियुक्ति हो गई है वह कार्य कर रहे हैं। इन सब चीजों को इसमें काफी हमारे उस क्षेत्र की प्रगति, उस क्षेत्र की तरक्की, उस क्षेत्र की खुशहाली जुड़ गई है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी भावनाएं भी आ गई हैं, पहले ही आप बता रहें हैं, देरी हुई थी, वह भी बहन जी की विशेष कृपा हुई है कि इसमें काम शुरू हुआ है हम डा0 साहब को भरोसा दिलाते हैं और अपने आदरणीय त्रिपाठी जी को भी कि जहां-जहां, जो-जो समस्याएं हैं उनके समाधान का पूरा प्रयास किया जायेगा, चूंकि यह काफी आगे बढ़ गया है, इसलिए मैं अपने आदरणीय हुकुम सिंह जी से, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी से और श्री अमरमणि त्रिपाठी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस लें और एक अच्छे काम को और एक आवश्यक जगह पर इस कार्य को पूरा करने में सहयोग दें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब, अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ? मा0 हुकुम सिंह जी, वापस नहीं ले रहे हैं ? चलिये यह लोग अपना संशोधन वापस नहीं ले रहे हैं, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, अगर यह लोग अपना संशोधन वापस नही ले रहे हैं तो यही माना जायेगा कि यह बुन्देलखण्ड का विकास नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 , खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ठ) में शब्द "सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा" रख दिये जायेंगे।

3–मूल अधिनियम की धारा 2-क में,– धारा 2–क का संशोधन

(क) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1–ख) उपधारा (1) और उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें बांदा में एक विश्वविद्यालय जो मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा कहलायेगा, की स्थापना की जायेगी।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1-क)" के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख)" रख दिये जायेंगे।

4–मूल अधिनियम की अनुसूची में,– अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या 3 में, खण्ड (ख) में, स्तम्भ-3 में शब्द "झांसी, इलाहाबाद और चित्रकूटधाम" के स्थान पर शब्द "और इलाहाबाद" रख दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या 4 में, स्तम्भ-3 में शब्द "और आगरा" के स्थान पर शब्द "आगरा, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद" रख दिये जायेंगे।

(ग) क्रम संख्या 4 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात् :–

1	2	3
5	मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा	झांसी और चित्रकूटधाम मण्डल

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजपाल त्यागी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को मैंने पढ़ा है। इसमें है कि जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 है उसको और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त परिषद् के गठन की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के स्थान पर मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह संशोधन केवल एक परिषद् के बारे में आ गया है और भी जो परिषदें और निगम इस प्रकार की हैं वह इसी प्रकार की अव्यवस्था का शिकार है। आप इस संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य निगम और परिषदें हैं उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए आप वहां पर प्रमुख सचिवों के स्थान पर प्रभारी विभागीय मंत्रियों को क्यों नहीं बिठा रहे हैं। मान्यवर, प्रमुख सचिवों का इस तरह का जो दायित्व दिया जाता है वह उसका निवर्हन नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई इसी प्रकार का लोकतांत्रिक नियंत्रण वहां पर भी होना चाहिए और इससे किसी प्रकार की कोई असहमति हो ही नहीं सकती। उसमें जो लोग शिकायतें लेकर आते हैं उनके द्वारा उसमें समाधान होगा। मान्यवर, इसी तरह से, जो विकास प्राधिकरण बने हैं उसमें अधिकारी पूरी तरह से स्वछंद हो गये हैं। उन पर कोई राजनीतिक नियंत्रण है नहीं। हमारे यहां भी प्राधिकरण जो बना हुआ है वहां सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि हैं जब वह वहां पर सम्मिलित होंगे तो वह जनता की आवाज उठा सकेंगे। आप सब भी यह महसूस करेंगे कि प्राधिकरणों में राजनीतिक व्यक्ति हो जायें और जो प्राधिकरणों में बैठकर जनता की समस्याओं को हल कराने का काम करें। मैं केवल गोरखपुर विकास प्राधिकरण की और अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं।

मान्यवर, जो आवास एवं विकास परिषद् का मूल अधिनियम है 1965 का उसमें व्यवस्था थी कि जो बोर्ड होगा उसमें 6 नान आफिशियल मेम्बर होंगे और एक किसी नगर निगम का प्रमुख या महापौर होगा और दो विधायक होंगे एक सदस्य, विधान सभा और एक सदस्य विधान परिषद्, जिसे माननीय अध्यक्ष नामित करेंगे। इस मूल व्यवस्था को आपने वर्ष 2007 में सत्ता में आने के बाद बदल दिया। 6 की संख्या को घटाकर 3 कर दिया और जो उसमें एक महापौर का स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था और दो सदस्यों का स्थान था उसे नहीं रखा। वह क्या परिस्थितियां थीं जो आपने समझा कि उस बोर्ड में विधायकों को और महापौर को नहीं होना चाहिए। उसका आशय यही था कि जो राजनीतिक व्यक्ति उसमें बैठते थे उनको उसमें से हटाया जाय। दूसरी ओर अब आप दूसरा संशोधन लाकर कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी को उसका अध्यक्ष होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी जो व्यस्त रहेंगे आपने स्वयं लिखा है कि अध्यक्ष जी तो व्यस्त रहेंगे इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में वहीं प्रमुख सचिव पुनः काम करेंगे। आप केवल इतना कर रहे हैं कि अध्यक्ष को हटाकर उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपने महसूस किया सचमुच तो वह जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें आप महापौर को और एक माननीय विधायक और एक विधान परिषद् सदस्य को माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप भेजा करते थे क्या उस व्यवस्था को पुनः इसके साथ स्थापित करेंगे ?

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बड़ी विद्वता से अपनी बात रखी। उसी से अपने को जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सदस्य या हम लोग जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं। जनपद गोरखपुर में आवास विकास है और वह जीरों पर खड़ा है उसके पास कोई भूमि नहीं है कि उसको वह कालोनी के रूप में डेवलप कर सके और जो है वह कब्जा हो रहा है। मान्यवर, हम लोग यह चाहते हैं कि गोरखपुर एक उदीयमान शहर है जो बढ़ रहा है आगे की तरफ क्योंकि बिहार के लोग बिहार के वातावरण के नाते जो समृद्ध वर्ग है वह भी चाहता है गोरखपुर में रहकर अपने बालबच्चों को पढ़ाना, नैपाल में जो मूल रूप से भारतीय लोग हैं वह भी अपने बालबच्चों को नैपाल में रखकर पठन-पाठन का काम नहीं कराना चाहते हैं वह चाहते है कि गोरखपुर में आये और गोरखपुर में किसी तरह वह अपने बाल बच्चों का संरक्षण करें और उनके पठन-पाठन में योगदान दें। इस तरह से वहां भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन वहां पर जीडीए भी डिफेक्ट पड़ा हुआ है और आवास विकास भी डिफेक्ट पड़ा हुआ है। लोग जहां इच्छा हो रही जहां जिस खेत में लेकर के घर बना ले रहे हैं। अब वहां सीवरेज की प्राब्लम, वहां पर बिजली की प्राब्लम, वहां पर सड़क की प्राब्लम, हर तरह की प्राब्लम रहती है, अव्यस्थित कालोनियां डेवलप हो गयी हैं पूरे गोरखपुर में इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है कि गोलघर से लेकर मेडिकल कालेज तक अव्यवस्थित, अनियंत्रित कालोनियां बस गयी हैं जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीवनयापन बहुत ही असुविधाजनक हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी, अपनी समस्या कहने का बहुत मौका मिलेगा आप संशोधन के बारे में बोलिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं सरकार से चाहता हूं कि गोरखपुर की तरफ थोड़ा ध्यान दे दें, थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर दें ताकि गोरखपुर के वासियों को इस तरह से व्यस्थित ढंग से बसने का और गोरखपुर के अगल–बगल बिहार और नैपाल के जो लोग बसना चाहते हैं वहां के विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वहां की चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह उनको प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये अब हो गया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, डॉक्टर साहब ने तो इसका स्वागत ही किया है। इसलिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मान्यवर, इस समय वर्तमान में मात्र इतना संशोधन है कि अध्यक्ष प्रमुख सचिव की जगह माननीय मंत्री होंगे और प्रमुख सचिव कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष के अनुमोदन से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की दृष्टि से माननीय मंत्री जी अगर अध्यक्ष होंगे तो उनके संज्ञान से ही उनके अनुमोदन से आवास विकास परिषद् काम करेगा तो इसमें सुधार आयेगा। इसलिए मान्यवर, उन्होंने स्वयं इसका स्वागत किया है तो मैं उनसे अपील करुंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें। जहां तक श्री अमरमणि त्रिपाठी जी का सवाल है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अगर स्वागत सुन लिया तो माननीय विधायक जो उसके मेम्बर होते थे।

श्री लाल जी वर्मा–

यह आज का विषय है नहीं यह तो जब 2007 में हुआ होगा तो उस समय आपको इसको रखना चाहिए था।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, 2007 में तो आप ही थे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज का संशोधन तो सिर्फ इतना है और इसका इन्होंने स्वागत कर दिया और जब स्वागत कर दिया तो वापस भी ले लें।

जहां तक माननीय अमरमणि त्रिपाठी का सवाल है तो मान्यवर, यह संशोधन आया है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् का अब ये गोरखपुर चले गये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, गोरखपुर, कुशीनगर, बनारस का विकास तो सरकार की प्राथमिकता है इसलिये कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये ठीक है, आप संशोधन वापस नहीं ले रहे हैं, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(क) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश———अध्यक्ष पदेन।

(क-1) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ———— कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य, पदेन"

(ख) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :–

"(8) कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अनुमोदन से अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 फरवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 फरवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

फरवरी, 2010

11 गुरुवार 1–वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा)।

3–डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सतपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 अगस्त, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरंतर घटते भू–गर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिए भू–गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाए।"

4–श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।"

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 फरवरी, 2010 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना डा0 अनिल चौधरी की मथुरा एवं महामायानगर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की जनपद मिर्जापुर स्थित जरगो नदी, गढ़ई नदी एवं कलकलिया नाला पर निर्माणाधीन अधूरे पुलों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की लखनऊ नगर स्थित मनकामेश्वर शिव मन्दिर में हुई चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत सत्थिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में एल0पी0जी0 ईंधन गैस का आभाव, कालाबाजारी एवं कमतौल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

छठीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर की क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय टिकरा जुगराज के शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री पशुपतिनाथ राय की आजमगढ़ के सोल्हावारी निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी की कृषि योग्य भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

नौवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत उस्की की ग्राम सभाओं को टाउन एरिया में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी के थाना पसगवां के श्री वकीउल्ला सिद्दीकी पर फर्जी मुकदमा किये जाने के सम्बन्ध में है,

ग्यारहवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में शराब दुकानदारों द्वारा धरोहर राशि जमा न किये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम ढिढरवली एवं लडंवा में फुंके ट्रांसफार्मर एवं विद्युत के पोल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है,

तेरहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के गांव पांथपुरा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है,

चौदहवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर स्थित नयी मण्डी रजवाहे रोड से भोपा रोड तक जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पन्द्रहवीं सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है,

सोलहवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की प्रदेश में रजिस्टर्ड सोसायटियों द्वारा चलाये जा रहे महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु शासनादेश में संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

सत्रहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री दूध राम तथा श्री जीतेन्द्र कुमार की की जनपद बस्ती में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से दी गयी स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी,
2–श्री अंगद यादव,
3–श्री निर्मल कुमार वर्मा,
4–श्री उदयभान करवरिया,
5–श्री प्रजापालन वर्मा,
6–श्री लल्लू सिंह,
7–श्री कुबेर सिंह,
8–श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही,
9–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
10–श्री राधेश्याम गुप्ता,
11–श्री शम्भू चौधरी,
12–डा0 राम सिंह,
13–श्री सुखलाल,
14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,
15–श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल,
16–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
17–श्री अरविन्द सिंह यादव,
18–श्री अनूप कुमार गुप्ता
19–श्रीमती विद्या चौधरी,
20–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,
21–श्री शैलेन्द्र यादव ललई,
22–श्री उदयराज यादव,
23–श्री राधेश्याम जायसवाल,
24–श्री सुन्दरलाल लोधी,
25–श्री आरिफ अनवर हाशमी,
26–श्री अमरमणि त्रिपाठी,
27–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
28–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
29–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,
30–श्री विशम्भर सिंह यादव,
31–श्री राजाराम त्यागी,
32–श्री संजय कपूर,
33–श्री महेश चन्द्र गुप्ता,
34–श्री अनूप सण्डा,
35–श्री शिवबालक पासी,
36–श्री सुल्तान बेग,
37–श्री भोला पासवान,
38–श्री अनिल दोहरे,
39–श्री मदन चौहान,
40–श्री बाला प्रसाद अवस्थी,
41–श्रीमती मिथिलेश पाल तथा
42–श्री मदन भैया

वाराणसी के थाना जसा के ग्राम सिहोरवां (उत्तरी) में दलितों के लिये कृषि हेतु आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 सदन में दिनांक 08-02-2010 को .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ग्राम सिहोरवां पोस्ट सरौनी, थाना जसा, परगना कसवार राजा तहसील, जिला वाराणसी में दिनांक 16 सितम्बर, 2002 को आराजी सं0 799 रकबा 1.154 हे0 पर 13 लोगों को कृषि आवंटन 46.46 एयर स्वीकृति प्रदान की गयी जो अभिलेखों में दर्ज है किन्तु अभी तक किसी आवंटी को कब्जा नहीं मिला है।

2–जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम सिहोरवा, परगना कसवार राजा, तहसील–सदर वाराणसी में गाटा सं0 799 रकबा 1.154 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5(3)–ड, के अंतर्गत बंजर खाते में दर्ज है। उक्त भूमि का कृषि कार्य हेतु तहसील सदर, वाराणसी के आदेश दिनांक 16-9-2002 द्वारा सुरजन पुत्र सीरी सहित कुल 13 व्यक्तियों को पट्टे स्वीकृत किये गये थे। इस संबंध में मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी के न्यायालय में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198(4) के अन्तर्गत वाद सं0–10/34 वर्ष 2007-08 एवं दुक्खू आदि बनाम सुरजन आदि, 9/32 वर्ष 2007-08 रामचन्द्र आदि बनाम सुरजन आदि योजित किया गया। मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी के निर्णय दिनांक 20-11-2007 के अनुसार गाटा सं0 799 रकबा 1, 154 हेक्टेयर में से 0.598 हेक्टेयर पर तलाब का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर दरख्तान, बांस कोठी, आबादी, मंदिर आदि भी मौके पर हैं। अतः उक्त भूमि के मौके पर खाली न होने के फलस्वरूप मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी के आदेश दिनांक 20-11-2007 द्वारा उक्त भूमि के किये गये पट्टे निरस्त कर दिये गये। मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2007 के विरुद्ध सुरजन आदि द्वारा अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मण्डल, वाराणसी में निगरानी सं0 32/360/08 योजित की गयी है जो विचाराधीन है। उक्त निगरानी वाद में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को समायोजित/ विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी के अनुरोध पर मद सं0 22 स्थगित किया जाता है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंखा, बल्व, कम्प्यूटर चलाये जाने की व्यवस्था के अनुरूप बिजली के खम्भे न होने से उक्त योजना चालू न किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि.....

वस्त्रो उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा पंखा, राड, बल्व व वायरिंग करा दी गयी है तथा कम्प्यूटर चलाये जाने की व्यवस्था है लेकिन 50 प्रतिशत विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं आज तक बिजली के खम्भे नहीं पहुंचे तो राड, बल्व, पंखे कैसे चलेंगे। जनपद बांदा के ग्रामों के संबंध में भी उक्त प्रश्न उठाया गया है।

इस संबंध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सूचित किया गया है कि जनपद बांदा के निम्नलिखित 10 विद्यालय प्रथम चरण में ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं :–

1–कुंटी अमारा 2–रामपुर 3–अमारा 4–नादा देव 5–अमलोर 6–कसिया डेरा 7–पड़ोहरा पार पैलानी 8–सांड़ी 9–झंझरी 10–इछावर।

द्वितीय चरण में 33 विद्यालय का सर्वे कराकर विद्युतीकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिनके नाम निम्नवत् है :–

1–शिवरामपुर (बरेहटा) 2–छनिहन डेरा 3–शिवपाल का डेरा (खप्टिहाकला) 4–मधुरापुरी 5–शंकर पुरवा 6–दीन दयाल डेरा 7–रामलाल डेरा (सबादा) 8–धरीखेड़ा 9–मनका पुरवा 10–मुडेरी 11–खहरा 12–बनियाखोड 13–अरखन डेरा 14–काशी पुरवा 15–दोलतपुर 16–मजरा दुरेडी 17–क्योटरा 22–पडवनिया डेरा 23–नकटी पोखरी 24–कुण्डाडोल 25–खेबइया डेरा 26–बड़ाखोर 27–भदवाधूर 28–मरोहना डेरा 29–उजगरा डेरा 30–बगैचा डेरा 31–गाड़ी डेरा 32–बेन्दा 33–नगधेउवा डेरा।

प्रदेश के समस्त अविद्युतीकृत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से विद्युतीकृत किया जा रहा है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में खरवार जाति को तहसील से जाति प्रमाण–पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

श्री शम्भू चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[यह सूचना चाही गयी है कि उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 46 पर अंकित "खरवार" जाति है किन्तु खरवार जाति के व्यक्तियों को लगातार तीन वर्षों से जाति प्रमाण पत्र देने में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदारों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने में अकारण परेशान कर रहे हैं। जबकि 2007 के पहले उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाति प्रमाण-पत्र मिलने में किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था वे दोनों आंकड़े देखने योग्य है कि 2007 के पहले उत्तर प्रदेश में खरवार जाति के व्यक्तियों को कितना जाति प्रमाण-पत्र दिया गया था व 2007 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कितना दिया गया है। जाति प्रमाण-पत्र न निर्गत होने से अनुसूचित जाति खरवार समाज के व्यक्तियों को अपूर्णीय क्षति हो रहा है।

2–इस संबंध में अवगत कराना है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अनुसार "खरवार" (बनवासी को छोड़कर) खरवार (इस्क्लूडिंग बनवासी) को अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 46 पर जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र को छोड़कर रखा गया है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अनुसार जनपद देवरिया बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक 7 पर खरवार, खैरवार (Kharwar, Khairwar) को रखा गया है।

उक्त जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्गत किये जाने की पहले से ही व्यवस्था है तथा वर्ष 2007 में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर भी इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समुचित जांचोपरान्त प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या 07 नियम/26-3-2010, दिनांक 5-7-2010 द्वारा पुनः निर्देशित कर दिया गया है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को आरोग्य निधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

माननीय सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 8-2-2010 को यह सूचना दी है कि.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग के नागरिकों हेतु आरोग्य निधि की स्थापना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है। परन्तु मेरे जनपद लखीमपुर खीरी में सभी विकास खण्डों में स्तरीय चिकित्सालयों पर प्रत्येक माह दो दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर आयोजित कर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें एवं जन स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही है और न ही चिकित्सा सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसके कारण गरीब क्षेत्रीय जनता को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है और न ही कोई जानकारी उपलब्ध हो पा रही है। क्षेत्रीय जनता को सरकार द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उक्तानुसार सूचना देते हुए इस लोक महत्व के विषय पर मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य की मांग के साथ दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गयी है।

2–इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि निर्धारित योजना के अनुसार जनपद खीरी में हर माह 1, 2 व 7 तारीख को ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा 15, 16 तारीख को शेष 08 ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन परीक्षण शिविरों का प्रचार-प्रसार लाउडस्पीकर, आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामों में व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा किया जाता है। यह शिविर नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं तथा इनसे विशेषज्ञों द्वारा उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन शिविरों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जिसमें आरोग्य निधि योजना भी सम्मिलित है, की जानकारी दी जाती है तथा प्रचार-प्रसार किया जाता है। इन स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से जनता को स्वास्थ्य लाभ मिला है तथा जनता में प्रसन्नता है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सभी ब्लाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों जो 2002 की सूची में सम्मिलित किये गये हैं, के लगभग 122[illegible] स्मार्ट कार्ड आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा बनाये गये हैं। विन्हित चिकित्सालयों में इन स्मार्ट कार्डों द्वारा चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

अतः जनपद खीरी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन उपरोक्तानुसार करते हुए उक्त दोनों योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है एवं जन-सामान्य को इसका लाभ मिल रहा है। वर्णित स्थिति में प्रकरण में कोई कार्मिक दोषी नहीं है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 10 फरवरी, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56–57 पर।)

नलकूप मण्डल, गोण्डा

चलित नलकूपों की सूची

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	कुल चलित नलकूप
1	2	3	4
1	गोण्डा	कटरा बाजार	10
2	"	हलधर मऊ	10
3	"	झंझरी	40
4	"	परसपुर	19
5	"	करनैलगंज	32
6	"	पण्डरी कृपाल	34
7	"	मुलेहना	32
8	"	रुपई डीह	45
9	"	इठियाथोक	66
10	"	वजीरगंज	29
11	"	बेलसर	17
12	"	तरबगंज	10
13	"	नवाबगंज	12
14	"	वभनजोत	19
15	"	छपिया	19
16	"	मनकापुर	53
		कुल योग . .	447
1	बलरामपुर	उतरौला	19
2	"	श्रीदत्त गंज	35
3	"	रेहरा बाजार	26
4	"	गेडास बुजुर्ग	09
5	"	बलरामपुर	71
6	"	तुलसीपुर	47
7	"	गैसड़ी	61
8	"	पचपेड़वा	07
9	"	हरैया सतधरवा	04
		कुल योग . .	279

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद गोण्डा (अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों की सूची)

यांत्रिक दोष

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	नलकूप सं0 एवं समूह	बन्दी की तिथि	बन्दी का कारण	दिनांक दुरुस्ती
1	2	3	4	5	6	7
1	मुजेहना	धर्मेई	28 जी0 जी0	28-10-09	मोटर जला	03-11-09
2	रुपईडीह	भोलाजोत	138 जी0 जी0	27-10-09	मोटर दोष	04-11-09
3	मनकापुर	मछलीगोप	38 जी0 जी0	28-10-09	मोटर दोष	05-11-09
			विद्युत दोष			
1	रुपईडीह	हिन्दनगर	91 जी0 जी0	27-10-09	केबिल नहीं	29-11-09
2	रुपईडीह	फरेन्दा शुक्ल	113 जी0 जी0	28-10-09	2 फेस अप्राप्त	27-11-09
3	इटिया थोक	बखरवा	211 जी0 जी0	16-10-09	केबिल जला	29-11-09
4	इटिया थोक	पूरेमहा	130 जी0 जी0	28-09-09	11 के0 वी0 तार नहीं	29-11-09
5	कटरा बाजार	सरैया	227 जी0 जी0	07-10-09	तार चोरी	30-01-10
6	कटरा बाजार	भोजजोत	102 जी0 जी0	07-10-09	टी0एफ0 दोष	31-01-10
7	हलधर मऊ	कैनोला	241 जी0 जी0	07-10-09	2 फेस अप्राप्त	02-01-10
8	हलधर मऊ	अखूनपुरवा	253 जी0 जी0	07-10-09	टी0एफ0 नहीं	11-12-09
9	हलधर मऊ	झौहना	134 जी0 जी0	07-10-09	टी0एफ0 दोष	02-01-10
10	झंझरी	फिरोजपुर	175 जी0 जी0	07-10-09	2 फेस अप्राप्त	29-11-10
11	झंझरी	बालपुर जाट	240 जी0 जी0	05-10-09	टी0एफ0 चोरी	14-11-10
12	पंड़री कृपाल	बकठोरवा	154 जी0 जी0	07-10-09	तार नहीं	14-11-10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बलरामपुर (अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों की सूची)

यांत्रिक दोष

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	नलकूप सं0 एवं समूह	बन्दी की तिथि	बन्दी का कारण	दिनांक दुरुस्ती
1	2	3	4	5	6	7
1	उतरौला	नयानगर विशुनपुर	5 यू0 जी0	25-10-09	मोटर दोष	01-11-09
2	उतरौला	बढ़या पकड़ी	26 यू0 जी0	25-10-09	मोटर दोष	01-11-09
3	बलरामपुर	कोयलरा	39 बी0 एल0 जी0	25-10-09	मोटर दोष	01-11-09
4	बलरामपुर	बघनी	62 बी0 एल0 जी0	25-10-09	मोटर दोष	01-11-09
5	बलरामपुर	फत्तेजोत	07 बी0 एल0 जी0	25-10-09	स्टार्टर दोष	31-10-09
			विद्युत दोष			
1	बलरामपुर	सोनपुर	40 बी0 एल0 जी0	25-10-09	केबिल दोष	25-10-09
2	बलरामपुर	जोरावरपुर	188 बी0 एल0 जी0	25-10-09	केबिल दोष	25-10-09
3	गैसड़ी	सड़वा गुलरिहा	165 बी0 एल0 जी0	25-10-09	केबिल दोष	25-10-09
4	गैसड़ी	भदुवा शंकरनगर	180 बी0 एल0 जी0	25-10-09	टी/ एफ	25-10-09
5	गैड़ास बुजुर्ग	कैथवलिया सलेमपुर	97 यू0 जी0	25-10-09	टी/ एफ	26-10-09

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० ग–59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66–67 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के द्वितीय बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम विशुन आजाद, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–59 का संलग्नक–

जनपद गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश अन्तर्गत विधान सभा/विधान परिषद्वार धनावंटन का विवरण

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	विधान सभा/विधान परिषद् क्षेत्र का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4
1	2007-08	कटरा बाजार	37.1030
2	2007-08	करनैलगंज	37.1030
3	2007-08	मुजेहना	37.1030
4	2007-08	मनकापुर	37.1030
5	2007-08	गोण्डा	37.1030
6	2007-08	सादुल्लानगर (आंशिक)	22.3114
7	2007-08	डिक्सिर	37.1030
8	2007-08	बलरामपुर (आंशिक)	14.8676
9	2007-08	विधान परिषद् क्षेत्र गोण्डा/बलरामपुर	37.1030
		योग . .	**296.9000**
1	2008-09	कटरा बाजार	55.878
2	2008-09	करनैलगंज	55.878
3	2008-09	मुजेहना	55.878
4	2008-09	मनकापुर	55.878
5	2008-09	गोण्डा	55.878
6	2008-09	सादुल्लानगर (आंशिक)	33.566
7	2008-09	डिक्सिर	55.878
8	2008-09	बलरामपुर (आंशिक)	22.378
9	2008-09	विधान परिषद् क्षेत्र गोण्डा/बलरामपुर	55.878
		योग . .	**447.090**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 111 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री यशपाल सिह चौहान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर का संलग्नक–

जनपद महामायानगर के तहसील सिकन्दराराऊ की सड़कों की मरम्मत एवं सुधार के लिये वर्ष 2009-10 में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4
डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना (तृतीय चरण)			
1	धुबई मार्ग के किमी0 2 से जवाहर गढ़ मार्ग	1.00	2.25
2	रति का नगला हसायन किमी0 5 से नं0 कांच मार्ग	1.00	2.48
3	अगसौली वाजिदपुर मार्ग के किमी0 12 से खिजरपुर	2.00	11.59
4	रति का नगला हसायन से पिछौती मार्ग	1.00	5.66
	योग . .	**5.00**	**21.98**
सामान्य नवीनीकरण 2009-10			
1	पी0 बी0 मार्ग से महमूदपुर बाईपास मार्ग	1.00	5.14
2	अगसौली वाजिदपुर से बढ़ानू मार्ग	2.50	13.46
3	अगसौली वाजिदपुर से टीकरी बुजुर्ग मार्ग	0.50	2.70
4	जी0 टी0 मार्ग से अरनौठ मार्ग	0.50	2.70
5	पी0 बी0 मार्ग से अररियां तलेसरा मार्ग	1.50	7.34
6	अगसौली वाजिदपुर मार्ग	6.00	32.33
7	जी0 टी0 रोड से पिपलगवां होते हुये नगला शंकर	2.00	10.76
8	पुरदिल नगर सिधौली मार्ग	2.00	5.41
9	रतिभानपुर कचौरा मार्ग	2.00	10.76
10	रतिभानपुर कचौरा मार्ग से भदवास रजवाह की पटरी	3.00	16.17

1	2	3	4
11	रति का नगला हसायन गड़ौला मार्ग	2.00	11.83
12	हसायन संकरा मार्ग	3.00	19.97
13	अगसौली कचौरा मार्ग	3.00	14.62
14	पी0 बी0 मार्ग से नौरथा ईसापुर	2.70	14.53
15	नीरजा से गोकुलपुर मार्ग	2.00	10.76
16	अरनौठ से मीरपुर मार्ग	1.00	5.41
17	टीकरीकला से केसरपुर मार्ग	1.00	5.41
18	जलेसर सिकन्दराराऊ किमी0 63 के बरसौली मार्ग	3.00	16.17
19	जी0 टी0 रोड से इकबालपुर होते हुये जिरौली मार्ग	0.80	4.34
20	पी0 बी0 मार्ग से नगला मियां मार्ग	2.25	14.82
21	पुरदिनगर हसायन मार्ग	4.10	26.95
22	हसायन सिकन्दराराऊ मार्ग	2.00	10.76
23	हसायन सिकन्दराराऊ मार्ग	1.00	5.41
	योग . .	48.85	268.02

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–163 का उत्तर पृष्ठ संख्या–113 पर)

अल्पसंख्यक आवास लाभार्थियों के आवास की प्रथम किश्त की धनराशि का मांग–पत्र

विकास खण्ड–रेहरा बाजार (बलरामपुर)

वित्तीय वर्ष 2009–2010

क्र0 सं0	बी0पी0एल0 परिवार पहचान संख्या	स्थाई सूची क्रमांक	बी0 पी0 एल0 परिवार के मुखिया का नाम	नाम लाभार्थी	पिता/पति का नाम
1	2	3	4	5	6
1	12560	–	मो0 अतीक	मो0 अतीक	करमुल्ला
2	12530	–	इदू	इदू	मो0 हनीफ
3	14183	–	इसराइल	खिचड़ी उर्फ राबिया खातून	इसराइल
4	5200	–	जुगाई	जुमाई	साहू
5	5208	–	मैनुद्वदीन	जकरून	मैनुद्वदीन
6	12567	–	अ0 अजीज	अ0 अजीज	रहमान
7	12646	–	बसीर	बसीर	नूर मो0
8	14178	–	बरकत	अमिना	बरकत
9	14179	–	रमजान	रमजान	दाहू
10	12650	–	शेर मो0	शेर मो0	मो0 उमर
11	12524	–	मो0 रफीक	शहनाज खातून	मो0 रफीक
12	9754	–	रोजन	रसीदा	रोजन
13	9727	–	इस्लाम अली	इस्लाम अली	मोहिउद्दीन
14	13828	–	अल्लन	अल्लन	दिनायतुल्ला
15	14406	–	हौसिलदार	नूरजहां	हौसिलदार
16	13817	–	शौकत अली	शौकत अली	अलीमुल्ला
17	9751	–	मुन्सीरजा	मुन्सीरजा	इस्माइल
18	9726	–	रउफ	जन्नता	रउफ
19	13846	–	इस्लाम अली	शमसाद बेगम	इस्लाम अली
20	14333	–	नकी	मोहर्रम अली	नकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"घ"

का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . . . पर।)

प्रथम किस्त की धनराशि का मांग पत्र

(बलरामपुर)

वर्ष 2009-10

ग्राम/मजरा	जाति	बैंक शाखा का नाम	खाता संख्या	धनराशि
7	8	9	10	11
कोटवा दरगाह	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	20094	26000.00
कोटवा दरगाह	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	17718	26000.00
हसनपुर (कोटवा दरगाह)	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	20008	26000.00
हसनपुर (कोटवा दरगाह)	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	17112	26000.00
हसनपुर (कोटवा दरगाह)	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	17099	26000.00
कोटवा दरगाह	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	19026	26000.00
कोटवा दरगाह	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	20099	26000.00
हसनपुर (कोटवा दरगाह)	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	19073	26000.00
हसनपुर (कोटवा दरगाह)	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	16365	26000.00
कोटवा दरगाह	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	17092	26000.00
कोटवा दरगाह	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	19633	26000.00
(भाऊ पुरवा) बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	स्टेट बैंक–सराय खास	30583419489	26000.00
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	स्टेट बैंक–सराय खास	11728249187	26000.00
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–ग्वालियर ग्रन्ट	6295	26000.00
(सीतापुर) बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–ग्वालियर ग्रन्ट	3808	26000.00
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	ग्रा0 बैंक–इटवा	2437	26000.00
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15308	26000.00
(भाऊ पुरवा) बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	21723	26000.00
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	11726	26000.00
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15498	26000.00

1	2	3	4	5	6
21	13849	–	समसाद पुत्र इमदाद	नसीरा	समसाद पुत्र इमदाद
22	11203	–	कमरुद्दीन	स्वालिडा उर्फ रूबैयिल	कमरुद्दीन
23	11222	–	वारिस अली	जुलेखा	वारिस अली
24	11223	–	सहाबुद्दीन	मुन्नी	सहाबुद्दीन
25	11224	–	सिराजुद्दीन	मैमुन्निशा	सिराजुद्दीन
26	11204	–	मसीद्दीन	मुन्ना	मसीउद्दीन
27	19064	–	जुबेर	सालिहा	जुबेर
28	8202	–	अ0 मजीद	अरबुन्निशा	अ0 मजीद
29	20255	–	समसुद्दीन	जनतुन्निशा	समसुद्दीन
30	20256	–	ननकू	साबिरा बेगम/मझिला	ननकू
31	2293	–	मुसीबत अली	मुसीबत अली	मौसम अली
32	2385	–	गुलाम	सरीकुन्निशा	गुलाम
33	15366	–	ऐहसानुल्ला	ऐहसानुल्ला	हयातुल्ला
34	15381	–	अबुल हसन	अबुल हसन	हयात
35	15378	–	किताबुन्निशा	किताबुन्निशा	ईदू
36	15154	–	फरजन्द	फरजन्द	सूरजू
37	15156	–	अबरून्निशा	अबरून्निशा	अनवर
38	15584	–	मुरतजा बेग	मुरतजा बेग	शौकत
39	15194	–	इस्माइल	इस्माइल	अब्दुल मुस्तफा
40	15195	–	नैबुन्निशा	नैबुन्निशा	चिनगुद
41	15391	–	मैमुन्निशा	मैमुन्निशा	शमसूद्दीन
42	15390	–	शहजाद	शहजाद	अशरफी
43	15389	–	शकील बेग	शकील बेग	अ0 मजीद
44	15234	–	बानो निशा	बानो निशा	अयुब
45	15214	–	तैमूर	तैमूर	जोखू
46	15207	–	मंजूर अहमद	मंजूर अहमद	छेदी खां
47	15217	–	बेबीबानो	बेबीबानो	सत्तार
48	15167	–	बिलकीस	बिलकीस	सकील
49	15164	–	मुस्लिम	मुस्लिम	नन्हें
50	15166	–	तहरुन्निशा	तहरुन्निशा	अबुल हसन बेग
51	15170	–	साबिर	साबिर	साकिर
52	15178	–	सफीउल्ला	सफीउल्ला	मोल्हू
53	15188	–	अब्दुल हमीद	अब्दुल हमीद	अ0 मजीद
54	15361	–	लालखां	कबूतरा	लालखां
55	15366	–	रईस बेग	खालिदा बेगम	रईस अहमद बेग
56	15388	–	अकबर अली	सकूरा	अकबर अली
57	15202	–	मुस्ताक	फातमा	मुस्ताक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	8	9	10	11
बन्जरिया हुसैन	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	21921	26000.00
बैरिया सुर्जनपुर	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	8998	26000.00
बैरिया सुर्जनपुर	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	7934	26000.00
बैरिया सुर्जनपुर	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	9020	26000.00
बैरिया सुर्जनपुर	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	9020	26000.00
बैरिया सुर्जनपुर	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	9022	26000.00
मनुवागढ़	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	19433	26000.00
रामपुर ग्रन्ट	अ0सं0	इला0 बैंक–रामपुर अरना	5440	26000.00
देवारीखेरा स्कूल	अ0सं0	स्टेट बैंक–सरायखास	30757240074	26000.00
देवारीखेरा स्कूल	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	22372	26000.00
अचलपुर रूप	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	11220	26000.00
अचलपुर रूप	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	4892	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11427	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11455	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11404	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11414	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	5265	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	4157	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	13000	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	5118	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	2444	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	नया खाता	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11448	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	5124	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11342	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11423	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	5119	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	10416	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11406	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11440	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	11406	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	10361	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–सा0 नगर	6162	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	10	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रा0 बैंक–सादुल्लानगर	11638	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रा0 बैंक–सादुल्लानगर	11479	26000.00
ऐदहा	अ0सं0	ग्रा0 बैंक–सादुल्लानगर	11465	26000.00

1	2	3	4	5	6
58	15198	–	साकिर हुसैन	खलीकुन्निशा	साकिर हुसैन
59	26665	–	अतीउल्ला	अतीउल्ला	समसेर
60	26669	–	साबिर अली	साबिर अली	–
61	12846	–	अली हसन	नूरजहां	अली हसन
62	12842	–	नईमउल्ला	नईमुल्ला	नसरूल्ला
63	5949	–	आबुल हसन	अलीमुन्निशा	आबुल हसन
64	12903	–	अ0 सोहराब	मजीदुन्निशा	अ0 सोहराब
65	13213	–	जाफर	अखतरुन्निशा	जाफर
66	1066	–	हसन मो0	हसन मो0	आशिक अली
67	1069	–	नजर मो0	नजर मो0	यासीन
68	1073	–	सत्तार	सलीम	सत्तार
69	803	–	सालिकराम	सालिकराम	सेखई
70	1140	–	रहीसना	रहीसना	मो0 उमर
71	12442	–	साकिर अली	सकीरा अली	आशिक अली
72	12445	–	रमजान	रमजान	दीन मो0
73	12430	–	निजाबुद्दीन	निजाबुद्दीन	मुसाहिद
74	12423	–	यूसुफ अली	युसुफ अली	नन्दू
75	6964	–	जलील	जलील	बरकत
76	7081	–	हनीफ	हनीफ	पांचू
77	7122	–	रमजानी उर्फ समसानी	रमजानी उर्फ समसानी	छेदी
78	7143	–	अब्बुल	अब्बुल	करिया
79	7081	–	अ0 मजीद	अ0 मजीद	रहमान
80	7150	–	साबिर अली	साफिया	साबिर अली
81	7120	–	अजमत	अजमत	एचई
82	7145	–	रमजान अली	रमजान अली	पांचू
83	673	–	नसीर अहमद	चिनमुन्निशा	नसीर अहमद
84	695	–	दुल्ले उर्फ अब्दुल्ला	फातमा	दुल्ले उर्फ अबदुल्ला
85	4119		मो0 नईम	असीमुन्निशा	मो0 नईम
86	4110		मो0 नईम	आसिया	मो0 नईम
87	4127		असगर अली	जरीना	असगर अली
88	4254		बहिरैची	बहिरैची	ईशू
89	4474		रहमत अली	सेहरन	रहमत अली
90	4413		बदरुन्निशा	बदरुन्निशा	मोहब्बत
91	5367		लिल्लाही	लिल्लाही	साहबजादे
92	5376		बकरीदी	बकरीदी	साहबजादे
93	5386		तकदीर अली	तकदीर अली	उमर मो0
94	5387		रहमतुल्ला	रहमतुल्ला	सुलेमान

7	8	9	10	11
ऐदहा	अ0सं0	ग्रा0 बैंक–सादुल्लानगर	11414	26000.00
फिरोजपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रामपुर अरना	9015	26000.00
फिरोजपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	9019	26000.00
मद्यौभीख	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	20728	26000.00
मद्यौभीख	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	21257	26000.00
मद्यौभीख	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	15519	26000.00
मद्यौभीख	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	20246	26000.00
मद्यौभीख	अ0सं0	इला0 बैंक–सादुल्लानगर	8727	26000.00
भैरवा	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15059	26000.00
भैरवा	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	21034	26000.00
भैरवा	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	12845	26000.00
भैरवा	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	18273	26000.00
भैरवा	अ0सं0	सर्वयू0पी0ग्रा0बैंक–इटवा	9224	26000.00
भैरवा	अ0सं0	सर्वयू0पी0ग्रा0बैंक–इटवा	8561	26000.00
भैरवा	अ0सं0	सर्वयू0पी0ग्रा0बैंक–इटवा	8166	26000.00
भैरवा	अ0सं0	इला0बैंक–रेहरा बाजार	21973	26000.00
भैरवा	सा0	सर्वयू0पी0ग्रा0बैंक–इटवा	8709	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–ग्वालियर ग्रन्ट	5427	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	1336	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15748	26000.00
केराडीह	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	5367	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	5789	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15063	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	7334	26000.00
केराडीह	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	956	26000.00
नौडिहवा	अ0सं0	इला0 बैंक–रामपुर अरना	3739	26000.00
नौडिहवा	अ0सं0	इला0 बैंक–रामपुर अरना	10013	26000.00
बूधीपुर	अ0सं0	स्टेट बैंक–सरायखास	30695628394	26000.00
बूधीपुर	अ0सं0	स्टेट बैंक–सरायखास	11728270141	26000.00
बूधीपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	4127	26000.00
बूधीपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	9684	26000.00
बूधीपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	22014	26000.00
बूधीपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	20895	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	5367	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	170823	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	16004	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15949	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	12255	26000.00

1	2	3	4	5	6
95	5388		गुलाम रसूल	गुलाम रसूल	इमाम अली
96	5404		लरकरी	लरकरी	ईद
97	5409		रमजान अली	रमजान अली	उमर मो0
98	5413		इद्रीश	इद्रीश	दुल्ला
99	5414		जलील	जलील	दुल्ला
100	5357		हासिम	हासिम	चिनमुन
101	5359		अ0 गफ्फार	अ0 गफ्फार	सुलेमान
102	5362		सनीफ	सनीफ	यूसुफ
103	15779		सहाबुद्दीन	सहाबुद्दीन	मो0 आसीम
104	16122		हसमत अली	हसमत अली	असरत
105	16126		कासिम	कासिम	मकसूम
106	15923		याकूब अली	याकूब अली	मकसूम
107	22463		रमजानअली	रमजानअली	होली मो0
108	30		इस्माइल	इरमाल	गूजे
109	42		मो0 यूनुस	यूनुस	रहमतुल्ला
110	60		कप्तान	कप्तान	हसनू
111	10010		रहमुल्ला	रहमुल्ला	हसनदीन
112	10585		नूर अली	नूर अली	शौकत अली
113	10586		रोज अली	रोज अली	शौकत अली
114	10622		बदरून	बदरून	लिल्लाही
115	10626		हनीफ	हनीफ	मुन्नवर
116	9225		हबीब	हबीब	दरगाही
117	9258		अ0 खलीक	अ0 खलीक	असगर अली
118	25175		हबीब	अब्दुल सत्तार	हबीब

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	8	9	10	11
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	12255	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	16180	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	3095	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15692	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	15698	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	17117	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	19939	26000.00
रुधौली बुजुर्ग	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	12705	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	21487	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	17579	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	13824	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	13504	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	स्टेट बैंक–सरायखास	1170070830	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	16803	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	ग्रामीण बैंक–इटवा	8556	26000.00
किरतापुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	9040	26000.00
किशुनपुर ग्रन्ट	अ0सं0	स्टेट बैंक–सरायखास	11728242830	26000.00
किशुनपुर ग्रन्ट	अ0सं0	स्टेट बैंक–सरायखास	11728239860	26000.00
किशुनपुर ग्रन्ट	अ0सं0	इला0 बैंक–अचलपुरी चौधरी	4960	26000.00
किशुनपुर ग्रन्ट	अ0सं0	पी0एन0बी0–पेहर	79992	26000.00
किशुनपुर ग्रन्ट	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	7301	26000.00
सोमरहा	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	16210	26000.00
सोमरहा	अ0सं0	इला0 बैंक–ग्वालियर ग्रन्ट	7515	26000.00
अधीनपुर	अ0सं0	इला0 बैंक–रेहरा बाजार	21721	26000.00

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में उक्त ग्राम पंचायतों के अल्पसंख्यक परिवारों के आवास विहीन बी0 पी0 एल0 परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में आवास अनुदान की पात्रता की सम्यक् जांच उपरान्त चयनित किये जाने के पश्चात् अब इस ग्राम पंचायत में उक्त लाभार्थियों की अपेक्षा अधिक निर्धन आवास विहीन परिवार इस योजना का लाभ पाने से वंचित नहीं है, परन्तु उन पात्र लाभार्थियों को प्रस्तुत सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिनका बैंक शाखा/खाता संख्या का उल्लेख वरीयताक्रम के प्रमाणी सूची में सम्मिलित नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारी,
रेहरा बाजार, बलरामपुर।

नत्थी "ङ"

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 207 पर)।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया उ0 प्र0 सरकार के बजट वर्ष 2010-11 की चर्चा में मा0 नेता प्रतिपक्ष के बजट संशोधन में अपने को जोड़ते हुए संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित को जोड़ने का कष्ट करें :–

1–उत्तर प्रदेश में 1 दिसम्बर, 1998 को भा0 ज0 पा0 एवं ब0 स0 पा0 शासन में नजूल भूमि को 1991 के सर्किल रेट पर तमाम छूट देते हुए फ्री होल्ड किया गया किन्तु इसी प्रदेश में राजकीय आस्थान की भूमि, जिसकी भी मालिक सरकार है, वर्तमान शासन सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के लोगों के हित में उसी तरह की फ्री होल्ड नीति नहीं बनायी जा रही है क्योंकि बजट पर असर पड़ेगा।

2–पूरे उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि पर पुश्त दर पुश्त से बसे कमजोर दलित वर्ग के सागर पेशावासियों का मा0 सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के निर्णयों के बावजूद पुर्नवासन नहीं किया जा रहा है क्योंकि बजट पर प्रभाव पड़ेगा।

3–उ0 प्र0 में निगमों, परिषदों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों पर छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि बजट पर प्रभाव पड़ेगा।

4–प्रदेश के विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि बजट पर प्रभाव पड़ेगा।

5–इलाहाबाद में निवासित लगभग 280 मलिन बस्तियों के हजारों-लाखों के निवास, पर्यावरण सुधार हेतु कार्यवाही, बजट के अभाव में डूडा द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

6–माननीय न्यायालय के आदेश के कारण बहुमूल्य मूर्तियों, पार्क का निर्माण तो नहीं कराया जा सकता है किन्तु प्रदेश की 40 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले भूमिहीन, आवासहीन लोगों की रोजी-रोटी का स्पष्ट कोई प्रबन्ध बजट में प्रदेश सरकार का नहीं है।

7–शासन के बड़े बड़े भवनों, उद्योगों में, सड़कों पर विद्युत का भयंकर दुरुपयोग व क्षति पहुँचायी जाती है किन्तु मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब मेहनतकश लोग अंधेरे में रहने को बाध्य हैं क्योंकि विद्युत नियामक आयोग और शासन की नीति के अनुसार वह बिल अदा नहीं कर सकते हैं।

अतः नेता विपक्ष के बजट संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री राजेश कुमार–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2010-2011 के बजट भाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मान्यवर, मा0 नेता सदन बहन सुश्री मायावती जी के दिशा-निर्देश पर तैयार किये गये बजट भाषण में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर

चल कर समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने वाला तथा सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों का समुचित विकास करने वाला यह अद्वितीय बजट है। मान्यवर, इस बजट में गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न पेशों में लगे लोगों और समाज के उपेक्षित एवं निर्बल [illegible] अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं एवं सर्वहारा समाज के कल्याण कार्य में लगाने का कार्य किया गया है। मान्यवर, इस बजट को महिलाओं विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना तथा सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना जैसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं मे लगाने का कार्य किया गया है। इसी तरह से खाद्यान्न एवं पेंशन योजना से आच्छादित बी0 पी0 एल0 परिवारों को 300 रुपये प्रतिमाह की दर से उ0 प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में महिला परिवार की मुखिया को 300 प्रति माह अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से उ0 प्र0 के सभी समाज की महिलाओं को लाभ मिलेगा इसके लिए वर्ष 2010 के बजट में 402 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से विकास के लिए पूर्व में चयनित असंतृप्त डॉ0 अम्बेदकर ग्रामों के विकास के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की बात करते थे, मान्यवर, तत्कालीन सरकार में गुण्डा राज कायम था, जंगल राज कायम था। जैसे विधायक राजूपाल की हत्या, इलाहाबाद मदरसा काण्ड, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी को बोनट पर लटका कर घुमाने जैसी घटनाएँ होती थी लेकिन मान्यवर, 13 मई, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार की बागडोर मा0 बहन जी द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उ0 प्र0 में कानून का राज कायम करने का मा0 मुख्यमंत्री ने काम किया है। आज उ0 प्र0 में सर्वसमाज के लोग अमन-चैन से रह रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2010 के बजट भाषण में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं लगाने का कार्य, बिजली, पानी, सड़क पिछड़े क्षेत्रों का विकास आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। मान्यवर, आजादी के बाद का यह सबसे अच्छा बजट है जिससे उ0 प्र0 का इस बजट से सर्वांगीण विकास होगा। मा0 अध्यक्ष जी, इन्ही शब्दों के साथ मैं मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और आपके प्रति भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2010-2011 का बजट इस सदन में उ0 प्र0 की यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देश पर माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा जो लोक प्रिय एवं कल्याणकारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट प्रस्तुत किया गया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी माननीय बहन जी ने अपने शासनकालों में समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वंचित, शोषित, दलित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अतुलनीय कार्य किया है

सर्वसमाज के स्वाभिमान की प्रतीक मा0 मुख्यमंत्री जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों के समुचित विकास पर ध्यान देने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न व्यवसाय के लोगों विशेष रूप से उपेक्षित व निर्बल वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

1–महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना 15 जनवरी, 2009

2–सावित्री बाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना।

3–मान्यवर श्री कांशीराम शहरी आवास योजना।

4–डॉ0 अम्बेडकर सुधार कृषि सुधार योजना।

यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है यहां पर 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। इस योजना के अन्तर्गत किसांनों को 14 से 16 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तो निश्चित ही अच्छी फसल पैदा होगी, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तभी सही मायने में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकेगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक महायोजना :–

इस योजना के अन्तर्गत गरीब वृद्धों को 300 रु0 प्रतिमाह सहायता प्रदान कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रशंसनीय प्रयास किया गया है। इसमें बी0 पी0 एल0 कार्डधारी जिन्हें अन्य सरकारी अनुदान नहीं मिला, उन्हीं गरीब व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। यह योजना पूरे प्रदेश की समस्त विधान सभाओं में लागू होगी।

डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ग्राम सभा योजना :–

यह योजना लागू करके प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा में माननीय बहन जी ने सी0 सी0 रोड पेयजल, स्कूल एवं बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं पूरे सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि देश आजाद हुए आज लगभग 63 वर्ष हो गये हैं। देश आजाद होने के बाद देश व प्रदेशों में सरकारें बनती रही हैं। वे सरकारें यदि अपने महापुरुष के नाम पर ग्राम सभाओं को घोषित करके विकास कराने का कार्य करती तो शायद आज कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं बचती जहां पर सी0 सी0 रोड, बिजली, पानी, शिक्षा न होती। मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट में गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की बुनियादी जरूरतों एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट पर मैं अपना समर्थन करते हुए माननीया मुख्य मंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी को बार-बार धन्यवाद देता हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, नगर पालिका चन्दौसी के अन्तर्गत बिजली तारों की हालत बहुत जर्जर हो गई है इसलिए जनहित में बिजली तार एवं खम्भों को बदलवाने की कृपा करें, जिससे कि बिजली की व्यवस्था ठीक हो सके।

श्री शिव गणेश लोधी–

मा0 अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 का जो बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, यह बजट किसान विरोधी है। शिक्षित लोगों के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षित बोरोजगार आज एक–एक रोटी के लिए भटक रहे हैं। बजट में दलित और पिछड़ों के लिए किसी भी प्रकार के कुटीर उद्योग धन्धों की व्यवस्था नहीं की गयी है। अच्छा होता, यदि इस बजट में किसानों को मुक्त खाद, बीज और बिजली की व्यवस्था की गयी होती और खेती को रोजगारपरक बनाने के लिए उत्तम किस्म की कृषि मशीनों की व्यवस्था की गयी होती। यदि बजट का कृषि पर चालीस प्रतिशत खर्च किया गया होता तो अच्छा उत्पादन होता और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह खेती में लगकर अच्छा जीवन-यापन कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में खेती की प्रबल सम्भावनाएं हैं। पिछली सपा, भाजपा की सरकारों ने भी रायबरेली के विकास पर ध्यान नहीं दिया, ठीक उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी भी चार बार से सरकार में है और रायबरेली का लगातार शोषण कर रही है। रायबरेली की नहरें बन्द पड़ी हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बिजली के पावर हाउस पूरी तरह से जर्जर हो गये हैं, सड़के जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं और जो भी सुविधाएं केन्द्र के माध्यम से रायबरेली को दी जाने की कोशिश की जाती है तो उसमें प्रदेश सरकार अड़ंगा लगाती है। चाहे रेलकोच कारखाने की जमीन हो, चाहे नहरों की खुदाई हो और चाहे खाद की समस्या हो। यह बजट कुछ लोगों को खुश करने के लिए और क्षेत्रवाद की भावना से प्रभावित है, इस बजट में कोई पारदर्शिता नहीं है। इसी के साथ अपने दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री निर्मल वर्मा–

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरा वक्तव्य शामिल करने का अनुरोध स्वीकार किया। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री लाल जी वर्मा द्वारा प्रस्तुत 2010-2011 का बजट जो कि उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री बहिन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में तैयार किया गया है। यह बजट आम जनता के हित में सर्वजन समाज के दबे कुचले समाज के उत्थान की प्रतिमूर्ति के रूप में है। उत्तर प्रदेश के सर्वजन समाज के नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सबके हित का है। तमाम जनसुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए सबके हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनायी गयी हैं। सबसे मुख्य बात यह भी है कि दलितों, पिछड़ों की भावनाओं का सम्मान करते हुए समाज में जन्मे महापुरूषों की प्रतिमाएं एवं स्मारक बनाकर उनकी भावनाओं की कद्र की है। मैं इस बजट को उत्तर प्रदेश की जनता के हर स्तर पर हितकर मानकर बजट का समर्थन करता हूँ एवं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण की चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट भाषण के सम्बन्ध में अपनी अभिव्यक्ति

व्यक्त की। किसी सदस्य ने इसे झूठ का पुलिन्दा या जनमानस को भ्रमित करने वाला बताया और किसी ने प्रस्तुत बजट को उत्तर प्रदेश को 10 वर्ष पीछे ले जाने वाला बताया। मान्यवर, प्रस्तुत बजट में माननीय वित्त मंत्री को आईना दिखाते हुए बजट की भयावहता दिखाई पड़े या न पड़े किन्तु प्रदेश की जनता ने यह देखा है कि यह बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर नहीं है। बल्कि बहुजन सुखाय सर्वजन दुखाय के आधार पर है। मान्यवर, सम्पूर्ण बजट का मैंने गम्भीरता से अवलोकन किया। सामान्य आर्थिक परिदृश्य बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु खाद्य रसद, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, सड़क एवं सेतु, सिंचाई, कृषि, ग्राम्य विकास, बेशिक शिक्षा, माध्यमिक, चिकित्सा व्यवसायिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास वन एवं पर्यावरण, कानून, राजस्व और पर्यटन आदि शीर्षकों में वित्तमंत्री की भावनाओं को पढ़ा और देखा, मान्यवर, मैं सिर्फ दो तीन बिन्दुओं पर बात रखकर समाप्त करूंगा।

पहला यह कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में बजट में जो चिन्ता है निश्चित रूप से प्रदेश के शैक्षिक व्यवस्था को वर्षों वर्ष पीछे ले जाने का कार्य करेगा। माध्यमिक, उच्च, व्यवसायिक चिकित्सा शिक्षा आदि की बात करना बेईमानी होगी, यदि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को नहीं सुधारा गया तो सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5, और कक्षा 8 पास कर निकलने वाला छात्र अपना नाम नहीं लिख सकता, यह गम्भीर विषय है। मान्यवर, सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण विषय बजट भाषण के 18 वें पेज पर अंकित है इसमें जो व्यवस्था दी गयी है वह कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रदेश की बाढ़ की भयावहता माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। जिसको इन्होंने मात्र डेढ़ लाइन में 700 करोड़ की व्यवस्था के साथ.साथ समाप्त कर दिया, जबकि पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच से लेकर गोरखपुर, बलिया तक तीन दर्जन से अधिक जनपद वर्षाकाल में डूबते उतराते हैं। लाखों करोड़ों जनता प्रभावित होती है और हजारों करोड़ों रुपये बाढ़ रोकने के नाम पर बाढ़ की स्थिति में सहायता के नाम पर और बाढ़ के जाने के बाद पुर्नस्थापना के नाम पर और अगले वर्ष बाढ़ न आये उसके रोकथाम के नाम पर करोड़ों रुपया व्यय या उसकी लूट करने का काम प्रशासन करता है। दुःख है कि ऐसे प्रस्तुत बजट में बाढ़ पर नियंत्रण मात्र दिखावा है। वन पर्यावरण को पढ़ा, माननीय वित्त मंत्री के शायद संज्ञान में नहीं है कि प्रदेश में वन व वन्यजीवों की क्या स्थिति है। वन्यजीवों की हत्या हो, या वनों का कटान हो जिसमें अधिकारी जनप्रतिनिधि और अपराधी सभी शामिल हैं उसकी रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की न कोई व्यवस्था है और न कोई योजना है। मान्यवर, पर्यटन के सम्बन्ध में कहूँगा कि सिर्फ बौद्धपरिपथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु के लिए व्यवस्था करना प्रदेश की करोड़ों जनता के साथ धोखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगा कि गोलागोकरन नाथ जनपद लखीमपुर खीरी के पौराणिक ऐतिहासिक एवं धार्मिक चैती मेला की विशालता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र मानते हुए इस मेले हेतु बजट स्वीकृत करने का कष्ट करें, मान्यवर, सम्पूर्ण बजट उत्तर प्रदेश को 10 वर्ष पीछे ले जाने वाला बजट है। अतः मैं इसकी निन्दा करता हूँ।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु मिलने वाला अनुदान बहुत ही कम संख्या में पहुँचता है जिससे पात्र लोगों को पाने में बहुत ही असुविधा होती है। बजट भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मिश्रित में मुंसिफ कोट की स्थापना नहीं की गयी है। महौली को तहसील बनाये जाने की भी मांग करता हूँ। चिलौला घाट व रामनगर घाट पर कठिना नदी पर पुल के निर्माण की मांग करता हूं। आर0 एम0 पी0 महाविद्यालय दोनों विद्यालयों में 15-15 सीटें बढ़ाये जाने की मांग करता हूँ। नगर पालिका सीतापुर व मिश्रिख में अपना संसाधन होने के बावजूद भी डूडा नामक संस्था द्वारा कार्य कराया जा रहा है जो कि पिछड़ा अनुदान निधि के द्वारा पैसा मिला है। यह कार्य नगरपालिका को ही करने दिया जाय। पिसावां में विद्युत सब.स्टेशन खोला जाय।

श्री बैजनाथ दुबे–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे 2010-2011 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी रहूँगा माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट सत्ता पक्ष का ख्याली पुलाव है। जितनी घोषणाएं की गयी हैं उनको धरातल पर उतार पाना कठिन है। बजट भाषण में 15 जनवरी, 2010 को डा0 अम्बेडकर कृषि ऊर्जा सुधार योजना लागू की गयी है परन्तु राजकीय व निजी नलकूपों के तार चोरी हो गये हैं उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है ट्रांसफार्मर जल गये हैं, नल चोरी हो गये हैं उनको बदलवाना मुश्किल काम है क्योंकि आपकी पुलिस रिपोर्ट लिखेगी नहीं तो कैसे पम्प सेटों को अलग फीडर से जोड़ेंगे। इसी तरह नरेगा की हालत है जनपद स्तर पर 10 करोड़ का सामान शेड, हैण्डपम्प, बच्चों का खिलौना, फावड़ा आदि खरीदा गया है वह किसी भी गांव में उपलब्ध नहीं है। स्थिति यह है कि विकास खण्ड कटरा बाजार में नरेगा में प्रधानों से 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक वसूली की जा रही है जो तालाब खोदे गये हैं वह पुराने तालाब ही मरम्मत करके पैसा कटरा बाजार विकास खण्ड में निकाल लिया गया है।

इसी तरह इन्दिरा आवास योजना में व्यापक अनियमित्ता हो रही है गरीबों से आवासों में 7000 से 10,000 रुपये तक कटरा बाजार ब्लाक में लिया गया है और मांगा गाटा ग्राम प्रधानों ने लिखकर दिया है।

जहां तक खाद्य विभाग की हालत है यदि गड़बड़ी होती है तो कोटेदारों के खिलाफ कार्यवाही होती है जबाके गोदाम प्रभारियों द्वारा कोटेदारों से 200 रुपये प्रति ड्रम व 60 रुपये प्रति कुन्तल अनाजों में लिया जा रहा है वह बच जाते हैं और कोटेदार खुले बाजारों में राशन को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं।

खरीफ में 16 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है जबकि जो पुराने धान के क्रय केन्द्र नहीं खोले गये है जिसके लिए मैंने ज्ञापन दिया और धरना प्रदर्शन किया मेरे खिलाफ उल्टा मुकदमा लिख दिया गया।

अनुपूरक पोषाहार योजना में गर्भवती धात्रियों एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएन्ट फूड तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पका भोजन व सुबह का नाश्ता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है जबकि यह किसी केन्द्र पर नहीं बन रहा है। मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से शिकायत की तो जांच हुई जिसमें 2 छोटे कर्मचारी को सुपरवाइजर को निलम्बित कर दिया गया जबकि बाल विकास परियोजनाधिकारी कटरा बाजार व हलधरमऊ के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई जबकि सीधे वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

लो0 नि0 वि0 द्वारा 1.55 लाख कि0मी0 सड़क का मरम्मत कराने हेतु 1477.68 करोड़ की व्यवस्था है जबकि सड़क एक तरफ पेन्टिंग होती है दूसरे तरफ टूट जाती है। तारकोल अधिकारियों के द्वारा आधा दिया जाता है जो दिया जाता है वह निम्न क्वालिटी का है यदि तीन साल की मरम्मत की गई सड़क की जांच करा ली जाय तो वास्तविकता का पता लग जायेगा।

माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा अन्य नहरों का उल्लेख किया है लेकिन सरयू नहर योजना का उल्लेख नहीं किया है। यह योजना 84 प्रतिशत पूरी है और 16 प्रतिशत बाकी है। मैचिंग ग्रान्ट आपका वित्त विभाग नहीं दे रहा है जबकि 10 प्रतिशत आपको देना है 90 प्रतिशत भारत सरकार देगी। इससे पूर्वान्चल की गरीबी दूर होना है उसका जिक्र तक नहीं है जबकि जनपद गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर प्रभावित है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में वर्ष 2009-10 में पैसा नहीं दिया गया। वर्ष 2010-2011 में के0 सी0 ड्रेन व सी0 सी0 मार्ग पर पैसा दिया गया है जबकि उस गांव तक पहुँचने की कोई व्यवस्था सड़क की नहीं की गयी है।

इसी कारण इस बजट को धरातल पर लाने में कठिनाई है हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर अंकुश कैसे लगेगा।

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आपका धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अध्यक्ष, उ0 प्र0, विधान सभा, मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा जारी के समय दिनांक 10-02-2010 को करीब 4 बजे समय कम होने के कारण मा0 अध्यक्ष द्वारा पीठ से निर्देश दिया गया कि आप लिखकर दे दें तो उसे चर्चा में शामिल करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

1–वर्ष 2009-2010 लक्ष्य, 18.78 मी0 टन परंतु 15.57 का वितरण किया गया, दिनांक 15-01-2010 का आंकड़ा डी0 ए0 पी0 व एन0 पी0 के लक्ष्य 13.25 मी0 टन, वितरण 12.44 मी0 टन। किसानों को समय पर खाद नहीं मिला। इससे कृषि का उत्पादन कम हो गया, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र कम हो रहा है। आने वाले समय में खाद्य की समस्या और बढ़ेगी।

2–मान्यवर, 1,18,70,767 कृषक 1/2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। परिवार को जोड़ा जाये, यदि एक कृषक परिवार को 5 सदस्य माने तो करीब 5 करोड़ की संख्या होती है ये सभी कृषक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन सबको बी0 पी0 एल0 की श्रेणी में लाकर उसका लाभ दिलाये।

3–जनपद अगौता विधान सभा की समस्या मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही तथा माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा लड़कियों की शिक्षा के बारे में कहा गया। मेरे क्षेत्र में राम कृष्ण कन्या महाविद्यालय असेवित वि0 खण्ड अगौता के गांव किशौली में स्वीकृत किया गया, प्रथम किस्त 40 लाख वर्ष 2005-2006 प्राप्त हो गयी थी तथा दूसरी किस्त के विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से व नियम 51 के माध्यम से तथा अनेकों पत्र लिखे जा चुके हैं। पत्रावली उपभोग प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी तथा समस्त औपचारिकताएं पूरी होकर पत्रावली शासन में उपलब्ध है। परन्तु दूसरी किस्त की धनराशि 10 लाख अभी तक जारी नहीं की जा सकी है। मा0 अध्यक्ष जी, 10 लाख की धनराशि की दूसरी किस्त जारी करने हेतु आप निर्देश देने की कृपा करें ताकि राम कृष्ण कन्या महाविद्यालय का निर्माण जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराया जा सके और इस क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, समय सीमा निश्चित करके दूसरी किस्त के रूप में 10 लाख किस्त जारी कराने की कृपा करें।

4–जनपद बुलन्दशहर में पवसरा इंटर कालेज से नीमचाना होकर जो मिल की तरफ (अगौता मिल) जाता है, वह सड़क तकरित योजना के तहत करीब 4 वर्ष पूर्व 70 प्रतिशत करीब का कार्य हो चुका था। प्राथमिकता के आधार पर उसका अधूरा पड़ा निर्माण कराये जाने का निर्देश देने की कृपा करें।

5–गिनोरा शेख जो मेरे क्षेत्र बुलन्दशहर तहसील का गांव है, में गिनोरा शेख जो बुलन्दशहर, मेरठ, गिनोरा होकर मार्ग बुलन्दशहर सैदपुर मार्ग गिनोरा शेख में नाले के पास रेलवे लाइन तक जाता है, 8-9 वर्ष पहले बना था उसकी मरम्मत प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक है, यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग रेलवे लाइन आगे काफी दूर तक जाता है। इसके निर्माण हेतु भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

6–गौ–हत्या को रोकने हेतु कारगर योजना बनाकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि जो गौ–हत्या पर प्रतिबंध लगा था उसका पालन हो और किसी भी स्थिति में गौ माता का कत्ल न हो। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, का गीत गांव में आज भी गया जाता है, समस्त देश में गौ माता के द्वारा ही लोगों में जागरण का कार्य लिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, गौ हत्या न हो इसका निर्देश देने की कृपा करें क्योकि यह समस्या कृषि के उत्पादन से जुड़ा हुआ है।

मा0 अध्यक्ष जी, उपरोक्त लिखे गये विषयों को सामान्य 2010-2011 की चर्चा में जोड़ कर उन पर आप उचित निर्देश देने की कृपा करें।

श्री हरपाल सिंह–गंगेशवरी, ज्योतिबा फूले नगर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मान्यवर, इस सरकार ने सभी हस के जीने की तमन्ना खोटी कर दी, बढ़ती महंगाई ने रोटिया छोटी कर दी, आज के दौर में बस नौकरियां उसको मिली, जिसने परदे में रखी थैलियां मोटी कर दी। मान्यवर, सरकारी नौकरियां खरीदी जा रही हैं। गरीब और गरीब हो रहा है, इस सरकार द्वारा विषमतामूलक समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं पर्यावरण के संबंध में कहना चाहूंगा। सरकार इस पर केवल 13 प्रतिशत बजट खर्च कर पायी है। जब पर्यावरण

सबसे बड़ी समस्या है, मेरे क्षेत्र में जुबली ऐन्ड वाम आर्गेनिक कैमिकल फैक्ट्री का जल इतना प्रदूषित है कि उसने आधे जनपद जे0 पी0 नगर का जल विषाक्त कर दिया है। गंगेश्वरी व हसनपुर ब्लाक में तो पूरा पेयजल 200 फीट गहराई तक काला व प्रदूषित निकल रहा है। जिसके पीने से भयंकर रोग फैल रहे है तथा फेफड़े गुर्दे खराब हो रहे हैं तथा सरकार इस ओर आंख मूंदे बैठी है। मान्यवर, ग्राम रहरा में डिग्री कालेज है लेकिन एक भी प्रोफेसर नहीं है केवल एक बाबू के सहारे राजकीय डिग्री कालेज चल रहा है। मान्यवर, भ्रष्टाचार चरम पर है, पुलिस बेधड़क होकर लूटपाट कर रही है। मान्यवर, खुलेआम पशुवध हो रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, यह सरकार ठेके पर चल रही है, सारे कार्य ठेके पर हो गये हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बिजली फिटिंग का प्रधानों से छीनकर ठेके पर कराया जा रहा है तथा मान्यवर मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम पर है। ब्लाक द्वारा ग्राम प्रधानों से नहीं बल्कि बी0डी0ओ0 द्वारा ठेके पर कार्य कराये हैं। मंहगी दर पर पेड खरीदे है बीच में भारी कमीशन लिया है तथा मान्यवर, दलित वर्ग का शोषण हो रहा है, गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु धन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं बी0 एच0 एम0 एस0 में प्रवेश लेने वाले गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति बारह हजार रुपये से घटाकर 950 रुपये कर दी गयी है। दलितों के साथ धोखा किया गया है। मान्यवर, सिंडिकेट पूरी तरह हावी है। शराब माफियाओं को पूरा प्रदेश उनके हवाले कर दिया गया है। शराब दुकानों में आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, खेल के क्षेत्र में इस सरकार ने घोर निराशा का कार्य किया है। युवाओं को खेल के उचित अवसर नहीं दिये गये। खेल बजट का केवल 36.6 प्रतिशत खर्च किया है जो कि दयनीय स्थिति है।

मान्यवर, जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा हो रही है। नौकरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। मान्यवर, थानाध्यक्ष असमोला मुरादाबाद जनप्रतिनिधियों का धड़ल्ले से अपमान कर रहे हैं तथा एस0 ओ0 बने बैठे हैं तथा मान्यवर, गजरौला लकड़ी डिपो में गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से लकड़ी नीलाम हो रही है। बिना उच्च अधिकारियों की उपस्थिति के बिना ही कम दामों पर लकड़ी नीलाम हो रही है तथा मान्यवर, लघु उद्योग पूरी तरह सरकार की गलत नीतियों के कारण चौपट हो गये हैं। मुरादाबाद का पीतल का काम लगभग समाप्त हो रहा है। किसान की पूरी तरह दुर्दशा हो रही है। खाद्य मिल नहीं रही है, डी0 ए0 पी0 लेने के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़े हैं। मान्यवर, सिंचाई विभाग में बहुत बड़ी धांधली है, केवल 10 प्रतिशत रुपया ही काम में लगता है, बाकी भ्रष्टाचार की भेट चढ़ जाता है। मान्यवर, काशीराम योजना तथा अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में कार्य में भारी धांधली है। कार्य की गुणवत्ता नहीं केवल सत्ता के लोग धन का बंदरबाट कर रहे हैं।

मान्यवर, पशुधन का बीमा होना चाहिए तथा हसनपुर तहसील केन्द्र में एक अग्निशमन केन्द्र होना चाहिए जिसकी बहुत जरूरत है। मान्यवर, इस सरकार ने केवल जातिवाद को बढ़ावा दिया है। भावना भड़काकर समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है। मान्यवर, मैं नेता भा0 ज0 पा0 के बजट के संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा0 राज कुमार सिंह गौतम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी की नेतृत्ववाली प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010-2011 के लिए प्रस्तुत अभूतपूर्व बजट लोक कल्याण के लिए समर्पित है। इस बजट का मूल, इस बजट की आत्मा, इस बजट का संदेश है, हजारों साल से उपेक्षित, वंचित एवं शोषितों का कल्याण। यह बजट उन्हें कुण्ठा, भेदभाव, अपमान और तिरस्कार के कड़ुवे अनुभवों से सुखद अनुभूति की ओर ले जाता है। यह सुखद अनुभूति वास्तविक है, न कि इस वर्ग के नाम पर शताब्दी तक राजनीतिक लाभ उठाने वालों का दिखावटी, अवास्तविक और कथित प्रेम। सरकार ने इस बजट के माध्यम से उनमें आत्मसम्मान, गौरव और सिर उठा के जीने की भावना का संचार किया है। सामाजिक समरसता तभी आती जब समाज के उपेक्षित तबके को भी उसका बोध हो, हिस्सेदारी हो और समरसता में उनका कल्याण हो। यह सरकार द्वारा इस दिशा में निरन्तर किये जा रहे प्रयासों की एक स्वर्णिम कड़ी है। प्रस्तुत बजट में प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता दी है, जो एक सर्व.स्वागतोग्य कदम है।

मान्यवर, समय की बाध्यता को देखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समस्त कल्याणकारी प्रावधानों का व्यापक रूप से चर्चा मेरे द्वारा संभव नहीं है फिर भी बजट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि बजट के अन्य प्रावधान उल्लेखनीय नहीं हैं।

मान्यवर, हालांकि बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिये व्यापक प्रावधान किये गये हैं लेकिन 2010-11 के इस बजट में 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना' द्वारा वंचित गरीब परिवारों के लिए 402 करोड़ रुपये की व्यवस्था उल्लेखनीय है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई से त्रस्त गरीबों को इस मदद से निश्चितरूप से राहत मिलेगी।

मान्यवर, बजट की दूसरी विशेषता, जो मुझे अत्यधिक आकर्षित करती है, वह है 'महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रु0 360 करोड़ की व्यवस्था। निश्चितरूप से इस प्रावधान से प्रदेश की बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं का भविष्य सुखद और स्वर्णिम हो गया है। 'सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा योजना' इसी क्रम की एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी है।

मान्यवर, यह तो रही सामाजिक न्याय से सम्बंधित कुछ बातें। हमारा प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण भारत वर्ष कृषि प्रधान है और कृषि की मूल आत्मा है सिंचाई। सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। लेकिन ऊर्जा आधारित साधन की प्रमुख भूमिका है। सरकार ने किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बजट में किसानों के पम्प सेट को अलग विद्युत फीडर से जोड़ने के लिए डा0 अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना आरम्भ किया है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25 हजार निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गन्ना किसानों को परामर्शित मूल्य के सापेक्ष रु0 25 प्रति कुंतल की अभूतपूर्व वृद्धि करके रु0 1100 करोड़ की अतिरिक्त आय की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, पिछली सरकारों का शहरों के प्रति मोह और आकषर्ण खुली किताब है। सेलिब्रेटी के आकर्षण में इस प्रदेश में क्या-क्या खेल हुए, यह किसी से छुपा नहीं है। सिनेमा.जगत और उद्योग जगत की तफरीह के लिए प्रदेश को पिकनिक-स्पाट, आरामगाह और चारागाह बनाया गया और सबको मालूम है कि आज यह तिलिस्म बड़ी बेशर्मी से टूट भी रहा है। ऐसा करने वाले एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। एक कहता है कि 'रोगी हैं इलाज पर ध्यान दें' तो दूसरा कहता है 'परदे में रहने दो' परदा न उठाओ भेद खुल जायेगा। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार शहरों के विकास के लिए गंभीर है लेकिन साथ ही वह इस वास्तविकता से भी परिचित है कि भारत की आत्मा तो गांव हैं, भारत तो गांवों में बसता है। इसी भावना से सरकार ने प्रस्तुत बजट में असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण हेतु रु0 750 करोड़ की व्यवस्था की है।

मान्यवर, शिक्षा अमृत के समान है, मानव के विकास एवं उन्नति का आधार है। पिछली सरकारों ने जनता अनपढ़ रहे, इसी में अपनी भलाई समझी। आखिर ऐसी क्या समस्या थी कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन नहीं किये गये, समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी। किसी ने जनता अनपढ़ रहे और किसी ने शिक्षा को नकल आधारित उद्योग बनाने में ही अपना भला देखा। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने इस वास्तविकता को अनुभव करते हुए शिक्षा-विस्तार के उद्देश्य से प्रस्तुत बजट में असेवित बस्तियों में एक हजार नवीन प्राथमिक विद्यालय और इतने ही नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा दस हजार अतिरिक्त कक्षों की बढ़ोत्तरी एवं 20 हजार विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 5 किमी0 की परिधि में हाई सकूल एवं 6 किमी0 के अन्दर इण्टरमीडिएट शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हम सरकार की शिक्षा के प्रति उसकी संवेदनशीलता की सराहना एवं प्रशंसा करते हैं।

मान्यवर, आपकी कृपा से अवसर मिला है तो कुछ अपने जनपद गाजीपुर के सम्बंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। गाजीपुर बहादुरी और आध्यात्मिक गौरव के लिए जाना जाता है। चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा पर्यटित, स्तूपों और स्तम्भों का जिला गाजीपुर बौद्ध परिपथ का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आन्दोलन में इस जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर अब्दुल हमीद, राम उग्रह पाण्डेय से लेकर कारगिल के अमर शहीदों तक जनपद ने देश के लिए असाधारण कुर्बानियां दी है। लेकिन आजादी के बाद इस जिले की तरक्की के लिए पिछली सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर जिले के लोग फख्र कर सकें।

मान्यवर, गाजीपुर के किसानों की गन्ना और पोस्ता दो कैश-क्राप थी। गाजीपुर में वर्ष 1820 में स्थापित केन्द्र सरकार के अधीन अफीम एवं क्षारोद कारखाना से जनपद का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। केन्द्र को इस कारखाने से अथाह लाभ हो रहा है और जनपद के हिस्से में लाभ के नाम पर शून्य आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इस कारखाने द्वारा जनपद में जनसेवा के क्षेत्र में कोई कल्याणकारी कार्यक्रम ही चलाया जा रहा हो। पिछले कई सालों से बेहतर

मारफीन स्ट्रेन्थ के बावजूद कम उपज (यील्ड) के आधार पर किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस जारी न करके अन्य प्रदेशों से आपूर्ति ली जा रही है। इस कारखाने का साइड इफेक्ट जनपद को झेलना पड़ता है और फायदा केन्द्र एवं अन्य राज्यों के हिस्से में जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार जनपद की उर्वरा क्षमता के अनुसार ही उपज (यील्ड) निर्धारित करें जिससे गाजीपुर के किसानों को न्याय मिल सकें।

मान्यवर, गाजीपुर के किसानों की दूसरी कैश-क्राप गन्ना थी लेकिन नन्दगंज की बन्द चीनी मिल ने उनकी आशाओं पर तुषारापात कर दिया है। पिछली सरकारों की संवदेनहीनता के कारण कई वर्षों से बन्द चीनी मिल के कारण जहां श्रमिकों को रोजगार के अवसर गवांने पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को कंगाल होना पड़ा हैं बन्द चीनी मिल को पुनः चालू करवाना जनपद के लिए अभूतपूर्व तोहफा होगा। मुझे विश्वास है कि उक्त दोनों ज्वलंत समस्याओं पर सरकार सदाशयता से विचार करते हुए ठोस कदम उठायेगी।

मान्यवर तीसरी और अन्तिम बात का उल्लेख करना चाहूंगा। बेहद खुशी की बात हे कि सरकार ने बजट में प्रदेश के 35 जनपदों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत 635.58 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नक्सल प्रभावित जनपद गाजीपुर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े जनपदों में से है और वह इस योजना में शामिल नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि गाजीपुर को भी इस योजना के अन्तर्गत लिया जाय।

मान्यवर, मैं इस बजट की कल्पना एवं उसे मूर्तरूप देने के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कु0 मायावती जी को सदन के माध्यम से हार्दिक बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिनके कुशल नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को साकार करने का मार्ग निरन्तर, वर्ष दर वर्ष प्रशस्त किया जा रहा है।

अच्छे बजट की विपक्ष ने केवल विरोध हेतु आलोचना किया है तो ये चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं–

'फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया,
सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया,
मैं महकती हुई मिट्टी हूं किसी आंगन की,
मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया।'

अन्त में विपक्षी सदस्यों का आह्वान इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहता हूं–

'ये जमीं कैसे बेहतर हो कोशिश करो,
दूर ये खूनी मंजर हो कोशिश करों,
हो न लम्बी, न छोटी, मझोली मिसाइल,
नीले नभ में कबूतर हो कोशिश करो।'

आपने आम बजट पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करते हुये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

जय भीम, जय भारत।

श्री अशोक कंसल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे 2009–2010 के आम बजट पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, सरकार ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' का जो महामन्त्र लेकर के बजट पेश किया है मुझे लगता है कि यह सत्य से परे है। इस पर मुझे एक बात याद आ गयी है मान्यवर, मैं प्रदेश का विचित्र चित्र देखकर हैरान रह गया जो इन्सान न बन सका वह भगवान बन गया। मान्यवर, किसान को अन्नदाता व व्यापारी को कर दाता माना जाता है लेकिन मान्यवर, आज दोनों ही बुरी तरह से परेशान हैं जब ये दोनों परेशान हैं तो मजदूर ही कैसे खुश रह सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से हर मोड़ पर विफल हैं। क्योंकि मान्यवर, किसान को समय पर अच्छे बीज की उपलब्धता नहीं है, अगर है भी तो इतना उस पर ब्लैक है कि गरीब किसान खरीद नहीं सकता, नही सिंचाई के साधन हैं क्योंकि समय पर विद्युत नहीं, समय पर अन्य कोई व्यवस्था नहीं, डीजल भी महंगा होने के कारण समय पर किसान सिंचाई नहीं कर पाता। जब उसकी फसल खेत पर आती है तो उसको बेचने का दाम सरकार तय करती है इसलिए किसान बड़ा परेशान हो जाता है और अन्त में आत्महत्या तक भी करने को कुछ किसान मजबूर हो गए। मान्यवर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी स्व0 श्री चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। उधर आज व्यापारी भी काफी परेशान हैं क्योंकि सरकार महंगाई की जिम्मेदारी व्यापारी पर डालकर उनके ऊपर छापे.सर्वे की कार्यवाही करा रही हैं जबकि मान्यवर, सरकार की ओर से कोई भी खाद्य पदार्थों पर कोई स्टाक सीमा तय नहीं है। सिर्फ चीनी को छोड़कर फिर भी 3/7 जैसी धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का व्यापारियों पर लगाने का काम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जबकि पूर्व में जिन व्यापारियों पर भी 3/7 धारा का प्रयोग किया गया था उसमें कोर्ट द्वारा 1 प्रतिशत भी मुकदमें सत्य नहीं पाये गये। मान्यवर, महंगाई बढ़ने का काम सरकारों की लागत नीति ही जिम्मेदार है क्योंकि बैट जैसे जटिल कानून को कर के रूम में व्यापारियों पर लगाया गया जो बहुसूत्रीय है इसके बाद सरकार द्वारा बैट कर लगाने के तुरन्त 8, 9 माह बाद ही 40 वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की जगह 12.50 प्रतिशत करने का काम किया गया है और महंगाई का सबसे बड़ा काम व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आना व वादा व्यापार सबसे बड़ा कारण हैं। जिसमें व्यापारी को काई दुकान में अधिक लागत भी नहीं लगानी पड़ती है और अन्त में वादा व्यापार में अधिक घाटा होने के कारण बहुत से युवा व्यापारियों ने आत्महत्या तक भी की है, इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का इन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कुछ बातों की ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, मान्यवर, सभी पात्रों का बी0पी0एल0 कार्ड बने,

सभी पात्रों को विधवा वृद्धा एवं विकलांग पेंशन का भी लाभ मिले व सभी गरीब पात्रों कि शादी में मिलने वाला अनुदान भी मिल सके एवं प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पर एक.एक प्रयोगशाला का भी निर्माण होना चाहिए ताकि मिलावटखोरी का शीघ्र निस्तारण हो सके। मान्यवर, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है यह किसी से छिपा नही हैं। क्योंकि रोजमर्रा में होने वाली घटना पहले दिन की घटना को बौना साबित करती है। आज किस प्रकार गोवंश का बध किया जा रहा है। जिस तरह से साम्प्रदायिक घटनायें होती रहती है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, निर्धन कन्याओं के लिए शिक्षा सम्बन्धी बात भी जाली पाई गई है मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जटमुझेड़ा गांव में एक विद्यालय 1992 से चल रहा है, जिसको सिंचाई विभाग से शिक्षा विभाग को स्थानान्तरण भी कराने की कृपा करें क्योंकि मान्यवर, इस विद्यालय में बड़ी ही गरीब निर्धन कन्या शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और कोई विद्यालय नजदीक नहीं है। मान्यवर, हरिद्वार तीर्थ नगरी के उत्तरांचल में जाने के बाद शुकताल मेरे जनपद का द्वापार व कलयुग की सन्धिकाल का एक तीर्थ स्थान है जहां पर परमपूज्य ब्रह्मलीन शुकदेव जी महाराज ने अपने श्रीमुख से राजा परीक्षित जी को मोक्ष के लिए श्रीमद्भागवत का रसपान कराया था उस शुकताल तीर्थ स्थल को मुख्य पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कराने की कृपा करें।

मान्यवर, अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि ब्रज क्षेत्र में स्थित गोबर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए भी कोई व्यवस्था कराई जाये क्योंकि यह एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है जहां कई-कई हजार लोक परिक्रमा करते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी में नहीं चाहता हूं कि एक परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। सन् 1958 के मिलावट कानून को बदले जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री जितेन्द्र कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकप्रिय, जनप्रिय भावी प्रधानमंत्री जी एवं विश्व की सशक्त महिलाओं में अग्रणी स्थान रखने वाली देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कु0 बहन सुश्री मायावती जी के मार्गदर्शन में मा0 वित्तमंत्री जी द्वारा 2010–11 के बजट चर्चा में सरकार के पक्ष में बोलने का मौका दिया मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी मा0 वित्तमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको प्रदेश की जनता ने काफी सराहा है। जिसमें सभी धर्मों में जन्में संतो, गुरूओं, महापुरूषों के आदर सम्मान में कार्य किया है। संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों एवं संविधान के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के आधार पर बजट प्रस्तुत किया गया हैं देश का सर्वजन समाज के मान सम्मान एवं भाईचारा पैदा करके समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रयास किया गया हैं प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए विकास युक्त वातावरण पैदा कर सभी क्षेत्रों में कार्य किया हैं चाहे व्यापारी हो,

मध्यम वर्ग के किसानों, छात्रों, कर्मकारों, कर्मचारियों, बुनकरों मजदूरों का बड़े पैमाने पर ध्यान देते हुए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, खाद, बीज, पेयजल, हैण्डपम्प, सोलर ऊर्जा, परिवहन, यातायात सड़कों आदि पर आगे बढ़ाने का प्रावधान किया हैं मा0 अध्यक्ष जी, देश में बढ़ते नक्सलवाद, आतंकवाद पर रोक लगाने एवं देश की एकता, अखण्डता को बनाये रखने पर ध्यान दिया है जिससे कोई अप्रिय घटना इधर घटी नहीं है। विकास दर को बढ़ावा मिला है जो विरोधी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नगण्य थी। नेता विरोधी दल एवं अन्य विरोधी पक्षों के मा0 सदस्यों ने काशी, मथुरा, लखनऊ, अयोध्या, आगरा आदि शहरों की चर्चा की लेकिन उनको ज्ञात हो कि हमारी सरकार इन शहरों को विकसित करने के लिए काफी धन दिया हैं विपक्षी कुछ सदस्य ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया वह निंदनीय है जबकि सभी विरोधी अपने महापुरुषों का आदर, सम्मान में पार्क, स्मारक आदि बनवाए हैं। हमारी सरकार ने भी अपने सन्तों, गुरूओं, महापुरूषों के आदर सम्मान में कई योजना लागू किया है जिसमें महामाया, गरीब बालिक आर्शीवाद योजना, सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना आदि। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी बजट में विशेष ध्यान दिया है इसी प्रकार से बजट में शिक्षा जगत को ऊपर उठाने के लिए बच्चों का कुपोषण मुक्त भोजन की व्यवस्था की है। मेधावी छात्रों को छात्रावासों एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी इस प्रकार से मा0 वित्तमंत्री जी द्वारा कर मुक्त बजट पेश किया गया है ज़ो सर्वजन समाज के दबे कुचले असहाय लोगों को अपने पैर पर खड़ा कर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है उसके समर्थन में बल देता हूं। आपने मुझे समर्थन में बोलने का समय दिया इसका मैं बहुत ही आभारी हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत.बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन गरीबों की ओर ले जाना चाहता हूँ। जिन्हें पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन मिला करती थी। जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता था। लगभग दो वर्षों से उनकी पेंशन बन्द कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुण्डा.खवारी मार्ग पर विदासिन बाजार से लरु होते हुए पींडा तक सम्पर्क मार्ग पूर्व में बनाया गया था जो इस समय काफी क्षतिग्रसत हो गया है। जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। मैं, आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि उक्त सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग दस कि0मी0 है का विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराने का कष्ट करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मध्य हीरागंज रजबहा जिसकी लम्बाई लगभग 32 कि0मी0 है। उक्त रजबहा में हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंचता है टेल तक पानी न पहुंचने से किसानों की फसल सूख जाती है मैं सरकार के सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उपरोक्त रजबहा की खुदाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प जो कि पूर्व में लगाए गए हैं काफी संख्या में खराब पड़े है जिनका रिबोर होना अति आवश्यक है रिबोर कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से खेलकूद युवा कल्याण मंत्री को बताना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाबागंज विकास खण्ड अन्तर्गत एक स्टेडियम की स्थापना कराकर क्षेत्र की युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही चाहता हूं।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के 2010–11 के बजट अभिभाषण के समर्थन में निम्न प्रस्ताव जो कि विकास से जुड़े है को शामिल करने की कृपा करें। पहला ग्राम अमेठी से लालजी पुरवा गन्ना केन्द्र तक सड़क निर्माण 2 कि0मी0 तथा बीच में रपटा निर्माण विकास खण्ड धौरहरा। दूसरा ग्राम रामपुर बेल्तुआ में शंकरपुर मजरा, सधुवापुर दहावर नाला पर सधुवापुर घाट पर पुल जिसकी जिला योजना व पी0डब्लू0डी0 विभाग से स्वीकृत होने के बाद भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है, लाखों गन्ना किसानों का मुख्य मार्ग है। तीसरा लखीमपुर से बहराइच मार्ग से ग्राम वसढ़िया चौराहा से खमरिया गन्ना शुगर मिल होते हुए ग्राम सरैंया वाया नौरंगपुर रामपुर होते हुए ईसानगर वाई पास से सीधी रोड कस्बा हसनपुर कटौली से दुर्गापुर पड़री तक 35 कि0 मी0 चौड़ीकरण तथा नव निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृत होकर पी0एम0कजी0एस0वाई0 भारत सरकार में लम्बित है प्राथमिकता से उपरोक्त प्रस्ताव जोड़ने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री अनूप सण्डा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एवं विकास के दावों को देखकर ऐसा लगता है कि यह सरकार ताश का ऐसा महल बना रही है जो कभी भी ढह सकता है। वास्तविक हालात यह है कि प्रदेश के कृषि उत्पादन की विकास दर दो प्रतिशत से भी कम हैं वर्ष 2001–02 में अनाज का उत्पादन 441.35 लाख मीट्रिक टन था तथा वर्ष 2009–10 में यह उत्पादन 468.34 लाख मीट्रिक टन है। यानि आठ वर्षों में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो चिन्तनीय है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है ओर सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। मान्यवर, अर्थशास्त्र का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि के आधार पर विकास के दावे खोखले और स्थायित्वहीन होते हैं।

आधारभूत ढांचे के विकास में सड़क एवं सेतु निर्माण के लिए गत वर्ष जहां 7657 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी वहीं इस वर्ष मात्र 5808 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण के दावे खोखले हैं, अल्पसंख्यक विवाह सहायता के लिए 12 करोड़ रुपये दिये गये हैं जिनसे मात्र 12 हजार

परिवारों का लाभ होगा जो प्रदेश की अल्पसंख्यक आबादी का एक प्रतिशत भी नहीं हैं। इसी प्रकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए इस वर्ष मात्र 9 करोड़ रुपये बढ़ाये गये हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बड़े-बड़े दावे करती है परन्तु राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं, प्रदेश के चिकत्सालयों में ए0आर0वी0 इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है तथा डाक्टर मरीजों के इलाज के बजाय निजी प्रैक्टिस को तरजीह दे रहे है और सरकार लाचार है। पूरे प्रदेश में पटरी और फुटपाथ दुकानदारों का उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस तथा नगरनिगम मिल कर के प्रदेश के लाखों पटरी दुकानदारों की रोजी-रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में लाखों बीड़ी मजदूर हैं जिनमे ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है परन्तु सरकार ने इन बीड़ी मजूरों के कल्याण के लिए कोई भी योजना नहीं बनायी हैं सुल्तानपुर जिले में बाध उत्पादन करने वाले निषाद समुदाय के हजारों लोग बिचौलियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं तथा अमानवीय परिसिथतियों में जीवन-यापन कर रहे हैं, परन्तु गरीबों और पिछड़ों के कल्याण का दावा करने वाली सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनहीन हैं इसी प्रकार चौरसिया समाज के लोग जो पान की खेती करने से लेकर के पान का व्यवसाय करने का काम करते हैं जिस काम में नुकसान की बहुत गुंजाइश होती है, परन्तु उनकी समस्याओं के प्रति भी सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण रहा। सरकार को यह चाहिए था कि जिस चौरसिया समाज में पंडित हरिशंकर चौरसिया जैसे महान कलाकर हुए उस समाज के हित के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करती, परन्तु सरकार को गरीबों और पिछड़ों के दर्द से कोई वास्ता नहीं है।

सुल्तानपुर जिले में जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां गोमती नदी में कटांवा घाट पर एक पुल के निर्माण की आवश्यकता है, वहां प्रति दिन नाव के सहारे हजारों लोग नदी पार करते हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार इलाहाबाद रोड और कुड़वार नाका स्थित रेलवे क्रासिंगों पर ओवर ब्रिज निर्माण के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। इससे सुल्तानपुर की आम जनता में भारी आक्रोश है तथा सुल्तानपुर का विकास बाधित है। सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में आई0सी0यू0 की हालत जर्जर है। इस आई0सी0यू0 के रख.रखाव के लिए सरकार को तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए तथा जिला चिकित्सालय में वेंटीलेटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुल्तानपुर की जनता विद्युत कटौती से त्राहि.त्राहि कर रही है, जिला मुख्यालय पर मात्र 10 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्रों को मात्र 6 घण्टे ही बिजली मिल पा रही हैं पूरा क्षेत्र लो.वोल्टेज की समस्या से पीड़ित हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कम क्षमता के ट्रांसफरामरों को बदल कर पर्याप्त क्षमता के ट्रांसफारमर लगाये जायें। रसोईगैस की कमी पूरे वर्ष बनी रहती है जिसे दूर करने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करनी चाहिए। सुल्तानपुर मे अग्निशमन के पास स्वयं पानी की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से कई बार आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन उपलब्ध होते हुए भी विभाग को जल संस्थान पर व नगरपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है। कानून.व्यवस्था की स्थिति बद्तर है, पूरे जनपद में व्यापारियों, पिछड़ों एवं अल्पंसख्यकों के प्रति अपराध तो बढ़ ही रहे हैं,

साथ ही साथ पुलिस भी उनका उत्पीड़न कर रही है, चोरी, डकैती और हत्या की बारदातों की घटनाओं से नागरिक त्रस्त हैं, परन्तु पुलिस अपराधियों से सांठ.गांठ कर मात्र सत्तारूढ़ दल के नेताओं की खुशामद में लगी रहती हैं आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, व अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माधव पासवान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर की ऐसी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया हैं मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर के ग्राम कोना, बरगदवा, मोतीराम, लक्षमनपुर, भरतपुर में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है। पोल टूटे हुए हैं, ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं, वर्षों से ठीक नहीं कराये गये है। अन्य तमाम ऐसे गांव हैं जहां पोल नहीं हैं। गरीबों के घर तक लाईन नहीं पहुंच पाई। गुबरौड, मिट्ठा गांवों में ट्रान्सफार्मर नहीं है।

गरीबों के घर तक अनाज नहीं पहुंच पाता हैं। कर्मचारी/अधिकारी सुनते नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र से 44 क्विन्टल गेहुं पकड़ा गया, यह गरीबों का अनाज था। पिछले महीने में 200 क्विन्टल पकड़ा गया। 8 क्विन्टल चीनी पकड़ी गयी, जांच में लीपा-पोती कर दी गयी।

गरीबों को आवास सुविधा नहीं मिल पा रही है।

पेयजल की समस्या पूरे विधान सभा क्षेत्र मे पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है।

सड़क समस्या–मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें जर्जर हालत में हैं।

सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में नहरों में पानी नहीं है।

खाद व बीज की समस्या पर–

धान की खरीद के सम्बन्ध में–

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ रोकने की व्यवस्था की जाए।

श्री सुख लाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट पर चर्चा के लिए आप द्वारा दिये गये समय के लिये आभारी हूं। हमेशा की तरह बजट की शुरूआत महान संत, गुरूओं व महापुरूषों, खासतौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरू, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर को विभिन्न रूपों में, अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, जिले व यूनिवर्सिटी/कालेज आदि बनाकर इन्हें पूरा.पूरा आदर-सम्मान दिया गया है जिन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी समाज के सभी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। सरकार ने इनके नाम पर इतना कुछ किया, अच्छी बात है

सभी को महापुरूषों का आदर-सम्मान करना चाहिए। आपने किया, हम भी करते हैं लेकिन इन सबके अलावा हमें इनकी शिक्षाओं को इनके सामाजिक विचारों का भी प्रचार किया जाना चाहिए। सभी महापुरूषों का एक आभामण्डल रहा है जिसके प्रकाश में उनके अनुयाईयों ने समाज सुधार के कार्य किये, लेकिन सरकार ने इनके प्रभामंडल को व्यापक करने के बजाए उसको संकुचित करने का प्रयास किया है। जिसका उदाहरण हम सबके सामने है, विषय न्यायालय के विचाराधीन कार्य को पता नहीं किस हड़बड़ी में, किस जल्दबाजी में किया गया कि महापुरूषों की शिक्षा, उपदेश के लाभ के बजाए उनकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। खैर, इसी परम्परा में संत गाड़गे को भी लेने का कार्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, जिन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया।

मान्यवर, इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में काफी निवेश किया है, लेकिन हम यदि किसी गांव, गली के लिये विद्युतीकरण के लिये जाये तो मा0 विधायक जी आप अपनी निधि से दे दीजिए, हमारे पास बजट नहीं हैं सिंचाई विभाग में किसी, पुलिया या टेल बनाने की बात करें तो बजट नहीं है। लोक निर्माण विभाग में जाओ तो बजट नहीं है, बजट कहां गया। यह बजट कहां चला जाता है ? बजट ऐसा हो जिसमें कम खर्च में ज्यादा और अच्छा कार्य हो सके। अगर दोहरी मूल्य नीति समाप्त कर दी जाए तो जमाखोरी और भ्रष्टाचार मिट सकता है।

1–सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार है।

2–खुदरा बाजार में आम आदमी लूटा जा रहा है। थोक भाव व खुदरा भाव में बहुत अन्तर जमाखोरों व सरकार की मिलीभगत स्पष्ट करता है।

3–महंगाई पर अंकुश लगाने का अब तक कोई प्रभावी रास्ता नहीं निकला है।

4–बढ़ती जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी कैसे की जाय। इसका कोई भी सर्वसम्मत हल नहीं हो पा रहा है।

5–आने वाले दिनों में, बढ़ती महंगाई, कृषि भूमि पर निर्माण, कृषि भूमि का घटता रकबा, जिससे घटता कृषि उत्पादन, रिश्वतखोरी के बल पर कालाबाजारी आम आदमी की तकलीफ बढ़ा रहे है।

6–किसान की उपज, सरकारी मूल्य समर्थन मूल्य पर सही समय पर नहीं खरीदी जा पा रही है जिससे बिचौलियों व सरकार खरीद एजेंसी द्वारा किसान का शोषण किया जा रहा है।

7–खाद्य पदार्थों के मूल्य एक वर्ष में कई गुना बढ़ गये हैं। इसके लिये दोषपूर्ण सरकार नीतियां व भ्रष्टाचार जिम्मेदार हैं।

8–मेरे क्षेत्र बरखेड़ा में मंजूर आई0टी0आई0 कालेज अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ, बजट नहीं आया है।

9--बीमारी, शादी अनुदान, अच्छी योजनायें है। 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, कैसे मिलेगा, कैसे बंटेगा, प्रक्रिया इतनी जटिल है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

10--महिला एवं बाल विकास के लिए 4470 करोड़ की व्यवस्था है लेकिन कार्यक्रम इस प्रकार चलते हैं कि सबसे अधिक दुरूपयोग होता है।

11--बजट आ गया है, अब इसे किस प्रकार ठिकाने लगाना है, इस पर ध्यान अधिक जोयगा, बढ़िया काम हो, उस पर नहीं। यह मानसिकता बदलें, तभी विकास हो सकता है।

12--बजट ऐसा हो जो आम आदमी का ख्याल रखे। उ0 प्र0 में विकास की राजनीति नहीं हैं। प्रति व्यक्ति आय कम हैं। गरीबी की जड़ फैलती जा रही है। जनसंख्या अधिक है, साक्षरता दर कम है, जन्म दर अधिक है और आर्थिक विकास के लिये मूलभूत ढांचा नहीं है।

13--हर साल बजट में सरकार की तरफ से घाटे को कम करने का वायदा होता है लेकिन जब अगला बजट आता है, तो पता चलता है कि घाटा और बढ़ गया।

श्री छत्रपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2010--2011 के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं और अपने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कराये जाने की मांग करता हूं :

1--बरेली बागेश्वर मार्ग को फोरलेन बनाने के सम्बन्ध में बजट में शामिल हो।

2--बहेड़ी (बरेली) में चुरैली डैम से शारदा नहर से सेभीखेड़ा चीनी मिल तक सड़क मार्ग का निर्माण हो।

3--ग्राम पनवडिया पर किच्छा नदी पर पुल का निर्माण, ग्राम चौड़ेरा पर सिंघंइया नदी पर, ग्राम बसुघरन पर ढोरा नदी पर, ग्राम अटरिया पचुआ मार्ग पर बहगुल नदी पर पुलों का निर्माण कराया जाना है।

4--ग्राम टेहरा में बहुगुल नदी पर तथा खमरिया में बरौर नदी पर चैक डैम का निर्माण कराया जाये।

5--ग्राम गुलड़िया, कैशोपुर, नरायन नगला, पनवड़िया, बहुदनपुर तथा ग्राम भुड़का तथा चुरैला को किच्छा नदी के कटाव से बचाने हेतु पिचिंग कार्य।

6--सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दमखोदा का निर्माण मुड़िया नवीबम्स में कराया जाये।

7–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्राम सभाओं के मजरों में विद्युतीकरण तथा ट्रांसफार्मरों का परिवर्तन एवं जर्जर विद्युत लाइनों का परिवर्तन।

8–आई0टी0आई0 बहेड़ी के लिए भूमि की व्यवस्था तथा भवन निर्माण हेतु धन का आवंटन।

9–बहेड़ी नगर में रोडवेज बस अड्डा का निर्माण कराना है।

10–बहेड़ी व रिछा की चावल मिलों को विशेष आर्थिक जोन घोषित कर विशेष सुविधाएं एवं विकास।

11–स्कूल तथा कालेजों में अध्यापकों की विषयानुसार व्यवस्था।

12–उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल हरसूनगला बहेड़ी के श्रमिकों को वी0आर0एस0 सहित समस्त देयों का भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान हो।

13–किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के किसानों को सत्र 2009–2010 के गन्ने की आपूर्ति का मूल्य निजी चीनी मिलों के अनुसार दिया जाये तथा मिल को पुनः चालू किया जाये।

14–केसर इण्टरप्राइजेज बहेड़ी द्वारा सत्र 2007–2008 का गन्ना मूल्य का अवशेष का 16 करोड़ का भुगतान तत्काल ब्याज सहित कराया जाये तथा घटतौली राकेने हेतु धर्मकांटे की तौल को मान्य किया जाये।

15–उत्तरांचल स्थित नानक सागर बांध, बहुगुल बांध तथा ढोराबांध से निकलने वाली रूहेलखण्ड डिवीजन की नहरों को टेल तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करायें।

पी0एस0यू0पी0–25 विधान सभा–23-4-2010–813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।